लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]





[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15—सोमवार, 12 अगस्त, 1968/21 श्रावण, 1890 (शक)

No. 15—Monday, August 12, 1968/Sravana 21, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
422	दिल्ली के अस्पतालों का कार्य संचालन / Working of Delhi Hospitals	745–750
423	गोआ के मिश्रित धातु और इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई / Supply of Electric Powar to Alloy and Steel Plant at Goa	751–752
424	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / Public Sector Undertakings	752–757
425	सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारियों से भिन्न लोगों की नियुक्तियां / Persons other than Government Servants holdings posts in Public Undertakings ...	757–763
429	अधिकारियों के विदेशों के दौरे / Tours Abrod by Officials — ...	763
437	विदेशो मे भेजे गये प्रतिनिधि मंडल / Delegations sent Abroad — —	763–765
431	सरकारी उपक्रम / Public Undertakings	765–766

अ. सू. प्र. सं./S.N.Q. Nos.

5	नैनी रेलवे यार्ड में गेहूँ की बोरियों का क्षतिग्रस्त होना / Damage of Wheat Bags at Naini Railway Yard	766–772

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.

421	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेल-शोधक कारखाना / Oil Refinery Plant in North West Region ..	772

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

427	कम राशि तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to Under-invoicing and Over-invoicing ...	772–773
428	1968-69 के लिये उड़ीसा का योजना व्यय	Plan Expenditure for Orissa for 1968-69 ...	773
430	आल इंडिया इन्स्टीट्च्यूट आफ मैडिकल साइंस, नई दिल्ली में अनियमितताएं और भाई-भतीजावाद	Irregularities and Neposism in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	773–775
432	दिल्ली विकास प्राधिकार के बारे में नई दिल्ली नगर-पालिका का उपेक्षापूर्ण रवैया	Indifferent attitude of New Delhi Municipal Committee towards Delhi Development Authority	775
433	दिल्ली में भिखारियों को काम देने की योजना	Scheme to provide jobs for Beggars in Delhi...	775
434	मोदीनगर के लिये नगरपालिका	Municipality for Modinagar	775–776
435	अग्रिम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं	Pilot Rural Electrification Projects	776
436	पूर्वी पाकिस्तान में से बहकर आने वाली भारतीय नदियों पर पाकिस्तानी बांध का प्रभाव	Effect of Pakistani Dam on Indian Rivers flowing from East Pakistan	776
438	मंत्रियों के लिये काटेज जैसे निवास स्थान	Cottage Type Residences for Minister.. ...	776–777
439	स्वचालित मशीनें	Automation	777
440	ग्रामीण क्षेत्रों में चलती-फिरती परिवार नियोजन व्यवस्था	Mobile Family Planning Arrangements in Rural Areas	777–778
441	दिल्ली के गांवों में सार्वजनिक शौचालय	Community Latrines in Delhi Villages ...	778

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
442 पी.एल. 480 धन का जमा होना	Accumulation of P.L. 480 Funds	779
443 एंटिबायोटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश	Antibiotics Factory, Rishikesh	779–780
444 पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति 1959	West-Bengal Flood Enquiry Committee 1959	780
445 आय कर की बकाया राशि	Tax Arreares	781
446 दिल्ली में भोजन पकाने तथा पीने के लिये बिना सफा किया पानी	Unfiltered Water for Cooking and Drinking Purposes in Delhi	781–782
447 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों के लिये क्वार्टर	Houses for Central Government Employees...	782
448 वर्षा के फालतू पानी का उपयोग	Utilization of Surplus Rain Water	782–783
449 पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of the Central Bureau of Investigation on the Punjab National Bank Ltd	783
450 नोटों की चोरी तथा कमी	Theft and Shortage of Currency Notes ...	783–784
अता. प्र. सं/U.S.Q. Nos.		
3488 कलकत्ता की बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की मरम्मत	Repairing of Calcutta Streets Damaged by Floods	784–785
3489 मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Walfare of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh	785
3490 हरिजनों का कल्याण	Welfare of Harijans	785
3491 नेपा मिल्स से ताप्ती नदी में गन्दा पानी डाला जाना	Discharge of impure water from the Nepa Mills into tapti river	785–786
3492 1967-68 के लिये मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना	Annual Plan of Madhya Pradesh for 1967-68	786

3493	मध्य प्रदेश की सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Hydro-electric Projects M.P....	786
3494	कोरबा उर्वरक कारखाना	Korba Fertilizer Plant ..	786-787
3495	भुतपूर्व संसद सदस्यों तथा भुतपूर्व मंत्रियों से बकाया किराये की वसूली	Recovery of rent from Ex-M. Ps. and ex-Minisiers ...	787-788
3496	वित्तीय वर्ष का बदला जाना	Changing of Financial Year ...	788-789
3497	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird and Company ...	789
3498	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird and Company ..	789-790
3499	भारत से चान्दी चोरी छिपे ले जाना	Smuggling of Silver out of India ...	790
3500	राजस्थान में देहाती क्षेत्रों में गृहनिर्माण	House Building in Rural Areas of Rajasthan	790-791
3501	केन्द्रीय मंत्रियों को थैलियां तथा अन्य उपहार देना	Purses and other gifts to Central Ministers ...	791
3502	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशनों में हुई प्रदर्शनियां	Exhibitions held at A.I.C-C. Session	791-792
3504	सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	M/s. Serajuddin & Co. Calcutta	792
3505	यार्डी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Yardi Committee —	792-793
3506	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां (संशोधन) विधेयक, 1967	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Oriders (Amendment) Bill; 1967	793
3507	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarship	793
3508	चिली से नाइट्रेट आफ सोडा का आयात	Import of Nitrate of soda from Chile — ...	794

3509 चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये देशी संसाधन	Internal Resources for Fourth Plan	794
3510 व्यापार गृहों का काली सूची में दर्ज किया जाना	Black-listing of Business Houses	794-795
3511 असैनिक डिपुओं में तेल, पैट्रोल और डीजल की कमी	Shortage of Oil, Petrol and Diesel in Civilian Depots ...	795
3512 राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan canal projects	795–796
3513 नर्मदा जल–विवाद	Narmada Water Dispute	796
3514 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधकीय संकट	Managerial Crisis in Public Sector Undertakings ..	796–797
3515 उद्योगों के लिये विदेशी ऋण	Foreign Loans for Industries	797–798
3516 सरकारी क्षेत्र की इन्जीनियरिंग, इस्पात तथा अन्य परियोजनाएं	Public Sector Engineering Steel and other Projects ...	798
3517 कृषि-ऋण निगम	Agriculture Credit Corporation ...	798
3518 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarship to Students ..	799-800
3519 दिल्ली से मंत्रालयों को बाहर भेजना	Shifting of Ministries from Delhi ...	800
3520 दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियां	House Building Cooperative Societies in Delhi ..	800–801
3521 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुव्यवस्थित करना	Consolidation of Public Sector undertakings...	801–802
3522 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आय	Income of Undertakings in Public Sector ..	802
3523 सरकारी उपक्रमों के लिये प्रबन्ध पुन्ज	Creating of Management Pool to serve in Public Undertakings	802–803
3524 बुनियादी तथा अत्यावश्यक औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य	Prices of Basic and Essential Industries Raw Materials	803-804

3525 चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात की सम्भावना	Export Prospects during Fourth Plan ...	804
3526 आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग	Rural resources for Economic Development...	804–805
3527 टैगोर शताब्दी समारोह	Tagore Centenary Celebrations ...	805
3528 जमालपुर वर्कशाप के दक्षिण-पूर्व में स्थित गांवों के लिये प्रकाश और सिंचाई की सुविधायें	Light and Irrigation facilities for Villages lying South-East of Jamalpur Workshop..	805–806
3529 अम्बूर बांध	Ambhoor Dam	806
3530 चण्डीगढ़ में भूखंडों (प्लाटों) का आवंटन	Allotment of Plots in Chandigarh	806
3531 राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनक्रम महगाई भत्ते	Scales of P y/D. A. of State Government Employees	806–807
3532 खाद्य पदार्थों के मानकों सबंधी केन्द्रीय समिति	Central Committee for Food Standards ...	807
3533 भारतीय उद्योग में लगी विदेशी पूंजी	Foreign Capital in Indian Industry	807–808
3534 दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां	Statues of National Leaders in Delhi.. ..	808
3535 खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का बुरा प्रभाव	After-Effects of Oral Contraceptive pills	809
3536 खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज	Oil Exploration of Gulf of Cambay	809
3538 दिल्ली में नजफगढ़ सड़क के साथ बस्तियों का विकास	Development along the Najafgarh Road, Delhi	809–810

3539 बम्बई में विदेशी मुद्रा पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Currency in Bombay	810
3540 नसबन्दी आपरेशन के लिये दन्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण	Training of Dental Surgeons to Conduct Vasectomy operations	810–811
3541 बम्बई में पकड़ी गई कलाई की घड़ियां	Wrist Watches Recovered in Bombay ..	811
3542 चीन में छापे गये जाली नोट	Counterfeit Currency Notes printed in China	811–812
3543 लेखन सामग्री नियंत्रक का कार्यालय कलकत्ता	Office of Controller of Stationery, Calcutta ..	812
3544 राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States	812–813
3545 आसाम में बाढ़ की स्थिति के बारे में ज्ञापन	Memorandum on Food Situation in Assam ..	813–814
3546 मध्य प्रदेश में गान्धी सागर जलाशय में तल-छट सम्बन्धी अध्ययन	Sedimantation studies in Gandhi Sagar Reservoir, M.P.	814–815
3547 सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश	Irrigation and Power Projects, Madhya Pradesh	815–816
3548 आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic Dispensarite and Ayurvedic University	816
3549 भारत में तेल के नये श्रोत	New Sources of Oil in India	816
3550 पी. फार्म	P. Forms	816–817
3551 सिविल अस्पताल, काटचल	Civil Hospital Katchal ...	817
3552 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बनाए नये मकान	Houses Constructed by Delhi Development Authority	817–818
3553 नारी निकेतन	Nari Niketans	818
3554 जापान से आयातित गर्भ निरोधक	Contraceptives Imported from Japan ...	818

3555 त्रिपुरा में अगरतला की सीमाओं पर पाकिस्तानी बांध	Pakistani Bund on Borders of Agartala Tripura ...	819
3556 बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में नेत्र अस्पताल	Eye Hospital in Bulandshahar (U.P.) ...	819
3557 सौराष्ट्र कैमिकल्स लिमिटेड	Saurashtra Chemicals Ltd.	820
3558 यात्रा अभिकरणों के कार्यालयों पर छापा	Raid on Offices of Travel Agencies	820–821
3559 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में रुसी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of Russian Experts on Oil and Natural Gas Commission	821
3560 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास	Development of Land by Delhi Development of Authority	821–822
3561 पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां और बोर्ड	Advisory Committees and Boards in the Ministry of Petroleum and Chemicals ...	822
3562 सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय से प्रतिनिधि–मंडलों को विदेश यात्राएं	Visits Abroad of Delegations etc. from the Ministry of Irrigation and Power ..	822
3563 निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Works, Housing and Supply Ministry	823
3564 बर्मा–शैल द्वारा उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant by Burmah-Shell	823–824
3565 दामोदर घाटी निगम का कार्य	Performance of Damodar Valley Corporation	824
3566 विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेलशोधक करार	Refinery Pacts with Foreign Oil Companies	824

3567 दिल्ली में अस्पतालों के लिए उपकरणों का आयात	Import of Equipment for Hospitals in Delhi...	825
3568 नई दिल्ली में कनाट प्लेस नया रूप देना	Re-orientation of Connaught Place, New Delhi ...	825
3569 हेमवती परियोजना, मैसूर	Hemavathi Project, Mysore ...	825-826
3571 हाइड्रो-कार्बन कच्चे माल पर आधारित उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant based on Hydro-Carbon Raw Materials	826
3572 नैफ्था की मांग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये तकनीकी समिति	Technical Committee to Study Problems of Naphtha requirements	826-827
3573 पेट्रो-रसायन के बारे में सऊदी अरब के साथ सहयोग	Collaboration with Saudi Arabia regarding Petro-Chemicals	827
3574 आयकर अधिकारी	Income-tax Officers	827
3575 आयकर के मामले	Income-tax Cases	827-829
3576 देशी चिकित्सा प्रणालियां	Indigenous Systems of Medicines	829
3577 उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes for the drought affected areas of U.P. and Bihar	829-830
3578 परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	830
3579 वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास का प्रचार सलाहकार	Propaganda Adviser to the Indian Embassy, Washington	830-831
3580 स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय के सेवा-निवृत अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-Employment of retired officials of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development	831

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3581 मेरठ में आयकर दाता	Income-tax Payers in Meerut	831
3582 पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क	Export duty on Jute Goods	831-832
3583 बराहक्षेत्र जल–बिद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता	Potential Power Capacity of Barahkshetra Hydel Power Project --	832
3584 टाटवा तथा खाटवे जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Tatwa and Khatwe Castes in the List of Scheduled Castes ...	832-833
3585 मंत्रियों के बिजली तथा पानी के बिल	Electricity and Water Charges of Ministers ...	833
3586 गुजरात में पेट्रो–रसायन कारखाना	Petro-Chemical Project in Gujarat ..	833
3587 हल्दिया तेल पाइपलाइन की मरम्मत	Repairs to the Haldia Oil Pipeline	834
3588 विमानों का तेल	Aviation Fuel — ..	834
3589 योजना सम्बन्धी अधिकतम सीमा	Plan Ceilings ...	834-835
3590 राज्यों द्वारा वसूल किये गये कर	Taxes received by States ..	835
3591 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से नियति राशि से अधिक राशि निकालना	Overdrawals by Madhya Pradesh Government on Reserve Bank ... —	835
3592 ऊंचे मूल्य पर औषधियों और मेषजों की बिक्री	Sale of Medicines and Drugs at high Prices ..	836
3593 अमरीकी आर्थिक सहायता में कमी	Cut in U.S. Economic Aid	836
3594 परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ..	837-838
3595 रुपये के मूल्य की स्थिरता	Stability of the value of Rupee	838-839

3596	समाज कल्याण कार्यक्रम	Social Welfare Programme ..	839
3597	पांडिचेरी के निकट ओरोविले नगर का निर्माण	Construction of Auroville City near Pondicherry	840
3598	मंहगाई को निष्प्रभाव करने के लिये भत्ता	Neutralisation of Dearness Allowance... ..	840
3600	श्वास रोग (दमा) के लिए औषधि	Medicine for Asthama	841
3601	विदेशी मुद्रा की स्थिति	Foreign Exchange Position	841
3602	बम्बई और कलकत्ता में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchange violation cases in Bombay and Calcutta	842
3603	बम्बई में अपर–वेतरना परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता	Aid for the Upper Vaitarna Project in Bombay from the World Bank	842–843
3604	देश की आर्थिक स्थिति	Economic Position of the Country	843
3605	उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्ताव	Proposals for Increasing Fertilizer Production	843-844
3607	दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम के गोदाम से माल का गायब होना	Missing of Stores of the Delhi Electric Supply Undertaking	844–845
3608	शान्ति वन, नई दिल्ली	Shantivana, New Delhi	845
3609	अनुसूचित जातियों का उत्थान	Uplift of Scheduled Castes ...	845–846
3610	उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में कनरानन के ग्रामवासियों की नसबंदी	Vasectomy Operation on Kanraran Villagers of District Barabanki, U.P.	846
3611	उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बहजोई में अस्पताल	Hospitals in Behjoi, District Moradabad (U.P.)	846

3612 आक्सीजन तथा नाइट्रो-आक्साइड गैसों की कमी	Shortage of Oxygen and Nitro-oxide Gases...	846-847
3613 आसाम में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex in Assam ...	847
3614 आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Assam ...	847-848
3615 पटना जिले में गंगा नदी से मिट्टी का कटाव	Soil Erosion by Ganga in Patna District	848
3616 हजारी बाग, (बिहार) में तेनुघाट बांध	Tenughat Dam in Hazaribagh, Bihar ...	849
3618 श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध	Business Connection of Shri Kantilal Morarji Desai ...	849-850
3619 लक्ष्मी कामर्शियल बैंक से धन लेना	Withdrawals from the Laxmi Commercial Bank ...	850-851
3620 सम्मिश्रण व्यवस्था के लिये लुब्रिकेटिंग मार्केट में नवागन्तुकों को अनुमति	Permission to Newcomers in the Lubricating marks for blending arrangements... ...	851
3621 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा उर्वरकों को उधार बिक्री	Sale of Fertilizers on Credit by Fertilizer and Chemicals, Travancore Ltd.	851
3622 आयकर अपवंचकों को सम्पत्तियों का जब्त किया जाना	Confiscation of Properties of Income-Tax Evaders ...	852
3624 नहरकटिया और मोरान के तेल के कूओं में गैस	Gas in Naharkatia and Moran Oil Wells ...	852
3625 पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री संबंधी नीति	Policy re. Sale of Petroleum Products	852-853
3626 भारत को आर्थिक सहायता देने के लिये समर्थ देशों की सूची	List of Countries Capable of Providing Economic Assistance to India	853

3627	नगरों में रहने वाले बेघर व्यक्ति	Homeless City Dwellers ...	853-854
3628	गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages	854
3629	थियेटर कम्युनिकेशन बैरक, नई दिल्ली में स्थान का आवंटन	Allotment of accommodation in the Theatres Communication Barraks, New Delhi	854-855
3630	सोन बांध परियोजना	Sone Barage Project ..	855
3631	सरकारी उपक्रम	Public Uundertakings ..	855-857
3632	दिल्ली में आय कर की राशि वापस करने के मामले	Income-tax refund cases in Delhi ..	857
3633	गैर-बैंकिंग कम्पनियां	Non-Banking Companies	857
3634	मैसर्स चमन लाल एंड ब्रदर्स	M/s. Chamanlal and Brothers ..	857-858
3635	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा करापवंचन	Tax-evasion by the Ex-Chief Minister of Orissa	858
3636	मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s. Aminchand Pyarelal	858-859
3637	सरकारी कर्मचारियों को गोआ प्रतिकर भत्ता देना	Payment of Goa Compensatory allowance to Government Employees	859
3638	रामगंगा परियोजना के स्थान से इस्पात और सीमेंट का गायब हो जाना	Missing of Steel and Cement from Ramganga Project Site	859-860
3639	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी आवश्यकतायें	Irrigation and Power needs of Hill Areas of U.P.	860-861
3640	उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के विरूद्ध किसानों की शिकायतों के बारे में जांच	Investigations into Complaints of Farmers against Electricity Department, U.P.	861

अतां.प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3641 उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in certain District of U.P....	861
3642 गोरखपुर के गांवों के निवासियों का पनुर्वास	Rehabilitation of residents of Gorakhpur Villages	862
3643 गोरखपुर में सरकारी उपक्रमों के कब्जे में भूमि	Land in possession of Public Undertakings in Gorakhpur	862
3644 गैर-परियोजना ऋण	Non-Project loan	862–863
3645 विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों का भुगतान स्थगित करने की काम–चलाऊ व्यवस्था	Stop-gap arrangement to defer payment of debt to the World Bank	863–864
3646 भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर बकाया राशि	Non-payment of dues by ex-M.P.S., and Ex-Ministers ...	864
3647 उत्तर प्रदेश में कालागढ़ से बिजनौर और मुरादाबाद तक नहर का मार्ग	Route of Canal from Kalagarh to Bijnor and Moradabad U.P.	864
3648 करेंसी नोटों का छोटा आकार	Smaller Sized Currency Notes ...	865
3649 आय-कर दाता	Income-Tax Assesses ...	865
3650 ऋषिकेश स्थित "एन्टीबायोटिक फैक्टरी"	Anti-Biotics Factory at Rishikesh ...	865–866
3651 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बनाये गये पूर्व-निर्मित मकान	Pre-Fabricated Flats Constructed by Delhi Development Authority	866
3652 मैसर्स साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to M/s. Sarabhai Chemicals Limited ...	866–867
3653 उत्पादन शुल्क–उप–निरीक्षक, राया	Excise sub–Inspector, Raya	867
3654 डालमिया-जैन की कुछ कम्पनियों की ओर करों की बकाया राशि	Tax-Arrears due from certain Dalmia–Jain Group of Companies	867–868

3655 जिला पौड़ी गढ़वाल में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in District Pauri Garhwal	868
3656 नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha	868–869
3657 तराई वाले जिलों में मलेरिया और अन्य रोग	Malaria and other diseases in Tarai Districts..	869
3658 मैसर्स रेमिंगटन रेण्ड आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Ramington Rank of India(P) Ltd. ...	869–870
3659 मैसर्स गोदरेज टाइपराइटर्स	M/s. Godrej Typewriters ..	870
3660 आयलइंडिया लिमिटेड के चेयरमैन	Chairman of Oil India, Limited	870–871
3661 योजना आयोग के एक अधिकारी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन	Receptions Hosted by an Officer of Planning Commission	871
3662 हरियाणा और पंजाब के लिये जल संभरण योजनाएं	Water supply Schemes for Haryana and Punjab	871
3663 शुल्क-वापसी जांच समिति	Drawback Inquiry Committee ... —	872
3664 सरकारी उपक्रमों के लिये संविहित निगम	Statutory Corporations for Public Undertakings ... —	872–873
3665 पेट्रोरसायन उद्योग समूह, गुजरात	Petrochemicals Complex, Gujarat	873–874
3666 धरोई सिंचाई परियोजना, गुजरात	Dharoi Irrigation Project Gujarat —	874
3667 भारत तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच स्विच व्यापार	Switch Trade between India and East European Countries ...	874
3668 राज्यों में मद्य निषेध लागू करने के लिये सहायता	Assistance for Introduction of Prohibition in States — ...	875

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3669 पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास के लिये नेफ्था क्रैकर	Naptha Cracker for Development of Petro-Chemical Industries ...	875
3670 राज्यों में रसायनिक कारखाने	Chemical Industries in States	875-876
3671 नाइलोन का कारखाना	Nylon Plant	876
3672 ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु कारखाना	Quality of drugs manufactured at the Anti-biotics Factory	876-877
3673 सम्पदा–शुल्क	Estate Duty	877
3674 मद्रास फर्म अमैलगेमेशन्स उत्पादन आदि पर सम्पदा शुल्क भार	Burden of Estate Duty on the Production etc. of the Madras Firm Amalgamations ...	877-878
3675 उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में नदियों के साथ साथ बिजली की व्यवस्था	Electric lines along the rivers in Banda District, U.P. ...	878
3676 पेंशन	Pensions	878-879
3677 सर्कस के कलाकारों का बीमा	Insurance of Circus Artists	879
3678 खम्मात की खाड़ी में तट से दूर समुद्र में प्लेट फार्म	Off-Shore Platforms in Gulf of Cambay	879-880
3679 खम्भात की खाड़ी क्षेत्र में तट से दूर समुद्र में ड्रिलिंग	Off-Shore Drilling in Cambay Region	880
3680 लक्वा क्षेत्र से गोहाटी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई	Supply of Crude Oil from Lakwa Region to Gouhati Refinery	880-881
3681 एक विमान परिचालिका से बरामद किया गया सोना तथा विदेशी मुद्रा	Gold and Foreign Currency seized from an Air Hostess .. –	881

3682	माधव अनाथाश्रम, ग्वालियर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhaw Anathashram, Gwalior ...	881
3683	उड़ीसा सर्कल में सम्बलपुर क्षेत्र से आयकर राजस्व	Income-tax Revenue from Sambalpur Range of Orissa Circle	882
3684	उड़ीसा में आय-कर कार्यालय	Income-Tax Offices in Orissa ...	882
3685	मोदी नगर में अवैध शराब बरामद होना	Illicit Liquor recovered in Modinagar.. ...	882
3686	सोडियम नाइट्रेड पर सीमाशुल्क	Customs Duty on Sodium Nitrate	882–883
3687	मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रदर्स, बम्बई	M/s. Jhunjhunwala and Bros. Bombay ...	883–884
3688	श्री रामजीलाल झुनझुनवाला, बम्बई का आयकर निर्धारण	Income-Tax assessment of Shri Ramjilal Jhunjhunwala, Bombay ...	884
3689	मैसर्स रामजीलाल झुनझुनवाला की कम्पनियों की जांच	Enquiries into Companies owned by M/s. Ramjilal Jhunjhunwala ...	885
3690	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कम्पनियों का आय-कर निर्धारण	Income-Tax assessment at Companies in Andaman and Car Nicobar Island ...	885–886
3691	परिवार नियोजन कार्य के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to States for Family Planning Programme	886
3692	श्रीलंका में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant In Ceylon	887
3693	ली चिरंजीलाल गोयनका	Shri Chiranji Lal Goenka	887–888
3694	पेनसिलीन निर्माण के नये तरीके का पता	Discovery of new method of manufacturing Penicilin	888
3695	नई दिल्ली के बंगलों में सीलन	Dampness in Bunglows in New Delhi ..	888–889

3696 दिल्ली में सामूहिक (ग्रुप) गृह निर्माण योजनायें	Group Housing Scheme in Delhi	889
3697 कास्टिक सोडा तथा समवर्गी उत्पादों के कारखाने के लिये लाइसेंस	Licence for a Caustic Soda and Allied Products Factory	889-890
3698 योगासन संस्थाएं	Yogic Exercise Institutions	890-891
3699 मैसर्स ओरियेन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी	Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	891
3700 मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कम्पनी के अंशधारी	Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Company ...	891
3701 मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पी) लिमिटेड के अंशधारी	Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. ...	891
3702 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा वर्दी पहनना	Wearing of Uniforms by Staff of Central Excise and Customs Department, Delhi ..	891-892
3703 मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी	Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	892
3704 पाठ्य-पुस्तकों के लिए मुद्रणालय	Printing Presses for Text books ...	892-893
3705 महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा उच्च अधिकारियों के दावों का शीघ्र भुगतान	Expenditious payment of claims of high official by A. G. C. R.	893
3706 मद्रास में सरकारी मैडिकल स्टोर	Government Medical Stores Madras... ...	893-894

तारांकित प्रश्न संख्या /U.S. Q.Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.		
3707	36,000 रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले कर्मचारी / Employees with annual income over Rs. 36,000 per annum	894
3708	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में काम कर रहे वार्धक्यता प्राप्त कर्मचारी / Superanuated officials, working in the Dental Council of India	895
3709	अध्ययन अवकाश पर अधिकारियों का विदेश गमन / Officers going abroad on study leave... ...	895
3710	लड़कियों के लिये चिकित्सा कालेज खोलना / Opening of Medical Colleges for Girls ...	896
3711	मैडिकल कालेजों में छात्राओं के लिये स्थान सुरक्षित करना / Reservation for girl students in Medical Colleges	896-897
3712	भारत में पुरुष तथा महिला डाक्टर / Male and Female Doctors in India ...	897
3713	भारत में महिला डाक्टरों की कमी / Shortage of Lady Doctors in India	897-898
3714	जोडा (उड़ीसा) में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र / Primary Health Centre at Joda, Orissa ...	898-899
3715	राष्ट्रीय एकीकरण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी पत्र / Paper on 'National Integration and the Scheduled Castes and Tribes.'	899
3716	अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मुफ्त शिक्षा / Free Education for Scheduled Tribes... ...	899-900
3717	नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में नौकर क्वार्टरों का आवटंन / Allotment of servant quarters of North and South Avenue, New Delhi	900

3718 दिल्ली बंगाली हिन्दू आवास सहकारी समिति टैगोर पार्क, दिल्ली	Delhi Bengali Hindu Housing Co-operative Society, Tagore Park, Delhi	900-901
3719 नई दिल्ली नगर पालिका के वित्तीय सलाहकार के रिहायशी फ्लैट में परिवर्धन तथा परिवर्तन	Additions and Alterations in a Residential Flat of N. D. M. C. by Financial Advisers	901
3720 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के एक गैरसरकारी स्कूल में परिवर्तन-परिवर्धन	Additions and Alterations in privately run Sarojini Nagar School, New Delhi ...	901
3721 सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी	Shortage of Nurses in Government Hospitals	901-902
3722 दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी	Air Customs Pool Staff at Delhi Bombay and Culcutta —	902
3723 पलाई बैंक	Palai Bank ..	903
3724 न्यू जनरल हास्पिटल लम्फेलपट मनीपुर में विशेषज्ञ	Specialists in the New General Hospital Lamphelpat, Manipur ..	903-904
3725 मनीपुर में जल सम्भरण परियोजना	Water Supply Project in Manipur ...	904
3726 लम्फेलपट जनरल अस्पताल, मनीपुर	Lamphelpat General Hospital, Manipur	904 905
3727 मनीपुर की बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये सहायता	Assistance for augmenting power Supply in Manipur	905
3728 जयपुर तथा भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of Accountant-General's Office at Jaipur and Bhubaneshwar	905-906
3729 जयपुर तथा भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of the Offices of Accountant General at Jaipur and Bhubaneshwar	906

3730 उड़ीसा और राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa and Rajasthan...	906
3731 होगेनक्कल जल-विद्युत योजना मद्रास	Hogenakkal Hydro Electric Scheme, Madras..	906–907
3732 पोदियार-पुन्नमुजा जल-विद्युत योजना, मद्रास	Paudiar-Punnampuza Hydro-Electric Scheme	907
3733 नायवत्तम अपवाह मोड़ (डाइवर्शन) योजना, मद्रास	Naduvattam Diversion Scheme, Madras ...	907–908
3734 कदमपोनई जल-विद्युत योजना, मद्रास	Kadamponai Hydro-Electric Scheme, Madras	908
3735 मद्रास की जल-विद्युत परियोजनायें	Hydro-Electric Projects of Madras	908–909
3736 चोरी छिपे लाये गये सामान का मूल्य	Value of Smuggled Goods	909
3737 मद्रास में पकड़ी गई सोने की छड़ें	Go'd Bars recovered in Madras ...	909
3738 धनराजगिराजी अस्पताल न्यास, शोलापुर को सहायतानुदान	Grant-in-aid to Dhanarajgiraji Hospital Trust. Sholapur	910
3739 इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Rishikesh	910–911
3740 पुनर्वास वित्त प्रशासन	Rehabilitation Finance Administration ...	911
3741 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिये भारतीय प्रतिनिधि मडंल में एक सलाहकार का शामिल किया जाना	Inculsion of an Adviser to the Indian Delegation to international Monetary Fund ...	911–912
3742 श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध	Business Connections of Shri Kantilal Morarji Desai -- ...	912

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.		
3743 श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध	Business Connections of Shri Kantilal Morarji Desai ...	912–913
3744 श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध	Business Connections of Shri Kantilal Morarji Desai	913
3745 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रिय सचिवालय सेवा के अधिकारी	C.S.S. Officers on Deputation to A.I.I.M.S., New Delhi	913–914
3746 सोडियम-नाइट्रेड पर सीमा शुल्क	Custom Duty on Sodium-Nitrate	914
3747 भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम-नाइट्रेड का उत्पादन	Manufacturing of Sodium-Nitrate by the Fertilizer Corporation of India ...	914–915
3749 प्रधान मंत्री का चन्द्रपुर बिजलीघर का दौरा	P.Ms. visit to Chandrapura Power Station ...	915
3750 मैसर्स एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	M/s. Advance Insurance Co. Ltd.	915
3751 जीवन बीमा निगम की "अपना मकान बनाओ" योजना	L.I.C. 'Own House' Scheme ..	915–916
3752 मंगलौर में उर्वरक परियोजना	Fertilizer Projects in Mangalore	916
3753 भूमिहीन, बेघर और बेरोजगार व्यक्ति	Landless, Homeless and Unemployed Persons	916–917
3754 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास अप्रयुक्त ड्रिलिंग बिट	Unused Drilling Bits with the Oil and Natural Gas Commission	917
3755 दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops for Schduled Castes in Delhi	917–918

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
3756 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ढनकनाल डिविजन में सिंचाई शुल्क	Irrigation Charges in Dhenkanal Division of Banda District (U.P.)	918-919
3757 दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा घोषित आय	Incomes Declared by Fruit Merchants of Delhi ...	919
3758 राष्ट्रीयकरण के पश्चात जीवन बीमा निगम का कारोबार	Business of the Life Insurance Corporation after nationalisation	920
3759 चम्बल नदी पर नावों के पुल का निर्माण	Construction of Pantoon Bridge over Chambal River	920-921
3760 सिंचाई की सुविधाओं तथा राज्यों के लिये धन के नियतन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Provision of Irrigational Facilities and Allocation of Funds to States	921
3761 बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में खेती योग्य भूमि	Cultivable Land in Chhotta Nagpur and Snathal Pargana, Bihar.	921
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	922
चंड़ीगढ़ स्थित इंडो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने का समाचार	Reported decision to wind up Indo-Swiss Training Centre at Chandigarh	922
उप प्रधान मंत्री के विरुद्ध सूचनाओं के बारे में	Re. Notices against Deputy Prime Minister ...	922
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	922-924
सदस्यों की दोष-सिद्धि	Conviction of Members ...	924
राज्य-सभा संदेश	Messages from Rajya-Sabha	925
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में,	University Grants Commission (Amendment) Bill as passed by Rajya-Sabha ...	925

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश, के बारे में सांविधिक संकल्प, भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक और पेटेन्ट विधेयक जारी	Statutory resolution re. Indian Patenrts and Designs (Amendment) Ordinance. Indian Patents and Designs (Amendment) Bill and Patents Bill	925-935
श्री एस० एम० जोशी	Shri S.M. Joshi	925
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	926
श्री एस. कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	927
श्री दीवान चन्द शर्मा	Shri D.C. Sharma	928
श्री के. एम. मधुकर	Shri K.M. Madhukar ...	930
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	931
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	932
श्री के. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	933
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	934
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	934
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed ..	935
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Flood situation in the country ...	936
श्री ए.श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	936
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	937
श्री चं. चु. देसाई	Shri C.C. Desai	937
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	938
श्री ओमप्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ..	938
श्रीमती जयावेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	939
श्री एस कण्डप्पन	Shri S. Kandappan ...	939
श्री लीलाधर कांटकी	Shri Liladhar Kateki	939

श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireshwar Kalita	..	...	940
श्री कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	...	...	941
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	...	...	941
श्री प. गोपालन	Shri P. Gopalan	...	...	942
श्री चपला कान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattarcharrya	..	...	943
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	..	..	943
श्री स.चं. सामन्त	Shri S.C. Samanta	...	...	944
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigarahi	...	..	944
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	..	...	945
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	..	...	945
श्री राने	Shri Rane.	...	...	946
श्री मीठालाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	...	..	946
डा० कु.ल. राव	Dr. K.L. Rao	...	..	947

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार 12 अगस्त, 1968/21 श्रावण, 1890 (शक)
Monday, August 12, 1968/Sravana 21, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के अस्पतालों का कार्य संचालन

+

***422. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 मई, 1968 से 6 जून, 1968 तक की अवधि के बीच "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुई लेख माला की ओर दिलाया गया है जिनमें दिल्ली के अस्पतालों के कार्य संचालन से सम्बन्धित कुछ बातों पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों, अन्तरंग रोगियों के लिए स्थान, रक्त चढ़ाने की सुविधाओं, मरहम-पट्टी करने के कमरों, लायसोल तथा इन्क्यूबेटर और सैक्शन मशीनों जैसे उपकरणों की आमतौर पर कमी है तथा बहुत से अस्पतालों में तो वातानुकूलित शल्य क्रिया कक्षों जैसी न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में स्टाफ तथा सेवाओं में समय-समय पर वृद्धि की गई है किन्तु इसके साथ ही साथ सेवाओं की मांग भी बढ़ती जा रही है ।

(ग) विभिन्न अस्पतालीय सेवाओं को बढ़ाने पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस लेख-माला के अलावा क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार के पास विशेष रूप से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लापरवाही, गलत निदानों और अशिष्टाचार के बारे में शिकायतें आई हैं और यदि आई हैं तो कितनी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : जहां तक इस प्रश्न के पिछले भाग का सम्बन्ध है, हमें नागरिकों से इस प्रकार के कोई आरोप प्राप्त नहीं हुए है । किन्तु जहां तक इस लेख माला का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि समाचारपत्र में विशेष रूप से समाचारपत्र के एक भाग में एक लेख माला निकली है । यदि मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि एक साधारण व्यक्ति ने वे लेख सम्बन्धित अस्पतालों से परामर्श किये बिना या वहां के तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही लिखे । उनमें से अधिकांश बातें पूर्णतया सही नहीं हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति का प्रतिवेदन निकल चुका है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का उस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मेरे विचार से माननीय मंत्री राव समिति का उल्लेख कर रहे हैं । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । इस पर विचार किया जा रहा है और तत्पश्चात् हम इसे सभा के समक्ष रखेंगे ।

श्री शशि रंजन : इसमें दो मत नहीं है कि दिल्ली के अस्पतालों में सुधार करने की आवश्यकता है । क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या उन्होंने बिहार की तरह दूसरे राज्यों के अन्य अस्पतालों का निरीक्षण किया है और उन्होंने यह पता लगाया है कि कमरों, क्वार्टरों, आपरेशन थियेटरों आदि जैसी बुनियादी चीजें भी शोचनीय दशा में हैं और यदि ऐसी बाते हैं तो मंत्री महोदय इस मामले में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : यह सत्य है कि मैंने बिहार के कुछ अस्पतालों का निरीक्षण किया । पटना मेडिकल अस्पताल और दरभंगा मेडिकल अस्पताल को कुछ समय पहले सुसज्जित करने की कल्पना की गई थी और यदि हम वहां के अस्पतालों की अवस्था का दिल्ली के किसी अस्पताल से मुकाबला करें तो यह स्वर्ग और नरक के बीच का अन्तर होगा ?

श्री शशि रंजन : माननीय मंत्री इन बातों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नरक को स्वर्ग में बदलने के लिये ?

Shri George Fernandes : At present strike has been going on for several days in Willingdon Hospital, from which it may be assessed what kinds of hospital and facilities this Government is able to provide. The honourable Minister has just now stated in reply to a question of Shri Virendra Kumar Shah that the series of articles, which are published in **The Hindustan Times**, have been written by a layman and there is no fact in the said thing. I would like to know from the hon. Minister that whether the hon. Minister has the same opinion about the report of Hospital Review Committee which is known as a Rao Committee in which worse remarks have been made.

Shri Satya Narayan Sinha : I did not say that it was a trash. I have said that it contains several such things. So far as Rao Committee is concerned, they were experts, they have gone to hospitals and seen and examined themselves and therefore their importance is different in comparison with the articles published in the newspapers.

श्री दी० चं० शर्मा : अन्य बातों के अलावा इन लेखों से लोगों का अस्पतालों में विश्वास खत्म हो गया है । ये लेख चाहे एक साधारण व्यक्ति या एक विशेषज्ञ द्वारा लिखे गये हों । यहां यह बात नहीं है । निश्चय ही इन अस्पतालों में लोगों का विश्वास पहले जैसा नहीं है । क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय मंत्री ने, जो स्वयं आयुर्वेद में दिलचस्पी रखते हैं, न केवल आयुर्वेद में लोगों का विश्वास कायम करने बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : माननीय सदस्य ने आयुर्वेद का प्रश्न उठाया है । मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन अस्पतालों में आयुर्वेद को स्थानापन्न किया जाये ?

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने उन अस्पतालों में और आयुर्वेद में लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए क्या किया है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : विशेष रूप से दिल्ली के अस्पतालों के बारे में हम हमेशा सभी प्रयत्न करते रहे हैं कि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो और अस्पतालों में सुधार हो । परन्तु मुझे यह मान लेना होगा कि हर साल या हर महीने रोगियों की संख्या इतनी अधिक है कि हम स्थिति का पूरा-पूरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं ।

Shri R. Shastri : The hon. Minister has stated that the position of Willingdon Hospital has improved. I may tell one thing from my own experience. The treatment of Members of Parliament and their families is also done there. Recently in the month of February, the condition of my daughter became very serious. I took her to Emergency Ward. But no doctor was available there for two hours. There are dispensaries in North Avenue and South Avenue for us. On the 9th I went to North Avenue dispensary. There was already one hon. member of the House. He had to wait there for three hours to go to the doctor and take medicines. Even then he did not get the medicines. I had to wait for about two hours. I would like to know from the honourable Minister whether he is prepared to provide better facilities to the Members of Parliament so that they may have to spend lesser time and their treatment may be done thoroughly and their family members may also get facilities.

Shri Satya Narayan Sinha : The members of Parliament who are present here and those who have gone to the hospitals, they would corroborate this fact as to how they have

been treated and how their treatment is done. Several glaring examples exist to that effect. Here are 350 dispensaries. I admit that there may be mistakes. The hon. Member should have brought that thing to my notice.

Shri R. Shastri : I gave a ring to the honourable Minister but he was not available.

Shri Satya Narayan Sinha : If I was not available on the telephone, he should have written a letter to me.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : बात यह है कि वहां दो घंटे तक कोई डाक्टर नहीं था। माननीय सदस्य अपना अनुभव बता रहे हैं।

Shri Satya Narayan Sinha : How can I say about this at present ? If full details be given in this regard, I shall get it enquired and the defaulters would be punished.

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know whether any other complaints have also been brought to the notice of the Government apart from those regarding amenities and whether Government are aware that though a member of Parliament was not suffering from Cancer yet cancer treatment was given to him in the Willingdon Hospital ? Has any such complaint been brought to the notice of Government; if so, what action has been taken thereon ?

Shri Satya Narayan Sinha : This is hypothetical. I do not know which was this case and when it happened.

श्री कन्डप्पन : हाल ही में मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अभी हाल ही में अपनी स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिये चंडीगढ़ गये थे। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि दिल्ली के अस्पतालों की कार्य तत्परता और कार्य-संचालन में उनका विश्वास नहीं है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : कुछ लोग अपने डाक्टरों में अधिक विश्वास रखते हैं तथा इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि अधिक योग्य डाक्टर यहां हैं। प्रतिरक्षा मंत्री उस राज्य के हैं और चंडीगढ़ संस्था यहां के अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की ही भांति अच्छी है। मैं नहीं जानता कि वह वहां क्यों गये। मुझे उनसे इसका कारण पूछना होगा। किन्तु यह किसी के प्रति अधिक विश्वास व्यक्त करने का प्रश्न है। उदाहरणार्थ मैं स्वयं किसी ऐसे डाक्टर को पसन्द करूंगा जो मुझसे काफी समय से परिचित हो।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के अस्पतालों में पलंगों या अन्तरंग आवास की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और डाक्टरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और क्या डाक्टरों के सभी रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कोई सूचना प्राप्त किये बिना उत्तर नहीं दे सकेंगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : वर्तमान आंकड़े मेरे पास हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : वह उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, in order to implement the recommendations of Dr. Rao Committee Col. Ayyar has been appointed as Officer on Special Duty. He is 61 years old and after his retirement he has been employed on a salary of about four thousand rupees per month. This is perhaps first or second instance in India that after the age of 61 years he has been re-employed on a better salary because the Prime Minister recommended him. I would like to know from the honourable Minister whether it is a fact that when he was given extension, during the last four months he was appointed as Director General of Health Services when as a rule the Officer, who is on extension, cannot be appointed on this post, and secondly, whether it is a fact that when there is Dr. S. S. Anand of Chandigarh and a Surgeon of world fame, you did not accept him and why did you do this exception ? He is a man of world fame whereas this one is quite a useless person.

अध्यक्ष महोदय : हम व्यक्तिगत मामलों की ओर जा रहे हैं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : यह क्या है ? बहुत ही बुरी बात है ।

Shri Satya Narayan Sinha : First, it has no direct relevance to this question.....

Shri Kanwar Lal Gupta : How it has not ?

Shri Satya Narayan Sinha : Secondly, it is quite wrong to say that the Prime Minister recommended him. To bring charge against any other person is the order of the day .....(interruption).....

श्री कंवर लाल गुप्त : राव समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उन्हें नियुक्त किया गया है ।

Did she tell you obout this case or not ?

Shri Satya Narayan Sinha : It is quite wrong.....

Shri Kanwar Lal Gupta : Kindly tell me whether she told you or not. Answer in 'Yes' or No'.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, should all the talks, which Minister have with the Prime Minister, be told to him ? Several talks are held with the Prime Minister and you tell all the talks to him ?

श्री अ० सि० सहगल : ऐसी अनेक बातें होती हैं जो प्रधान मन्त्री मन्त्रियों को कहती है । क्या यह आवश्यक है कि वह सब बातें यहा बतायी जायें ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये सक्षम हैं । उन्हें माननीय सदस्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Satya Narayan Sinha : Fifteen or twenty Members of this House or that House sent a tetter to the Prime Minister as to why extension is not being given to him ? The Prime Minister only mentioned about that. But this was not done for this very reason. I do not want to compare but every body knows this thing that Col. Ayyar is an eminent Surgeon. And you are aware that due to a case in Irwin Hospital all the honorary doctors were removed; there is shortage of Surgeons, and Physicians. We employed an

eminent Surgeon. And the honourable Member must have known that there is no question of 61 years of age; Dr. Vij is 65 years of age. Some doctors of 66 years of age are working The people upto the age of 62 years work in tachnical service. Not only this, he has been appointed as a consultant Surgeon to visit all the hospitals. Moreover, the report of Rao Committee has great importance and for that there was a need of a senior person. He was therefore, employed.

Secondly, will the honourable Member thus ask about each individual ? Leave something to Government as to who is to be employed and who is not to be employed. It is the duty of the Government.

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether in reply to the articles which were written against the hospitals it was stated on behalf of the Government that the number of patients, who die due to heart attacks in India, are lesser than that in the big progressive countries of the entire world. And it was also sometimes stated that the children, who suffer from measles, had been senseless for upto eight days and the said period has been reduced to 6 hours by our doctors. Have you also stated that there is a demand of 25 lakhs and the Government or Finance Minister are giving him 1 lakh ? Has it also been stated by you that there are such difficulties with regard to doctors and hospitals and would you kindly tell this thing also.....(interruption).....that Members call the doctors at their houses and there is a shortage of doctors ?

Shri Satya Narayan Sinha : Whatever honourable Member is stating is correct. If comparison is to be made, then there are bigger hospital in the world with larger funds at their disposal and larger expenditure. Everybody would admit that within the admit of our resources and expenditure ours is a very good arrangement. I would like to tell the members that there is one hospital in America consisting of 200 beds there is a povision for a budget of two crores. Compare that hospital with our own hospital. How much money is being spent on them ? The honourable member is right. But there is a lack of money and how the arrangement is to be made ?

श्री तिरुमल राव : क्या यह सच है कि कर्नल आयर, डा० एम० एस० राव और मेजर दुराई स्वामी विश्व के प्रमुख चिकित्सक हैं और उनकी सेवाओं का यहां उपयोग किया जा रहा है तथा कर्नल रेना और मेजर भाटिया को वार्धक्य निवृत्ति के बाद रखा गया है और क्या सरकार को मालूम है कि कुछ निहित स्वार्थ दल आपके विमान में उत्तर और दक्षिण के मतभेद पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यहां संसद् सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये उनका शोषन कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अगला प्रश्न । डाक्टरों से यह चर्चा उत्तर और दक्षिण पर आ गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय विलिंगडन अस्पताल में हड़ताल चल रही है । मुझे एक प्रश्न रखने का अवसर दीजिये ताकि हड़ताल समाप्त की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय नहीं खड़े हुए । परन्तु मेरा निश्चय है कि मन्त्री महोदय ध्यान रखेंगे कि हड़ताल समाप्त की जाये । आपकी तरफ से अपील करता हूँ—दूसरा प्रश्न ।

गोआ के मिश्रित धातु और इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई

+

*423. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स को गोआ में पाले नामक स्थान में उनके प्रस्तावित मिश्रित धातु और इस्पात कारखाने के लिए प्रति यूनिट 3.42 पैसे की दर से बिजली की सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यह आश्वासन कब और कैसे दिया गया था; और

(ग) उपयुक्त आश्वासन के मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) । (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yogendra Sharma : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister just now stated "No" So far as I am aware, there is a little mistake in framing this question. Perhaps, on that basis he would have stated "No" This is not my mistake. The mistake is on the part of the printing. We wrote Birla Brothers at Patratu and here appeared Pale. Perhaps on this basis he replied.....(Interruption).....My question was that the rate of electric power which was given to Birla Brothers in Patratu for an alloy company, was 3.2 per Kilowatt. The hon. Minister says "No" I would like to know whether he has stated about Patratu Company or any other company of Goa ? The difficulty is this that Birla Brothers are dominating in the whole of India.....(Interruption).....My question is about Patratu.

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से गोआ क्षेत्र में पाले के बारे में जानकारी मांगी है। पतरातू बिहार में है। इसलिये इसके लिये एक प्रश्न अलग से रखना होगा... (व्यवधान)

Shri Yogendra Sharma : Mr. Speaker, shall I have to put it again as a separate question ? I am not at fault because I have referred to Patratu. I would like that whatever I had given in writing; that might be put in original before us.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उसकी पूर्व सूचना चाहिये। वह कहते हैं कि एक प्रश्न अलग से देना होगा ।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : गोआ में या बिहार में बिड़ला बन्धु जैसे उद्योगपति 3.42 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं और स्वयं कृषि मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार भारत के किसान पुराने 3 पैसे से अधिक जो कि अब 10 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है भुगतान नहीं कर सकते हैं। कृषि मन्त्रालय और बिजली मन्त्रालय कई

सालों से आपस में झगड़ रहे हैं। यह क्या बात है कि सरकार या राज्य बिजली बोर्ड उद्योग को सस्ती बिजली देने के लिये अत्यन्त उत्सुक रहतीं है और यह क्या बात है कि वही सरकार किसानों को कम दरों पर बिजली देने के लिये न केवल हिचकिचाहट अनुभव करती हैं बल्कि एक दूसरे साथी मन्त्रालय के सुझाव को भी इनकार करती है।

श्री कु० ल० राव : गोआ जिस दर पर मैसूर से बिजली खरीद रहा है वह दर 6.25 पैसे प्रति यूनिट है। स्पष्ट है कि वे इससे कम दर पर नहीं दे सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्य ने जो अनुमान लगाया है वह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृषि और उद्योग के बीच में अन्तर के बारे में क्या कहा है ?

श्री कु० ल० राव : दोनों दरें पूर्णतया भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि किसानों के मामले में पारेषण लाइनें बहुत दूर तक लानी पड़ती हैं, जिसमें बहुत धन लगता है और बिजली बहुत थोड़ी मात्रा में ली जाती है। उद्योग के मामले में यह संकेन्द्रित है और पारेषण खर्च बहुत कम है। बिजली भी काफी मात्रा में ली जाती है। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हू कि कृषि और उद्योगों को एक ही दर पर बिजली देना आदर्श की बात होगी, परन्तु आज की आर्थिक दशा में यह सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्हें यह स्वीकार करने दीजिये कि कृषि मन्त्रालय ने एक प्रस्ताव किया है कि किसानों के लिये कम दर 10 पैसे होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

+

***424. श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन में उनकी पूरी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार काम नहीं हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) उन्हें पूरी क्षमता पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन-एककों की क्षमता के उपयोग से सम्बन्धित स्थिति कुछ अवधि के अन्दर बदलती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नीचे लिखे उद्यम अपनी पूरी निर्धारित क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं:—

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम
3. नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (जादवपुर एकक)
4. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड
5. प्रागा टूल्स लिमिटेड
6. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
7. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
8. नेवली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड
9. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
10. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान ऐण्टिबायोटिक्स लिमिटेड
12. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (मद्रास एकक)
13. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
14. सांभर साल्ट लिमिटेड

उत्पादन-क्षमता का कम उपयोग किये जाने की वजह, इंजीनियरिंग उद्योगों में आयी मन्दी और तैयार माल की मांग में हुई कमी, जैसी सारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामान्य बातें तथा मशीनों की खराबी, बिजली बन्द हो जाने आदि जैसी विशेष बातें हैं।

(ख) इन सम्बद्ध उद्यमों में लगी हुई रकम (सामान्य शेयर और ऋण) के 31 मार्च, 1967 के आंकड़े नीचे दिये गये है:—

उपक्रम का नाम	लगी हुई पूंजी (करोड़ रुपयों में) (31-3-67 को)
1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	1088.50
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	153.72
3. हिन्दुस्तान् ऐण्टिबायोटिक्स लिमिटेड	2.47
4. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड	1.79
5. प्रागा टूल्स लिमिटेड	3.67
6. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड	159.0

7. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फामास्युटिकल्स लिमिटेड (तीन एकक)	46.28
8. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड	2.13
9. नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (2 एकक)	3.79
10. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	27.23
11. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	98.35
12. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	185.84
13. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	43.19
14. सांभर साल्ट लिमिटेड	1.00

31 मार्च, 1967 को समाप्त हुआ वर्ष सब से हाल का ऐसा वर्ष है जिसके सम्बन्ध में इन सभी उद्यमों के लेखे उपलब्ध हैं ।

(ग) एककों के काम पर लगातार नजर रखी जाती है और उनकी उत्पादन-क्षमता के उपयोग से सम्बन्धित स्थिति में सुधार करने के उपाय किये जाते हैं । ये उपाय इस प्रकार हैं:—उत्पादन में विविधता लाने का कार्यक्रम शुरू करना विपणन-संगठनों को सुदृढ़ बनाना, एककों के चलाये जाने के समय पैदा होने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करना आदि । नयी प्रायोजनाओं या विस्तार योजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजना रिपोर्टों की समीक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी उपाय किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि वास्तविक आवश्यकता से उत्पादन क्षमता बढ न जाय ।

श्री दामानी : विवरण के अनुसार अधिकांश परियोजनायें क्षमता पर चल रही हैं । इस सम्बन्ध में पांडे समिति ने अपना प्रतिवेदन बहुत समय पहले पेश किया है । प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन भी बहुत पहले पेश हो चुका है । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में जिन विभिन्न समितियों ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है उनके द्वारा उस प्रश्न का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया गया है जिसे यहां पूछा गया है । सामान्य रूप में सम्पूर्ण प्रश्न का अध्ययन करते समय इसको शामिल किया गया हैं । हमने पहले की कुछ सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं । जहां तक प्रशासन सुधार आयोग का सम्बन्ध हैं वहां इस मामले से सम्बन्धित मंत्रिमंडल समिति ने विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन किया है और उन पर अपना निर्णय दिया है परन्तु मंत्रिमंडल समिति द्वारा कुछ सिफारिशों पर अध्ययन किया जाना बाकी है । केवल अपने प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार करने के बाद ही मंत्रिमंडल समिति अन्तिम निर्णय ले सकेगी ।

श्री रंगा : सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेगी ? आपने इसका उत्तर नहीं दिया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यही तो है जो मैंने कहा। इस समय चूंकि मंत्रिमंडल समिति प्रशासन सुधार आयोग की इन सिफारिशों का अध्ययन कर रही है, इसलिए उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि यह कब समाप्त होगा।

श्री दामाना : कुछ एककों को अपने वर्तमान उत्पाद बेचने में कठिनाई हो रही है। अधिक उत्पादन के मामले में बिक्री के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बिक्री संगठन को मजबूत बनाने के लिये कोशिश की गई है।

श्री लोबो प्रभु : उत्पादन क्षमता को कम उपयोग में लाने के तीन कारण दिये गये हैं। पहला कारण इन उद्योगों में मंदी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मंदी गैर-सरकारी क्षेत्र को उसी अनुपात में प्रभावित क्यों नहीं करती है जिस अनुपात में यह सरकारी क्षेत्र को प्रभावित करती है। जो दूसरा कारण दिया गया है वह यह है कि माल की मांग कम है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या वित्त मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि माल की मांग की यह कमी ऊंची कीमतों के कारण पैदा हुई है जो बड़े करों और निश्चय ही ऊंची कीमतों विशेष रूप से फालतू श्रम जैसे ऊपरी खर्च का परिणाम है ? तीसरा कारण है कि मशीनों में खराबी है। मैं जानना चाहता हूँ कि केवल सरकारी क्षेत्रों में ही इस अनुपात से यह खराबियां क्यों आती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा यह विचार नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र मंदी के प्रभावों से मुक्त हैं। मैं याद दिलाता हूँ कि पिछले सत्र के दौरान इस सभा में भी श्री लोबो प्रभु जैसे माननीय मित्रों ने आवाजें उठाई थीं कि सरकार को अपने पूंजी कार्यक्रम बढ़ाने चाहिये ताकि गैर सरकारी क्षेत्र मंदी के शिकंजे से मुक्त हो सके। मैं उन्हें इस बात की याद दिलाऊंगा कि यह केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जहां तक मशीनों की खराबी के कारणों का सम्बन्ध है, वहां मेरे पास सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच का एक तुलनात्मक विवरण नहीं है। इन बातों के बारे में मैं जो कुछ थोड़ा भी जानता हूँ वह यह है कि कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र से इस प्रकार की खराबियों की सम्भावना को अलग नहीं कर सकता है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विवरण में सरकारी क्षेत्र के 14 उपक्रमों के नाम दिये गये है जिनमें 1757 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगाई गई है और जिनमें उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह मालूम कर सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम कितने हैं जो पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कम से कम चार या पांच उपक्रम ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी एकत्र कर सका हूं और जो पूरी क्षमता से चल रहे हैं। वे हैं:— नीपा मिल्स, हिन्दुस्तान केबल्स, भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स। कुछ अन्य सीमान्त मामले भी हैं परन्तु मैं अभी तक यही सूचना एकत्र कर सका हूं।

श्री कृष्णमूर्ति : महोदय, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में दिल्ली में बहुत से सम्पर्क अधिकारी हैं जो विदेशों से पुर्जों और कच्चे सामान को आयात कराने के लिये यहां मंत्रालयों को मना रहें हैं और भारत सरकार उनके लिये चीजें तत्काल प्राप्त करती है। परन्तु जब कभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न उठता है और जब इन्हें पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिये पुर्जों और कच्चे माल के आयात की आवश्यकता होती है तभी उनको ये चीजें व्यापार और उद्योग एवं वित्त मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध नहीं होती है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति सौतेली मां की तरह व्यवहार न किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये है जब ये पुर्जे और कच्चे माल के आयात के लिये कहते है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक पुर्जों के आयात का सम्बन्ध है वहां अभी हाल में एक उदार आयात नीति लागू हुई है। हमें किसी क्षेत्र से कोई शिकायतें नहीं मिलीं हैं कि यह नाति सफल नहीं हैं।

श्री कृष्ण मूर्ति : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर समुचित रूप से नहीं दिया गया है। जब हमारे नेवेली परियोजना से एक साल से अधिक समय के लिये कच्चे माल के आयात के लिये प्रस्ताव आया तब इसे मंजूरी नहीं दी गई, इसी कारण वहां उर्वरक उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हुआ है। यह मंत्रालय इसके प्रति सौतेली मां के समान व्यवहार कर रहा है और मंत्री महोदय ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री मनु भाई पटेल : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त न करने का एक कारण उन व्यक्तियों को इन उद्योगों के प्रधान के रूप में जो पर्याप्तरूप से योग्य नहीं है, नियुक्त करने की प्रवृति है। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों में जो व्यवहार रूप में अवकाश प्राप्ति की अवस्था में पहुंच गये हैं, एक प्रवृति यह भी रही है कि वे कुछ सरकारी उद्योगों में भविष्य में नियुक्ति के लिये प्रतीक्षा करते हैं। इन बातों के परिणामस्वरूप इन उद्योगों का विकास नहीं होता है। क्या मै जान सकता हूँ कि सरकार गम्भीरता पूर्वक इस बात पर बिचार कर रही है कि इन उद्योगों में केवल योग्य व्यक्ति ही नियुक्त किये जायें और जो अवकाश प्राप्त व्यक्ति जिनका कुछ उद्योगों में स्वार्थ है, उनको नियुक्त न किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निःसन्देह सरकार की इसमें दिलचस्पी है। परन्तु मुझे यह अवश्य बताना चाहिये कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए किसी को भी योग्य कर्मचारियों की, जो इन सरकारी उद्योगों में ऊंचे पदों को ग्रहण कर सकते हैं, उपलब्धि पर विचार करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों को अध्यक्षों या प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति से सर्वथा अलग रखता है तो इस समय इन सभी स्थानों को भरने के लिये निकाय (पूल) काफी नहीं है। मुझे आशा है– मैं व्यक्तिगत आशा व्यक्त कर रहा हूं कि इन उद्यमों के अन्दर ही ऐसे कर्मचारी निकल आयेंगे जो सभी ऊंचे पदों की पूर्ति कर सकते हैं। परन्तु इस समय ऐसी स्थिति नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just now stated that some public undertakings are such as are working to full capacity and one of them is Hindustan Antibiotics and alongwith this there is a list of enterprises which are

not working to full capacity. The name of Hindustan Antibiotics is given at Sl. No. 11 in that list also; are these two separate companies in one name ?

Shri K. C. Pant : There are separate units of Hindustan Antibiotics. One unit may work to full capacity and the other may work to reduced capacity.

सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारियों से भिन्न लोगों की नियुक्तियां

+

***425. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या है जो नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर तीन महिनों में कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) उन्हें किस अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत इन पदों पर नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या उन्हें राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे उन उद्योगों पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या यह सच है कि वे अपने पदों का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें सरकारी उपक्रमों के उन पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम दिये गये हैं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये इसी प्रकार के अधिकारियों से भिन्न हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहा है उस पद की वेतन-अनुसूची भी विवरण में दिखाई गई है। इस प्रकार के अधिकारियों के बारे में तथा साथ ही उनमें से प्रत्येक पर तीन महिनों की अवधि में अर्थात् मई, 1968 से जुलाई, 1968 तक खर्च की गई कुल रकम के बारे में बिलकुल हाल की सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित, सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बद्ध संविधि अंतर्नियमावली में इस सम्बन्ध में बनाये गये विशिष्ट उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

1. श्री के० टी० चांदी, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
(अनुसूची-क)
2. श्री पी०एल० टण्डन, अध्यक्ष भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
(अनुसूची-क)
3. श्री पी० एस० कोठारी, प्रबन्ध निदेशक, नेशनल न्यूजप्रिन्ट ऐण्ड पैपर मिल लिमिटेड
(अनुसूची-क)

4. श्री एन० पी० सेन, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (अनुसूची--ख)

5. श्री के० एम० जार्ज, प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील लिमिटेड (अनुसूची--ख)

6. श्री बी० बी० के० मूर्ति, प्रबन्ध निदेशक, माइनिंग ऐन्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (अनुसूची--ग)

7. श्री जे० डी० अथा, प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (अनुसूची--ग)

8. श्री पी० पी० दानी, प्रबन्ध निदेशक, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (अनुसूची--घ)

9. श्री बी० आर० एस० भटनागर, प्रबन्ध निदेशक, पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलेप्मैंट कम्पनी लिमिटेड (अनुसूची--घ)

10. श्री टी० बी० मल्होत्रा प्रबन्ध निदेशक, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (अनुसूची--घ)

11. *श्री जे० सी० हडल्स्टन, प्रबन्ध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड

12. *श्री जे० एम० नट्टल, प्रबन्ध, निदेशक लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड

13. *श्री जे० सी० वीवर, प्रबन्ध निदेशक, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड

*चूंकि इन्हें सहयोगियों ने नामजद किया है, इसलिए पद का वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

अनुसूची- क: (3500-125-4000 रु०)

अनुसूची-- ख: (3000-125-3500 रु०)

अनुसूची-- ग: 2500-100-3000 रु०)

अनुसूची-- घ: (2000-100-2500 रु०)

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I had not asked about full-time officials. The name of Shri K. D. Malaviya is not there. It should be there. Has any other officer also been appointed in the public sector ? How much allowance has Shri Malaviya drawn during the last three months; what are the terms and conditions of his appointment and when he will retire and under which rule of politics he has been allowed to take part in politics ?

Is it also a fact that Shri K. D. Malaviya is taking part in the politics of U. P. He is not caring at all for public sector and he wants to contest group elections. In the circumstances, would Government avoid such political appointments and only such technical hands would be appointed as are in a position to run the public undertakings efficiently ?

Shri K. C. Pant : Only those persons who are considered able are appointed. Shri Malaviya is the honorary Chairman of this company. He has been appointed for one

year initially, He will get Rs. 30 a day when he works for the company whether in Ranchi or some where else. He will be authorised to use car freely for official purposes. He will get free furnished accommodation in the Guest House of the company, Ranchi or in Delhi. In addition to this he will get travelling allowance as for an officer of the highest grade. His headquarters would be Ranchi.

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked as to under which rule of politics, you have permitted him.

श्री मोरारजी देसाई : श्री मालवीयजी का नाम शामिल न करने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि यह सोचा गया कि केवल स्थायी या पूर्णकालिक लोगों को सूची में शामिल किया जाये। उनका नाम इस सूची में शामिल न करने का कोई इरादा नहीं था। जो भी सूचना अपेक्षित होगी, दी जायेगी। वह एक अवैतनिक, अल्पकालिक सभापति है। इसलिए उन्हें राजनीतिक गतिविधि से नहीं रोका जाता। ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए वह राजनीति में भाग ले रहे हैं। लेकिन जब वह कार्य नहीं करते तो उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता। उन्हें केवल उस दिन का भत्ता मिलता है जिस दिन वे पूरा काम करते हैं। अन्यथा उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता है। इस समय हमारे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पिछले तीन महीनों में कितना भत्ता मिला है। हम यह सूचना एकत्र करेंगे और सभा के सामने रखेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I want to know whether there is any other officer who is not a Government servant but is holding a part-time post in any industry and if so, the names thereof ?

Government have invested Rs. 2500 crores in public sector and last year the profit was very nominal and this year there is loss because there is groupism and favourtism among officers, and sometimes such officers as become inconvenient here, are sent over there. In view of this, have Government formulated any policy with a view to improve the management and to see that efficient and technical hands are sent there ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध, वित्तीय व्यवस्था, श्रम व्यवस्था आदि के बारे में अनेक सिफारिशें भेजी हैं। इनमें से अनेक सिफारिशों पर मंत्रिमंडल उप-समिति ने विचार किया हैं और उनके बारे में निर्णय लिये हैं। अधिकांश पर मंत्रिमडल ने भी विचार किया है और वे भी उनसे सहमत हो गये हैं। कुछ का फैसला अभी होना है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि कौन से अभी रहते हैं। जब सभी का निर्णय हो जायेगा तो उन्हें सभा के सामने रखा जायेगा। तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमने प्रबन्ध को अधिक कारगर बनाने और कार्य को अधिक लाभदायक बनाने की दिशा मे अनेक निर्णय लिये हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां अन्य अंशकालिक अधिकारी हैं।

श्री कृ० चं० पन्त : मुझे केवल दो का नाम याद है। श्री जे० आर० डी० टाटा तथा श्री भरत राम। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य 10 मई, 1968 को सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

श्री हनुमन्तय्या : क्या सरकार सरकारी उपक्रमों को वाणिज्यिक आधार पर, जो कि स्वीकृत विचार तथा नीति है, चलाने का प्रयास करेगी और राजनीतिक आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी ? यदि राजनीतिक व्यक्तियों को नियुक्त किया भी जाता है तो उन्हें आत्म-संयम से काम लेना चाहिये जिससे किसी के बारे में सार्वजनिक विवाद न उठ खड़ा हो और उससे सरकारी उपक्रम को नुकसान न हो ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं सामान्य रूप से सहमत हूं कि जहां तक हो सके इन दो को मिलाया न जाये । इस मामले में, यदि राजनीतिक गतिविधि से उपक्रम के कारोबार में कोई रुकावट आती है तो हम अवश्य ही इस पर पुनः विचार करेंगे । सम्बन्धित व्यक्ति को इसे स्वीकार करना चाहिये और संयम से काम लेना चाहिये ।

श्री हनुमन्तय्या : इन सरकारी उपक्रमों पर सैंकड़ों करोड़ रुपये लगाये गये हैं । इसलिए उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय पर ध्यान दिया गया तो इससे कोई चीज ठीक ढंग से नहीं हो पायेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : यह राजनीति तथा व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करने का ही प्रश्न नहीं है । श्री जे० आर० डी० टाटा तथा श्री भरत राम का पहले उल्लेख किया गया है जो कि एयरलाइनों की देखभाल कर रहे हैं । वे अपने व्यवसाय पर भी कुछ समय लगा रहे हैं । लेकिन इससे उन संस्थानों के कार्य में कोई बाधा नहीं होती जिनके साथ उनका सम्बन्ध है । इसलिए मैं राजनीतिक गतिविधि या व्यवसायिक गतिविधि में कोई अन्तर नहीं समझता ।

श्री रंगा : मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने दोनों चीजों को उचित ढंग से देखने का प्रयास किया है । लेकिन उन्होंने यह कह कर हमें तथा अपने आपको दुविधा में डाल दिया है कि हम उन लोगों को सलाह या आदेश कैसे दे सकते हैं । क्या सरकार उनको ऐसे ढंग से सलाह नही दे सकती जिससे जब वह उन लोगों की, जो उनके स्थायी या अंशकालिक कर्मचारी नहीं हैं, सेवाओं का उपयोग करे तो उन्हें यह पहले बता दे कि उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है । इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, I would like to know whether Government have now adopted a policy that retired officers of private sector should be provided with jobs in Public Sector Undertakings; if so, the number of officers of Private Sector who have been taken over in Public Sector Undertakings so far ?

Shri K. C. Pant : There is no policy as such but it is a definite policy that if there is an able, efficient and experienced person in private sector and if his services are useful, he may be given assignment in public sector.

Shri Rabi Ray : How many persons have been taken over ?

Shri K. C. Pant : The names are given in the statement ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सही नहीं है कि इन उपक्रमों में उन कांग्रेसजनों को रखा जाता है जो चुनावों में हार जाते हैं ? क्या मुझे बताया जायेगा कि कितने कांग्रेसजन हार गये है और फिर भी उन्हें इन उपक्रमों में अवैतनिक या अर्ध-अवैतनिक या स्थायी या अंशकालिक रूप से नियुक्त किया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : एक नियुक्ति से सभी नियुक्तियों का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : श्री रघुनाथ सिंह, श्री सी० सुब्रह्मण्म् और श्री रामेश्वर टांटिया के बारे में क्या किया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : श्री सुब्रह्मण्यम् को एक समिति में, न कि सरकारी निगम में नियुक्त किया गया है । वह कई मामलों की जांच कर रहे हैं ।

श्री टांटिया राजनीतिज्ञ नहीं है । वह एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं । जहां तक श्री रघुनाथ सिंह का सम्बन्ध है यह सही है कि वह एक निगम के प्रधान हैं । लेकिन यदि "कोई व्यक्ति चुनाव में हार जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी काम के योग्य नही हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा - जो लोग हार जाते हैं वे उप-चुनाव में खड़े होते है और संसद् में वापस आ जाते हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या श्री देवकांत बरुआ को 'आयल इण्डिया' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ?

Shri Rabi Ray : A complaint against Shri Malaviya had been received in the House and he had relations with a big capitalist known as Sirajuddin and on that account he was removed from the Cabinet. Report about him was not placed on the table of the House.

On what basis Shri Tata and Shri Bharat Ram have been appointed Chairmen of Public enterprises when they believe in Private enterprises ?

श्री मोरारजी देसाई : हम गैर-सरकारी उद्यम से सरकारी उद्यम में लोगों की नियुक्ति इसलिए करते हैं कि उन्हें विशेष योग्यता, शिक्षा आदि प्राप्त होती है । यह सर्वविदित तथ्य है कि श्री जे० आर० डी० टाटा के कारण इन वर्षों में एयर इण्डिया ने बड़ी प्रगति की है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । वह काफी अनुभवी व्यक्ति है । वास्तव में इसके लिए उन्हें राजी करना पड़ा । इसी तरह श्री भरत राम को भी राजी करना पड़ा । ऐसी बात नही है कि उन्होंने पेशकश की और हमने उन्हें नियुक्त कर दिया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या श्री मालवीय ने आपको राजी किया या आपने श्री मालवीय को राजी किया ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने उन्हें राजी नहीं किया क्योंकि मैं सम्बन्धित मंत्री नहीं था । मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की ।

Shri Rabi Ray : There is no Cabint decision.....(Interruption)

श्री मोरारजी देसाई : मंत्रि-परिषद के निर्णय का प्रश्न नहीं है । इन मामलों में मंत्रि-परिषद निर्णय नहीं लेती । अनेक मामलों में मंत्रालय स्वतः निर्णय लेते हैं और सभी निर्णय मंत्रिपरिषद नहीं लेती । लेकिन क्योंकि यह मंत्रिपरिषद् का निर्णय नहीं है, इसलिए यह नहीं समझा जाये कि मैं इससे सहमत नहीं हूं । एक बार जब नियुक्ति हो जाती है तो यह सभी की जिम्मेदारी है ।

Shri Rabi Ray : Shri Malviya had been defeated, even then he had been appointed. Also, corruption charges were levelled against him.

श्री मोरारजी देसाई : यदि मालवीय जी हार गये हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी काम के योग्य नहीं है । कोई यह नहीं कह सकता कि केवल वे लोग बुद्धिमान हैं जो जीत जाते हैं और असफल व्यक्ति मूर्ख हैं ।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या यह देश के लिए अच्छा नहीं है कि राजनीतिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : वह बेरोजगार नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, when Government servants are once retired, there is no necessity to appoint them in other Government organisations. If they are able and efficient, they need not be retired at all. It would be much better if able and efficient young persons are appointed there. They would carry on the work of the organisations more courageously and would be answerable for their acts of ommissions.

Shri Morarji Desai : The principles are no doubt indisputable. It had been our policy to appoint efficient, experienced and able persons. But at the outset such persons were inadequate to manage the public sector. Therefore those persons were drawn from these services and only such persons were drawn as had proved their worth and ability. They have to be retired when they reach the age otherwise other employees cannot get promotion. This is also a problem. Now this policy will be discontinued. Efficient persons will be drawn from all possible quarters but retired persons would not be appointed in most of the cases.

Shri Kanwar Lal Gupta : Politicians should not be appointed.

Shri Morarji Desai : This requires serious consideration.

Shri Mrityunjay Prasad : The names of retired Government officers have not been included in the list of private officers ?

Shri K. C. Pant : If required, their names would be given.

श्री धीरेश्वर कालिता : उप-प्रधान मन्त्री श्री देवकांत बरुआ के नाम का उल्लेख करना भूल गये हैं जो कि 'आयल इन्डिया लिमिटेड' के अध्यक्ष हैं । हाल ही में श्री छालिहा तथा श्री देवकांत बरुआ मुख्य मन्त्री के पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन श्री देवकांत बरुआ हार गये । हाल ही में चुनाव के मामले में भ्रष्टाचार के अपराध पर आसाम तथा

नागालैण्ड उच्च न्यायालय ने उनको विस्थापित कर दिया है। अब उन्हें आयल इन्डिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उप-प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या इनको, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप पर विधान सभा से विस्थापित कर दिया गया है 'आयल इन्डिया लिमिटेड के सभापति पद से तत्काल हटाया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : हमने निर्णय की प्रति मांगी है और हम कोई कार्यवाही करने से पहले फैसले का अध्ययन कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस फैसले को दो महीने हो चुके हैं।

Shri D. N. Tiwary : For recruitment in Public Undertakings, it is essential that the person knows all the techniques. There should be two criteria for this. Firstly, he should be able and efficient and secondly he should have faith in public sector. I wanted to know the steps taken by Government so far to create managerial pool and the steps taken to fill in managerial posts.

Shri Morarji Desai : Managerial pool is being created and steps are being taken on behalf of Bureau of public Undertakings. But to create this pool for top executive or chairman is not so easy. We first try to know who is efficient and then only we appoint that person.

अधिकारियों के विदेशों के दौरे

+

429. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के बार-बार के विदेशों के दौरों को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) 1967 में अधिकारियों द्वारा विदेशों के कितने दौरे किये गये तथा उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ ; और

(ग) उनमें से कितने दौरे उपयोगी सिद्ध हुए है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकारी अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों का, वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और साधारणतः केवल उन्हीं प्रतिनियुक्तियों की अनुमति दी जाती है जो अपरिहार्य हों जिनसे विदेशी मुद्रा को पर्याप्त बचत की संभावना हो अथवा जो रक्षा प्रयासों से या प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हों।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

437. **श्री ओंकार सिंह** :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कितने प्राधिकृत प्रतिनिधि मंडल विदेशों के दौरों पर भेजे गये ;

(ख) इन दौरों में से कितने दौरे सरकारी अधिकारियों के थे तथा कितने मन्त्रियों के ;

(ग) उन पर प्रथक-प्रथक कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई तथा कुल खर्च कितना हुआ ;

(घ) क्या इन पर विदेशी मुद्रा के खर्च को घटाने के लिए सरकार ने कोई निर्णय किये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(घ) तथा (ङ) सरकारी अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों का वरिष्ठ सचिवों को एक समिति द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और साधारणतः केवल उन्हीं प्रतिनियुक्तियों की अनुमति दी जाती है जो अपरिहार्य हो या जिनसे विदेशी मुद्रा को पर्याप्त बचत की सम्भावना हो अथवा जो रक्षा प्रयासों से या प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हों । मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों के विदेश जाने के प्रस्तावों पर उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री की स्वीकृति आवश्यक होती है । इसलिये अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी जाती ।

श्री रंगा : क्या वह भाग (क) के सम्बन्ध में भी सूचना इकट्ठी करना चाहते हैं ?

Shri Sita Ram Kesri : I would like to know from the honourable Minister about the delegations which are deputed abroad by the Secretariat or by the Government and the members who go abroad ; do Government release foreign exchange for their wishes also.

श्री जगन्नाथ पहाडिया - पहले स्वयं अपने खर्चे पर अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाने के लिये अनुमति प्राप्त करने के लिये विदेश जाने वाले कुछ अधिकारियों से प्रार्थनायें प्राप्त की जा रही थी । 7 सितम्बर, 1962 को यह निर्णय किया गया था कि ऐसी प्रार्थनायें स्वीकार नहीं की जानी चाहिये । फिर भी एक साल या उससे अधिक समय के लिये विदेश भेजे गये अधिकारियों को अनुमति दी जा सकती है कि वे अपनी पत्नियों को अपने साथ इस धारणा पर ले जा सकते हैं कि विदेशी-मुद्रा अधिकारी के हक के मुताबिक सीमित रूप में दी जाएगी ।

Shri Sita Ram Kesri : When Dr. Mathur, the officers of Health Department went abroad for official work, he took his wife also with him. I would like to know from the honourable Minister whether he was released foreign exchange by the Government ? If it was released ; to what extent ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : विदेश जाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान विशेष रूप से मई और जून में मन्त्री भी विदेश जाना चाहते हैं। निश्चय ही हाल ही में उप प्रधान मन्त्री कुछ मन्त्रियों को विदेश जाने से रोक सके हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वर्ष कितने मन्त्री विदेश में गये और क्या यह रीति अगले साल भी चलेगी या व्यापक रोक लगाई जायेगी ?

श्री नम्बियार : प्रश्न यह है कि जो मन्त्री इस वर्ष नहीं जा सके हैं क्या उन्हें अगले वर्ष जाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में कितने मन्त्री विदेश गये। मेरे विचार में सब मिला कर केवल 54 मन्त्री हैं। इस सूचना को देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : वे मन्त्री सभा-पटल पर रक्खे जा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मन्त्री नहीं, परन्तु उनके नामों सहित एक विवरण सभा पटल पर रक्खा जायेगा।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that some Ministers went abroad without the permission of the Government and they did not take permission even for foreign exchange ? And if so, what action was taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Finance Minister (Shri Morarji Desai) : No Minister has gone in this way.

सरकारी उपक्रम

+

***431. श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद तथा सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासन में हस्तक्षेप के बारे में योजना आयोग की टिप्पणी तथा ऐसे सरकारी उपक्रमों के लिए "पर्याप्त पहलकारी तथा संचालनात्मक प्राधिकार" के योजना आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इस परिषद ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की 17 और 18 मई, 1968 को जो बैठक हुई थी, उसमें विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों के काम में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के प्रश्न पर और इन सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध

में योजना आयोग द्वारा दिये गये "पर्याप्त पहलकारी तथा संचलात्मक प्राधिकार" के सुझाव पर विचार नहीं किया गया था और न ही ये प्रश्न उठाये गये थे ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या मैं जान सकती हूं कि जिन सरकारी उपक्रमों का मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है क्या उनमें सरकारी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उपक्रम भी शामिल हैं या मन्त्री महोदय केवल हिन्दुस्तान स्टील आदि जैसे उपक्रमों का ही उल्लेख करते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रतिरक्षा उपक्रम विभाग स्तर पर निपटाये जाते है । कुछ मामलों में सरकारी उपक्रम भी विभाग स्तर पर निपटाये जाते हैं । साधारणतः हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को छोड़कर प्रतिरक्षा उपक्रम सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में शामिल नहीं है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या मैं जान सकती हूँ कि यदि सभी पर एक साथ विचार नहीं किया जाता है तो प्रतिरक्षा उपक्रमों और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा के निर्धारण पर कैसा प्रभाव पड़ता है ?

श्री मोरारजी देसाई : विदेशी मुद्रा आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

श्री रंगा : क्या हमें ऐसा आश्वासन मिल सकता है कि सरकार का इरादा यह नहीं है कि संसद को आलोचना करने के अपने वैध अधिकार से और अपनी सरकारी उपक्रम समिति और अन्य समितियों की सहायता से इसके ध्यान में जो विभिन्न दोष आये उनके प्रति सरकार का ध्यान दिलाने] और उनको संसदीय आलोचना से पूर्णतया अलग रखने से रोका जाये ? आयोजना आयोग यही करना चाहता था । 'संसद के हस्तक्षेप के बारे में.....' वह कहते है कि हम सरकारी उपक्रमों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे है ।

श्री मोरारजी देसाई : आयोजना आयोग जो कुछ कहता है वह दैनंदिन मामलों और विस्तृत ब्यौरों के बारे में है ; नीतियों या सामान्य प्रश्नों के बारे में नहीं है । उसे कोई भी नहीं रोकना चाहता है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

नैनी रेलवे यार्ड में गेहूं की बोरियों का क्षतिग्रस्त होना

+

4. **श्री हेम बरुआ :**
   श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
   श्री ओंकार लाल बेरवा

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि पटियाला से गेहूँ की 12,000 बोरियां हाल में 24 माल डिब्बों में भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खुले माल डिब्बों में गेहूँ की ये बोरियां नैनी रेलवे यार्ड में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी ; और

(ग) गेहूं की इन बोरियों का गन्तव्य स्थान कौनसा था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जब बैगन इलाहबाद, स्टेशन पर पहुंचे तो उस समय गेहूँ के कुछ बोरे वर्षा से क्षतिग्रस्त पाए गये थे ।

(ग) इनमें से 20 बैंगन इलाहाबाद, नैनी और प्रयाग और 4 हावडा के लिये थे ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि गेहूं की 12,000 बोरियां वर्षा ऋतु के दौरान खुले डिब्बों में भेजी गई, क्या सरकार इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पकड़ने में सफल हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाये हैं कि ये अधिकारी अधिक जिम्मेदारी तथा सावधानी से काम करें ।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : 14, जून 1968 से खुले डिब्बों में अनाज लाने ले जाने की अनुमति नहीं दी गई । 12 जुलाई, 1968 से तिरपाल से ढक कर अनाज लाने ले जाने की अनुमती दी गई । किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के प्रश्न की हम जांच कर रहे हैं । हमने इस प्रश्न की जांच करने के लिए खाद्य महा निर्देशक, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है कि क्या किसी व्यक्ति की ओर से गलती हुई है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा विचार है कि इस मामले की जांच के लिए किसी समिती की आवश्यकता नहीं है । विभाग खुले डिब्बे से गेहूँ के बोरे भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है । चाहे जो भी हो मुझे याद है कि प्रधान मन्त्री ने गेहूं क्रांति डाक-टिकट नामक एक टिकट जारी की थी । टिकट जारी करते समय क्या सरकार, विशेष रूप से प्रधान मन्त्री ने संभाव्य क्षति पर विचार किया था जो खाद्य प्रशासन के संचालन में गैर जिम्मेदारी, अकुशलता और अक्षमता द्वारा इस क्रांति को हो सकती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि माननीय सदस्य तथा सभा को अनाज की क्षति के बारे में चिन्ता है । मैं ऐसी धारणा को दूर करना चाहता हूं क्योंकि मई-जून-जुलाई में देश में लगभग 290 लाख टन खाद्यान की ढुलाई की गई । ढुलाई बहुत ज्यादा थी और क्षति नगण्य हुई जो कि एक प्रतिशत से कम थी । मैं क्षति को उचित नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन यह धारणा नहीं होनी चाहिये कि सभी चीजों की व्यवस्था ठीक नहीं है या उनकी ठीक ढंग से देखभाल नहीं की जाती । जैसा कि मैंने पहले कहा है यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : यह तर्क गलत है कि केवल थोड़ा सा आनज खराब हुआ है। यह बात तुच्छ है कि थोड़ा अनाज खराब हुआ है या अधिक अनाज खराब हुआ है। यह पर्याप्त है कि कुछ अनाज खराब हुआ है और उन्हें कार्यवाही करनी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वयं कहा है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता।

Shri Onker Lal Berwa : I wanted to know whether Railway is responsible for this loss or Food Corporation is at fault ? In case Railway is at fault, has Food Corporation asked the Railway to compensate it ? I wanted no know whether the owners of the foodgrains have been compensate ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : लगभग 10, 500 बोरियों का प्रश्न है। हमने स्थल का निरीक्षण करने के लिए महानिदेशक को भेजा था। वह स्थल से वापस आ गया है। क्षति के पहले प्रतिवेदनों को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। इसमें से 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि यह किसकी गलती से हुआ है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि खुले डिब्बों में गेहूं भेजने के अलावा ढके डिब्बों को फटी तिरपाल से इस तरह ढका जाता है कि इससे वर्षा को रोकने के बजाय पानी अन्दर चला जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे रोकने के लिए भी कदम उठाने जा रही है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि डिब्बों को सैंकड़ो मील दूर जाना पड़ता है और जोरदार हवा आदि के कारण तिरपाल भी खराब हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर कोई गलती की होगी तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री प० गोपालन : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि हाल ही में भारत के खाद्य निगम की ओर से केरल राज्य में कन्नानूर से हजारों टन अनाज खुली वर्षा में खुले डिब्बों में भेजा गया और वह बिल्कुल खराब हो गया। यदि हां तो क्या यह सही है कि रेलवे अधिकारी गैर सरकारी व्यापारियों के प्रभाव में आकर उन्हें ढके हुए डिब्बे में देते हैं जबकि अनाज जैसी नष्ट होने वाली वस्तुएं खुले डिब्बों में भेजी जाती हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार ने अधिकतम डिब्बे उपलब्ध करने का पूरा प्रयास किया लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था मई, जून तथा जुलाई के महीनों में बहुत ज्यादा ढुलाई हुई और पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध नहीं थे। इसका कारण यह नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई। भारत के खाद्य निगम तथा सरकार की ओर से अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैंने पहले चेतावनी दी थी कि भन्डार और अनाज की ढुलाई से एक गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। लेकिन सरकार ने इसकी परवाह नहीं की। स्थिति यह है कि गन्तव्य स्थान पर भी अनाज तेजी से नहीं उठाया जाता। इसलिए मन्त्री महोदय

प्रयास करेंगे कि गन्तव्य स्टेशनों पर डिब्बे तेजी से खाली किये जायें ? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि अनाज जो वर्षा से खराब हो जाता है, मानवीय खपत के लिए जारी न किया जाये जब तक कि उसे मानवीय खपत के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता क्योंकि मुझे बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी खराब गेहूं को पीसने के लिए मिलों को बाध्य किया जा रहा है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सभी आवश्यक पूर्वोपाय किये जा रहें हैं।

श्री रंगा : पूर्वोपाय नहीं किये जा रहे हैं

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जहाँ तक सम्भव हुआ, खराब गेहूं मनवीय खपत के लिए नहीं दिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : विदेशों में विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में मैंने पटसन से बने ऐसे बोरे देखे जिन पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्रालय अनाज की इस बर्बादी को रोकने के लिए ऐसे बोरे बनाने की बात पर विचार कर रही है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कार्यवाही करने का एक सुझाव है।

Shri Maharaj Singh Bharti : Is it not a fact that Railway authorities and the officers of your Department are under the wrong impression that there is bumper crop this time and we have a large quaintity of foodgrains where as it is not so ? Is it not a fact that the a foodgrains purchased so far would be suffi ient for eight months only ? Is it not a fact that foodgrains were not purchased according to the planned programme and it resulted in damage of foodgrains ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका कहना है कि हर जगह काफी नुकसान हुआ है।

Shri Bibhuti Mishra : Had Government taken a step at that time that the trader should send some person in case he sends wheat in open wagons and that person should get down at every station and put the tarpaulin in order, if so, where this step was taken and if not why ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले कहा है 14 जून, 1968 के बाद तिरपाल से ढके बिना जाने की अनुमति नहीं दी गई। न इन सभी डिब्बों को तिरपाल से ढका गया था। इसके अलावा भी नुकसान हुआ।

Shri Lakhan Lal Kapoor : Is it a fact that the wheat was being moved in open wagons, was moved from Allahabad Station to the yard of Naini Station and that was kept there for 20 days, for which D. S. of Allahabad is responsible ; if so, the action being taken by Government againts him ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे सही नहीं हैं क्योंकि वास्तव में अनाज 12 तारीख को लाया गया और माल डिब्बे 18 तारीख को

इलाहबाद पहुँचे । 23 जुलाई को 12 डिब्बे नैनी लाये गये, 6 डिब्बे 23 जुलाई को तथा तीन डिब्बे 24 जुलाई को लाये गये ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Food Corporation could not get wagons, Is it a fact that one of its reasons was that Railway authorities had given a large number of wagons to big traders and they were not given to Food Corporation due to the fact that they got money from traders where as they did not get any money from the Food Corporation ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं । यदि माननीयन मन्त्री जानकारी चाहते हैं तो वे एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Kameshwar Singh : It is a fact that 64 wagons of Foodgrains had arrived at Muzzaffarpur Station in Bihar from Kandla Fort ten days ago and the foodgrains were damaged as they were carried in open wagons in rainy season; did the local officer of Food Corporation and Magistrate take delivery in the presence of the Chief Commerciai Suprintendent, N. E. Railway, Gorkhpur; if so, whether the Railway Minister would advise the Ministry not to carry foodgrains in open wagons in future ? Such things happen in Bihar particularly at a time when flood or draught take place and as a result of it people die of starvation.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : प्रश्न नैनी इलाहबाद के बीच अनाज लाने–ले जाने के बारे में है । यदि माननीय सदस्य अन्य बातों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वह मुझे सूचना दे सकते हैं ।

श्री सोनावने : मैं जानना चाहता हूँ कि सभी राज्यों में कुल कितना गेहूँ वर्षा या अन्य किसी कारण खराब हुआ और उसका मूल्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इलाहाबाद के सम्बन्ध में है ।

Shri O. P. Tyagi : Why the Government did not make arrangements for storage when they were aware that there would be bumper crop and they would purchase the foodgrains ? The Railway Minister has stated in his reply that the authorities of Food Corporation forced them to carry foodgrains in open wagons. If it is so, what action is proposed to be taken againts those officers who forced the Railway Ministry to move foodgrains in open wagons ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने स्थति पहले कुछ स्पष्ट कर दी है । फिर कहना चाहता हूं कि भारत का खाद्य निगम ढके हुए डिब्बों के लिए मांग पेश किया करता था । मैं कह चुका हूं कि मई, जून और जुलाई के महीनों में बहुत अधिक ढुलाई हुई और बहुत पर्याप्त ढके डिब्बे उपलब्ध नहीं थे । वास्तव में इन सभी बातों का विस्तृत विवेचन किया गया और राज्य सरकार तथा भारत के खाद्य निगम आदि के अनुमान के आधार पर कई योजना बनाई गई लेकिन बाजार में अनाज आशा से बहुत अधिक पहुंचा । इसलिये कुछ कठिनाई हुई । लेकिन कुल मिलाकर वसूली का काम बहुत संतोष जनक रहा है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : समय-समय पर भारत का खाद्य निगम ढके डिब्बों की मांग करता रहता है जबकि वर्षा नहीं होती और रेलवे खुले डिब्बे देती हैं । इसलिए ऐसे बहुत

से मामले हैं जबकि वर्षा के अतिरिक्त महीनों में खाद्य निगम के अधिकारियों ने ढके डिब्बों का आग्रह किया और खुले डिब्बे लेना स्वीकार नहीं किया और उन्हें केवल उस समय खुले डिब्बे लेने के लिए राजी कर लिया गया जबकि वर्षा शुरू हो गई थी, क्या यह सही है ? क्या यह भी सही है एक क्षेत्रीय रेलवे के वाणिज्यिक प्रबन्धक ने एक सम्मेलन में सुझाव दिया था कि भारत का खाद्य निगम यह बात स्वीकार कर सकता है कि रेलवे द्वारा कोई ढका डिब्बा उपलब्ध नहीं किया जायेगा जब तक की उन्हें दो रुपये प्रति डिब्बे की फ्लैट दर पर भुगतान नहीं किया जाता ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह प्रश्न रेलवे मन्त्रालय से पूछा जा सकता है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं खाद्य निगम के अधिकारियो के बारे में पूछ रहा हूँ । वह खाद्य मन्त्रालय के आधीन है न कि रेलवे मन्त्रालय के आधीन है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं अनाज को डिब्बों में तिरपाल से ढक कर लाया गया था ।

श्री रंगा : जैसी घटनाएं अब हुई हैं, ऐसी घटनाओं की ओर श्री एस० के पाटिल का ध्यान भी दिलाया गया था जब कि वह रेलवे मन्त्री थे । उन्हें कहना पड़ा था कि वह ढके डिब्बे प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिये गुन्टाकल से रायलसीमा में अनाज लाया गया और वह खराब हो गया । वही चीज अब हो रही है । अब सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है या क्या वह इस तरह के कांड की पुनरावृति को रोकने के लिए अनाज की ढुलाई में मदद देने के लिऐ उचित कदम उठाने की ओर ध्यान देगी ? इस बात को देखते हुए कि हर साल मई, जून, जुलाई आती है और हर साल वर्षा आती है, एक योजना बनानी होगी लेकिन कोई योजना नहीं बनाई गई है । जिला न्यायाधीश द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद अनाज की ढुलाई के लिए कोयला डिब्बों का उपयोग किया गया इसका परिणाम यह हुआ कि चावलों की हजारो बोरियां खराब हो गई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हिम्मतसिंह का ।

श्री रंगा : उत्तर क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोयले के डिब्बों में इलाहाबाद अनाज भेजा ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : नहीं ।

श्री रंगा : मैं कम से कम भविष्य के लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूँ कि वे यह प्रयास करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेंगे कि वे पहले की तरह संतुष्ठ नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह अगले वर्ष के बारे में है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री रंगा : उन्होंने क्या कहा ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री रंगा : दुर्भाग्यवश उन सभी की जबानों पर ताले लगे हुए हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना

*421 **श्री स० अ० अगाड़ी :**
श्री चित्तिबाबू :
डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इसके लिए कौनसा स्थान चुना गया है;

(ग) कारखाने की क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसे विदेशी सहायता से स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो सम्बन्धित देश का नाम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) इस समय उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन भविष्य में हमारी सम्भावित मांगों की पूर्ति के लिये तेल शोधक क्षमता को साधारण रूप से बढ़ाने के प्रश्न पर प्रारम्भिक रूप से विचार हो रहा है ।

(ख) से (घ) : इस सयम इन विषयों पर विचार करना आसमयिक है ।

कम राशि तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

*427 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि बीजक में कम राशि दिखाने और अधिक राशि दिखाने के कारण गत दस वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं; क्योंकि ऐसा अनुमान लगाने के लिये कोई विश्वसनीय आधार नहीं है ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

1968-69 के लिये उड़ीसा का योजना व्यय

***428 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 के लिए उड़ीसा के लिए योजना सम्बन्धी नियतन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) उसमें राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का अंश पृथक:पृथक कितना होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा की वार्षिक योजना के लिये स्वीकृत योजना व्यय 31.61 करोड़ रुपये है जिसके लिए 24.70 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है । 6.90 करोड़ रुपये का शेष धन राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से पुरा किया जमा है ।

आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइन्स, नई दिल्ली में अनियमितताएं और भाई भतीजावाद

***430 श्री मधु लिमये** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइन्स नई दिल्ली में अनियमितताओं तथा भाई भतिजावाद के बारे में किसी संसद सदस्य से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य आरोप लगाया गया है;

(ग) क्या जांच करने के लिये कोई आदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री : (श्री सत्यनारायणसिंह) : (क) जी हां,

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :

(1) पदों के लिये अर्हताएं इस प्रकार हेर-फेर करके विज्ञापित की जाती हैं जिससे कि वे उस व्यक्ति के अनुकूल हों जिसका पक्ष करना अपेक्षित है ।

(2) पहले से ही चयन किये गये व्यक्तियों को ध्यान में रख कर पदों की सृष्टि की जाती है तथा इन्हें भरा जाता है ।

(3) कृपा-पात्रों की नियुक्ति करने के लिये पदों का दर्जा घटा दिया जाता है ।

(4) व्यक्ति-विशेषों की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए चयन समितियों में उन तकनीकी सलाहकारों को नियुक्त किया जाता है जो उनका ही समर्थन करें ।

(5) कृपा पात्रों को नियमित रूप से नियुक्ति करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के हेतु पहले उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर कर दी जाती है ।

(6) पदों को बिना विज्ञापित किये ही भर दिया जाता है ।

(7) कृपा-पात्रों को सेवा निवृति के बाद दुबारा रोजगार वे दिया जाता है ।

(8) वाइस डीन की नियुक्ति करते समय सर्वोत्तम व्यक्ति की उपयुक्तता को आंख से ओझल कर दिया गया ।

(9) इस प्रकार की नियुक्तियों में प्रादेशिकता भी कुछ हद तक अपना भाग अदा करती है ।

(10) निदेशक को सर्व शक्तिमान बनाये रखने के कारण विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं की जा रही है ।

(11) चिकित्सा अधीक्षक तथा उप-चिकित्सा अधीक्षक नियुक्तियां सही तरीके से नही की गई हैं ।

(12) रोगियों को प्राइवेट वार्डों में बिना औचित्य के भरती किया जाता है ।

(13) कुछ मामलों में स्टोर सामग्री की खरीद अनियमित ढंग से की गई है ।

(14) अनावश्यक रूप से पदों में बढ़ोतरी कर दिये जाने के कारण इस संस्थान का आवर्ती व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है ।

(15) विदेशी सहायता अपेक्षाकृत कुछ कृपा-पात्र विभागों को ही सुलभ की जाती है ।

(16) इस संस्थान के अस्पताल तथा इसके आपरेशन थियेटर गन्दे रहते हैं और आपात सेवा भी अत्यधिक रूप में अपर्याप्त है ।

(17) स्टाफ काउन्सिल सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है ।

(18) संकाय के सदस्यों, गैर संकाय के कर्मचारी, नर्सिग कर्मचारी तथा छात्रों में बड़ा भारी असन्तोष है ।

(ग) से (ङ) उपयुक्त आरोपों के बारे में तथ्यों का पता लगाया गया । इन तथ्यों से ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष जांच करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

Indiferent Attitude of New Delhi Municipal Committee Towards Delhi Development Authority

*432 **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a recent statement made by the Chief Executive Councillor of Delhi to the effect that the New Delhi Municipal Committee has been indifferent with the Delhi Development Authority at the instance of the Central Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development : (Shri Satya Narain Sinha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Scheme to Provide Jobs for Beggars in Delhi

*433 **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Administeration has declared beggary as an offence;

(b) whether it is also a fact that a comprehensive scheme has been formulated to provide jobs to beggars; and

(c) if so, the details thereof ?

TheMinister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) : Yes Sir.

(b) and (c) : No scheme, as such, for providing jobs to the beggars has been formula ted, However, the able bodied persons convicted of begging and detained in Beggar Homes are provided with training in various crafts including agriculture, or are engaged on various public utility works e. g. State agri cultural farms, laying of public park etc. with the objective of cultivating work habits and equipping them for taking-up some gainful occupation after their release.

Municipality for Modinagar

*434. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Parliamentary Advisory Committee for Uttar Pradesh has unanimously taken a decision for the formation of a Municipality in Modinagar;

(b) if so, when the decision is likely to be implemented; and

(c) whether some political or other obstacles are coming in the way of an early implementation of the decision.

The Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The Parliamentary Advisory Committee for Uttar Pradesh expressed the view that a Municipality should be set-up at Modinagar in due course

(b) The State Government have since considered the matter and have decided to maintain status quo.

(c) Yes.

अग्रिम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

*435. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री स्वतत्र सिंह कोठारी :
श्री ग० चं० दीक्षित :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने अग्रिम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के स्थापित किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की जायेगी और यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीकी विशेषज्ञों के दल द्वारा और अनुसन्धानार्थ बनाई गई परियोजना की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दल को मिली उनकी स्कीम रिपोर्ट व्यवहार्य नहीं थी ।

Effect of Pakistani Dam on Indian Rivers flowing from East Pakistan

*436. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the adverse effects on the Indian rivers flowing from East Pakistan after the completion of a dam in East Pakistan as reported in the Hindustan of the 25th May, 1968; and

(b) the action proposed to be taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The construction of bund on river Nilkumar in East Pakistan has resulted in inundation of neighbouring villages in Indian territory and also affecting adversely cultivation in these villages.

(b) The Government of West Bengal in a communication dated 13th July, 1968 to the East Pakistan authorities have asked the Government of East Pakistan to restore the natural drainage of the river.

Cottage Type Residences for Ministers

*438. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to demolish the present bungalows of the Ministers and construct cottage-type residences for them on the pattern of United Kingdom;

(b) if so, the names of the places where such bungalows would be demolished and the status of the Ministers to whom the new cottages would be allotted and the basis on which these would be allotted; and

(c) the cost and other details of these cottages ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) The single-storeyed residences in New Delhi, which were built over 30 years ago, have to be demolished, in convenient phases, and the areas redeveloped in accordance with the Master Plan for Delhi.

A proposal to redevelop the area around Motilal Nehru Place and along Motilal Nehru Marg is under consideration. Details are being worked out.

स्वचालित मशीनें

*439. **श्री वेंगलराय नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का स्वचालित मशीनों के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने हेतु एक समिति नियुक्त करने का विचार है;

(ख) क्या 19 जुलाई, 1968 को स्थायी श्रम समिति की बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब तक समिति का गठन किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) स्थायी श्रम समिति की 19 जुलाई, 1968 की बैठक में एक सुझाव दिया गया था कि स्वचालित मशीनें लगाने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त तय करने के लिए स्थायी श्रम समिति की एक त्रिपक्षीय उप-समिति बनायी जाय । इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलती फिरती परिवार नियोजन व्यवस्था

*440. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलती फिरती परिवार नियोजन व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जी हां । ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यत: परिवार नियोजन

प्रेरणा और सेवाएं प्रदान करने के विचार से भारत सरकार ने पहले से ही सचल एकक खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसका स्वरूप निम्नलिखित है :—

(1) जिला परिवार नियोजन कार्यालयों के लिए

(क) एक सचल श्रव्य-दृश्य एकक ।

(ख) नसबन्दी कार्यक्रम के लिए एक सचल एकक ।

(ग) पांच से साढ़े सात लाख जनसंख्या के लिए एक चूप तथा नसबन्दी सचल एकक ।

(2) चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए
एक सचल नसबन्दी एकक ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों में सार्वजनिक शौचालय

*441. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शहरी गांवों में रहने वाले लोगों को वहां सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ऐसे गांवों में सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिये तैयार है, यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण उसे इस कार्य के लिये भूमि दे;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से शौचालयों के लिये भूमि आवंटित करने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण इन गांवों के लोग इस बुनियादी सुविधा से वंचित है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने तथा इन शहरी गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) दिल्ली में कोई शहरी गांव नहीं है । 1981 तथा 111 गांव शहरी गांव हो जायेंगे जैसा कि दिल्ली की वृद्ध-योजना में उल्लेख किया गया है । वहां पर रहने वाले लोग सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

(ख), (ग) और (घ) इन गांवों के लिए विकास योजनायें तैयार करते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सार्वजनिक शौचालय-स्थलों का उल्लेख किया है । इन गांवों में अभी तक सड़कों की व्यवस्था नहीं हुई है । इसलिए इन स्थलों को अत्यन्त उपयुक्त नहीं समझा जाता है और "टाउन प्लैनर्स" अब वैकल्पिक स्थलों का चयन कर रहे हैं । इन शौचालयों के लिए भूमि दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिग्रहण की जायेगी और स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने तथा अनुमान प्राप्त होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण सैस (फाउण्डस) उपलब्ध करेगा ।

पी० एल० 480 धन का जमा होना

*442. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 निधियों के जमा होने की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार विकास प्रयोजन के लिए इन निधियों को धीरे-धीरे तथा निरन्तर उपयोग करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां तो कब ऐसा किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) यह सूचना, अतारांकित प्रश्न सख्या 2661 के उत्तर में 5 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में दे दी गयी है ।

एंटिबायोटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश

*443. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश में वीरभद्र स्थित "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड" की "एन्टिबायोटिक्स फैक्टरी" स्थापित करने से पहले कोई बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सात वर्ष की अवधि के बाद इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्राधिकारियों ने यह महसूस किया है कि परियोजना का विचार गलत किया गया था;

(ग) क्या इस कारखाने में "डि हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट" और क्लोरोटैट्रा-साइकलिन हाइड्रोक्लोराइड" का उत्पादन नहीं हो रहा है और इस कारण से वह उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है जिससे ये दोनों एन्टिबायोटिक्स लगभग 20 टन बनाई जा सकती थी;

(घ) इससे सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) ऐसी स्थिति किन कारणों से हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) यद्यपि बाजार सम्बन्धी कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था किन्तु इसी दलों ने, जिन्होंने 1956 और 1958 में भारत का दौरा किया था, भिन्न-भिन्न भेषजों की मांग का मोटे तौर पर आंकन किया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं (कारखाना डि हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और क्लोरोटैट्रासाइकलिन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन कर सकता है । किन्तु हाल में किये बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि मांग कम है । इसलिये यह निश्चित किया गया है कि पहले की क्षमता स्ट्रोपटोमाईसिन सल्फेट की ओर मोड़ दी जाय तथा पशुओं की जरूरतों को पूरी करने के लिये दूसरे का उत्पादन घटा दिया जाय ।

(घ) दी गई परिस्थितियों तथा (ग) में दी गयी क्षमता के उलट-फेर की दृष्टि से, इन परिवर्तनों के कारण घाटे का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भेषजों की अप्रचलन की दर साधारणतया बहुत ऊंची है; पेचीदा कारखाने के निर्माण में समय भी ज्यादा लगता है । परिणामस्वरूप कुछ भेषज जिनके उत्पादन का आयोजन किया जाता है या तो बाजार में उनकी मांग नहीं रहती या बहुत घट जाती है ।

पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति 1959

*444. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की 1959 की बाढ़ जांच समिति की सिफारिशों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) 24 परगना की मगराहाट जल निस्सारण प्रणाली की क्रियान्विति की तिथि क्या है;

(ग) पिछली बार गाद कब साफ की गई थी;

(घ) उसके मूल डिजाइन तथा उक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये डिजाइन की तुलना में वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या यह सच है कि वर्तमान सेक्शन स्थानीय वर्षा के दसवें भाग के निस्सारण के लिये भी काफी नहीं है; और

(च) क्या सरकार ने गाद निकालने का काम शुरू करने की कोई योजना बनाई हैं और यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मरघाट जल निकास स्कीम पर नवम्बर, 1904 में कार्य आरम्भ किया गया था और उसे 1915 में पूरा किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार ने समय-समय पर जल निकास प्रणाली की कुछ पहुचों में गाद निकालने के कार्य किये हैं । इस प्रकार का कार्य आखिरी बार 1965 में किया गया था ।

(घ) और (ङ) ये नालियां आरम्भ में प्रतिदिन 1/4" अपवाह के निकास इन्डेक्स के लिये बनाई गई थीं । राज्य सरकार का अनुमान है कि नाली प्रणाली की वर्तमान क्षमता वास्तविक आवश्यकताओं का लगभग एक तिहाई है । पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति ने सिफारिश की थी कि प्रतिदिन 3/4" प्रवाह का निकास इन्डेक्स होना चाहिये ।

(च) इस क्षेत्र के जल निकास में सुधार लाने के लिये राज्य सरकार एक व्यापक स्कीम का अनुसंधान कर रही है । इसलिये निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर गाद निकालने का कोई विचार नहीं रखती ।

आयकर की बकाया राशि

***445. श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर, धन कर तथा 'कारपोरेटेड' कर की बकाया राशि के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इन करों की बकाया राशि तुरन्त वसूल करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं तथा सरकार कब तक बकाया राशि वसूल कर लेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31-3-1968 को अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

आय-कर तथा निगम-कर		373.92 करोड़ रुपये
धन-कर	:	6.50 करोड़ रुपये

(ख) करों की बकाया की शीघ्र वसूली के लिये अपनाये गये विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं :

(i) वसूली का कार्य राज्य सरकारों से केन्द्र में ले लेना ।

(ii) विशेष वसूली यूनिटों की स्थापना ।

(iii) बकाया मांगों की वसूली पर सूक्ष्म निगरानी रखना ।

(iv) एक लाख रुपये से अधिक की वसूल नहीं हो सकने वाली मांगों को बट्टे खाते डालने के लिये आयकर के तीन-तीन आयुक्तों की क्षेत्रीय समितियों का निर्माण ।

(v) वसूली के कार्य पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्यों के अनुसार कार्य विभाजन की योजना में अतिरिक्त सुधार ।

यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार किस तारीख तक की बकाया (रकमों) को वसूल कर सकेगी ।

दिल्ली में भोजन पकाने तथा पीने के लिये बिना साफ किया पानी

***446. श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1968 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने चाय की छोटी दुकानों तथा ढ़ाबों को भोजन बनाने तथा पीने के लिये बिना साफ किये पानी का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस अस्वास्थ्यप्रद काम से दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ताकि इस अनुज्ञाकारी आदेश को रद्द किया जा सके ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) 13 जुलाई के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय का समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है। किन्तु यह सत्य नहीं है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने छोटी दुकानों में पीने के लिए बिना साफ किए पानी को भोजन बनाने के काम में लाने की अनुमति दी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी केवल म्युनिसिपल जल पूर्ति स्रोत से लिए गए साफ पानी का ही उपयोग करेंगे और यह पानी वे अपने स्थान में पानी का कनक्शन लगा कर ले सकते हैं अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक पानी के नल में से पानी लेकर तथा उसे समुचित रूप से संचित करके जहां से उसे नलके, साइफन या लम्बा हैण्डल लगे किसी बरतन से हाथ डुबाए बिना ही लेकर उपयोग में ला सकते हैं। जिन क्षेत्रों में म्युनिसिपल जल पूर्ति सुविधाएं नहीं हैं उनमें लाइसेंसधारी खाना बनाने तथा पीने के लिए उबाले हुए पानी का उपयोग करेंगे और इस प्रकार के पानी की पर्याप्त एवं सन्तोषजनक व्यवस्था ऐसे ढंग से करनी होगी जिससे सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी सन्तुष्ट हो जांय।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*447. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को चाहे वे राजधानी में हों या अन्य स्थानों में, कभी न कभी क्वार्टर देने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्षा के फालतू पानी का उपयोग

*448. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि जून और जुलाई, 1968 के महीनों में सम्पूर्ण भारत में अभूतपूर्व वर्षा हुई है;

(ख) भविष्य में आपात की स्थिति में वर्षा के फालतू पानी को प्रयोग में लाने के लिये इसे एकत्र करके रखने के निमित्त क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गत दो वर्षों में अत्यधिक लागत से निर्मित सभी बड़े और छोटे बांध आपात की स्थिति में संलग्न क्षेत्रों की सिंचाई करने में समर्थ हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। देश के कुछ भागों नामशः पूर्वी गंगा के मैदान, पंजाब, हरियाणा, असम पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में जून और जुलाई, 1968 के महीनों में भारी वर्षा हुई।

(ख) अब तक कई संचय परियोजनाएं बनाई जा चुकी है तथा कुछ और अब बनाई जा रही है। अन्य संचय स्कीमों के प्रस्तावों की भी जांच की जा रही है।

(ग) किसी वर्ष में सिंचित होने वाला क्षेत्र उसी वर्ष नदी में आए पानी की मात्रा तथा पूर्वावशिष्ट संचित जल पर निर्भर करता है। परियोजनाओं का डिजाईन साधारणतः इस तरह बनाया जाता है जिससे परियोजना रिपोर्ट में सिंचाई के लिए परिकल्पित सारे क्षेत्र को 75% अवलम्बनीयता के आधार पर, चार में से तीन वर्षों के भीतर सिंचाई की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

*449. श्री अब्दुल गनी डार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अपना प्रतिवेदन देते हुए पंजाब नेशनल बैंक तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नोटों की चोरी तथा कमी

*450. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, नासिक मुद्रणालय तथा अन्य सरकारी टकसालों में प्रतिवर्ष नियमित रूप से नोटों की चोरी होती है तथा नोट कम रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष नोटों की ऐसी कमी होने के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गये पुराने नोटों में कोई कमी पाई गई है और वह कमी कितनी तथा किस सीमा तक हुई है; और

(घ) चोरी तथा कमी के ऐसे मामलों में किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है और क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे मामलों की रोक थाम के लिये अधिक कारगर कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक में और नासिक प्रेस में करेंसी नोटों की चोरी और उनमें कमी होने के मामले अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। (टकसालों में करेंसी नोट नहीं छापे जाते) पिछले पांच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और वह सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) सम्भवतः यह संकेत उन खराब नोटों में हुई कमी की ओर है जो चलन से वापस लिये गये हैं और जो रिजर्व बक में उनकी जांच किये जाने के बाद, रद्द कर दिये गये हैं। ऐसे नोटों में कितनी कमी हुई, इसका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किया जा रहा है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) परिस्थिति के अनुसार, मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और या सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की कमी/चोरी को रोकने के लिए यथासम्भव उपाय भी किये जाते हैं।

कलकत्ता की बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की मरम्मत

3488. **श्री समर गुह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा के कारण हाल में आई बाढ़ से कलकत्ता की सड़कें बुरी तरह से टूट-फूट गई है;

(ख) क्या टैक्सी संघ ने यह धमकी दी है कि यदि कलकत्ता की सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती तो टैक्सियां नहीं चलाई जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारण केन्द्रीय सहायता और टूटी हुई कलकत्ता की सड़कों की मरम्मत करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हाल ही में भारी वर्षा होने के कारण कलकत्ता की अनेक सड़कें कुछ दिनों तक जलमग्न रहीं और उनमें से बहुत सी सड़कें बुरी तरह से टूट-फूट गई हैं।

(ख) नहीं।

(ग) कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी लिमिटेड जो ट्रामवे की पटरियों और उसके दोनों किनारों की पटरी के अन्दर तथा पटरी से 18 इंच बाहर सड़कों की देख रेख करती है, उसका चालू वर्ष में ट्राम-मार्गों की मरम्मत करने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के अनुसार मरम्मत कार्य किये जा रहे हैं। उनके द्वारा बड़ी मरम्मत के काम केवल वर्षा ऋतु के बाद ही शुरू किये जायेंगे। कलकत्ता ट्रामवे द्वारा देख-रेख किये जाने वाले मार्गों को छोड़कर सड़कों की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी कलकत्ता निगम की है। कलकत्ता निगम से अभी तक कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है कि उसके अधीन सड़कों की टूट-फूट कितनी हुई है और उनके द्वारा किये जा रहे। किये जाने वाले मरम्मत के कार्यक्रम क्या हैं।

(घ) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय को राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Welfare of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh

3489. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount proposed to be spent on the welfare of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh during 1968-69; and

(b) the details of expenditure incurred in plains and Agency areas during 1967-68 ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Rs. 275.95 lakhs.

(b) There are no agency areas in Madhya Pradesh. In Planning, development and allotment of funds, no distinction has been made on the basis of plains and hill areas.

हरिजनों का कल्याण

3490. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इन विभागों द्वारा हरिजनों के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो हरिजनों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये क्या अन्य उपाय विचाराधीन हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) नहीं।

(ग) हरिजनों के कल्याण पर सरकार ने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने हमेशा एकाग्र ध्यान दिया है। एक संसदीय समिति स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

Discharge of Impure Water from the Nepa Mills into Tapti River

3491. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the difficulties being experienced by the residents of Burhanpur due to the supply of impure drinking water being released by the Nepa Mills into Tapti river in East Nimad District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, action taken by Government to prevent the discharge of impure water from the Nepa Mills ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The problem is under consideration of the Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur and further action will be taken by the Government of Madhya Pradesh on receipt of their advice.

Annual Plan of Madhya Pradesh for 1967-68

3492. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the amount allocated to Madhya Pradesh for annual Plan for the year 1967-68 has been paid in full or a part thereof still remains to be paid;

(b) if a part still remains to be paid, the details thereof; and

(c) whether the development projects undertaken by the Madhya Pradesh Government have been left incomplete because of the non-availability of funds ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The Central assistance to which the Government of Madhya Pradesh are entitled on the basis of the figures of anticipated expenditure reported by them on State Plan schemes in 1967-68 has already been paid to them.

(c) Does not arise.

Irrigation and Hydro-Electric Projects, M.P.

3493. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of major irrigation and hydro-electric projects of Madhya Pradesh which are pending with Planning Commission for their sanction; and

(b) the dates on which these projects were received and the present position thereof ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Scheme reports of two projects, Satiara-Stage I Project and Sukta Project estimated to cost Rs. 2117.17 lakhs and Rs. 632.31 lakhs respectively, are under technical scrutiny in the Central Water and Power Commission.

(b) The report in respect of Satiara-Stage I Project was received on 15.4.68 and is under examination. As regards Sukta Project, it was first received in April, 1963 and comments were sent to the State Government in the same year. The replies to the comments have been received from the State Government on 13.6.68 and are under examination.

कोरबा उर्वरक कारखाना

3494. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोरबा में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक का एक कारखाना बनाने के लिये भारतीय उर्वरक निगम को मध्य प्रदेश सरकार कौन-कौनसी सुविधायें देने के लिये सहमत हो गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामया) कोरबा में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिए, भारतीय उर्वरक निगम को मध्य प्रदेश सरकार निम्न सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गई है :–

1. **भूमि :** उर्वरक यूनिट के लिए 900 एकड़ तक अपेक्षित भूमि बिना मूल्य के दी जायेगी। यदि परियोजना के लिए चुने गये स्थान में कुछ गैर-सरकारी भूमि शामिल होगी, तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का अर्जन करेगी और उन्हें परियोजना के लिए बिना मूल्य देगी।

2. **पानी :** राज्य सरकार परियोजना के लिए आवश्यक प्रदाय व्यवस्था करेगी और जिस तारीख से यूनिट उत्पादन करना शुरू करेगा उस तारीख से उक्त सरकारी पानी अपेक्षित मात्रा में देगी। उत्पादन के शुरू होने की तारीख से 10 सालों की अवधि के लिए संयन्त्र के स्थान पर कच्चे पानी की दर प्रति 1000 गैलन 10 पैसे होगी। इसके बाद यदि राज्य सरकार आवश्यक समझेगी; तो उसे पानी की दर का पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा।

3. **बिजली :** मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड रियायती दर पर बिजली देगा; जो लगभग 5.58 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा होगी। यूनिट के उत्पादन की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए परियोजना द्वारा खर्च की गई विद्युत-शक्ति के बारे में परियोजना को विद्युत-कर से छूट होगी। उपनगर-क्षेत्र में खर्च की गई बिजली पर यह छूट लागू नहीं होगी।

4. **टैक्स :** राज्य सरकार द्वारा विक्रय-करों के बारे में नये उद्योगों के लिए मंजूर की गई सुविधाएं एवं रियायतें, कोरबा परियोजना को भी उपलब्ध होगी।

भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों से बकाया किराये की वसूली

3495. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर किराये की राशि बाकी है;

(ख) उनसे इस बकाया रकम को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा मंत्रियों से किराये की बाकी राशि की वसूली के लिये उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 30 जून, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि में भूतपूर्व संसद-सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर किराये की शेष राशि निम्नलिखित थी :—

		राशि
(I)	भूतपूर्व संसद-सदस्य	1,44,104.84 रुपए
(II)	भूतपूर्व मंत्री	5,676.69 रुपए

(ख) भूतपूर्व संसद-सदस्यों के मामले में बकाया किराया वसूल करने के लिए यह तरीका है कि लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय से निवेदन किया जाता है कि वह सम्बन्धित भूतपूर्व सदस्यों की अन्तिम देय-राशियों में से बकाया किराये की राशि वसूल कर लें। यदि उनकी अन्तिम देय राशियों में से उक्त राशि वसूल करना सम्भव न हो, तो उन भूतपूर्व संसद-सदस्यों या उनके उत्तराधिकारियों को लिखा जाता है कि वे बकाया राशि की अदायगी कर दें। जहां कोई भूतपूर्व संसद-सदस्य बाद में किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य बन जाता है, तो उस विधान-मण्डल के सचिवालय से निवेदन किया जाता है कि वह उन सदस्यों की सहमति से उनके वेतन तथा भत्तों में से उक्त बकाया राशि वसूल कर लें।

जहां तक भूतपूर्व मंत्रियों के मामलों का सम्बन्ध है, या तो सम्बन्धित मंत्रालयों से यह कह दिया जाता है कि वे सम्बन्धित भूतपूर्व मंत्रियों की शेष देय राशियों में से वसूल कर लें, या उस बारे में सम्बन्धित मंत्रियों या उनके वैध उत्तराधिकारियों को लिख दिया जाता है।

जहां उपरोक्त यत्नों के बावजूद भी सरकारी शेष राशि वसूल नहीं होती, वहां शेष राशि की वसूली के लिए उसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जैसे कि पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन आफ़ अन आथराइज्ड आक्यूपैंट्स) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। इस समय 11 भूतपूर्व संसद-सदस्यों के मामले में यह कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

Changing of Financial Year

3496. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of States which have given suggestions for changing the Financial Year;

(b) whether Administrative Reorganisation Committee of the Maharashtra Government have given any suggestion for changing the Financial year;

(c) whether the Government of Maharashtra have discussed this matter with the Central Government; and

(d) if so, the result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Report of the Study Team on Financial Administration of the Administrative Reforms Commission indicates that, in January, 1968 ten States were in favour of a change in the financial year, viz, Assam, Kerala, Maharashtra, Orissa and Uttar Pradesh (1st July to 30th June); Andhra Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh (1st October to 30th September); and Bihar and Rajasthan (1st January to 31st December).

(b) & (c) The Government of Maharashtra have intimated that their Administrative Reorganisation Committee is of the view that financial year beginning from 1st July would be more appropriate and have requested the Government of India to communicate their decision in the matter.

(d) The entire question relating to the financial year is under consideration in connection with the recommendation of the Administrative Reforms Commission that the

financial year be changed to 1st November 31st October. In view of the far reaching effects of the recommendation, it would take some time before the decision is taken.

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

3497. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों में कम राशि के बीजक बना करके, विदेशी मुद्रा नियमों तथा निर्यात-आयात विनियमों का उल्लंघन करके मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा कितने तथा किस किस तिथि को अपराध किये गये हैं और उनमें कितनी राशि शामिल थी;

(ख) अब तक प्रत्येक मामले में कितना जुर्माना किया गया है और कितना जुर्माना वसूल किया गया है;

(ग) निर्यात अथवा आयात की उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये इस फर्म को काली सूची में रखा गया है; और

(घ) 31 मार्च, 1968 को इस फर्म पर आयकर की कितनी राशि बकाया थी और वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को किसी भी वस्तु के आयात अथवा निर्यात के सम्बन्ध में 'ब्लैक लिस्ट' नहीं किया गया है।

(घ) विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में फर्म की तरफ 31-3-1968 को बकाया कर की रकम 10, 33, 431 रुपये थी। इस रकम में से, कर-निर्धारण वर्ष 1956-57 से सम्बन्धित 3, 41, 289 रुपये की रकम की वसूली को विभाग ने अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अपील पर फैसला किये जाने तक स्थगित कर दिया है। कर-निर्धारण वर्ष 1955-56 और वर्ष 1957-58 से 1960-61 तक की अवधि से सम्बन्धित 6,26,626 रुपये की रकम को 50,000 रुपये की मासिक किस्तों में वसूल किया जा रहा है। कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 से सम्बन्धित 65,516 रु० की रकम के लिये अदायगी का समय 31-8-1968 और अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील पर फैसला दिये जाने की तारीख में से जो भी पहले हो, उस तारीख तक बढ़ा दिया गया है।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

3498. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं तथा उनके अंश कितने कितने प्रतिशत हैं;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस फर्म में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी तथा गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष इस फर्म को कितना मुनाफा देश से बाहर भेजने की अनुमति दी गई;

(ग) उन निदेशकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि दाण्डिक कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) तथा (घ) संभवत: समवाय अधिनियम, 1956 के अधीन यदि कोई अदालती कार्यवाहियां की गई हों तो उनसे अभिप्राय है । इस सम्बन्धी सूचना भी इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायगी ।

भारत से चांदी चोरी छिपे ले जाना

3499. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में चांदी के स्टाक की मात्रा और मूल्य कितना है तथा यह अनुमान किस तारीख को लगाया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खम्बात की खाड़ी और सौराष्ट्र में सलाया, जोड़िया, मांडवी, कांडला, ओखा, सिक्का, दीव तथा अन्य बन्दरगाहों से देश से प्रति-दिन लगभग 5 लाख रुपये की लगभग 1000 किलोग्राम चांदी चोरी छिपे बाहर ले जायी जाती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने चांदी की तस्करी जिससे थोड़े ही समय में देश की चांदी का अपना समूचे स्टाक खो देने का खतरा है, को रोकने के लिये क्या यथार्थ कार्यवाही की है; और

(घ) अब तक गिरफ्तार किये गये चादी के तस्कर व्यापारियों के नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

House Building in Rural areas of Rajasthan

3500. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the amount of money sanctioned by the Central Government for the schemes regarding house-building in rural areas of Rajasthan for the year 1967-68;

(b) the amount proposed to be sanctioned by the Central Government for this purpose for the year 1968-69;

(c) the special schemes regarding house-building in Rajasthan proposed to be included in the Fourth Five Year Plan; and

(d) the amount of money proposed to be allocated for house-building in Rajasthan in the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) On the basis of the expenditure reported by the Rajasthan Government, a sum of Rs. 3.00 lakhs was released to them under the Village Housing Projects Scheme during the year 1967-68.

(b) A total sum of Rs. 10 lakhs is proposed to be allocated to Rajasthan against Rs. 9.50 lakhs asked for by them under the head 'Housing' including the Village Housing Projects. The State Government have not yet furnished the scheme-wise breakup of this amount.

(c) The following social housing schemes of this Ministry which are in operation in Rajasthan are also proposed to be continued during the Fourth Five Year Plan :—

(i) Middle Income Group Housing Scheme;

(ii) Low Income Group Housing Scheme;

(iii) Integrated Housing Scheme for Industrial workers and Economically Weaker Sections of the Community;

(iv) Village Housing Projects Scheme;

(v) Land Acquisition and Development Scheme;

(vi) Rental Housing Scheme for State Government Employees.

(d) Proposals for provision of funds for various schemes in the Fourth Five Year Plan (1969-74) have not yet been finalised.

केन्द्रीय मंत्रियों को थैलियाँ तथा अन्य उपहार देना

3501. श्री अदिचन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय मंत्रियों को कितनी थैलियां भेंट की गयी तथा उनमें राशि कितनी थी;

(ख) मंत्रियों को दिये गये अन्य उपहारों की संख्या तथा अनुमानित मूल्य कितना था;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक उपहार भेंटकर्ता ने उपहार कर दिया था तथा उनके द्वारा इसके नहीं दिये जाने पर प्राप्तकर्ताओं ने उपहार कर दिया था और यदि हां, तो प्रत्येक उपहार पर कितना कर दिया गया; और

(घ) क्या राजनैतिक नेताओं को दिये जाने वाले उपहारों पर करों से कोई छूट दी जाती है, और यदि हां, तो इस बारे में नियम क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि अनुमान है कि जो अंश-दान कर लगने योग्य रहा होगा, उसके सम्बन्ध में सामान्य कार्यविधि का पालन किया गया होगा ।

(घ) राजनैतिक नेताओं को दिये गये दानों को दानकर अधिनियम के अधीन लगने वाले दान-कर से छूट नहीं मिली हुई है । दान देने वाले के लिये दान-कर अधिनियम के अधीन छूट की सीमा एक वर्ष में 10,000 रुपये तक है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशनों में हुई प्रदर्शनियां

3502. श्री अदिचन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वार्षिक तथा अन्य अधिवेशनों के स्थल पर प्रदर्शनियां की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसी कितनी प्रदर्शनियां हुई;

(ग) इन प्रदर्शनियों से कांग्रेस संस्था को कितनी आय हुई तथा उन पर कितना आय-कर दिया गया; और

(घ) क्या ऐसी प्रदर्शनियों से होने वाली आय को आय-कर से छूट दी जाती है और यदि हां, तो यह छूट किन नियमों के अन्तर्गत दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी कलकत्ता

3504. श्री धीरेन्द्रनाथ देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की फर्म मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी ने सरकार को कुल कितनी राशि देनी है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यह राशि कब तक वसूल हो जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से सरकार का (जिसमें राज्य सरकार का भी समावेश हो जाता है) कुल कितना लेना पावना है, इसका विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा पूरी सूचना इकट्ठी करने में अनुपात से अधिक समय तथा श्रम लगेगा ।

जहां तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

यार्डी समिति की सिफारिशें

3505. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को शिक्षा, रोजगार तथा उन्हें भूमि देने के बारे में यार्डी समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अब तक उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) शिक्षा रोजगार तथा भूमि दिये जाने के बारे मे यार्डी समिति की सिफारिशें सभा पटल पर रख दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1690/68]** ।

(ख) रोजगार सम्बन्धी सिफारशों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण 26 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के उप गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था। शेष सिफारिशों पर कार्यवाही किए जाने पर अभी संबंधित मंत्रालयों में विचार किया जा रहा है :

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां संशोधन विधेयक, 1967

3506. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर अपना मत भेजने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार ने अपनी राय भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी राय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

3507. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रत्येक श्रेणी को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) उपर्युक्त वर्ष में उक्त प्रत्येक श्रेणी को इस कुल धनराशि में से ट्यूशन फीस के रूप में कितनी राशि दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क)	अनुसूचित जातियां	27,39,169 रुपये
	अनुसूचित आदिम जातियां	60,445 रुपये
	अन्य पिछड़ी जातियां	8,39,850 रुपये

(ख) भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में निर्वाह-व्यय, छात्र द्वारा दी जाने वाली सभी न लौटाई जाने वाली फीसें, जैसे कि ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस, खेल फीस, इत्यादि तथा अनुमोदित अध्ययन दौरों पर और अन्वेष-प्रबन्ध (थीसिस) को टाइप कराने, मुद्रित कराने पर किया गया खर्च शामिल है। सामान्यतया, उक्त सभी मदों के अलग-अलग लेखे नहीं रखे जाते हैं। इसलिए, केवल ट्यूशन फीस सम्बन्धी आंकड़े सुलभ नहीं है।

चिली से नाईट्रेट आफ सोडा का आयात

3508. **श्री कु० मा० कौशिक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रिक एसिड बनाने के लिये चिली से आयातित नाइट्रेड आफ सोडा 1967-68 तक बिना सीमाशुल्क लिए हुए दिया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो 1968-69 से 60 प्रतिशत का भारी सीमा शुल्क लगाने के क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) नाइट्रिक तेजाब के उत्पादन के लिये आयात किये जाने वाले चिली के नाइट्रेट आफ सोडा को किसी प्रकार का सीमाशुल्क लिए बिना छोड देने के सम्बन्ध में 1967-68 में अथवा उससे पूर्व कोई विशेष प्रावधान नहीं था। फिर भी जब नाइट्रेट आफ सोडा का आयात ऐसे रूप में किया जाता था जिसका प्रयोग खाद प्रयोजनों के लिये होना जाहिर होता हो तो उसे शुल्क से मुक्त रखा जाता था और अब भी वैसा ही है। परन्तु जो नाइट्रेट आफ सोडा उक्त रूप में आयात नहीं किया जाता है वह आयात शुल्क लगने योग्य है। 1967-68 में आयात शुल्क की दर 50 प्रतिशत मूल्यानुसार स्टैंडर्ड तथा 40 प्रतिशत मूल्यानुसार प्रीफरेन्शियल थी। 1968-69 के बजट प्रस्तावों में आयात शुल्क की दरों में की गई अन्य वृद्धियों के साथ 1 मार्च, 1968 से उपर्युक्त दरों को बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार स्टैंडर्ड और 50 प्रतिशत मूल्यानुसार प्रीफरेन्शियल कर दिया गया है।

Internal Resources for Fourth Plan

3509. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount likely to be available with the Government of India through internal resources for the Fourth Five Year Plan; and

(b) the extent of foreign assistance likely to be available for this Plan ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The assessment of internal and external resources for the Fourth Five Year Plan has not yet been completed.

व्यापार गृहों का काली सूची में दर्ज किया जाना

3510. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्य सतर्कता आयुक्त ने हाल ही में, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में दस व्यापार गृहों के नाम काली सूची में दर्ज करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का स्वरूप क्या है; और

(घ) सतर्कता आयुक्त की सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल का सतर्कता आयोग पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है तथा यह उस सरकार पर निर्भर करता है कि वह उन सिफारिशों पर जैसे उपयुक्त समझे वैसे कार्रवाई करें । इस प्रकार की सिफारिशों से भारत सरकार का सीधा संबंध नहीं है ।

असैनिक डिपुओं में तेल पैट्रोल, और डीजल की कमी

3511. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 1 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष असैनिक डिपूओं द्वारा पैट्रोलियम, मिट्टी के तेल, हाई स्पीड (द्रुत गति) डीजल, हल्के डीजल तेल, भट्टी के तेल, मोबिआयल और एम० टी० ओ० की कितनी-कितनी कमी दिखाई गई ;

(ख) ऐसे प्रथम पांच असैनिक डिपुओं के नाम क्या हैं जिन्होंने सबसे अधिक कमी दिखाई है; और

(ग) क्या इन डिपुओं के मामलों में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) ऐसी कमियों, के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान नहर परियोजना

3512. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध हो तो राजस्थान नहर परियोजना, जिससे 15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी, का प्रथम चरण 1971-72 तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान को ध्यान में रखते हुए 1968-69 में इस परियोजना पर केवल 5.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे और प्रथम चरण को पूरा करने के हेतु आगामी तीन वर्षों के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या सरकार को इस मामले में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों में अपेक्षित धन जुटाने की बात मान ली है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इस विचार से कि राज्य सरकार राज्य की योजना में निर्धारित राशि में से परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करेगी, राजस्थान नहर परियोजना के लिये राज्य

योजना के बाहर 3.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन राशि आंवटित की गई है । इससे चालूवर्ष के दौरान कुल परिव्यय राशि 6.5 करोड़ रुपये हो जायगी । इस धनराशि को खर्च करने के पश्चात परियोजना के प्रथम चरण को पूरा करने के लिये लगभग 19 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ग) क्योंकि चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, यह सम्भव नहीं है कि इस समय आगामी तीन वर्षों के लिये धन की उपलब्धता को निर्धारित किया जा सके ।

नर्बदा जल विवाद

3513. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा परियोजना विवाद को, जिसके बारे में इस वर्ष अप्रैल में वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया था, हल करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या नई दिल्ली में इस वर्ष मई में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में प्राप्त हुए अवसर पर इस वार्ता को पुनः आरम्भ करने का प्रयास किया गया था; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाये गये कड़े रवैये को देखते हुए केन्द्रीय सरकार इस विवाद को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने के लिये कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) नर्मदा विवाद को हल करने के अन्य पगों पर विचार किया जा रहा है । बातचीत द्वारा संतोषजनक फैसले पर पहुंचने के लिए प्रयत्न किए जाते रहेंगे । न्याय निर्णय को केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाएगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धकीय संकट

3514. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी वैज्ञानिक आधार पर सर्वोच्च प्रबन्ध निकाय संगठित न किये जाने पर अधिकतर अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति अथवा तदर्थ नियुक्तियों पर लिये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक उपक्रम में प्रबन्ध संकट पैदा हो रहा है;

(ख) क्या श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र सेवा आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी और क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिकारियों की भर्ती के लिये ऐसे निकाय को स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और ऐसा निकाय कब तक गठित किया जायेगा और वह कब से काम करना आरम्भ करेगा।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह नहीं कहा जा सकता कि प्रबन्ध सम्बन्धी त्रुटियां मुख्यत: इन्हीं कारणों से हैं। प्रबन्ध सम्बन्धी निपुण व्यक्तियों का सामान्यत: अभाव है और सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि सभी स्रोतों से, अर्थात सरकारी सेवाओं जिनमें औद्योगिक प्रबन्ध निकाय सरकारी उपक्रम शामिल हैं, तथा गैर सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध होने वाले ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की जायं जो प्रबन्ध कार्यों में निपुण हों। सरकारी उपक्रमों में, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की नियमित रूप से सूचियां रखी जाती हैं और विशेष पदों के लिये अलग-अलग उपक्रमों की खास-खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सूचियों में से व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है।

(ख) (ग) और (घ) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने, 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि वह आयोग द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल के इस विचार से सहमत है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कर्मचारी सम्बन्धी आयोग की स्थापना करने से न केवल सरकारी उपक्रमों की स्वायतता कम हो जायगी बल्कि उपक्रमों के पदों को भरने में भी विलम्ब होगा। आयोग ने, कर्मचारी प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो अन्य सिफारिशें की हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है।

Foreign Loans for Industries

3515. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Industries set-up with the foreign loans during the last three Plan periods have started giving profit to the extent that the annual instalments to be paid by Government could be paid from the same;

(b) whether it is a fact that even now a large amount of foreign exchange in the shape of raw material, semi-manufactured good and spare parts is required to run these industries and this could be obtained only through foreign loans, if so, the progress made to get such type of loan for the Fourth Plan period;

(c) whether it is also a fact that in the absence of non-availability of the said loans Government have put forth proposals for the postponement of the recovery of instalments; and

(d) if so, the amount of the instalments, the payment of which has thus been postponed so far or agreed to be postponed next year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Foreign loans have been taken by Government for supplementing the foreign exchange resources of the country, inter alia, for import of plant and machinery for a number of industries in the publice and private sectors. When Government takes loans, and the imports are made for the various industrial units, whether in the public or private sector the rupee value of the import is paid to Government by the units concerned. Thus the

total rupee value of the loans accrue as a credit to the Government's budget. The Government bears the debt burden and gets the benefit of the credit terms. The need, if any, for credit financing of the industrial units is met within the various avenues available within the country. The Government pays the annual instalments of the loan out of its budget and finds the foreign exchange out of the export earnings of the country, the link between profits of the various industrial units, whose imports may have been facilitated to varying degrees under these arrangements, and the payment of annual instalments of the loan by Government is not possible to establish.

(b) Non-project loans in substantial amounts are taken for supplementing the foreign exchange resources available for import of raw materials, components etc for production in all those units of industries which depend upon imported items, and not only in those units which have been set up with foreign loans.

As regards non-project assistance for the Fourth Plan, since the size and content of the Plan has not yet been finalised, the question of arranging for the requisite non-project assistance for each year of the Plan does not arise.

(c) The reason for discussing debt relief is not the non availability of aid. The justifications for debt relief are (i) that much of the debt contracted by us were done when the terms of aid used to be hard, whereas international practice has since moved towards softening of terms; (ii) aid is tied to imports from the donor country whereas repayment has to be made from free foreign exchange, thus introducing a rigidity in the borrower's balance of payments situation; and (iii) in the context of continuing assistance, since it is net aid which is important, debt relief provides improvement in the quantity and quality of aid.

(d) The Consortium members have so far offered debt relief amounting to $34.39 million during 1966-67, $63.64 million during 1967-68 and $101.23 million for 1968-69. The members have also agreed to consider favourably debt relief for an amount of about $100 million for each of the two following years.

सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरिंग, इस्पात तथा अन्य परियोजनायें

3516. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरिंग, इस्पात अथवा ऐसी परियोजनाओं को दक्षता पूर्वक प्रशासित करने में सिविल कर्मचारी आम तौर पर असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस प्रश्न के उत्तर में सामान्य रूप से कोई बात कहना सम्भव नहीं होगा । प्रबन्ध अधिकारियों की योग्यता का स्तर अलग-अलग होता है, चाहे वे सिविल कर्मचारी हों या सिविल कर्मचारी न हों ।

कृषि ऋण निगम

3507. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी अभियान में पिछड़े हुए राज्य पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में कृषि ऋण निगम स्थापित करने की योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या चौथी योजना में निगमों के विकास के लिये शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये इन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिये कई विशेष सहायता देने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कृषि ऋण निगमों की स्थापना के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968 स्टेट ऐग्रिकल्चरल क्रेडिट कारपोरेशन बिल, 1968) 6 मई, 1968 को लोक सभा में पेश किया गया था। विधेयक के उपबन्धों के अधीन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान के राज्यों में तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना की जा सकती है और कोई राज्य भी, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, इस प्रकार के निगम की स्थापना कर सकता है।

(ख) अब तक राजस्थान, असम, बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना करना स्वीकार किया है। निगमों की स्थापना के सम्बन्ध में और आगे कार्रवाई, समर्थकारी विधान (एनेब्लिंग लेजिस्लेशन) के संसद द्वारा पास कर दिये जाने और लागू किये जाने के बाद ही की जा सकती है।

(ग) चौथी आयोजना की अवधि में सहकारिता के विकास के सम्बन्ध में योजनाएं अभी तैयार की जा रही हैं।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

3518 श्री निहाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री विद्याधर वाजपेयी :
श्री अदिचन :

क्या समाज कल्याण मन्त्री 3 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9430 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में जिन 813 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं उनके माता पिता की आय व स्तर क्या है और उन्हें कितने रकम की छात्रवृत्तियां दी गई हैं;

(ख) उनमें से कितने सरकारी कर्मचारियों के आश्रित थे;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी फार्मों में, वास्तविक आय जिसमें महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं दर्ज करते हैं जब कि गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा अपनी वास्तविक आय, जिसमें बोनस आदि भी होता है, छिपाये जाने की संभावना है जिसके फलस्वरूप छात्रवृत्तियों के मामले में सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष नहीं रहते हैं और इससे अपनी आय छिपाने वाले अविवेकी लोगों को लाभ रहता है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के सम्बन्ध में आय सीमा की शर्त में छूट देने का है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सभी 813 विद्यार्थीयों (397 फिर से छात्रवृत्तियां पाने वाले तथा 416 नई छात्रवृत्तियां पाने वाले) अनुसूचित जातियों के थे तथा उन्हें अपने-अपने पाठ्यक्रमों के लिये विहित की गई दरों पर छात्रवृत्तियां दी गई थीं। अनुसूचित जातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दर्जाबन्द निर्वाह परीक्षण के आधार पर 500 रुपये प्रतिमास की आय सीमा तक दी जाती है।

(ख) 1967–68 में दी गई छात्रवृत्तियां पाने वाले 416 विद्यार्थियों में से 87 सरकारी कर्मचारियों के आश्रित थे ;

(ग) (घ) तथा (ङ): 500 रुपये प्रतिमास की आय सीमा उदारतापूर्ण है तथा सरकारी कर्मचारियों को अन्य लोगों के साथ बराबर की पात्रता प्रदान की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों का आशय बेईमानी के आचरणों के, जैसे कि आय को छिपाना, अवसरों के समानीकरण से है, जिसका सीधा साधा उत्तर यह है कि कोई भी सरकार बेईमानी के समाजीकरण को बढ़ावा नहीं दे सकती।

दिल्ली से मन्त्रालयों को बाहर भेजना

3519. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे मंत्रालयों को, जिनका यहां रहना आवश्यक नहीं है तथा जिनका काम अन्य राज्यों से सम्बन्धित है, जैसे (एक) वाणिज्य मन्त्रालय (दो) इस्पात और खान मन्त्रालय (तीन) रेलवे मन्त्रालय (चार) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (पाँच) अणु शक्ति तथा (छः) पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय राजधानी से बाहर भेजने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन मन्त्रालयों को ऐसे स्थानों पर भेजने का विचार है जहां एसे कार्यालय हैं जिनका उनसे सम्बन्ध है, ताकि उनका काम सुचारू रूप से हो सके;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मन्त्रालयों को बाहर भेजने से अन्य कर्मचारियों की आवास की समस्या हल हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियां

3520. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को अब तक भूमि दे दी गई है;

(ग) इनमें से कितनी सहकारी समितियों ने विकास कार्य पूरा कर लिया है,

(घ) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में प्रगति बहुत धीमी है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली में भूमि के विकास के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली में पंजीकृत 284 सहकारी गृह निर्माण समितियों में से 210 समितियों ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन विकास तथा निपटाने की योजना के अन्तर्गत भूमि के नियतन के लिये आवेदन किया था। इन सभी 210 समितियों को जमीन देने के प्रस्ताव भेजे गये थे और उनमें से 147 स्वीकार कर लिये थे। इनमें से 56 को जमीन दी जा चुकी है।

(ग) से (ङ) 56 समितियों में से 18 समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाट या तो दिये जा चुके हैं या देने के लिये अलग रख लिये गये हैं। शेष 38 समितियों को अविकसित भूमि विकास करने के लिये दी गई है।

अविकसित भूमि दी जाने वाली सहकारी गृह निर्माण समितियों को विकास कार्य पूरा करने के लिये 3 वर्ष का समय दिया जाता है। ऐसी 38 समितियों में से 18 समितियों ने अब तक विकास कार्य पूरा कर लिया है। 11 मामलों में विकास पूरा करने की यह तीन वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। जिन 2 समितियों ने 3 वर्ष में विकास कार्य पूरा न कर सकी उन्हें और समय दिया गया जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। शेष 7 समितियों के मामले में निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और उनसे विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है। उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुव्यवस्थित करना

3521. श्री दामानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य संचालन में आ रही निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति के बारे में सार्वजनिक मामलों के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा हाल में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों का और विस्तार करने की बजाय इन्हें और सुव्यवस्थित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी पूंजी अथवा विस्तार के नाम पर घाटे में चलने वाले उपक्रमों द्वारा सरकारी निधि से धन निकालने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों के कार्यचालन के परिणामों सम्बन्धी स्थिति हर साल बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिये 1966-67 में कुछ उपक्रमों की स्थिति में पहले के वर्षों की तुलना में सुधार हुआ जब कि दूसरे उपक्रमों को कम लाभ हुआ।

जहां एक ओर विभिन्न उपक्रमों की वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ करने और स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है वहां दूसरी ओर उन वस्तुओं की प्रत्याशित मांग को देखते हुए, जिनका इस समय उत्पादन नहीं किया जा रहा है और जिनका उत्पादन शुरू किया जा सकता है, उपक्रमों के विस्तार के कार्यक्रम भी बनाये जायेंगे। चौथी आयोजना के संदर्भ में इस प्रकार की मांगों की प्राथमिकता, साधनों की उपलब्धि और दूसरी बातों पर इस समय विचार किया जा रहा है और इनके लिये सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्था इस विचार विमर्श के परिणामों पर निर्भर होगी।

Income of Undertakings in Public Sector

3522. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma: :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any specific ways and means are being adopted to increase the income of the undertakings in the public sector;

(b) whether it is a fact that the income from these undertakings is not proportionate to the capital invested therein; and

(c) if so, whether any new decisions are likely to be taken in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c): Some of the Public Enterprises have done well in terms of profits and return on capital invested, while in the case of others, there is scope for improvement in performance. The performance of the Public Enterprises is kept under constant review by Government with a view to improving their profitability. A number of suggestions have also been made in this regard by the Administrative Reforms Commission. Government have taken decisions on some of these recommendations and the others are under codsideration of Government.

सरकारी उपक्रमों के लिये प्रबन्ध पुंज

3523. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक प्रबन्धक पुंज स्थापित करने का है, जहां से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऊंचे पदों पर प्रबन्धकों को नियुक्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नही, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) 1965 में सरकार ने यह निर्णय किया था कि सरकारी उपक्रमों में ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करने के लिए सभी जगहों से उपयुक्त व्यक्ति ढूंढे जाने चाहिएं। यह भी निश्चय किया गया कि इस प्रकार के व्यक्तियों की सूचियां तैयार की जांय और रखी जांय ताकि नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के सामने चुनाव करते समय काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के नाम हों जिनमें से वे चुनाव कर सकें। इन्हीं निर्णयों के अनुसार सभी स्रोतों के अर्थात औद्योगिक प्रबन्ध निकाय सहित सरकारी सेवाओं, सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों, तथा गैर सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध निपुण व्यक्तियों की सूचियां तैयार की गयी हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों सम्बन्धी प्रबन्ध के बारे में जो सिफारिशें की हैं, वे भी सरकार के विचाराधीन हैं।

बुनियादी तथा अत्यावश्यक औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य

3524. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 से लेकर आज तक कोयला, लोहा तथा इस्पात और बुनियादी तथा अत्यावश्यक अन्य औद्योगिक कच्चे माल के दाम कितनी बार बढ़ाये गये हैं और हर बार कितने बढ़ाये गये ;

(ख) देश में औद्योगिक उत्पादन की बढ़ती लागत को कम करने की दृष्टि से बुनियादी औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में 6 जुलाई, 1968 के "हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड" में 'क्या वास्तव में कोई मूल्य सम्बन्धी नीति है,' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण साथ में दिया गया है। जिसमें 1950-51 से लेकर इस्पात, कोयले, कपास, कच्चे जूट और गन्ने के भावों में किये गये विभिन्न परिवर्तन दिखाये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-1691/68]**

(ख) सरकारी अर्थ-नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फिति के दबाव को रोकना है। जो उपाय किये गये हैं उनमें ये भी हैं। अतिरिक्त मांग पर राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कर सम्बन्धी या अन्य प्रकार की रियायतें देना और इसी प्रयोजन के लिए खास खास उद्योगों के लिए और खास-खास वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस देने में उदारता बरतना। जिन जिन्सों की कमी होती है उनके सम्बन्ध में सरकार सांविधिक तथा अनौपचारिक नियन्त्रण भी लागू करती है। मूल्य नियंत्रण करने में मूल्यों में ऐसी वृद्धि करने की अनुमति देने का प्रयत्न किया जाता है। जो कच्चे माल के मूल्यों, मजदूरी आदि में हुई अनिवार्य वृद्धि के कारण उत्पादकों को होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हो। सरकार

उपभोक्ताओं के और अन्य विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करती है, और मूल्य नीति में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मूल्यों का निर्धारण ऐसे अलाभकारी स्तर पर न किया जाय जो उत्पादन में बाधक हो, कमी की स्थिति बनाये रखे और अर्थ-व्यवस्था के व्यापक हितों के विरुद्ध हो। उदाहरणार्थ, औद्योगिक कच्चे माल, जैसे कपास, और कच्चे जूट के मामले में आधार मूल्य ऐसे स्तरों पर निर्धारित किये जाते हैं जो उत्पादकों के लिये लाभकारी हों।

(ग) जी, हां।

(घ) इसके लिए भाग (ख) का उत्तर देखा जा सकता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात की सम्भावना

3525. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग के एप्रोच (दृष्टिकोण) पत्र में, जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामान्यतया स्वीकृति दी है, यह सुझाव दिया गया है कि निर्यात में लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जानी चाहिए;

(ख) क्या एक अन्तः मंत्रालय समिति, जिसमें योजना आयोग के भी अधिकारी शामिल हैं, इस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंची है कि निर्यात में केवल 4.4 प्रतिशत वृद्धि करना सम्भव होगा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इन दोनों निष्कर्षों के बीच असमानता होने के क्या कारण हैं; और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात की सम्भावना की स्थिति क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना आयोग की "ऐप्रोच टु दि फोर्थ प्लान" (चौथी आयोजना की भूमिका) नामक पुस्तिका में बताया गया है कि विदेशी सहायता की वास्तविक रकम को वर्तमान स्तर की तुलना में आधा करने के लिए यह जरूरी है कि निर्यात में प्रति वर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

(ख) और (ग) निर्यात के लक्ष्यों और साधन जुटाने के दूसरे पहलुओं पर अभी विस्तार पूर्वक विचार किये जाने का क म पूरा नहीं हुआ है।

आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग

3526. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस वर्ष अच्छी फसल होने और आगामी वर्ष में अच्छी फसल होने की आशा को ध्यान में रखते हुए देश में ग्रार्थिक विकास करने और योजना में आये संकट का सामना करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों से लाभ उठाने के हेतु कोई योजना या योजनाएं बनायी हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना, योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) इस प्रकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी गयी है । । हां, योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी पुस्तिका 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान' (चौथी पंचवर्षीय आयोजना की भूमिका) में कुछ सुझाव दिये गये थे । चौथी पंचवर्षीय आयोजना को तैयार करने के सम्बन्ध में ग्राम साधनों सहित अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें विचार कर रहीं हैं ।

टैगोर शताब्दी समारोह

3527. श्री म० ला० सौंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टैगोर शताब्दी समारोह के अवसर पर दिये गये इस आशय के आश्वासनों को, कि दिल्ली में कला क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की परम्परा को जीवित रखा जायेगा, पूर्ण करने में विफलता पर जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति को अमर बनाने की भावना के अनुरूप रवीन्द्र रंगशाला की समुचित प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) टैगोर शताब्दी समारोह की भावना के अनुसार रवीन्द्र रंगशाला के सम्यक उपयोग के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिये गये आश्वासनों तक उनकी कियान्विति में असफलता का सरकार को कुछ पता नहीं ।

(ख) रविन्द्र रंगशाला के उचित प्रबंध पर परामर्श देने के लिये कला तथा साहित्य में रुचि रखने वाले सदस्यों की एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति बनाई गयी है ।

(ग) उपयुक्त उल्लिखित समिति मार्ग दर्शन करेगी ।

Light and Irrigation Facilities for Villages lying South East of Jamalpur Workshop

3528. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no further action has been taken by the Bihar Government Electricity Department for years after laying cables in dozens of villages lying towards South-East of Jamalpur Workshop, District Monghyr in Bihar for providing light and irrigation facilities to these villages;

(b) whether it is a fact that four years back the Bihar Government had sought the permission of the Divisional Superintendent, Howrah for extending cable line from west of the railway line to the east; and

(c) if so, the reasons for not issuing the permission and the steps proposed to be taken by Government to provide electricity to farmers for irrigation purposes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) The Bihar State Electricity Board has intimated that during October, 1967 electric line were laid in villages South-East of Jamalpur Workshop in Monghyr District. The Board had sought permission from Eastern Railway authorities in May, 1967 for laying under ground cables near Dasarathpur Railway Station but Railway authorities desired some modifications to be made in the proposals.

Ambhoor Dam

3529. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ambhoor dam for irrigation is underway in Dharhara Block near Jamalpur, District Morghyr, Bihar; and

(b) if so, the reasons for delay in the implementation of this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

चण्डीगढ़ में भूखण्डों (प्लाटों) का आवंटन

3530. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ प्रशासन द्वारा मकानों के निर्माण के लिए रियायती दरों पर किन-किन श्रेणी के लोगों को भू-खण्ड दिये गये हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनक्रम मंहगाई भत्ते

3531. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा मंहगाई भत्ते क्या क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार विभिन्न श्रेणियों के राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये समान वेतनक्रम मंहगाई भत्ते तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस मामले का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों से है तथा भारत सरकार के पास अभी तक की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ): ये प्रश्न नहीं उठते ।

खाद्य पदार्थों के मानकों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

3532. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रण रोक अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में व्यापारियों की कठिनाइयों को सुनने के लिए खाद्य पदार्थों के मानकों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ने एक उप समिति गठित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक व्यापारियों के प्रतिनिधियों को उस उप-समिति के समक्ष अपनी बातें कहने के लिये नहीं बुलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मानकों सम्बन्धी निर्णय किये जाने से पहले व्यापारियों को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों की कठिनाइयों को सुनने के लिए कोई उप-समिति नहीं बनाई गई हैं। वैसे, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर सलाह मशविरे के लिए कुछ उप-समितियां बनाई हैं। विभिन्न समस्याओं पर जहां व्यापारियों के विचार जानने जरूरी समझे जायें यह समिति उनके प्रतिनिधियों को बुला सकती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में जब कभी कोई संशोधन करने का विचार होता है तो प्रस्तावित संशोधित मानकों को उन सभी व्यक्तियों से सुझाव/आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिये जो इस प्रकार के संशोधन से प्रभावित हो सकते हैं, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर जो सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं उन पर विचार करने के बाद ही नियमों में संशोधनों का फैसला किया जाता है।

भारतीय उद्योग में लगी विदेशी पूंजी

3533. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान भारत के उद्योगों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई; और

(ख) उसी अवधि में पूंजी लगाने वाले विदेशियों ने कुल कितनी राशि बाहर भेजी और किसी एक वर्ष में पूंजी लगाने वाले विदेशियों ने अधिकतम कितनी राशि बाहर भेजी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत में कारबार में लगी हुई वास्तविक विदेशी पूंजी के बारे में जो सबसे हाल की सूचना प्राप्त है वह मार्च, 1965 के अन्त की है । उस तारीख को सभी क्षेत्रों में लगी हुई कुल विदेशी पूंजी 935.8 करोड़ रुपया थी । उसके बाद 1965–66, 1966-67 और 1967–68 में भारत सरकार ने जितनी विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी है: वह इस प्रकार है—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1965–66	35.4
1966–67	38.6
1967–68	22.3

(ख) 1964-65 से 30 सितम्बर, 1967 तक की अवधि में चालू लाभ, संचित लाभ और लाभांश के रूप में निम्नलिखित रकमें विदेश भेजी गयीं;

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1964–65	39.54
1965–66	30.85
1966–67	43.23
1967-68 (30 सितम्बर तक)	26.62

Statues of National Leaders in Delhi

3534 **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) the number of statues of Indian leaders which have been installed in place of foreigners' statues in Delhi so far and the number of statues proposed to be installed by Government till the end of the current year;

(b) whether Government have finalised any scheme for the sale of statues of foreigners which have been removed; and

(c) if so, the number of statues of the foreigners disposed-of so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply(Shri Iqbal Singh): (a) So far no statues of a foreigner has been replaced by the statues of an Indian Leader in Delhi. It is proposed to instal the statues of Mahatma Gandhi near India Gate from where the statues of King George V has been removed

(b) No.

(c) Does not arise

After-Effects of Oral Contraceptive Pills.

3535. **Shri Onkar Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Health, Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited to the warning appearing in "Lancet" an authoritative journal on Health, published from London, to the effect that the use of oral contraceptive pills is likely to cause thrombosis to the young women and may also result in death; and

(b) the reaction of Government thereto and the measures Government propose to take to check the after-effects of these pills ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning & Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes. According to the same article, the annual mortality from pulmonary embolism or cerebral thrombosis (in the absence of predisposing conditions) attributable to the use of oral contraceptives is put at 1.3 per 100,000 users in women aged 20-34 and 3.4 per 100,000 users in women aged 35-41. The article further makes it clear that the Committee on Safety of Drugs did not find any reason to change their view that oral contraceptives should remain available provided women can get them only on a doctor's prescription.

(b) The Government have taken adequate precautions by having suitable combinations of different ingredients and doses of oral contraceptives tried and tested by the Indian Council of Medical Research before permitting their use in the pilot projects to assess their use-effectiveness and use-acceptability under Indian conditions. In the pilot projects, close watch is also kept for any incidence of thromboembolism and other contra-indications in women taking oral contraceptives and their use is permitted only after the case has been fully screened. These cases also receive proper follow-up service.

The results obtained from these pilot projects will be carefully analysed and evaluated before taking a decision on the introduction of oral contraceptives on a mass scale under the Family Planning Programme.

Oil Exploration in Gulf of Cambay

3536. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 175 on the 22nd July, 1968 and to state:

(a) whether it is a fact that an agreement with an American firm 'Japuta' has also been reached for oil exploration work in the Gulf of Cambay; and

(b) if so, the terms of the agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में नजफगढ़ सड़क के साथ बस्तियों का विकास

3538. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ सड़क के साथ-साथ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में जिस दर पर जनसंख्या बढ़ी है उस गति से उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग पांच लाख लोगों की चिकित्सा के लिये एक भी अस्पताल नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में नगर निगम के वार्ड इतने अधिक बड़े हैं, कि उनकी जनसंख्या दिल्ली के पुराने भागों की तुलना में लगभग दुगुनी है; और

(घ) यदि हां, तो नजफगढ़ सड़क पर बसी बस्तियों में दिल्ली के अन्य भागों की तरह चिकित्सा की सुविधाओं पार्कों, खेल के मैदानों की व्यवस्था करने आदि के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में विदेशी मुद्रा पकड़ा जाना

3539. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सांताक्रुज हवाई अड्डा, बम्बई पर 10 जून, 1968 को एक व्यक्ति के पास से जो एक विदेशी कम्पनी के विमान से करांची जाने के लिए रवाना हो रहा था, डालर और पौंड के रुप में, 1 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा पकड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 11 जून, 1968 को बहुत तड़के प्रवर्तन निदेशालय ने एक मुसाफिर से लगभग 37,000 रुपये मूल्य की निम्नलिखित विदेशी मुद्रायें पकड़ी। यह मुसाफिर सान्ताक्रुज हवाई अड्डे से एक विदेशी कम्पनी के वायुयान से करांची के रास्ते दुबाई जा रहा था;

अमरीकी डालर	2738
पौंड स्टर्लिग	915
दीनार	14
रियाल	138

पकड़ी गई विदेशी मुद्राओं में करंसी नोट, यात्री चेक तथा बैंक ड्राफ्ट शामिल थे।

(ख) इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है तथा इसके पूरा होने पर कानून के उपबन्धों के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

नसबन्दी आपरेशन के लिये दन्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण

3540. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में सरकारी सेवामें लगे दन्त चिकित्सों को नसबंदी आपरेशन करने तथा परिवार नियोजन अभियान की सहायता करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितना व्यय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई में पकड़ी गई कलाई की घड़ियां

3541. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 18 मई, 1968 को बम्बई पुलिस ने बम्बई में लगभग 4,26,000 रुपये की विदेशों में बनी कलाई की घड़ियां पकड़ी थीं जिनका लाया जाना निषिद्ध था; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 17 मई, 1968 को बम्बई के पुलिस अधिकारियों ने बम्बई में सायन के पास एक कार को रोका और उसमें से 4.27 लाख रुपये की विदेश में बनी हुई कलाई घड़ियां तथा घड़ियों के फीते बराबद किये । माल तथा कार को पकड़ लिया गया और बाद में सीमाशुल्क कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया ।

(ख) कार में यात्रा कर रहे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच पड़ताल चल रही है ।

चीन में छापे गये जाली नोट

3542. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में चलाने के लिये चीन में छापे गये भारत सरकार के जाली नोट नेपाल राज्य क्षेत्र में जनकपुर इलाके में पकड़े गये थे, जैसा कि मुजफ्फरपुर के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, श्री एफ० अहमद ने 6 जून, 1968 को तिरहुत डिवीजन के आयुक्त श्री एम० पी० सिन्हा द्वारा आयोजित एक सम्वाददाता सम्मेलन में बताया था;

(ख) यदि हां, तो कितने जाली नोटों का पता लगाया गया है और ऐसे कितने नोट भारत में आये हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) भारत में जाली नोटों के परिचलन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) मालूम हुआ है कि बिहार राज्य के पुलिस अधिकारी ने नेपाल के पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ भारतीय जाली नोटों के कथित परिचलन के सम्बन्ध में दिये गये संकेत का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि नेपाल में दो व्यक्ति 10 रुपये के संदिग्ध जाली भारतीय नोटों के रखने के कारण गिरफ्तार किये गये हैं परन्तु नोटों के उत्पत्ति स्थान का पता नहीं चला है। यह भी मालूम हुआ है कि बिहार की पुलिस ने, जो नेपाल में अपने साथियों से सम्पर्क रख रही है, सीमा पुलिस को सतर्क कर दिया है। तथापि बिहार सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।

लेखनसामग्री नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता

3543. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि कलकत्ता के लेखन सामग्री नियंत्रक के कार्यालय के स्थानीय वितरण अनुभाग के कुछ भाग पर एक मनोरंजन संस्था ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां, लोकल डिलीवरी सैक्शन से संलग्न एक कमरे का 'स्टेशनरी आफिस स्टाफ रिक्रियेशन-कम-वेलफेयर क्लब' नाम के एक क्लब द्वारा अनधिकृत दखल ले लिया गया था। कुछ दिन बाद क्लब ने कमरा खाली कर दिया तथा प्रशासन द्वारा उसका दखल ले लिया गया। क्लब को यह चेतावनी दे दी गयी कि भविष्य में वह ऐसी कार्यवाइयों से संबद्ध न रहे।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3544. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने के ढांचे के बारे में निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की बैठक जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल हैं, जुलाई, 1968 के दूसरे सप्ताह में बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने चौथी पंच वर्षीय आयोजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों की सिफारिश की हैं;

(1) जन संख्या,

(2) प्रति-व्यक्ति आय,

(3) प्रति-व्यक्ति आय के मुकाबले प्रति-व्यक्ति कर,

(4) सिंचाई और बिजली की जारी रहने वाली बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में दिये गये वचन, और

(5) राज्यों की विशेष समस्याएं।

समिति ने यह और सिफारिश की है कि राज्यों की केन्द्रीय सहायता देने के लिए, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाये तरीके के अनुसार इकट्ठे अनुदान और ऋण देने की प्रणाली शुरु की जाय।

(ग) योजना आयोग केन्द्रीय सहायता के वितरण के नमूने तैयार कर रहा है जिनमें समिति द्वारा सुझाये विभिन्न मापदण्डों के लिये विभिन्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं। इस अध्ययन के परिणाम राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने विचारार्थ रख दिये जायेंगे।

आसाम में बाढ़ की स्थिति के बारे में ज्ञापन

3545. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में प्रधान मंत्री के आसाम के दोरे के दौरान उन्हें आसाम सरकार द्वारा बाढ़ की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या विशिष्ट मांग की गई थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम सरकार ने यह प्रार्थना की है कि वर्तमान तट बन्धों को ऊंचा और दृढ़ करने और नये तटबन्धों के निर्माण को पूरा करने तथा बरक बान्ध परियोजना, पगलडिया–डिटेन्शन परियोजना और मानस जलाशय परियोजना जैसे अन्य उपायों को हाथ में लेने के लिए आवश्यक समाधन उपलब्ध किए जाएं।

यह विचार किया गया है कि असम में वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत करने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाए और उपयुक्त बाढ़ चैतावनी और सामायिक रख-रखाव सम्बन्धी सेवाओं का गठन किया जाए। कटाव-रोधी उपाय के रुप में तलर्कषण की सम्भाव्यता

देखने के लिए कुछ जगहों पर इसको प्रयोगात्मक आधार पर हाथ में लेने का विचार है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि डिटेन्शन जलाशयों की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता की पूरी तरह से जांच की जाए।

मध्य प्रदेश में गांधी सागर जलाशय में तलछट सम्बन्धी अध्ययन

3546. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गांधी सागर जलाशय में तलछट सम्बन्धी अध्ययन के बारे में की गई गवेषणा के क्या नतीजे निकले है;

(ख) मध्य प्रदेश में विद्युत् गवेषणा योजनाओं के अन्तर्गत की गई गवेषणा से क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि गवेषणा पूरी नहीं हुई, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : अन्तर्प्रवाह और वहिप्रवाह के ढंग से अब तक किये गए जलाशय में गाद की गति से संबंध अनुसंधान से पता चला कि प्रति 100 वर्ग मील में प्रतिवर्ष 50 एकड़ फुट गाद जमा होती है। गाद जमा होने की यह गति परियोजना रिपोर्ट में कल्पित प्रति 100 वर्ग मील में 75 एकड़ फुट की गति से कम है। आगे अनुसन्धान किए जा रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सौंपी गई समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य प्रगति कर रहा है और कोई निर्णयात्मक परिणाम नहीं निकले हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसन्धान में हुई प्रगति :

(1) गांधी सागर जलाशय में गाद सम्बन्धी अध्ययन :

गांधीसागर जलाशय में गाद सम्बन्धी अध्ययन 1962 में आरम्भ किए गए। चम्बल नदी समेत पांच मुख्य शाखाओं द्वारा झील में लाई गई गाद को नापा जाता है और इसका विश्लेषण किया जाता है। जलाशय से निकली गाद की मात्रा को नाप कर उसे जलाशय के अन्दर आई गाद की कुल मात्रा में से निकाल दिया जाता है ताकि जलाशय में बच गई गाद की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। छः साल से अधिक अवधि में किए गए इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर पता चला है कि वाह्य क्षेत्र में प्रति वर्ष गाद जमा होने की गति 50 एकड़ फुट प्रति 100 वर्ग मील है। यह गति 75 एकड़ फुट प्रति 100 वर्ग मील की अनुमित गति से कम है जिसके लिए परियोजना में प्रबन्ध किया गया हैं।

प्रतिध्वनि गहराई मापन ढंग से जलाशय का सर्वेक्षण करने के लिए भी प्रबन्ध किया जा रहा है। इससे जलाशय में गाद की मात्रा तथा किस्म का अन्दाजा लगाने के लिए पूर्व एकत्रित आंकड़ों की अनुपूर्ति होगी।

(2) **मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसन्धान**

समस्या नं० 1 : जोड़े हुए लकड़ी के खम्बों का अध्ययन

अनुसन्धान कार्य के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है और विभिन्न प्रकार के जोड़ों की विभिन्न किस्मों के बारे में निर्णय किये गये हैं। जोड़े हुए लकड़ी के खम्बों पर उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता के पारेषण पथों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चुना जा रहा है और परिषण पथों में प्रयोगार्थ जोड़े हुए लकड़ी के खम्बों की उपयुक्तता जानने के लिये और अध्ययन किए जाएंगे।

समस्या नं० 2 : ताप विद्युत केन्द्रों में अधिक राख वाले कोयले को जलाने तथा राख के निपटान के बारे में अध्ययन

इसके लिए अपेक्षित उपकरण का प्रबन्ध कर लिया गया है और अमरकन्टक में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

विभिन्न मात्रा में मिली राख तथा चूने के साथ कन्क्रीट के मसाले के ब्रिकेट बनाए गए हैं और पूर्वबलित कन्क्रीट के खम्बे बनाने में राख के प्रयोग की उपयुक्तता का अन्दाजा लगाने के लिए ब्रिकेटों की मजबूती की जांच की गई। अनुसन्धान कार्य जारी रखा जा रहा है।

समस्या नं० 3 : फ्री-लोडर

प्रारम्भिक आंकड़े तथा अपेक्षित उपकरण का तकनीकी ब्यौरा तैयार किया जा चुका है। अपेक्षित सामग्री प्राप्त की जा रही है। निम्न वोल्टता पर थोडी मात्रा की बिजली प्राप्त करने के लिए उच्च वोल्टता की लाईनों में इस उपाय के प्रयोग की सुदक्षता आंकने के लिए शीघ्र ही तजुरबा किया जाएगा।

सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश

3547. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निम्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में जिनके लिये 1967--68 में केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई थी परियोजना-वार कितनी प्रगति की गई है;

(1) चम्बल परियोजना

(2) बांध सिंचाई परियोजना

(3) सतपुरा थर्मल स्टेशन

(4) बाढ़ नियन्त्रण; और

(5) ग्राम्म विद्युतीकरण ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1692/68]

आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

3548. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये है; और

(ख) चालू वर्ष में अथवा आगामी वर्ष में कोई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत दो वर्षों में 259 आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय खोले जा चुके हैं । विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

भारत में तेल के नये स्रोत

3549. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में तेल के किन-किन नये स्रोतों का पता लगाया गया था ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) पिछले पांच वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में महसाना, कथना, ढोलका, वकरोल, अहमदाबाद, पश्चिम काडी, काडी और सुभासन तथा आसाम में तकवा और गलिकी में तेल की विद्यमानता का पता लगाया है ।

पी० फार्म

3550. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री अंबुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री गाडीलिंगन गौड :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'पी' फार्म जारी करने पर लगाई पाबन्दियों को उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिविल अस्पताल, काटचल

3551. **श्री नम्बियार :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री अब्राहम :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काटचल द्वीप जो अन्दमान निकोवार द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा द्वीप है कोई सिविल अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार वहां पर एक सिविल अस्पताल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां,

(ख) कटचल द्वीप में आबादी दूर दूर बसी हुई है तथा लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिये वहां दो डिस्पेंसरियां हैं । इन डिस्पेंसरियों में से प्रत्येक में एक-एक कम्पाउंडर तथा एक-एक वार्ड अटेन्डेन्ट है । जिन मामलों में उचित समझा जाता है उन रोगियों का स्थानान्तरण ननकौरी अस्पताल को कर दिया जाता है जो उसके बहुत ही निकट है तथा जहां एक चिकित्सा अधिकारी है । ननकोरी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी एक निश्चित समय के बाद कटचल भी जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

Houses Constructed by Delhi Development Authority.

3552. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister for **Health, Famil, Planning and Urban Develoment** be pleased to state :

(a) whether it a fact that people are not coming forward to purchase the houses constructed by the Delhi Development Authority;

(b) whether it is is also a fact that the houses in Tagore Garden, 496 double storeyed flats in Narayan and 72 double and four storeyed flats constructed under the Safdarjang Development Plan have started leaking;

(c) whether it is also a fact that leakages are due to faulty construction; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by them in this connection ?

The Deputy Minister in the Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The last date for receipt of applications in respect of flats that have been offered for sale by the Delhi Development Authority is not yet over.

(b) No, Sir,

(c) and (d) : Do not arise.

Nari Niketans

3553. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of Nari Niketans functionirg at present in Delhi;

(b) the nature of assistance being given to them;

(c) the basis on which women are admitted to a Nari Niketan and the extent to which the Managers of Nari Niketans are responsible for their security and for looking after them;

(d) the reaction of Government to the reported disappearance of a woman named Gainda from a Nari Niketan in Delhi a few days back; and

(e) the details of the report received by Government from the concerned Nari Niketan in that connection ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha). (a) One

(b) The entire expenditure on the institution is met by the Delhi Administration by giving grants-in-aid.

(c) The following categories of women are admitted to the Nari Niketan:

(i) Women in moral danger and in need of maintenance and care;

(ii) Unmarried mothers;

(iii) Old and infirm women;

(iv) Deserted and destitute women; and

The Managers of Nari Niketans are responsible for looking after the inmates and their security, though the Niketan is not treated as a custodian institution like a prison.

(d) and (e) As per the report received from Delhi Administration, the woman named Gainda, aged about 24 years was admitted to the Nari Niketan on 7. 7. 1968 under a court order and was to be transferred to Lansdowne, District Garhwal, Uttar Pradesh for appearnce in a court there. She escaped from the Niketan on 17.7.1968 by jumping through the window and scaling the boundary wall. She returned to the Niketan on 20.7.1968 and was taken away by the police on 21.7.1968 for being produced in the court at Lansdowne.

The Government feel that this was an isolated case and does not call for any special measures.

जापान से आयातित गर्भ निरोधक

3554. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान से आयातित गर्भ निरोधक बहुत घटिया किस्म और बेकार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री च द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pakistani Bund on Borders of Agartala Tripura

3555. **Shri Onkar lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has constructed a bund on the borders of Agartala, the Capital of Tripura;

(b) whether it is also a fact that the flood-situation on the Indian side of the territory has become serions on account of this bund; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) and (b) : Yes. Sir,

(c) : Necessary protective measures such as construction of bund and extension of existing embankments have been taken up.

Eye Hospital in Bulandshahar (U. P.)

3556. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an eye hospital is being built in Bulandshahar, U. P.;

(b) whether it is also a fact that the Municipal Committee has given land worth about Rs. 3 lakhs for the hospital;

(c) whether it is also a fact that the hospital is being named after a local trader; and

(d) if so, the reasons there for ?

The Deputy Minister in The Ministery of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a, to (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

सौराष्ट्र कैमिकल्स लिमिटेड

3557. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अनिरुद्धन :
श्रीचक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1217 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशक ने विदेशी मुद्रा के तथाकथित अनधिकृत सौदे के लिए सौराष्ट्र कैमिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) न्यायिक कार्यवाही करने के समय प्रवर्तन निदेशालय ने कौन सी दस्तावेजें पकड़ी हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), से (ग) : प्रवर्तन निदेशालय ने सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ न्याय-निर्णय की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की थी। 15 अप्रैल, 1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1217 के उत्तर में जिस मामले के बारे में बताया गया था कि प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जा रही है, वह श्री के० एन० मेहता, प्रबन्ध-संचालक, सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के विरुद्ध तीन 'कारण बताओ' नोटिस से सम्बन्धित है। न्याय-निर्णय की ये कार्यवाहियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं।

(घ) न्याय-निर्णय की कार्यवाहियों के दरमियान श्री के० एन० मेहता के विरुद्ध मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोई दस्तावेज नहीं पकड़े। किन्तु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी के समय कुछ दस्तावेज जरूर पकड़े गये थे। पकड़े गये दस्तावेजों के बारे में फिलहाल ब्यौरा देना जन हित में नहीं होगा।

यात्रा अभिकरणों के कार्यालयों पर छापा

3558. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणि :**

क्या वित्त मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने यात्रा अभिकरणों के विरुद्ध अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक जांच पूरी हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोई विदेशी राष्ट्रजन भी अन्तर्ग्रस्त है; और

(ङ) यदि हां, तो उस विदेशी राष्ट्रजन का नाम क्या है तथा उसकी राष्ट्रीयता क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और उनकी प्रतीक्षा है। जांच-पड़ताल का स्वरूप देखते हुए, पहले से यह बताना संभव नहीं है कि जांच-पड़ताल पूरी करने मे कितना समय लगेगा।

(घ) इस सम्बन्ध में जिस एक व्यक्ति को प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करना पाया गया है, वह विदेशी राष्ट्रिक हैं।

(ङ) इस समय यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

3559. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 98 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञ दल द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में पेश किये गये प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास

3560. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का भूमि विकास करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में भूमि के मूल्य घटाने का था, ताकि निम्न आय तथा मध्य आय वर्ग के लोग अपने मकान बना सकें;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि के दाम कम नहीं हुए हैं और दूसरी ओर दिल्ली विकास प्राधिकरण ऊंचे मूल्यों पर भूमि की नीलामी कर रहा है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न वर्गों के बीच भूमि के वितरण का हिसाब लगाया है और यदि हां, तो इस वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भूमि सम्बन्धी नीति का मूल्यांकन करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन विकास तथा निपटान योजना के अधीन भूमि अर्जित करने का एक उद्देश्य निजी तौर पर भूमि-सट्टा व्यापार को रोकना तथा जमीन की कीमतों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण करना था। इस योजना के अभाव में जमीन की कीमतें काफी चढ़ गई होती। इस योजना में कम-आय-वर्ग के लोगों को पूर्व निश्चित दरों

पर कुछ विकसित भूमि नियत करने की भी व्यवस्था है। जिस जमीन का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है उसकी कीमत सर्वोच्च बोली के आधार पर निश्चित की जाती है।

(घ) यह विषय विचाराधीन है।

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां और बोर्ड

3561. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियां, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या-क्या काम सौंपे गये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन एक बार के लिये होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता हैं और एक बार नाम निर्देशन की अवधि कितनी है; और

(च) वर्ष 1967–68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (घ) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1693/68]** यह अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र कम्पनियों के निदेशकों के बोर्ड के गठन के बारे में सूचना की आवश्यकता नहीं है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से प्रतिनिधि-मंडलों की विदेश यात्राएं

3562. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उनके मंत्रालय की ओर से कितने प्रतिनिधि-मण्डल, मंत्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ सरकारी खर्च पर विदेशों में गये;

(ख) प्रत्येक मामले में किन-किन देशों का दौरा किया गया और उनमें कितना समय लगा;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी; और

(घ) प्रत्येक दौरे के परिणामस्वरूप सरकार को क्या यथार्थ लाभ हुआ और यदि कोई करार किये गये, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) पहली जनवरी से अब तक की अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1694/68]**

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में फालतू कर्मचारी

3563. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उनके मन्त्रालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्गवार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों की छंटनी करने का अथवा उन्हें अन्यत्र काम में लगाने का है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक उनके मन्त्रालय में वर्ग-वार, कितने अतिरिक्त व्यक्ति रखे गये और उक्त अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने अतिरिक्त पद स्थापित किये गये थे ; और

(ङ) मंत्रियों के साथ कार्य कर रहे फालतू कर्मचारियों का, जिनके लिये उचित स्वीकृति नहीं ली गई है, ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्मा शैल द्वारा उर्वरक कारखाना

3564. **डा० रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल ने भारत में एक उर्वरक कारखाना लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह प्रस्ताव इस कम्पनी के बम्बई स्थित तेल शोधक कारखाने की क्षमता को 20 लाख टन वार्षिक बढ़ा कर उसके विस्तार से सम्बद्ध है ,

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बम्बई में बर्मा-शैल शोधनशाला के निकट 1000 मीटरी टन अमोनिया प्रतिदिन और 1100 मीटरी टन यूरिया प्रतिदिन की क्षमता के एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) : प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है और अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम का कार्य

3565. **डा० रानेन सेन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम के पिछले 20 वर्षों का कोई आयूल पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम की कार्य-शीलता का समय समय पर पुनरावलोकन किया जा रहा है और इसे सन्तोषजनक पाया गया ।

(ग) और (घ) नियम के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है किन्तु दामोदर घाटी निगम को कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेलशोधक करार

3566. **डा० रानेन सेन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए वर्तमान तेलशोधक करारों में परिवर्तन करने या उनके बारे में फिर से विचार विमर्श करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने वर्तमान करारों में परिवर्तन या उन पर पुनर्विचार किये जाने की इच्छा प्रकट की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : मामले में बर्मा-शैल से हो रही बातचीत प्रगति पर है । एस्सो और काल्टैक्स के साथ शीघ्र ही ऐसी बातचीत करने का विचार है । इन विचार-विमर्शों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

दिल्ली में अस्पतालों के लिए उपकरणों का आयात

3567. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1968 के "पैट्रियट" में प्रकाशित यह समाचार, सही है कि उचित नियन्त्रण के बिना दिल्ली में अस्पतालों के लिये महंगे उपकरणों के आयात को अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उचित निगरानी रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने एक गोष्ठी में भाषण देते हुए कहा था कि प्रत्येक अस्पताल विभाग की प्रवृत्ति महंगे उपकरणों के मांगने की रही है। जहां तक सरकारी अस्पतालों का सम्बन्ध है वहां इसकी मंजूरी तभी दी जाती है जब कि ऐसे उपकरण की आवश्यकता की पूरी-पूरी जांच कर ली जाती है।

नई दिल्ली में कनाट प्लेस को नया रूप देना

3568. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के कनाट प्लेस को नया रूप देने के प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कैसे आरम्भ किया गया है ; और

(ब) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने कनांट प्लेस क्षेत्र की सड़कों को चौड़ा करने तथा पार्किंग योजना को मंजूर कर लिया था।

(ख) निर्माण कार्य इस अनुमोदित योजना के अनुसार शुरू किया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हेमवती परियोजना, मैसूर

3569. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मैसूर में हेमवती परियोजना का काम बन्द करवाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस परियोजना के लिये तकनीकी पहलू से स्वीकृति न दी जाए और मैसूर राज्य से भी कहा जाए कि वे इस परियोजना को कार्यान्वित न करें।

(ख) मद्रास सरकार चाहती है कि कृष्णराजासागर के सम्बन्ध में हुए समझौते की तरह हेमवती जलाशय में रोजाना पानी डालने के लिये किसी समझौते पर पहुंचने के निमित्त आपस में बातचीत होनी चाहिये ताकि 1924 के समझौते में उनके लिये निर्धारित जल की मात्रा में कोई कमी न हो।

(ग) इस मामले पर मैसूर के मुख्य मन्त्री तथा मद्रास के जल कार्य मन्त्री के साथ 19-8-68 को बातचीत करने का विचार है।

हाईड्रो कार्बन कच्चे माल पर आधारित उर्वरक कारखाना

3571. श्री यशपाल सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब तकनीकी दल ने उर्वरक तैयार करने के लिये नेफ्था की मांग के प्रश्न पर विचार किया तो क्या उसने यह सिफारिश की थी कि सभी उर्वरक कारखाने सल्फर हाइड्रो कार्बन की कच्ची सामग्री पर आधारित होने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेफ्था की मांग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तकनीकी समिति

3572. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक तथा रसायन उद्योगों की नेफ्था की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की समस्या के अध्ययन के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा कब अपना काम आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां ।

(ख) लगभग एक मास के समय में ।

Collaboration with Saudi Arabia regarding Petro-Chemicals

3573. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Ram Avatar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 260 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the Indian experts have undertaken a tour of Gujarat and other areas with a view to explore the possibility of collaboration with Saudi Arabia in the field of Petro-chemicals consequent on the visit of Saudi Arabian Delegation ; and

(b) if so, the result of their study and outcome of the talks with the Saudi Arabian Delegation ; and

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No.

(b) Does not arise.

आयकर अधिकारी

3574. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय कर सम्बन्धी समय-सीमा को घटा कर दो वर्ष किये जाने के परिणाम स्वरूप शीघ्र निर्धारण की आवश्यकता को पूरी करने के लिये आय-कर अधिकारियों, इन्स्ट्रक्टिंग सहायक-आयुक्तों तथा अपीलीय सहायक-आयुक्तों की संख्या में वृद्धि की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या में कितनी वृद्धि की जायेगी और इससे कितना खर्च बढ़ेगा और उनकी भर्ती कब तक पूरी हो जायेगी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : आय-कर विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गयी है, और पिछले इकट्ठे हुए कर-निर्धारणों के काम को तथा करदाताओं की बराबर बढ़ती हुई संख्या को निपटाने के लिये, जैसे और जब आवश्यक होगा, इस संख्या में वृद्धि की जायेगी । कर-निर्धारण की कार्यवाही को पूरा करने की समय-सीमा को घटा देने के ही कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक नहीं है ।

(ख) : यह प्रश्न नहीं उठता ।

आय-कर के मामले

3575. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर के मामलों का निपटारा करने तथा फालतू राशि को लौटाने में विलम्ब होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। किन्हीं-किन्हीं एकाकी मामलों में आयकर का निर्धारण करने में तथा अधिक अदा हुई रकम की वापसी मन्जूर करने में देरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जिन मामलों में शिकायतें मिली हैं, उनमें सरकार ने शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित उपाय किये हैं। आम तौर पर, कर निर्धारण की कार्यवाही को पूरा करने तथा कर की वापसी मन्जूर करने के काम में तत्परता लाने के लिये सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों का विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

आयकर निर्धारणों की कार्यवाही करने तथा वापसी की मंजूरी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये महत्वपूर्ण उपाय।

(1) कर-निर्धारण वर्ष 1969–70 से आय-कर निर्धारणों को पूरा करने की समय सीमा को 4 वर्ष से घटा कर 2 वर्ष कर दिया गया है।

(2) अधिकांश आयकर कार्यालयों में कर्तव्यों के अनुसार कार्य विभाजन की प्रणाली लागू कर दी गई है जिसके अनुसार कर-निर्धारण, कर-वसूली तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है तथा कार्य की प्रत्येक मद को पूरा करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर रखी गई है, जिससे भविष्य में कोई विलम्ब न हो और कार्य की कोई भी मद अधिकारियों के ध्यान में आने से छूट न जाये।

(3) कम आय के मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिये एक योजना लागू कर दी गई है जिसके अनुसार विवरणियों में दिखाई गई आय स्वीकार कर ली जाती है ताकि इन मामलों में हिसाब-किताब आदि की विस्तृत तथा विशद जांच किये बिना ही अनिर्णीत मामलों को समाप्त कर दिया जासके।

(4) आय-विवरणी में दिखाई गई आय के आधार पर, अनन्तिम कर-निर्धारण पर वापसी की मन्जूरी देने के लिये वित्त अधिनियम, 1968 में एक नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार, जिन मामलों में नियमित कर निर्धारण के पूरा होने में कुछ समय लगने की सम्भावना होती है उनमें आयकर-विवरणी तथा संलग्न हिसाब-किताब और दस्तावेजों के आधार-पर किये गये अनन्तिम कर निर्धारण पर कर-दाता वापसी का दावा कर सकते हैं।

(5) कर-निर्धारण करने वाले सभी अधिकारियों को कड़ी हिदायतें जारी की गई हैं कि जहां कहीं आयकर अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेशों के कारण वापसी दी जानी हो, वहां ऐसे आदेशों के साथ वापसी के वाउचर आवश्यक रूप से संलग्न होने चाहिये ।

(6) प्रत्येक कार्य-क्षेत्र के लिये आयकर आयुक्त के कार्यालय में एक शिकायत पुस्तिका रखी गई है, जिसमें निर्धारिती उन मामलों के ब्यौरे नोट कर सकते हैं, जिनमें उन्हें वापसी की मन्जूरी देने में विलम्ब हुआ है । इन शिकायतों को तथा उन शिकायतों को भी, जिन्हें प्रत्येक कार्य क्षेत्र के आयकर आयुक्त के पास पत्रों द्वारा भेजा जाता है, बड़ी शीघ्रता से निपटाया जाता है, तथा वापसी की मन्जूरी दी जाती है ।

(7) विभाग द्वारा हर साल "कर-वापसी सप्ताह" मनाया जाता है जिसके दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों को वापसी के अनिर्णीत मामलों को निपटाने में ही लगाया जाता है तथा वापसी की मंजूरियां दी जाती हैं ।

देशी चिकित्सा प्रणालियां

3576. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी चिकित्सा प्रणालियों यथा आयुर्वेद तथा यूनानी के विकास के लिये कितने राज्यों ने अलग निदेशालय स्थापित किये हैं ; और

(ख) देश में देशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) : पांच राज्य ।

(ख) सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के विकास की प्रोन्नति के लिये उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक योजनाएं चलाई हैं । विकास की यह प्रक्रिया चौथी योजना में भी चलाई जाती रहेगी ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाएं

3577. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये जिलेवार कौन कौन सी योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ख) 1967-68 में इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए कोई जिलेवार स्कीम नहीं बनाई है । इन्होंने जिलेवार राशियों का भी आवंटन नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार विकास शीर्ष के अन्तर्गत योजना स्कीमों पर हुए कुल खर्च के आधार पर उतनी वित्तीय सहायता देती है जितनी कि स्वीकार की गई है ।

Family Planning Programme

3578. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount spent on family planning programme each year during the period from April, 1960 to March, 1968.

(b) whether any arrangements have been made to ensure that the funds and the stores earmarked for family planning are not misused by doctors and intermediary agents connected with Family Planning ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State for Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The yearwise expenditure on Family Planning Programme is given below :-

	(Rs. in lakhs)	
1960-61	70.85	
1961-62	139.31	
1962-63	277.25	
1963-64	217.24	
1964-65	652.36	
1965-66	1199.79	
1966-67	1337.64	(Estimated)
1967-68	2653.01	(-do-)

(b) & (c) Funds for Family Planning programme are provided to (i) State Governments and (ii) to the Local Bodies and Voluntary Organisations by way of grants-in-aid. The allocations to the State Governments are adjusted in the Central accounts only on the basis of the audited statement of expenditure certified by the Accountant General of the State concerned. The accounts pertaining to the grants-in-aid to the Local Bodies and Voluntary Organisations are required to be audited by a Chartered Accountant or a Government Auditor and are always open to inspection by the State Government or the Government of India and also open to test-check by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion. Similarly, the stores are subject to checks and verification. Instructions are also issued for their proper maintenance and utilisation.

Propaganda Adviser to the Indian Embassy, Washington.

3579. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount paid so far to Shri J. N. Ganjoo for his work as Propaganda Adviser to the Indian Embassy at Washington ; and

(b) the educational qualifications of Shri Ganjoo ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Shri J. N. Ganjoo is not Propaganda Adviser to the Indian Embassy at Washington and no amount has been paid to him as Propaganda Adviser.

(b) Shri Ganjoo is an M. A. (Economics) and holds a Diploma in Journalism.

Re-Employment of Retired officials of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development.

3580. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the retired gazetted and not non-gazetted employees of his Ministry and its attached and subordinate offices have been re-employed in autonomous bodies and subordinate offices of his Ministry during the period from April, 1965 to March, 1968 ;

(b) the number of employees and officers who have retired or are likely to retire from his Ministry, its attached and subordinate offices during the period from April, 1968 to March, 1969 ; and

(c) the number of those among them employed or proposed to be re-employed by Government ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, in a few cases where it was in public interest to do so.

(b) and (c) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Income-Tax Payers in Meerut

3581. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of individuals and firms paying Income-tax in the Meerut Districts;

(b) the number of those among them against whom arrears of Income-tax are outstanding ;

(c) the reasons for non-recovery of arrears ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to recover the arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) to (d) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क

3582. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं पर लगे हुए निर्यात शुल्क में जून, 1968 से और कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उससे राजस्व में कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) क्या पटसन उद्योग को (एक) कच्चे पटसन के आयात तथा (दो) संयन्त्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये राजसहायता देने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां। जूट से बनी कुछ वस्तुओं पर 19 जून, 1968 से निर्यात-शुल्क की दर घटा दी गई हैं। जूट से बनी इन वस्तुओं और उन पर शुल्क में की गई घटौती का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। राजस्व की हानि का अनुमान 55 लाख रुपये वार्षिक का है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1695/68]**

(ग) जी, नहीं।

बराहक्षेत्र जल-विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता

3583. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बराह क्षेत्र (कोशु नदी का पहाड़ों से मैदानों में उतरने का स्थान) जल विद्युत परियोजना की सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमता का कोई तकनीकी अनुमान लगाया गया है; उस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा और प्रति यूनिट बिजली की क्या लागत आयेगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नेपाल, उत्तर बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के भू-प्रदेश में विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार ने नेपाल सरकार को इस परियोजना के संयुक्त सर्वेक्षण तथा निर्माण के लिये कहा है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लगभग 20 वर्ष पूर्व कोसी नदी के ऊपर एक बहुत ऊंचा बांध बना कर बराह क्षेत्र में 18 लाख किलोवाट पन-बिजली की एक बड़ी मात्रा को उत्पन्न करने का एक प्रस्ताव था। बाद में एक बिजलीघर के साथ लगभग 450 फुट ऊंचे बांध के लिए 2 मील नीचे की ओर एक स्थल पर अनुसंधान कार्य किया गया। प्रतिकूल भू-भौतिकीय परिस्थितियों के कारण इस स्कीम को छोड़ दिया गया है।

(ग) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

टाटवा तथा खाटवे जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

3584. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटवा और खाटवे जातियां आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक दलित वर्ग हैं;

(ख) क्या इन जातियों के लोग दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा और उत्तर बिहार के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में रहते हैं;

(ग) यदि हां तो क्या इन जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1968 सम्बन्धी (संसद के दोनों सदनों की) संयुक्त समिति इस विषय पर विचार कर रही है।

मंत्रीयों के बिजली तथा पानी के बिल

3585. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में किन-किन मंत्रियों के अपने सरकारी निवास स्थानों में बिजली तथा पानी का खर्च 2400 रुपये की सीमा से अधिक आया था; और

(ख) वर्ष 1967-68 में बिजली तथा पानी के बिलों की वह राशि जो 2400 रुपये से अधिक आई है, किन-किन मंत्रियों द्वारा अदा नहीं की गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1696/68]**

(ख) 1967-68 के दौरान मंत्रियों के निवास स्थानों में पानी तथा बिजली के खर्चे का लेखा अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया जा सका है, क्योंकि खर्चे के ब्यौरे का विवरण अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। अतएव सम्बन्धित मंत्रियों को भुगतान के लिए अभी तक कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये जा सके। इन बिलों को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

गुजरात में पैट्रो-रसायन कारखाना

3586. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ईरान गुजरात में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक पैट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा इस संयुक्त उपक्रम में भाग लेने वालों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके बीच शेयरों का प्रस्तावित आवंटन क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया तेल पाइप लाइन की मरम्मत

3587. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल पाइप लाइन का रिसना अब पूर्णतया बन्द हो गया है;

(ख) क्या पाइप लाइन पहले की तरह काम में लाई जा रही है; और

(ग) मरम्मत के पूरे कार्य तथा उसकी देखरेख की अनुमानित लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 4 लाख रुपये, इसमें विशेषज्ञ मजदूरी, निर्माण उपकरणों और कुछ सामान का खर्च शामिल नहीं है, जिनको सनाम प्रोगेट्टी ने अपने खर्च पर मुहैया किया ।

विमानों का तेल

3588. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना और एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान लाइन्स ने पिछले वर्ष उत्पादित विमानों का तेल लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अस्वीकृति के क्या कारण हैं;

(ग) इस अस्वीकृत ईंधन का कैसे उपयोग किया गया है; और

(घ) इस अस्वीकृत ईंधन की कुल कितनी मात्रा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

योजना सम्बन्धी अधिकतम सीमा

3589. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय योजनाओं तथा 1966–67, 1967-68 में योजना सम्बन्धी अधिकतम सीमा किस आधार पर निश्चित की गई थी; और

(ख) 1968–69 के लिए वह किस प्रकार निश्चित की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयोजना का आकार निर्धारित करने के अर्थ में आयोजना सम्बन्धी अधिकतम सीमाएं, अनिवार्य रूप से अर्थ-व्यवस्था

के लिए सम्भव समझे जाने वाले विकास अनुपात के अनुरूप अतिरिक्त साधन जुटाने की सम्भावना सहित साधनों की उपलब्धि के अनुमान के आधार पर निश्चित की जाती है। इस तरह का अनुमान प्रत्येक पंचवर्षीय आयोजना तैयार करते समय लग या जाता है और उन विचारों और मान्यताओं का, जिनका आयोजना के आकार पर प्रभाव पड़ता है तथा पहली तीन आयोजनाओं के खर्च को पूरा करने की योजना का ब्यौरा सम्बद्ध आयोजनाओं के पत्रों में दिया गया है। 1966–67 और 1967–68 की वार्षिक आयोजनाओं का आकार भी विभिन्न दूसरी कठिनाइयों को, जिनमें दो बार सूखा पड़ने और उसके परिणामस्वरूप आन्तरिक बचतों का संग्रह के काम में रुकावट पड़ना भी शामिल है, ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया था।

(ख) 1968–69 के लिए आयोजना का आकार निर्धारित करते समय जिन विभिन्न बातों को ध्यान में रखा गया है उनका ब्यौरा 1968–69 की वार्षिक आयोजना में, जो संसद में पेश की जा चुकी है, दिया गया है।

राज्यों द्वारा वसूल किये गये कर

3590. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य द्वारा प्रत्येक योजना के आरम्भ में और 1966–67 में तथा 1967–68 में प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के लिए कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1697/68**]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से नियति राशि से अधिक राशि निकालना

3591. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक भारत के रिजर्व बैंक से नियत राशि से कुल कितनी राशि अधिक निकाली गई है;

(ख) उक्त 'ओवर ड्राफ्टों' की सीमा क्या थी;

(ग) राज्य सरकार केन्द्र द्वारा दी गई विकास सहायता तथा अन्य सहायता अन्य प्रयोजनों अर्थात् वेतनों आदि के भुगतान पर, जो उसका एक आवर्ती व्यय है, व्यय की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार इस समय रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि नहीं निकाल रही है।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा दी गई विकास सहायता और अन्य सहायता कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये है जिसमें आवर्ती व्यय भी शामिल हो सकता है। चूंकि राज्यों की हकदारी साल में वास्तविक व्यय के आधार पर निश्चित की जाती है इसलिये पूर्व निर्धारित सहायता को दूसरे प्रयोजनों में लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

ऊंचे मूल्य पर औषधियों और भेषजों की बिक्री

3592. **श्री कवर लाल गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों और भेषजों को उनके सरकार के साथ समझौते की शर्तों या उनके एकस्व कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होने के कारण अधिक मूल्य पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार करार का पुनर्क्षण करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । एकस्व कानून के अन्तर्गत औषधियों और भेषजों के पंजीकरण के समय, सरकार के साथ मूल्यों के बारे में कोई समझौते नहीं किये जाते ।

(ख) ऊंचे मूल्यों का प्रश्न अलग से विचाराधीन है । महत्वपूर्ण भेषजों के मूल्यों के प्रश्न पर टैरिफ आयोग से जांच करने की प्रार्थना की गई है । आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र पेश करेगा ।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी आर्थिक सहायता में कमी

3593. **श्री कवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि अमरीका की सरकार ने अपने विकास ऋण में 2000 लाख डालर की कमी कर दी है और सरकार भारत को 4800 लाख डालर की सहायता नहीं दे सकेगी जैसी कि इसने भारत सहायता सार्थसंघ की बैठक में पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता सार्थ-संघ में अमरीका की सरकार द्वारा भारत को 4800 लाख डालर की सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था । हमारी जानकारी के अनुसार अमरीका के प्रशासन द्वारा विकास ऋण के लिये 7650 डालर की मांग करने पर अमरीका के सीनेट सभा सम्मेलन द्वारा विदेशी सहायता प्राधिकरण विधेयक में विकास ऋण के लिये 3500 डालर की व्यवस्था की सिफारिश की गई है । तथापि अमरीकी विदेशी सहायता विधान के बारे में केवल यही एक कदम उठाया जाना है । अमरीका की कांग्रेस द्वारा अमरीका विदेशी सहायता विनियोजन विधेयक अभी तक पारित किया जाना है । इस समय यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भारत अमरीका से कितनी सहायता प्राप्त करेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

3594. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के कोई प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई दिये हैं;

(ख) इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये अग्रेत कार्यवाही क्या की गई है;

(ग) परिवार नियोजन की दिशा में सरकार के सामने यदि कोइ नई बातें आई हैं, तो क्या; और

(घ) 1968–69 में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से गांधीग्राम, बम्बई कलकत्ता, सिंगूर, चेतला आदि स्थानों पर किये गये अध्ययनों में से कुछ में जन्म-दर की उल्लेखनीय कमी पायी गयी है । अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण न होने के कारण, सीधे परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप जनसंख्या नियंत्रण में हुए परिणामों के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े अभी इतनी जल्दी नहीं दिए जा सकते, फिर भी कुछ जन-विद्याकारों ने अनुमान लगाया है कि अब तक किये गए परिवार नियोजन उपायों के फल-स्वरूप केवल वर्ष 1967–68 में ही 10 लाख से भी अधिक बच्चों का जन्म रोका गया ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) परिवार नियोजन आन्दोलन ने लोगों में छोटा परिवार रखने की आवश्यकता के बारे में बहुत जागरूकता उत्पन्न की है और अधिक-से-अधिक संख्या में लोगों को परिवार नियोजन के अभ्यासों और तरीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ है । निम्न आर्थिक वर्ग में से भी कुछ लोगों ने केवल परिवार नियोजन के तरीकों को ही नहीं अपनाया है, बल्कि उनमें अन्य लोगों के बीच उनका प्रचार करने की भी इच्छा देखी गई है ।

(घ) वर्ष 1968–69 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के वास्ते 37 करोड़ रुपये नियत किए गये हैं ।

विवरण

कार्यक्रम को तेज करने के लिए जो आगामी महत्वपूर्ण कदम उठाये / सोचे जा रहे हैं वे निम्नलिखित हैं :

(1) गर्भपात कानून को उदार बनाना ।

(2) लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु में वृद्धि करना ।

(3) छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहन और बड़े परिवारों के लिए निरुत्साहन ।

(4) जहां तक सम्भव हो सके सचल गाड़ियों के जरिए लोगों के घरों से नजदीक से नजदीक उन्नत सेवाओं की व्यवस्था ।

(5) नये किस्म के गर्भनिरोधकों और गर्भनिरोध के लिए उत्तम किस्म के साधनों का अनुसंधान ।

(6) कुछ चुने गये अस्पतालों में प्रसवोत्तर कार्यक्रम ।

(7) देश के कुछ खास अल्पतालों में गहन कार्यक्रम ।

(8) कुछ प्रसिद्ध और जानी-मानी व्यावसायिक फर्मों के जरिए निरोध (कण्डोम) का वितरण ।

(9) सभी स्तरों पर कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना के साधनों को तीव्र करना । इसके लिए सभी स्थानीय साधनों का प्रयोग किया जाएगा जैसे —भित्ति चित्र, साइकल रिक्शा पर बोर्ड लगाना, होर्डिंग और परम्परागत साधनों का भी प्रयोग किया जायगा जैसे गीत, नाटक, भजन और कीर्तन मंडलियां आदि । नई मनोरंजक फिल्में तैयार करना जिनकी कहानी परिवार नियोजन पर आधारित हो ।

(10) सेवा और प्रोत्साहन, दोनों को, देने के लिए आधुनिक पद्धति, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के व्यक्तिगत चिकित्सा व्यवसायियों का समावेश ।

(11) गांवों में डाक्टरों को कार्य करेने के लिए अधिक संख्या में आकर्षित करने के सम्बन्ध में मैडिकल कालेजों के डीनों/प्रधानाचार्यों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों और भारतीय चिकित्सा परिषद से भी परामर्श किया जा रहा है । ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) इन्टर्नशिप की अवधि में एक वर्ष किसी ग्रामीण केन्द्र में काम करना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए;

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन में दाखिले की यह शर्त कर दी जानी चाहिए कि डाक्टर ने दो साल ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो जिसमें से एक साल परिवार नियोजन और प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य कार्य में लगाया हो ।

(12) सभी स्तरों पर श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए उचित पुरस्कार देने का कार्य शुरू करना ।

रुपये के मूल्य की स्थिरता

3595. श्री स० चं० सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टर्लिंग के मूल्य में उतार-चढ़ाव होने के कारण रुपये पर यदि कोई प्रभाव पड़ा है तो क्या;

(ख) क्या रुपये के मूल्य में विदेशी बाजार में कोई स्थिरता आई है अथवा अब भी उसका और अवमूल्यन किये जाने की मांग की जा रही है; और

(ग) देश में व विदेशों में इस अवमूल्यन के कारण रुपये के मूल्य में कमी होने का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पाउंड स्टर्लिंग के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ से रुपये के सम-मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता ।

(ख) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन विनिमय की सरकारी दर के अनुसार होते हैं, जो निश्चित हैं । विदेशी मुद्रा के अनधिकृत बाजारों में भारतीय रुपये की जो विनिमय दरें बतायी जाती हैं, उनका सम्बन्ध ऐसे लेन-देनों से है जो विनिमय नियंत्रण का उल्लंघन करके किये जाते हैं । चूंकि ये लेन देन केवल सीमान्तिक लेन-देन हैं, इसलिए अनधिकृत विनिमय बाजारों में सूचित की जाने वाली दरों का आर्थिक महत्व सीमित होता है । रुपये का और अवमूल्यन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) किसी मुद्रा विशेष के आन्तरिक मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका पता मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन से चलता है । पिछले वर्ष जिन अनेक कारणों से भारत में मूल्य बढ़े, उनमें से मुख्य कारण यह था कि सूखा पड़ने के कारण कृषि के क्षेत्र को काफी धक्का पहुंचा । देश के आन्तरिक मूल्यों पर रुपये के अवमूल्यन का कितना प्रभाव पड़ा है, इसको अलग से बताना सम्भव नहीं है , पर अवमूल्यन के कारण रुपये का बाह्य मूल्य 36.5 प्रतिशत तक कम हुआ ।

समाज कल्याण कार्यक्रम

3596. श्री स० च० सामन्त : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में समाज कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्विति का सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो वह हमारे कार्यक्रम की तुलना में कैसी है;

(ख) क्या विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल जो विदेशों में समाज कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये जाते हैं; अपने कार्य और अध्ययन के बारे में सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एक नवीनतम प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) चालू वर्ष में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की जा रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समाज कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश नहीं गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चालू वर्ष में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि तथा उनका ब्यौरा 1968-69 के लिए समाज कल्याण विभाग की अनुदानों सम्बन्धी मांगों में, जिन्हें संसद ने स्वीकार किया, दिए गए हैं ।

पांडिचेरी के निकट ओरोविले नगर का निर्माण

3597. **श्री राममूर्ति :**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांडिचेरी के निकट ओरोविले नगर के निर्माण की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस नगर के निर्माण का प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य देशों ने नगर के निर्माण के लिये धन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश ने कितनी राशि दी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मंहगाई को निष्प्रभाव करने के लिये भत्ता

3598. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंहगाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिये उसके अनुरूप भत्ता देने के प्रश्न पर संयुक्त सलाहकार संगठन में विचार किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने की कोई सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यह भी एक मांग है जो सितम्बर, 1968 में हड़ताल करने जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले को बातचीत द्वारा सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) महंगाई भत्ते के पूर्ण निराकरण का प्रश्न संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी-वर्ग की ओर से उठाया गया था और उसे राष्ट्रीय परिषद् को 11 तथा 12 जुलाई, 1968 को हुई बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया था । किन्तु इस प्रश्न पर पहुंचने से पहले ही बैठक स्थगित हो गई । परिषद् की अगली बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा होने की संभावना है ।

(ग) समाचार-पत्रों से पता चलता है कि कर्मचारियों की मांगों में यह भी एक है ।

(घ) और (ङ) चूंकि संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में इस प्रश्न को उठाया गया था और वहां इस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है इसलिए समाचार-पत्रों में जैसा छपा है वैसा आन्दोलनात्मक रुख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाये जाने के लिए कोई औचित्य नहीं है ।

श्वास रोग (दमा) के लिए औषधि

3600. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने श्वास रोग (दमा) को ठीक करने के लिए एक औषधि का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि का परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या-क्या परिणाम निकले है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दमा के उपचार के लिए किसी नयी औषधि का आविष्कार नहीं किया गया है, किन्तु सर्प विष (कोब्रा-वीनम) तथा टाइलोफोरा इण्डिका जैसी कतिपय नयी आशाप्रद दवाइयों का परीक्षण चल रहा है ।

(ग) कुछ रोगियों में इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम पाये गये हैं किन्तु सम्बन्धित सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

3601. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 की तुलना में विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) 1966-67 की तुलना में 1967-68 में निर्यात से हुई आमदनी में 560 लाख डालर की वृद्धि हुई । चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में किये गये निर्यात के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक निर्यात किया गया । दूसरी ओर, 1966-67 की तुलना में 1967-68 में लगभग 1390 लाख डालर का कम आयात किया गया । चालू वर्ष के पहले दो महीनों में आयात का स्तर लगभग उतना ही रहा जितना 1967-68 की इसी अवधि में था । 1966 और 1967 के अप्रेल-जुलाई के महीनों में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ली गयी रकमों को छोड़कर) हुई क्रमशः 1350 लाख और 450 लाख डालर की कमी की तुलना में उसी अवधि में इस वर्ष 80 लाख डालर की कमी हुई । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात और बाहर से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी ही वस्तुएं तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं ।

बम्बई और कलकत्ता में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले

3602. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में बम्बई और कलकत्ता में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के कितने मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मई अथवा जून, 1968 में कलकत्ता में तलाशियां ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो किन आरोपों के कारण ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1967 के दौरान, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघनों के 1052 मामले बम्बई और कलकत्ता में (835 बम्बई में तथा 217 कलकत्ता में) दर्ज किये ।

(ख) 454 मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही चालू की गई, जिनमें से 296 मामलों में वह कार्यवाही पूरी की जा चुकी है । चार मामलों में अदालतों में शिकायतें दायर की गई हैं ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । प्रवर्तन निदेशालय ने मई तथा जून, 1968 दोनों महीनों में कलकत्ता में तलाशियां ली थी । इन तलाशियों का सम्बन्ध निर्यात किये गये माल का बीजक में कम मूल्य दिखाने निर्यात की पूरी कीमत की वसूली में ढिलाई करने, तथा विदेशी मुद्रा के अनधिकृत क्रय, विक्रय, उधार लेन-देन के मामलों से सम्बन्धित थी ।

बम्बई में अपर वैतरना परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

3603. **श्री दामानी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृहद बम्बई के लिये अधिक जल की व्यवस्था करने के लिये अपर वैतरना परियोजना के हेतु विश्व बैंक इस शर्त पर सहायता देने के लिये तैयार है कि यह अनुरोध भारत अरकार के द्वारा किया जाये;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार को महाराष्ट्र सरकार से एक अनुरोध मिला था जिसमें भतसई योजना के अलावा, जिस पर पहिले से ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से बातचीत चल रही है । अपर वैतरणी योजना को भी सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सामने रखने का प्रस्ताव किया गया था । चूंकि इस क्षेत्र की भावी जल पूर्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये

महाराष्ट्र सरकार उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर रही थी। अतः उन्हें यह सलाह दी गई थी कि बाहरी आर्थिक सहायता का प्रश्न तभी पैदा होगा जबकि इस कार्य के लिये सर्वाधिक उपयुक्त प्रबन्ध तय हो जायगा।

देश की आर्थिक स्थिति

3604. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ये सुधार हुआ है तथा अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने में इससे क्या सहायता मिली है; और

(ग) जन साधारण के जीवन निर्वाह व्यय देशनांक में इस सुधार का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। पिछले छः महीनों में आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(ख) औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति उत्साहजनक रही है और खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने के बाद रबी की फसल भी उतनी ही अच्छी हुई। बिलकुल हाल के अनुमानों के अनुसार, रबी की फसल के मुख्य अनाजों की उपज पिछले वर्ष की उपज से 40 प्रतिशत से अधिक हुई है। 1968 की पहली तिमाही के औद्योगिक उत्पादन का, मौसम के अनुसार समायोजित सूचक अंक, 1967 की पिछली तिमाही के मुकाबले 6.7 प्रतिशत अधिक रहा। 1967 की पहली तिमाही की तुलना में भी औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन की इस वृद्धि में अधिकतर प्रमुख उद्योग-समूहों ने हाथ बंटाया है। मशीनें और परिवहन के उपकरण बनाने वाले क्षेत्रों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन की इन अनुकूल प्रवृत्तियों के कारण भाव गिर रहे हैं। पूंजी बाजार में भी सुधार हुआ है :

(ग) उपलब्धि बढ़ने और कीमतें कम होने के कारण अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य का सूचक अंक (1949–100) जो दिसम्बर, 1967 में 214 और जनवरी, 1968 में 220 था, घटकर मई में 212 रह गया।

उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

3605. **श्री दामानी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये किन-किन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है तथा प्रत्येक कारखाने की अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि नेफ्था की कमी होने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी उत्पादन क्षमता का आयोजन किया गया है और उसमें से कितने प्रतिशत नेफ्था पर आधारित होगा तथा कितने प्रतिशत उत्पादन अन्य वस्तुओं से किया जायेगा; और

(ग) क्या 1970–71 तक लगभग 24 लाख टन तथा 1975-76 तक लगभग 50 लाख टन की उर्वरकों की अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विचाराधीन प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं :—

(1) **सरकारी क्षेत्र :**

कोरबा	229,000 मीटरी टन 'एन'
कोठागुडम/रामगुनदाम	229,000 मीटरी टन
नगल विस्तार	152,000 मीटरी टन

(2) **गैर सरकारी क्षेत्र :**

टाटा कैमिकल्स लि० (स्थान मिथापुर)	460,000 मीटरी टन
आक्सीडैन्टल प्रस्ताव (स्थान-विशाखापत्तनम)	140,000
कालिंग ट्यूब्ज लि० (स्थान का निर्णय करना है)	240,000

(ख) जी हां। सरकार को नेफ्था की कमी की सम्भावना का पता है और उत्पादन की योजना इन तथ्यों को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। नेफ्था पर आधारित उत्पादन क्षमता की सही प्रतिशतता कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने पर मालूम होगी।

(ग) जी हां।

दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम के गोदाम से माल का गायब होना

3607. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम के गोदामों से 3,60,000 रुपये के मूल्य की वस्तुयें गायब हैं और 9 करोड़ रुपये की लागत का माल का, जिसमें 2 करोड़ रुपये के मूल्य की तारें भी शामिल हैं, कई वर्षों से प्रयोग नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि माल की देख-रेख तथा उसे जारी करने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी और लम्बे समय से माल की जांच-पड़ताल नहीं की गई है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपलब्धियां क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम द्वारा गोदाम के माल की वस्तुशः जांच करने से 3,60,000 रुपये के माल की शुद्ध कमी का पता चला है। इस कमी की कारणभूत परिस्थितियों तथा लम्बी अवधियों से अप्रयुक्त पड़ी हुई केबलों समेत माल की भी विस्तार रूप से जांच आरम्भ की गई। 1,30,000 रुपये के माल की कमी के सम्बन्ध में जांच कार्य पूर्ण हो गया है और इसके लिये गोदाम विभाग के विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। 9 अधिकारियों को आरोपों की सूची दी गई है, और 8 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया गया है। गोदामों और खरीद प्रक्रिया की पुस्तिका का संकलन करके 1966 में इसे प्रकाशित किया गया। समय-समय पर अनुदेश जारी करके निर्धारित प्रक्रियाओं में और सुधार किया जाता है। पहले उचित रूप में माल की जांच नहीं की जाती थी। गोदाम तथा सामग्री की विविध कमियों की जांच के लिए अप्रैल, 1967 में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया था। विस्तृत जांच के परिणामों का पता लगने पर अन्य कार्यवाही की जाएगी।

शांति बन, नई दिल्ली

3608. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस वर्ष अनुदान रोक ली जाने के कारण शांति बन का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Uplift of Scheduled Castes

3609. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the assistance being given to the Scheduled Castes for their development is generally spent on one or two developing castes amongst them and the remaining castes are deprived of it;

(b) whether it is also a fact that no substantial progress has been made in the uplift of Valmiki caste during the last 20 years; and

(c) if so, the steps being taken by Government for the uplift of all the categories of Scheduled Castes on equal footing ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : The measure in which development facilities, particularly in the field of education, have been absorbed varies from community to community, but it cannot be affirmed that this process has deprived other castes from similar benefit.

(b) Special assessment of progress in respect of individual castes has been undertaken only recently; but special schemes have been in operation for all Scheduled Castes engaged in unclean occupations, and there have made appreciable progress.

(c) Efforts are now being made to identify the most backward Communities; special programmes fo their benefit are likely to be incorporated in the fourth five year plan.

Vasectomy Operation on Kanraran Villagers of District Barabanki, U.P.

3610. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the District Magistrate of Barabanki (U. P.) that all the women of the village Kanraran in that District use loop and all married men have undergone vasectomy operation;

(b) if so, whether such a recourse to wholesale family planning devices will not spell ruin to the village;

(c) the reasons due to which all the men of the village have been subjected to the vasectomy operations;

(d) whether the newly-wed couples in that village have also been subjected to family planning devices; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State for Health, Family Planning & Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b), (c), (d) and (e) According to the information received by the Government, the statement made by the District Magistrate. Barabahki, was not correctly reported in the press. The position, as ascertained from the State Government, is that in the village of Kamrawan (and not Kanraran) which has a population of 350, there are 65 couples within the target couple range, who have 1 to 8 chilren. Of these one person has undergone vasectomy operation and wives of six others have got IUCD insertions, The remaining 58 couples are using conventional contraceptives like Nirodh, foam tablets etc.

Hospitals in Behjoi, District Moradabad (U. P.).

3611. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are two Government Hospitals, one for men and the other for women in Behjoi, District Moradabad (U. P.) but in both of them neither any doctor nor medicines are available for the last about one year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) when Government propose to improve the situation ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

3612. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सीजन तथा नाइट्रोआक्साइड गैसों की कमी के कारण इर्विन अस्पताल (दिल्ली) में हाल ही में प्रतिदिन होने वाले आपरेशन का काम कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अस्पताल के लिये आक्सीजन तथा नाइट्रो-आक्साइड का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में सप्लाई करने वालों से सप्लाई में रुकावट के कारण 29 अप्रैल, 1968 से 1 मई, 1968 तक इर्विन अस्पताल में नाइट्रो-आक्साइड की कमी थी। संभरण कर्ताओं ने जानकारी दी है कि कलकत्ता से गैस की सप्लाई में रुकावट हुई।

(ग) सामान्य तौर पर इर्विन अस्पताल में लगभग 15 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आक्सीजन गैस तथा नाइट्रो आक्साइड गैस का भण्डार रखा जाता है। खाली सिलैण्डर संभरणकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह में दो बार बदले जाते हैं।

आसाम में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

3613. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिये जापानी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये परियोजन प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) आसाम सरकार के कहने पर जापानी विशेषज्ञों द्वारा आसाम में पैट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने के लिये, बनाई गई संभाव्य रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हुई थी। इसकी जांच की गई और भारत सरकार की टिप्पणियां आसाम सरकार को ऐसी कार्यवाही के लिये जिसे वह करना चाहे, भेज दी गई है।

आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना

3614. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार के आसाम में दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी, हां।

(ख) आगामी कुछ वर्षों के लिए आसाम राज्य में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उक्त राज्य में पहले से ही उपलब्ध शोधन क्षमता बहुत काफी हैं। उपभोक्ता

केन्द्रों के समीप स्थित और पाइपलाइनों से कच्चा तेल प्राप्त करने वाली शोधनशाला की निवेश पूंजी और संचालन लागत आसाम में किसी स्थान पर अतिरिक्त शोधनशाला की लागत की तुलना में काफी कम है। उत्पादों को कम खर्चीले सप्लाई क्षेत्रों से बाहर लाने, ले जाने के भाड़े को वर्तमान मूल्य पद्धति के अन्तर्गत वसूल नहीं किया जा सकता और इसलिये शोधन। मार्किट करने वाली कम्पनी पर वित्तीय भार होगा। इसके अतिरिक्त, नई शोधनशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, निकट भविष्य में, आसाम क्षेत्रों से पर्याप्त मात्राओं में कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है।

Soil erosion by Ganga in Patna District

3515. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Soil erosion by the river Ganga has been taking place in the villages in the Diara area under Maner Police Station in Patna District in Bihar for last twelve or thirteen years;

(b) if so, the number and names of the villages affected thereby;

(c) the number of villages affected and the number who have been settled so far in other places;

(d) the arreangements being made to settle the remaining villagers and the time by which they would be settled;

(e) whether it is also a fact that large scale erosion has started this year too consequent to which Nagatola, Jivrakhantola and other villages have been subjected to impending danger; and

(f) if so, the steps being taken to rehabilitate the villagers affected by the erosion in these villages ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Bihar have reported that erosion has been taking place since 1960-61.

(b) The following 24 villages are reported to have been affected:

1. Naika Tola East and West. 2. Ram Nagar. 3. Jumunipur. 4. Badal Tola. 5. Baniya Tola. 6. Naku Tola. 7. Nilkanth Tola. 8. Nagotola. 9. Bhidhar Tola. 10. Bhagar Tola, 11. Rampur-31. 12. Hira Tola. 13. Hathia Tola Bathan 14. Gange Tola 15. Sobarna 16. Sher Bukha Tola 17. Shankerpur Purani Tola 18. Bind Tola 19. Prasad Rai Ka Tola 20. New Diari 21. Lal Bengawa 22. Bagahi 23. Nonia Tola 24, Shankerpur Diara,

(c) The total population affected is about 22,000, out of which about half have been rehabilitated,

(d) Proposals have already been initrated by Anchal Adhikari to rehabilitate the remaining people by acquiring 84.40 acres of land in Madhopur, Sarai Maner, Darwashpur, Sharpur (Dosh Nagar) and Maner itself. It is expected to take about a year to resettle them.

(e) The village Nagatola has been under erosion since the year 1960-61. As regards the village Jivrakhantola erosion of agricultural land is taking place but no house or homestead land of the village is threatened at the moment,

(f) The Block Development Officer, Maner, has already moved the State Government for the rehabilitation of the affected population by acquiring land.

Tenughat Dam in Hazaribagh, Bihar

3616. Srhi Ramavatar Shastri : Will the Minister of Irrigation and Power be please to state :

(a) whether it is afact that the Tenughat Dam in District Hazaribagh, Bihar has collapsed at many places;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the preventive steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : Tenughat Dam has not collapsed at any place. Some boils occurred on 10.7.1968 at a few locations. The area was loaded with filter materials and sand bags and the seepage stopped.

श्री कान्तिलाल-मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध

3618. श्री अब्दुल गनी डार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, बम्बई के एक व्यापारी श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई;

(ख) यह विदेशी मुद्रा किस कार्य के लिये मंजूर की गई;

(ग) उसकी फर्मों के नाम क्या है;

(घ) जिन फर्मों के वह एजेन्ट या प्रतिनिधि रहे हैं, उनके क्या नाम हैं; और

(ङ) क्या श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई या उनकी फर्मों ने इन वर्षों में आयकर का भुगतान किया हैं और यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितना भुगतान किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) श्री कान्तिलाल देसाई को व्यापार के सम्बन्ध में विदेश यात्रा करने के लिए पिछले पांच वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी। हां, जब वह मेरे साथ विदेश गये थे तब उन्हें नीचे लिखे अनुसार विदेशी मुद्रा दी गई थी :

महीना और वर्ष	वे देश जिनकी यात्रा की गयी	दी गई विदेशी मुद्रा की रकम	अवधि (दिन)
नवम्बर-दिसम्बर, 1965	न्यूजी लैण्ड, आस्ट्रेलिया और जापान	23 पौण्ड	21
सितम्बर-अक्टूबर,	ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ट्रिनिडाड, वेनीजुला, जर्मनी और फ्रांस	90 पौण्ड	30
अप्रैल, 1968	फिलिपीन	15 पौण्ड	5

(ग) वह मैसर्स पी० एम० ट्रेडर्स के मालिक है। यह मिल्कियती फर्म है।

(घ) वह किसी भी कम्पनी आदि के अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।

(ङ) पिछले पांच कर-निर्धारण-वर्षों में, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आय पर जो कर दिया उसकी रकम नीचे दी गई है :—

	रुपया
1963-64	41,799.80
1964-65	68,773.00
1965-66	36,805.00
1966-67	33,679.00
1967-68	14,180.00

प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए कम्पनियों द्वारा दिये गये कर के आंकड़े देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

लक्ष्मी कमर्शल बैंक से धन लेना

3619. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चाधिकारियों की सांठगांठ से लक्ष्मी कमर्शल बैंक से जाली तौर पर रुपया निकालने के मामले हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या धन निकालने की रसीदों को केन्द्रीय जांच विभाग के पास भेजा गया है;

(ग) अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में गम्भीर आरोप लगाये है; और

(ङ) क्या वर्ष 1965 में किसी संसद सदस्य द्वारा वित्त मंत्री से कोई शिकायत की की गई थी और यदि हां, तो क्या कोई जांच करवाई गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन नहीं होते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां। आय-कर अपवंचन के उद्देश्य से लक्ष्मी कमर्शल बैंक में कुछ तथाकथित बेनामी निक्षेपों के बारे में जनवरी, 1965 में एक पत्र प्राप्त हुआ था। पूछताछ से पता चला कि यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि ये खाते बेनामी हैं, यद्यपि कुछ बातें ऐसी थी जिससे कुछ जमाकर्ताओं के बारे में संदेह हुआ। जैसा कि 4 मार्च, 1968 को

अतारांकित प्रश्न संख्या 2681 के उत्तर में तथा 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 के उत्तर में बताया जा चुका है, इसके बारे में आय-कर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ताकि यदि कोई आय कर लगाने से रह गया हो तो उसका निर्धारण किया जा सके।

सम्मिश्रण व्यवस्था के लिये लुब्रिकेटिंग मार्केट में नवागन्तुकों को अनुमति

3620. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 16 नवम्बर, 1967 से अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुब्रिकेटिंग मार्केट में नई फर्मों को अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्र सम्मिश्रण व्यवस्था नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुमति प्राप्त करने के लिये नई फर्मों को किन किन शर्तों को पूरा करना होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्योंकि पहले ही देश में ब्लैंडिंग क्षमता काफी है, सरकार नई फर्मों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देना अच्छा नहीं समझती।

फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा उर्वरकों को उधार बिक्री

3621. **श्री विश्वम्भरन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड उर्वरकों को उधार बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या है; और

(ग) मैसूर फर्टिलाइजर्स कम्पनी को फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड किन शर्तों पर उर्वरक बेच रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां वितरकों तथा थोक उपभोक्ताओं को ठेकों के आधार पर।

(ख) साधारणतया बीजक की तिथि से एक महिने का व्यापारिक उधार। इस अवधि के पश्चात 9 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है।

(ग) मैसूर फर्टिलाइजर्स कं० एक वितरक होने के नाते, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत काम करती है।

Confiscation of Properties of Income-Tax Evaders

3622. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the proposal for the prescribing of deterrent penalties like the confiscation of properties of persons evading Income-tax has been finalised ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) Penalty provisions in the Income-tax Act, 1961 have already been amended by the Finance Act, 1968 providing for imposition of penalty ranging from a minimum of 100% to a maximum of 200% of the income concealed in the case of persons evading income-tax.

(c) Does not arise.

Gas in Naharkatia and Moran Oil Wells

3624. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the quantum of natural gas coming out from the oil-well in Naharkatia and Moran in Assam and the quantum which is being used and also the quantum which goes waste ; and

(b) whether it is a fact that only 10 per cent of the gas is likely to be sold and if so, the reasons for which Government could not set up as yet gas-based industries in those regions ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramiah) : (a) During 1967 on an average 1.8 million cumetres of natural gas was produced per day from Naharkatiya and Moran oil-fields of which 0.53 million cumetres was utilised and 1.27 million cu. metres flared.

(b) No, sir. It is proposed to utilise 95% of the gas from these fields and the balance which is very low pressure gas will be flared.

Policy Re. Sale of Petroleum Products

3625. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :-

(a) whether Government have decided to permit dealers of petroleum products to sell without any restrictions the petroleum products of any Company ;

(b) if so, since when ;

(c) whether it is a fact that this type of sale is permitted in all developed countries ; and

(d) whether it is also a fact that certain vested interests are opposed to this policy ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The petroleum dealers obtain petroleum products from the oil companies under direct arrangements with the latter. Government have not issued any instructions in the matter.

(b) Does not aries.

(c) No, Sir.

(d) Government have no knowledge about it.

List of Countries Capable of Providing Economic Assistance to India

3626. Shri Mahraj Singh Bharati : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a list of countries which are capable of giving financial assistance to India along with their respective fields so that contacts may be established with those couatries immediately when the need arose ;

(b) whether Government have prepared a list of such countries also as would give financial assistance on favourable terms and the efforts being made to develop contacts with them ; and

(c) the number of such countries, at present, which accept repayment of loans in rupees ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Government are aware of the various possibilities and sources of external finance and continue to make efforts with the lending countries for softening the terms of lending.

(c) The repayments of loans to USSR and six other East European countries are made in Indian rupees which are USSR for the export of goods from India. In addition, part of the assistance earlier received from USA and Denmark is being repaid in rupees.

नगरों में रहने वाले बेघर व्यक्ति

3627. श्री समर गुह : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरों में रहने वाले बे-घर लोगों की समस्या ने, भारत के कुछ बड़े नगरों में गम्भीर रूप धारण कर लिया है ;

(ख) क्या कलकत्ता में, जहां शरणार्थियों के आने का भारी बोझ पड़ रहा है, यह समस्या बहुत गम्भीर हो गई है ;

(ग) क्या नगरों में रहने वाले बेघर लोगों के आवास के लिए कोई कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने देश के किसी भाग में कोई योजना बनाई है, अथवा किसी राज्य की सहायता की है ; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों द्वारा पटरियों का प्रयोग किये जाने और इस सामाजिक तथा स्वच्छता सम्बन्धी समस्यायें पैदा करने की बजाय उनके लिए "रैन बसेरों" का निर्माण करने की अथवा इस प्रयोजन के किसी राज्य की सहायता करने की कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) किसी भी राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को यह सूचना नहीं दी है कि नगरों में रहने वाले बेघर लोगों की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने समाज कल्याण विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है।

(ग) समाज कल्याण विभाग के पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

(घ) समाज कल्याण विभाग के पास रैन बसेरों की कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय के पास पटरियों पर रहने वालों के लिये राज्य सरकारों द्वारा रैन बसेरे बनाए जाने सम्बन्धी एक योजना है। भारत सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय) राज्य सरकारों को प्रयोजना पर खर्च के 50 प्रतिशत तक कर्ज के रूप में तथा खर्च का 37.1/2 प्रतिशत उपदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है। खर्च की शेष 12.1/2 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें स्वयं देती है।

गांव में बिजली लगाना

3628. श्री रवि राय : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मार्च में केन्द्रीय बिजली परिषद की बैठक में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि एक लाख गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्य की अवधि को 1969 की गांधी शताब्दी से बढाकर अक्तूबर, 1970 तक कर दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जैसाकि 19 फरवरी, 1968 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 1130 के उत्तर में बताया गया था, 2 अक्तूबर 1969 तक 1 लाख गांवों में बिजली देना सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि एक तो धन की कमी है और दूसरा ग्राम विद्युतन स्कीमों में अब जोर दूसरी ओर दिया जा रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री ने केन्द्रीय बिजली सलाहकार परिषद की बैठक में यह सुझाव दिया था कि 2 अक्तूबर, 1970 तक, जो कि गांधी जी की शताब्दी का अन्तिम दिवस है, 1 लाख गांवों की बिजली देने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए।

Allotment of Accommodation in the Theatre Communication Barracks, New Delhi

3629. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the names of the associations which had been allotted rooms in the Theatre Communications, Barracks Cannaught Place, New Delhi as on the 1st July, 1968;

(b) the area of the accommodation allotted to each association and the rent fixed therefor;

(c) the arrear of rent to be paid by each association as on the 1st July, 1968 ; and

(d) the policy of Government in regard to allotment of rooms to private associations in the said Barracks ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) A statement is laid on the table of the House. [Placed in the Library See No. L. T. 1698/68]

(d) Allotment of Office accommodation to associations is made only in special circumstances on the merits of each case, particularly keeping in view the usefulness of the organisations in the Social, Cultural, Educational etc. fields.

सोन बान्ध परियोजना

3630. श्री हिम्मतसिंहका :(क) क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोन बांध परियोजना के बारे में क्या प्रगति हुई है, और उसको क्रियान्विति पर कितनी राशि व्यय की गयी है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की आशा है ;

(ग) इस परियोजना के पूरे हो जाने पर कितनी भूमि में सिंचाई होगी ; और

(घ) इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है ; इसमें वर्तमान नहर प्रणाली का पुनर्रूपण और नये बराज तथा आनुषंगिक कार्यों का निर्माण शामिल है। पूर्वी और पश्चिमी उठान बांधों में कुछ मिट्टी का कार्य शेष रह गया है। इसे इस वर्ष की मानसून के बाद पूरा कर दिया जायेगा। अभी तक 15 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) 3.07 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधाएं देने के अलावा यह परियोजना 7.3 लाख एकड़ के वर्तमान कमान को जल की सप्लाई सुनिश्चित कर देगी।

(घ) कोई निर्धारित केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई किन्तु इस परियोजना के लिए आई०डी० ए० से 150 लाख डालर के ऋण का प्रबन्ध किया गया जिसे पूरी तरह से बांट दिया गया है।

सरकारी उपक्रम

3631. श्री हिम्मत सिंहका : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962-63 से वर्ष 1965-66 तक केन्द्रीय आर्थिक उपक्रमों की आय में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है तथा वर्ष 1966-67 और 1967-68 में आय के बदले घाटा हुआ है और यह घाटा बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1962-63 से 1967-68 तक प्रति वर्ष इन उपक्रमों में कितनी विशुद्ध आय हुई है ; और

(ग) इन उपक्रमों में घाटे होने तथा आय होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का संकेत केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रमों के काम की ओर है। इन उपक्रमों के काम का सही मूल्यांकन करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के उन संस्थानों या उपक्रमों को जो विकास के विभिन्न दौरों में हैं, इकट्ठा करना ठीक न होगा।

चूंकि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों ने अभी तक 1967-68 के खाते बन्द नहीं किये हैं, इसलिये उस वर्ष की लाभ-हानि की स्थिति अभी मालूम नहीं है। जहां तक 1962-63 से 1966-67 तक के पिछले वर्षों का सम्बन्ध है, तत्सम्बन्धी स्थिति संलग्न पत्र में दी गयी है। इस पत्र में निर्माणाधीन उपक्रम, (जिनके बारे में स्पष्टतः लाभ हानि का सवाल पैदा ही नहीं होता) तथा जीवन बीमा निगम (जिसके कामकाज तथा लाभ निर्धारित करने के तरीके अलग है) शामिल नहीं किये गये हैं। इन आंकड़ों से किसी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता।

(ग) जहां कहीं सरकारी उपक्रमों को हानि हुई है, उसके ऐसे कई कारण हैं, जिनका प्रभाव समूची अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा है, जैसे इन्जीनियरी उद्योगों में मंदी, उत्पादों की मांग में कमी तथा दूसरे खास तकनीकी कारण अर्थात् मशीनों में खराबी हो जाना, बिजली फेल हो जाना या पूरी क्षमता से कम काम होना।

विवरण

1. **हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड :** इसे 1962-63 और 1963-64 में क्रमशः 24.0 करोड़ रुपये तथा 5,00 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई। 1964-65 और 1965-66 में कम्पनी को क्रमशः 3.79 करोड़ रुपये और 2.31 करोड़ रुपये का थोड़ासा लाभ हुआ जबकि 1966-67 में 19.81 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।

2. **अन्यय चालू उपक्रम :** 1965-66 तक, इन उपक्रमों से शुद्ध लाभ हुआ। 1962-63 से लेकर 1965-66 तक के वर्षों में क्रमशः 14.8 करोड़ रुपये, 18.0 करोड़ रुपये, 16.7 करोड़ रुपये तथा 7.9 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। लाभ कमाने वाले उपक्रमों को 1966-67 में कुल 30.83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जबकि पिछले वर्ष 15.85 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। लेकिन बाकी उपक्रमों को कुल मिलाकर 32.63 करोड़ रुपये की हानि हुई जब कि पहले के वर्षों में 7.9 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

3. **प्रवर्तन और विकास सम्बन्धी उपक्रम :** 1962-63 और 1963-64 में इन उपक्रमों को सात-सात लाख रुपये, 1965-66 में 1.29 करोड़ रुपये तथा 1966-67 में 11.38 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। केवल 1964-65 में ही 4.03 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।

4. **वित्तीय संस्थाएं :** इन संस्थाओं को 1962-63 से लेकर 1966-67 तक के वर्षों में क्रमशः 0.09 करोड़ रुपये, 1.31 करोड रुपये 0.08 करोड़ रुपये, 0.05 करोड़ रुपये और 0.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

ऊपर बताये गये शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि के आंकड़े, मूल्यह्रास, ब्याज और कर की रकमें घटाने के बाद जहां ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक हो, के है ।

दिल्ली में आयकर की राशि वापस करने के मामले

3632. **श्री हेमराज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) दिल्ली सर्कल में आय के स्रोत पर लिए जाने वाले लाभांश में से पिछले पांच वर्षों में अविभक्त हिन्दू परिवारों के आय-कर वापसी के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) इन्हें कब तक निपटाने का इरादा है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली के आय-कर परिमण्डलों में ऐसे कोई मामले पिछले पांच वर्षों से बकाया नहीं पड़े हैं, जिनमें लाभांश से स्रोत पर काटे गये आयकर की अविभाजित हिन्दू परिवारों को कर की वापसी निहित हो ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-बैंकिंग कम्पनियां

3633. **श्री हेमराज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-बैंकिंग कम्पनियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) जनता द्वारा उनमें अब तक कितना धन लगाया गया हैं और वे कम्पनियां उस पूंजी पर सामान्यतः किस दर से ब्याज देती हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1966 को भारत में 26,721 गैर-बैंकिंग कम्पनियां थीं । इन में से 2357 कम्पनियों को 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 283.41 करोड़ रुपया जनता से प्राप्त हुआ ।

मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स

3634. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मन्त्री 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन न भेजने के कारण ब्रिटिश फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रादर्स और इसकी सम्बद्ध फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) फर्म 'मेसर्स चमनलाल एण्ड ब्रादर्स' तथा उसकी सहयोगी फर्मों ने अभी तक उक्त ब्रिटिश फर्म के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि उन्हें मुकदमें बाजी से अलग रहकर समझौते की कोशिश करने की सलाह दी गई प्रतीत होती है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशक ने मैसर्स चमनलाल एण्ड ब्रदर्स तथा उसकी सहयोगी फर्मों के खिलाफ न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी कर ली है किन्तु सम्बन्धित पक्षों ने दिल्ली के उच्चन्यायालय से ऐसा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है कि जब तक उच्चन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिट याचिकाओं का फैसला नहीं हो जाता तब तक प्रवर्तन निदेशक पर अन्तिम आदेश जारी नहीं करने की रोक लगी रहेगी। अतः न्यायानिर्णय आदेश अभी रोके रखे गये हैं।

Tax evasion by the Ex-Chief Minister of Orissa

3635. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 336 on the 17th November, 1966 and state :

(a) wether the enquiry about tax evasion by the ex-Chief Minister of Orissa and by the companies and firms connected with him has since been completed ;

(b) if so, the amount of tax recovered from them ; and

(c) the progress made in respect of the petitions filed by the Ex-Chief Minister of Orissa in High Court/Supreme Court ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Some of the assessments in this group have been completed, but enquiries are still pending in others. The assessments of some companies are held up, because of injunctions issued by the High Court.

(b) The demands raised in the assessments that have been completed, could not be collected because of the injunctions issued by the High Court.

(c) The High Court has issued injunctions on the petitions of the assessee, restraining the Department from proceeding further in the matter. The Department's petitions for vacating these injunctions are pending. One petition of the Department was rejected by the High Court in April, 1967. The Department has appealed to the Supreme Court against the order of the High Court. The appeal has not yet come up for hearing.

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल

3636. **श्री मधु लिमये :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर निर्धारण वर्ष 1959-60 के सम्बन्ध में मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल पर किया गया 8,22,111 रुपये का जुर्माना इस बीच वसूल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस रकम की वसूली रोक दी गई है, क्योंकि जिस कर-निर्धारण के आधार पर यह दण्ड लगाया गया था, वह अपील में रद्द कर दिया गया हैं। इसी बीच निर्धारिती ने पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। इस स्थगन आदेश को हटवाने के लिए उच्च न्यायालय से प्रार्थना करने की कार्यवाही की जा रही है।

Payment of Goa Compensatory Allowance to Government Employees

3637. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central and State Government employees in Goa are getting 8 per cent of their basic pay in the form of "Goa Compensatory Allowance" after the liberation of Goa ;

(b) if so, the services for which and the circumstances under which Government are paying the aforesaid 8 per cent of basic pay and the Head under which this expenditure is being incurred ;

(c) whether it is also a fact that the payment of the aforesaid allowance is going to be stopped with effect from the 1st October, 1968 ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether such an action on the part of Government runs counter to the Fundamental Rule No. 9 (5) and the Rule 2 of Finance Regulations of India Part I ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Yes, Sir. Central Government employees and employees of Goa, Daman & Diu in the Central scales of pay, were sanctioned a special compensatory allowance at 8% of pay, subject to a minimum of Rs. 17.50 and maximum of Rs. 75 per month. The allowance was sanctioned in view of the difficult and unsettled conditions prevailing in the Territory after liberation and was admissible at the above rate upto 31st March, 1967. Thereafter, it is being gradually withdrawn and will cease completely from 1-10-1968. The head of account of this expenditure would depend on the categories of the employees concerned and the Department to which they belong.

(d) Indefinite continuance of Goa Compensatory Allowance, which was granted in a special situation, was not considered justified, as conditions in Goa had settled down and the lead Union Territory had to be brought on par with the rest of the country in the matter.

(e) No, Sir. Fundamental Rule 9 (5) and Rule 2 of the Financial Regulations contain only a definition of the term 'Compensatory Allowance'.

रामगंगा परियोजना के स्थान से इस्पात और सीमेंट का गायब हो जाना

3638. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा बहुप्रयोजनीय परियोजना के स्थान से कई लाख रुपये का इस्पात और सीमेंट गायब हो गया है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि गायब इस्पात और सीमेंट के गायब होने अथवा गोलमाल के लिए परियोजना अधिकारी जिम्मेदार है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार इस मामले पर अभी जांच कर रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है ।

(घ) इस मामले की अन्तिम रिपोर्ट उन से प्रतीक्षित है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी आवश्यकतायें

3639. श्री जगेश्वर यादव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की सिंचाई तथा विद्युत की आवश्यकताओं का अनुमान लगाये और उनके विकास के लिए एक वृहत योजना तैयार करें;

(ख) क्या राज्य सरकार अब ऐसी योजना तैयार कर रही है ; और

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ऐसी वृहत योजना क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता देगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जून, 1968 में केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री ने जो उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों का दौरा किया था वहां उन्होंने यह सुझाव दिया था कि उस क्षेत्र की कुछ सिंचाई व बिजली स्कीमों का अनुसन्धान किया जाए ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल, अलमोड़ा, गढ़वाल, टेहरीगढ़वाल और चमोली उत्तरकाशी और पिथोरागढ़ जिलों की सिंचाई की आवश्यकताओं को आंकने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति निर्मित की है । इस समिति ने अभी तक अपने सुझावों को अन्तिम रूप नहीं दिया । राज्य सरकार ने अपनी बिजली सम्बन्धी योजना में पहाड़ी इलाकों के लिए दो बिजली स्कीमों नामशः लघु पन-बिजली स्कीमें और उत्तर खण्ड स्कीमें

को पहले से ही शामिल कर लिया हुआ है। इनके लिये 1968-69 के दौरान क्रमशः 17 लाख और 30 लाख रुपयों का प्रबन्ध किया हुआ है।

(ग) सहायता किस प्रकार की होगी, इस का निश्चय राज्य सरकार की चौथी पंच वर्षीय योजना और अपनाई जाने वाली सहायता पद्धति के अनुसार किया जाये।।।

Investigations into Complaints of Farmers against Electricity Department, U. P

3640. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6564 on the 8th April, 1968 and state:

(a) the reasons for not giving the information, district-wise regarding the number of complaints in respect of all the districts during the period from the 3rd April to 31st December : 196·;

(b) the reasons for completing the investigation of only 75 co nplaints out of 200 and the time by which the investigations in respect of the remaining 125 complaints would be completed; and

(c) the reasons as to why the charges could not be proved in these 75 cases of complaints and the names, designations and addresses of those against whom complaints have been received ?

The Deputy Minister in the Ministery of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) As the district-wise details of the complaints were not being maintained by the UP State Electricity Board, This material could not then be furnished in reply to Unstarred Question No. 6664 on 8th April, 1968.

(b) Investigations were completed in 75 complaints since the complaints were of such a nature as could enable earlier finalisation of the investigations, The Board expects to complete investigations in respect of the balance 125 cases in about 3 months.

(c) Charges could not be provded in 75 cases as the complaints were of a general nature and were not substantiated. A list showing district-wise details of the complaints received during April to December 1967 is given in the statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 1699/68]**

Industrial Estates in Certain Districts of Uttar Pradesh

3641. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1662 on the 6th May, 1968 and state.

(a) the progress so far made in regard to the establishment of Industrial Estates in Badaun, Ballia, Ghazipur, Gonda and Rae-Bareilly by the Harijan and Social Welfare Department of the U. P. Government;

(b) the amount likely to be spent on the establishment of these five Industrial Estates; and

(c) the number of Harijans likely to be be.efited thereby ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) The Industrial Estate at Badaun is complete and functioning; the Estates at Ghazipur and Gonda are nearing completion. The construction of Industrial Estates at Ballia and Rae Bareilly is yet to commence.

(b) Rs. 15 00 lakhs.

(c) About 700.

Rehabilitation of Residents of Gorakhpur Villages

3642. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9624 on the 6th May, 1963 and state :

(a) whether the requisite information regarding the rehabilitation of residents of Gorakhpur villages has since been collected from the State Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministery of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir,

(b) Population and land of 30 villages partially, and cultivable land of 90 villages partially, have gone to other villages consequent on Rapti, Ghagra and Rohin rivers changing their original courses. No changes took place in the courses of Gorra and Kauno rivers.

The residents of villages badly affected were rehabilitated by the State Government by acquisition of land. The rest were rehabilitated in Goan Sabha Land or in their own safe land.

(c) Does not arise.

Land in Possession of Public Undertaking in Gorakhpur

3643. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8764 on the 29th April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding land in possession of each public undertaking in Gorakhpur has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the causes of delay ?

The Deputy Minister in the Ministery of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L. T. 1700/68**]

(c) Does not arise.

गैर-परियोजना ऋण

3644. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को गैर परियोजना ऋण की अधिकांश राशि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से मिल रही है जो विश्व बैंक का सुलभ ऋण सम्बन्धी संगठन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ऋण के प्राप्त करने की अधिक सम्भावना नहीं है क्योंकि अमरीकी कांग्रेस द्वारा वैधानिक स्वीकृति देना स्थगित कर देने के फलस्वरूप इस संस्था की निधियों में धन का आना बन्द हो गया है; और

(ग) क्या इससे चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अपेक्षित कुल विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, 1966–67 में कुल 9000 लाख डालर की गैर-प्रायोजना सहायता में से 2150 लाख डालर के दो गैर प्रायोजना ऋण दिये थे। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, 1967-68 में कोई गैर प्रायोजना ऋण नहीं दिया था।

(ख) यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की लगातार ऋण देने की क्षमता, उसकी रकमों की पुनःपूर्ति पर निर्भर है, पर विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को 12000 लाख डालर तक विशेष अंशदान देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार, इस वर्ष के उत्तर भाग में संघ को उपर्युक्त रकम मिलने लगेगी।

(ग) यदि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को वर्ष के अन्त तक भी यह रकम प्राप्त न हुई, तभी इस विषय पर विचार करना पड़ेगा।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों का भुगतान स्थगित करने की काम चलाऊ व्यवस्था

3645. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के वस्तुतः देश से बाहर जाने को रोकने के लिए विश्व बैंक ने भारत की उस बैंक को ऋणों का भुगतान स्थगित करने के लिए काम चलाऊ व्यवस्था करने और भारतीय रिजर्व बैंक में पुनर्दत्त ऋण को रखने की अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में यह व्यवस्था जारी रहने की संभावना है, और

(ग) क्या भविष्य में विश्व बैंक के ऋणों की अदायगी के लिए कोई दीर्घकालीन वैकल्पिक प्रबन्ध किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

विश्व बैंक ने 1967-68 में भारतीय रिजर्व बैंक में 4.5 करोड़ डालर की रकम विशेष जमा के रुप में रखी थी। यह रकम 1967-68 में विश्व बैंक को चुकायी गयी मूल की रकमों के बराबर थी।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने 1967-68 के लिए 1.5 करोड़ डालर और 1968-69 के लिए भी 1.5 करोड़ डालर की ऋण-शोधन-सम्बन्धी सहायता देना स्वीकार कर लिया है। विश्व बैंक भारत सहायता संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ 1969–70 के लिए दी जाने वाली ऋण-शोधन-सम्बन्धी सहायता में अपने अंश के बारे में विचार करने के लिए भी तैयार हैं।

जहाँ तक 1967–68 के लिए 1.5 करोड़ डालर की ऋण-शोधन-सम्बन्धी सहायता का प्रश्न है, चूंकि भारत सरकार ने पहले ही ऋण चुका दिया है, इसलिए विश्व बैंक ने विशेष जमा में से उतनी ही रकम भारत सरकार को वापस कर दी है। 1968-69 के लिए, विश्व बैंक ने मूल रकम में से, कुल 1.5 करोड़ रुपये की कुछ वापसियों को दस वर्ष की अवधि के

लिए स्थगित करना स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, विश्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गयी अपनी विशेष-जमा में से चालू वर्ष में 1.5 करोड डालर की रकम निकाल लेगा ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर बकाया राशि

3646. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपनी बकाया राशि वसूल न होने के कारण कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों पर मुकदमे चला रही हैं; और

(ख) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर राशि बकाया है और कितनी कितनी तथा सबसे पुरानी बकाया राशि किस वर्ष की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भू-राजस्व के बकाया किराये के देयों की वसूली करने के लिए पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अन-आथराइज्ड आक्यूपेन्टस) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत 11 भूतपूर्व संसद सदस्यों के मामले में कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

(ख) 30 जून, 1968 के अन्त तक उन भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की संख्या जिन पर कि किराया बकाया है तथा देय राशि निम्नांकित है : —

	संख्या	राशि
(i) भूतपूर्व संसद सदस्य	227	1,44,104.84 रुपये
(ii) भूतपूर्व मंत्री	7	5,676.69 रुपये

सबसे पुराना मामला 1949 का है ।

Rou e of Canal From Kalagarh to Bijnor and Muradabad U. P.

3647, **Shri Prakashvir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether hehas received certain memorandum about deciding the route of the canal from Kalagarh to Bij ior and certain parts of Moradabad;

(b) if so, the action taken thereon;

(c) whether it is also a fact that the length of the canal has increased by several miles as its passage is not striaght; and

(d) if so, whether the fixing of the route of the canal is being reconsidered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been disc. ssed with the Project Authorities.

(c) Yes, Sir. The alignment adopted gives the length of the Ramganga Feeder Channel as 51 miles as compared to 39 mil :s if a straight alignment were to be adopted.

(d) The State Government have reported that the alignment approved is most economical. Howe er the Project Engineer has been requested to re-examine the matter.

करेंसी नोटों का छोटा आकार

3648. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि करेंसी नोटों का आकार छोटा करने के पश्चात कागज की खपत में कितनी बचत हुई है तथा यह बचत करेंसी नोटों के आकार को छोटा करने से पहले की अनुमानित बचत की तुलना में कितनी अधिक है अथवा कम ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : छोटे आकार के करेंसी नोट चलाने से 1967-68 में नोटों के उत्पादन में कागज की खपत में लगभग 390 मेट्रिक टन की बचत हुई है। उत्पादन के इस स्तर के लिये जितनी बचत का अनुमान लगाया गया था यह बचत उतनी ही है।

आय-कर दाता

3649, श्री हेमराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30 000, 50,000, 70,000 रुपये तथा इससे अधिक वेतन और गैर वेतन वर्गों के करदाताओं की 31 जुलाई, 1968 तक संख्या कितनी-कितनी थी तथा उन पर कितना-कितना कर निर्धारित किया गया था; और

(ख) हिन्दू अविभक्त परिवारों के अन्तर्गत उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वेतन पाने वाले तथा वेतन न पाने वाले वर्गों के करदाताओं की 31 जुलाई, 1968 तक संख्या कितनी-कितनी थी तथा उन पर कितना-कितना कर निर्धारित किया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : वेतन पाने वाले और वेतन् नहीं पाने वाले विभिन्न वर्गों के निर्धारितियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु 1964-65 में विभिन्न आय खण्डों में जो कर निर्धारण पूरे किये जा चुके है उनकी संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध है और वह अनुबन्ध में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1701/68]**

ऋषिकेश स्थित "एन्टीबायोटिक फैक्टरी"

3650. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या पैट्रोलियन और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋषिकेश स्थित एन्टीबायोटिक फैक्टरी में बनाई जाने वाली दवाइयों के लिए प्रति वर्ष कितने मूल्य के पदार्थ आयात किये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में ऐसे पदार्थ उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका आयात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) परियोजना रिपोर्ट में शामिल सभी अन्टीबायोटिक्स के उत्पादन के लिये आयात की जाने वाली सामग्री के लिये 87 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अपेक्षित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pre-Fabricated Flats Constructed by Delhi Development Authority.

3651. **Shri Raguvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health, Family planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of pre-fabricated flats constructed by the Dehli Development Authority in Delhi so far;

(b) the number of such flats sold so for; and

(c) the reasons for wich the remaining flats have not been sold ?

The Deputy Minister in the Ministery of Health Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Construction of 88 Pre- fabricated flats has been completed in Bhim Nagari (Safdarjang Residential Scheme Block 'C' 208 pre-fabricated flats in the above scheme are under construction and are likely to be completed by December, 1968.

(b) 15 flats have been allotted.

(c) 72 pre-fabricted flats were advertised for allotment to persons in the middle income group and the time given for the receipt of applications was from 8th May to 6th June 1968. 34 applications were received, out of which 3 applications have been rejected since the applicants did not deposit the earnest money as required under the terms and conditions. The Delhi Development Authority while reviewing the response of the public to these pre-fabricated flats decided that these flats may also be offered on hire-purchase basis where in 30/- of the total cost may be recovered on allotment and 70/- in equated monthly instalments over a period of 7 years. It was also decided that the above offer of hire-purchese may be given to the persons who have already applied in response to the earlier advertisement on cash down basis. The applications already received are under scrutiny and allotment will be made shortly. The remaining flats are being advertised for allotment to persons in the middle income group on hire-purchase basis.

Foreign Exchange given to M/S Sara Bhai Chemicals Limited.

3652 **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to M/s Sara Bhai Chemicals, Karam Chand Prem Chand (P) Ltd. during the last five years and the amount of foreign exchange earned by the company during this period;

(b) the amount paid by the company to the Central Government as income-tax and the amount still outstanding and the steps taken by Government to realies the arrears;

(c) whether it is a fact that the company has set up several firms in different names to evade income-tax where as these are actually owned by one individual; and

(d) whether Government propose to conduct a secret enquiry in to the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) For the assessment years 1963-64 to 1967-68, the company has paid a total tax of Rs. 321.4 lakhs. No amount is outstanding from the company. The question of taking steps to realise arrears does not, there fore, arise.

(c) M/s Karam Chand Prem Chand (P) Ltd. is the main company and it has a number of manufacturing divisons. The income of the main company includes the income of these divisions also. There is no information of tax evasion by this company.

(d) Does not arise in view of the position stated in part (c) above.

Excise Sub-Inspector, Reva.

3653 **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9764 on the 6th May, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that when some officers of the Excise Department from Delhi and Allahabad inspected the Raya area of Mathura District on the 20th June, 1968, the Chairman of the Sadachar Samiti, Shri Behari Das, demanded an immediate inquiry into the charges of having accepted a bribe levelled against the Excise Sub-Inspector, Raya;

(b) If so, the findings of the enquiry, if any, held by the Government at that time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) An Inspecting officer of the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) from Delhi and another from the North Regional Unit of the Directorate from Allahabad visited Mathura on the 20 June, 1968, in connection with certain enquiries. They were contacted by Shri Banarsi Das, Chairman, Sadachar Samiti who handed over to them a copy of a complaint alleging acceptance of bribe by the Sub-Inspector, Raya, and requested for an immediate enquiry.

(b) The Inspecting Officer enquired into the allegation and amongst others examined the alleged complainant who, however, denied having written the complaint. The complaint was thus pseudonymous. But even then the Collector of Central Excise, Kanpur, was asked to make a thorough enquiry into the allegations. His enquiry revealed that the allegation could not be substantiated.

Another complaint was received in the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) against the Sub-Inspector, Raya. This was also pseudonymous and the enquiries were again got conducted through the Collector of Central Excise, Kanpur, but the allegation were found to be baseless.

(c) Dose not arise.

Tax Arrears due from certain Dalmia-Jain Group of Companies

3654 **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5014 on the 25th March, 1968 and state :

(a) the reasons for not realising the arrears of Rs. 3.23 lakhs from M/s Bennet Coleman and company Ltd., Rs. 28.29 lakhs from M/s Bharat Nidhi Ltd., and Rs. 21.00 lakhs from Sahu Jain Ltd;

(b) whether it is a fact that these arrears are not being realised in time and the enquiry againts them has not been completed for the last 10 years as the Income-tax authorities are in collusion with these companies; and

(c) whether Government have appointed new income-tax officer in place of old ones to look into the matter and the number of times such changes were made; and

(d) if not the reasons therefors ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Moraaji Desai) (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Government Hospitals in District Pauri Garwal

Shri Ram Charan : will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7070 on the 15th April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding Government Hospitals in District Pauri, Garhwal, has since been collected from the State Government;

(b) if so, when it would be laid on Table and;

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister for Health Family Planning and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) No.

(b) The information, when received, wil be laid on the table of the Sabha.

(c) The information is awaited from the State Government.

नेफ्था का निर्यात

3656. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या पैट्रोलियम और रासायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चा माल नेफ्था को, जिसकी पैट्रो-रसायनिक उद्योगों के विकास के लिए आवश्यकता है, देश में उद्योगों का विकास करने की अपेक्षा बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1964 से 1969 तक की अवधि में वर्षवार और देशवार कितने नेफ्था का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के हेतु चौथी योजना अवधि में इस उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रासायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : देश की आवश्यकताओं से फालतू नेफ्था का 1964 से निर्यात किया जा रहा है। एक विवरण पत्र, जिसमें नेफ्था का देश-वार निर्यात दिखाया

गया है, सभा पटल पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1702/68]

(ग) और (घ) : सरकार नेफ्था पर आधारित रासायन उद्योगों के विकास के बारे में पूर्णतया जागरूक है और इस समय एक कार्यकारी दल 14.69 से चालू होने वाली चौथी योजना के लिए कार्यक्रम बना रहा है।

तराई वाले जिलों में मलेरिया और अन्य रोग

3657. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सीमा के साथ लगते तराई वाले जिलों में मलेरिया अठर आंत्र शोथ और चेचक के रोग की घटनाओं में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष में जिलेवार कुल कितनी धन राशि नियत की गयी है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० वृ० मूर्ति) (क) जी नहीं, जहां तक मलेरिया तथा चेचक का सम्बन्ध है। जहां तक आन्त्र-शोथ का सम्बन्ध है, यह रोग उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अधिसूचय नहीं है तथा इसके आकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चालू वित्त वर्ष में नियत की गई राशि का ब्यौरा सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1703-68]

मैसर्स रेमिंगटन रैण्ड आफ इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड

3658. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मैसर्स रेमिंगटन रैन्ड आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई;

(ख) इसी अवधि में इस फर्म पर कितना आयकर निर्धारित किया गया और कितना वसूल किया गया; और

(ग) इस समय उसकी और बिना विवाद वाले आयकर की कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) किसी फर्म अथवा कम्पनियों के समूह को दी गई विदेशी मुद्रा भिन्न-भिन्न रूपों में, अर्थात आयात लाइसेन्सों के

रूप में, विदेशों में व्यापार सम्मेलनों में भाग लेने के लिए तथा यात्रा के लिये स्वत्वाधिकार और तकनीकी फीस की अदायगी के लिये, लाभ की रकम भेजने के लिये तथा विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिये होती है। सरकार द्वारा अथवा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को मंजूर की गयी विदेशी मुद्रा के ब्यौरे फर्म-वार संकलित नहीं किये जाते हैं और अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है। मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेन्सों के ब्यौरे "औद्योगिक लाइसेन्स और आयात एवं निर्यात लाइसेन्स की सप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी जाती है।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

मैसर्स गोदरेज टाइपराइटर्स

3659. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मैसर्स गोदरेज टाइपराइटर्स मैनुफैक्चरर्स को कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई;

(ख) इसी अवधि में इस फर्म पर कितना आयकर निर्धारित किया गया और कितना वसूल किया गया; और

(ग) इस समय उसकी ओर बिना विवाद वाले आयकर की कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) किसी फर्म अथवा कम्पनियों के समूह को दी गई विदेशी मुद्रा भिन्न-भिन्न रूपों में, अर्थात आयात लाइसेन्सों के रूप में, विदेशों में व्यापार सम्मेलनों में भाग लेने के लिए तथा यात्रा के लिये स्वत्वाधिकार और तकनीकी फीस की अदायगी के लिये, लाभ की रकम भेजने के लिये तथा विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिये होती है। सरकार द्वारा अथवा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को मंजूर की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे फर्म वार संकलित नहीं किये जाते हैं और अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेन्सों के ब्यौरे औद्योगिक लाइसेन्स और आयात एवं निर्यात लाइसेन्स की सप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी जाती है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

आयल इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन

3660. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इन्डिया लिमिटेड के चेयरमैन के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है; और

(ख) उसकी अर्हतायें तथा अनुभव क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) श्री देवकान्त बरुआ ।

(ख) श्री बरुआ कानून के स्नातक हैं, और वह महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं जैसे (1) 1950-57 तक संसद सदस्य, (2) 1957-67 तक विधान सभा सदस्य (3) 1962-1966 तक आसाम सरकार में शिक्षा एवं सहयोग मन्त्री (4) अध्यक्ष, इन्डियन रिफाइनरीस लिमिटेड (1960-62) (5) सदस्य, इण्डियन रेलवे फेट स्ट्रकचर इन्क्वायरी कमीशन, (6) 1954-55 में संयुक्त राष्ट्र को भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य और (7) रूस, चैकोसलोवाकिया और पश्चिमी जर्मनी को भेजे गये भारतीय सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के नेता ।

योजना आयोग के एक अधिकारी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन

3661. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मन्त्री योजना आयोग के एक अधिकारी द्वारा स्वागत समारोहों के आयोजन से सम्बन्धित 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर के अनुसरण में 16 नवम्बर, 1967 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जांच करने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने न ही किन्हीं साथियों से पूछताछ की और न ही किन्हीं कागजात की मांग की थी;

(ख) क्या व्यय के लिये दोषी अधिकारी को दी गई स्वीकृति इस बारे में बनाए गये नियमों के विरुद्ध थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जिस वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले की जांच की थी उसने सम्बद्ध कागज पत्र देखे थे और सम्बद्ध अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था ।

(ख) और (ग) दोषी अधिकारी का जो उल्लेख किया गया है वह समझ में नहीं आया, जैसा कि 16 नवम्बर, 1967 को सभा की मेज पर रखे गये विवरण में बताया गया है, उस अधिकारी ने नेकनीयती से काम किया और सरकार ने उस वरिष्ठ अधिकारी के जांच परिणाम मान लिये हैं जिसने इस मामले की जांच की थी । औपचारिक स्वीकृति देने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ है ।

(घ) 16 नवम्बर, 1967 को सभा की मेज पर जो विवरण रखा गया था उसमें जांच का ब्यौरा दे दिया गया है ।

हरियाणा और पंजाब के लिये संभरण योजनाएं

3662. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हरियाणा और पंजाब के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पेय जल संभरण की कितनी योजनाएं मंजूर की गई थी ;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी अभी चल रही हैं तथा उनके कब पूर्ण होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) (क) राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने तीसरी योजना अवधि में 31 नगर और 57 ग्राम जल पूर्ति योजनाएं तथा हरियाणा के लिये 23 नगर और 49 ग्राम जल पूर्ति योजनायें मंजूर की ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या 1704/68]

शुल्क वापसी जांच समिति

3663. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातों पर सीमा शुल्क वापसी तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट की कार्य-प्रणाली के कानूनी, प्रक्रिया सम्बन्धी तथा प्रशासनिक पहलूओं पर व्यापक पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई शुल्कवापसी जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के सारांश का विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1705/68] ।

(ग) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

सरकारी उपक्रमों के लिये संविहित निगम

3664. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों के स्थान पर जो अब मुख्यतः एक कम्पनी के रूप में चलाऐ जाते हैं संविहित निगम स्थापित किये जाने चाहिये;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि सभी औद्योगिक तथा निर्माता उपक्रमों तथा विमान परिवहन, नौवहन तथा होस्टल तथा पर्यटन क्षेत्र में अन्य सभी उपक्रमों को सैक्टर निगमों में मिलाया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये हैं?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक और निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये सामान्यतः सांविधिक निगम स्थापित किये जाने चाहिए । आयोग ने यह सिफारिश भी की थी, कि जहां तक संभव हो सके, संवर्धन और विकास के क्षेत्रों की योजनाओं का संचालन सांविधिक निगमों या विभागीय प्रतिष्ठानों के रुप में किया जाना चाहिये । जहां तक उन प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, जो मुख्य रूप से व्यापार या व्यापार के खास क्षेत्रों को सुधारने या उनमें स्थिरता लाने के लिए स्थापित किये गये हों या जिनमें गैर सरकारी साझेदारी की बात हो, आयोग ने सिफारिश की हैं कि उनका प्रबन्ध कम्पनियों के तरीके पर चलाया जाना ही ठीक है ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि कुछ मुख्य औद्योगिक और निर्माण सम्बन्धी प्रतिष्ठानों को मिला दिया जाय और हवाई परिवहन, जहाजरानी, होटल तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को क्षेत्रीय निगमों के रूप में चलाया जाय ।

(ग) सरकार ने फैसला किया है कि लोकोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करने वाले कुछ ऐसे उपक्रमों का प्रबन्ध, जिनका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है सांविधिक निकायों के रूप में ही चलाया जाना ठीक है । परन्तु एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले उपक्रमों सहित दूसरे उपक्रमों के सम्बन्ध में, जिनमें वाणिज्यिक पहलू की प्रधानता हो, मौजूदा कम्पनी प्रबन्ध और सुविधाजनक हो सकता है । सरकार ने यह फैसला भी किया है कि क्षेत्रीय निगमों की स्थापना करने की आयोग की सिफारिशें सिद्धान्त रूप से न मानी जांय । लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रीय निगमों की स्थापना करना लाभदायक हो सकता है और इन मामलों पर इनके गुण दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह, गुजरात

3665, श्री रा० की० अमीन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के पैट्रो रसायन उद्योग समूह के एकीकृत विकास के लिये एक समन्वयकारी प्राधिकार स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के विकास की गति बढ़ाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां ।

(ख) इसके लिये भारत सरकार का एक पैट्रो-रसायन निगम की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

धरोई सिंचाई परियोजना, गुजरात

3666. **श्री रा० की० अमीन :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से अनुमति न मिलने के कारण गुजरात में धरोई सिंचाई परियोजना के कार्य में विलम्ब हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करने के मार्ग में क्या बाधायें हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) साबरमती जलाशय परियोजना जिसकी अनुमित लागत 15.25 करोड़ रुपये हैं, की जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में हुई थी और उनकी टिप्पणियां जुलाई, 1966 में राज्य सरकार को भेज दी थीं । इस परियोजना से सम्बद्ध संशोधित प्रस्ताव दिसम्बर, 1967 में प्राप्त हुये थे और अब यह जांच की प्रौढ़ावस्था में है । इन प्रस्तावों के अनुसार परियोजना की अनुमित लागत 17.42 करोड़ रुपये है और इसमें परियोजना के परिणाम और लागत में तब्दीलियां की गई हैं ।

भारत तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच स्विच व्यापार

3667. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच स्विच व्यापार बढ़ाने में कुछ बेईमान भारतीय निर्यातकों के कारण बन जाने के बारे में विदेशी मुद्रा नियंत्रण निदेशालय ने जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय निर्यातकों द्वारा किये गये निर्यात के कुछ मामलों की जांच पड़ताल कर रहा है, जिनमें यह घोषणा की गई थी कि वस्तुओं को जहाज पर लाद कर ऐसे पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजा जा रहा जिनके साथ सम्बन्धित व्यापार और भुगतान समझौतों के अन्तर्गत रुपयों में भुगतान होना है । जो जांच पड़ताल की गई उससे प्रकट होता है कि स्पष्टतः माल उन देशों को रवाना किया गया है जो मुद्रा विनिमय के क्षेत्रों में हैं ।

जांच पड़ताल के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ फर्मों के विरुद्ध न्याय निर्णय की कार्यवाहियां आरम्भ की गई थी । लेकिन पार्टियों द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया है । अन्य कुछ फर्मों के विरुद्ध जांच पड़ताल चल रही है । इस स्थिति में फिलहाल अधिक विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

राज्यों में मद्य निषेध लागू करने के लिये सहायता

3668 **श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हैदराबाद में यह कहा था कि किसी भी राज्य में नये सिरे से मद्य निषेध को लागू करने से जो हानि होगी, उसके आधे भाग को केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी;

(ख) उसके बारे में वित्त आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वित्त आयोग के प्रतिवेदन को अन्तिम रुप दिये जाने से पहले ऐसा वक्तव्य दिये जाने का क्या औचित्य है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्रीमोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस मामले में वित्त आयोग की राय लेना आवश्यक नहीं था ।

पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास के लिये नेफ्था क्रैकर

3669. **श्री रा० की० अमीन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रो-रसायन उद्योगों के अग्रेतर विकास के लिये नेफ्था क्रैकर परमावश्यक हैं;

(ख) यदि हां, तो नेफ्था क्रैकर के विकास के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को काफी पहले पूरी जानकारी देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है, ताकि वह इस आधारभूत सामग्री का प्रयोग करने के लिये तैयार हो सकें; और

(ग) यदि इस समय कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ ऐसी व्यवस्था करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) ओलफिन्ज और डी-औलफिन्ज पर आधारित पैट्रो-रसायन उद्योग, नेफ्था-क्रैकर्ज पर निर्भर हैं । परन्तु रसायन पर आधारित कुछ और अन्य पैट्रो-रसायन उद्योग हैं, जैसे कुछ एरोमेटिक्स, जिनका विकास नेफ्था क्रैकर पर निर्भर नहीं है ।

(ख) प्रेस तथा अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक समितियों और बैठकों के माध्यम से गैर सरकारी क्षेत्र और अन्य सम्बन्धित पार्टियों को, नेफ्था क्रैकर और संभावी अनुप्रवाही यूनिटों के विकास के बारे में सूचना दे दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Chemical Industries in States

3670. Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) the names of the States in which Chemical Industries are proposed to be set-up by Government during the Fourth Five-Year Plan period; and

(b) the basis on which priority would be fixed for establishing such industries ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :(a) The targets and programmes for the chemical industry for the Fourth Five Year Plan are yet to be finalised, It is, therefore, not possible at this stage to indicate the specific schemes that may be taken up in the chemical industry during the next five years.

(b) Does not arise

नाइलोन का कारखाना

3671. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में नाइलोन कारखाना स्थापित करने के लिये आगे और लाइसेन्स न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में नाइलोन का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वह कहां और कब स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां, सिवाय वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिये ।

(ख) लगभग 11,000 मीटरी टन की क्षमता के लिये लाइसेन्स दे दिये गये हैं तथा लगभग 5,000 मीटरी टन की और क्षमता के लिये विभिन्न गैर सरकारी पार्टियों को आशय-पत्र भेज दिये गये हैं। इस समय कैपरोलेक्टम, जो मुख्य कच्चा माल है, का आयात किया जाता है । नाइलोन तागा उत्पादन के लिये कैपरौलेक्टम की योजना बद्ध देशीय क्षमता के 1971 में लगभग 15,000 मीटरी टन हो जाने की संभावना है । नाइलोन यूनिटों की लाइसेंस की गई क्षमता स्वाभावतया कैपरौलेक्टम के पूर्वानुमानित देशीय उत्पादन से सम्बद्ध है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु कारखाना

3672. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिक्षण करने से पता चला है कि ऋषिकेश में इंडियन ड्रग्ज फार्मास्यूटीकल्ज लिमिटेड प्रतिजीवाणु कारखाने में बनने वाली दवाइयों की किस्म भारतीय मान्य औषध कोश के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दवाइयों को बनाने से पहले परीक्षण नहीं किये गये थे;

(ग) इससे सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भीतरी कठिनाइयों के कारण उस कारखाने में निर्धारण लक्ष्य के अनुसार काम नहीं हो सका है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) प्रारम्भ में इस मामले में कुछ कठिनाई थी किन्तु अब मूल उत्पाद अर्थात सोडियम और प्रोकेन पेनिसीलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट मान्य औषध कोष के अनुसार हैं । परन्तु स्ट्रेप्टो माइसीन सल्फेट में प्रांजलता और अनुर्वरता तथा प्रोकेन पेनिसीलीन में अनुर्वरता से सम्बन्धित कुछ समस्याएं हैं । इन समस्याओं के शीघ्र ही हल होने की आशा है ।

(ख) कारखाने से उपलब्ध वास्तविक उत्पादों पर परीक्षण किये जाने हैं और ये उत्पादन के साथ साथ चलने चाहिये ।

(ग) प्रत्येक जटिल रसायन कारखाने में प्रारम्भिक कठिनाइयां पेश आती हैं । औषध तैयार करने वाले कारखाने में दृढ़ विशिष्टियां पूरी करनी पड़ती हैं और इसको प्राप्त करने में कुछ समय लगता है । चालू स्थिति में हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

सम्पदा शुल्क

3673. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष सम्पदा-शुल्क से कुल कितनी आय हुई; और

(ख) क्या सम्पत्ति पर अन्य करों की तुलना में सम्पदा शुल्क से होने वाली नगण्य आय को देखते हुए सरकार का उसे समाप्त करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्त वर्ष 1967-68 में सम्पदा-शुल्क से कुल 5,87,45,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

(ख) जी नहीं । सम्पदा शुल्क समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है क्योंकि देश में सम्पदा के वितरण में मौजूदा विषमताओं को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है । इसके अतिरिक्त इस शुल्क का उद्देश्य राज्यों से उनकी विकास योजनाओं के लिये धन जुटाने में सहायता पहुँचाना है ।

मद्रास फर्म अमैलगेनेशन्स उत्पादन आदि पर सम्पदा शुल्क भार

3674. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में फर्म अमैलगेमेशन्स में उत्पादन, विस्तार तथा रोजगार पर सम्पदा शुल्क के भार के सम्बन्ध में सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म पर कितना सम्पदा शुल्क लगाया गया था और सम्पदा शुल्क लगाये जाने से इसके 'कारपोरेट' तथा आयकरों में कितनी कमी हुई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अमैलगेमेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड एक कम्पनी है जो श्री एस० अनन्तरामकृष्णन के जीवन काल में उनके नियंत्रण में थी। 18-4-1964 को उनकी मृत्यु हो जाने पर मृतक की मृत्यु पर देय शुल्क के सम्बन्ध में, अमैलगेमेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 19 (1) (क) के अधीन 'उत्तरदायी व्यक्ति' माना गया। श्री अनन्तरामकृष्णन के नियमित सम्पदा शुल्क निर्धारण की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है। परन्तु सम्पदा के, उत्तरादायी व्यक्ति द्वारा विवरणी में, दिखाये गये मूल्य के आधार पर 65,50,452.65 रुपये के सम्पदा शुल्क की अन्तिम मांग जारी की गयी और वह पूरी अदा कर दी गई है।

कम्पनियों के इस समूह के उत्पादन, विस्तार तथा नियोजन क्षमता पर सम्पदा शुल्क की मांग के प्रभाव की तथा समूह द्वारा कर अदा करने की क्षमता की जांच उस समय की जायगी जब सम्पदा शुल्क का अन्तिम निर्धारण किया जायगा और जब उसकी वसूली के तरीके के बारे में निर्णय किया जायगा।

Electrict lines A'ong the rivers Banda Di trict, U. P.

3675. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to provide electric lines alongside the bank of Kane, Bange, Paysm and Gadra rivers of the District Banda in U. P. with a view to provide irrigation facilities in that District and in the catchment areas of the rivers and for increasing the agricultural production; and

(b) if so, the steps being taken in that regard ?

The Deputy Minister in the Ministery of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Bank at Electric Pump Canal scheme is under execution in respect of river Paisuni in the Banda District. Proposals for taking up other pump canal schemes including the Augasi Electric Pump Canal Scheme in respect of river Yamuna and Ora Electric Pump Canal Scheme in respect of river Baghain will be considered after the Fourth Five Year Plan is finalised.

पेंशन

3676. **श्री म० ला० सोधी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1954 और 1968 में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को दी गई पेंशनों के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने 'समता के सिद्धान्त' का, जैसा कि पेंशनों के बारे में ब्रिटेन में समझा जाता है, कोई अध्ययन किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'समता के सिद्धान्त' को लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशनों के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पेंशन नियम बनाने में भारत सरकार किसी भी विदेशी सरकार के पेंशन नियमों से मार्गदर्शन नहीं लेती।

सर्कस के कलाकारों का बीमा

3677. श्री म०ला० सोंधी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सर्कस संघ से भारतीय बीमा अधिनियम में संशोधन के बारे में अभ्यावेदन मिला है;

(ख) सर्कस कलाकारों का बीमा करने के सम्बन्ध में विश्व में अन्य देशों में क्या प्रक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय सर्कस कलाकारों को बीमा का लाभ देने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग) जी, हां। 'भारतीय सर्कस संघ' से इस महीने के आरम्भ में एक ज्ञापन इस आशय का मिला है कि जीवन बीमा निगम को अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करना चाहिये तथा सर्कस कलाकारों को भी जीवन बीमा की सुरक्षा उपलब्ध करनी चाहिये। इस पर विचार किया जा रहा है। स्वयं बीमा अधिनियम में किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों का जीवन बीमा करने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(ख) विदेशों में, बीमा कम्पनियां साधारणतः सर्कस के कर्मचारियों को व्यक्तिगत आधार पर अतिरिक्त किश्त की अदायगी पर, जो प्रायः काफी अधिक रकम की होती है, बीमा पालिसियां जारी करती है। जिनसे व्यावसायिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था होती है।

खम्भात की खाड़ी में तट से दूर समुद्र में प्लेट फार्म

3678. श्री म० ला० सोंधी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाकू में तट से दूर समुद्र में तेल की खोज सम्बन्धी संस्था द्वारा खम्भात की खाड़ी में तट से दूर समुद्र में प्लेटफार्मों के डिजाइन तैयार करने का वचन दिया गया था;

(ख) क्या तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण प्लेटफार्म का निर्माण कार्य गम्भीर कटाव के कारण रुक गया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य स्त्रोतों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं। रूसी सरकार ने इस मामले में सहायता देने के लिये पेशकश की है।

(ख) जी नहीं। प्लेटफार्म पर अब तक कोई भी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता; इस विषय में अब रूसी अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

खम्भात की खाड़ी क्षेत्र में तट से दूर समुद्र में ड्रिलिंग

3679. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री वि० नां० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने खम्भात की खाड़ी क्षेत्र में स्वतः तेल के लिये ड्रिलिंग आरम्भ करने के लिये योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना को हाथ में लेने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) इस ड्रिलिंग कार्य पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां, खाड़ी के कम गहरे पानी वाले क्षेत्रों में।

(ख) पहले कदम के रूप में, आयोग स्वयम अलियावेट पूर्वी द्वीप से एक अतटीय संरचना पर व्यधन करेगा। आयोग इस दिशा में प्रारम्भिक कार्यों में व्यस्त है, और 1969 के पूर्वार्ध में वास्तविक व्यधन कार्यों को करने की आशा करता है। इस प्राथमिक कार्य के परिणामों के आधार पर अगले कदमों का निर्णय किया। जायेगा आयोग को इस काम के लिये आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं लेकिन सरकार आवश्यक मदद और प्रोत्साहन देगी।

(ग) निर्धारित व्यधन कार्य पर कुल व्यय उनके अन्तिम आकार पर आधारित होगा; इस विषय में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

लक्वा क्षेत्र से गोहाटी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई

3680. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रहि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्वा मोरन पाइप लाइन के चालू होने के बाद लक्वा क्षेत्र से गोहाटी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में वर्तमान सप्लाई कम है अथवा अधिक ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) लक्वा क्षेत्र से गौहाटी शोधनशाला को कच्चे तेल की वास्तविक सप्लाई अभी शुरु नहीं

हुई है । मोरान में कच्चे तेल से टैंक को भरने और उससे सम्बन्धित परिवहन व्यवस्था के पूरा होने के बाद यह (सप्लाई) शुरु होगी ।

(ख) पिछले साल लक्वा क्षेत्र से कच्चे तेल की सप्लाई नहीं थी ।

एक विमान परिचारिका से बरामद किया गया सोना तथा विदेशी मुद्रा

3681. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एक विमान परिचारिका (एयर होस्टेस) से हाल ही में सोना तथा विदेशी मुद्रा बरामद की थी;

(ख) यदि हां, तो वह विमविमान परिचारिका किस एयरलाइन से सम्बन्धित थी;

(ग) कितने मूल्य का सोना तथा विदेशी मुद्रा बरामद की गई; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) 20 जुलाई, 1968 को मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स की एक विमान परिचारिका के पास से शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर, 232 ग्राम सोना (अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य लगभग 2,000 रुपये) और कुल मिलाकर लगभग 3,500 रुपये मूल्य के 191 स्टर्लिंग पाउण्ड, 8 अमरीकी डालर तथा 100 ईरानी रियाल पकड़े गये ।

(घ) विमान परिचारिका पर मुकदमा चलाया गया । मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई ने उसे 16,000 रुपये का जुर्माने की सजा दी । मामले का विभागीय न्याय निर्णय भी किया और अबोध माल पूर्णतया जब्त कर लिया गया तथा परिचारिका पर 500 रुपये का निजी दण्ड भी लगाया गया । निजी दण्ड अदा कर दिया गया है ।

Financial Assistance to Madhav Anathashram, Gwalior

3682. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) Whether Government have been approached for financial assistance to Madhav Anathashram, Gwalior;

(b) whether it is a fact that this institution is experiencing grave financial crisis at present; and

(c) if so, the steps taken by Central Government to grant necessary financial assistance in order to keep the institution engaged in social service ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) The Central Social Welfare Board has been approached for financial assistance to Madhav Anathashram, Gwalior.

(b) Government have no information in the matter.

(c) Does not arise.

उड़ीसा सर्कल के सम्बलपुर क्षेत्र से आय कर राजस्व

3683, **श्री स० कुण्डु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में उड़ीसा सर्कल के सम्बलपुर क्षेत्र में आयकर राजस्व की राशि काफी घट गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में समस्त राजस्व की राशि कितनी कम रही है और उसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में आयकर कार्यालय

3684. **श्री स० कुण्डु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर, झारसुगुडा तथा डेनकनाल में आय कर कार्यालय खोले गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक उनके खोले जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) आयकर आयुक्तों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Illicit Liquor Recovered in Modinagar

3685. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about one thousand bottles of illicit liquor filled in tubes were recovered in Modinagar during May and June, 1968.

(b) the value of illicit liquor recovered; and

(c) the number of persons arrested in that connection and action taken against them ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) In June 1968, 13½ bottles of illicit liquor were seized in the jurisdiction of Modinagar Police Station.

(b) Rs. 80/- (approximately).

(c) Two persons were arrested and the cases are under investigation.

सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क

3686. **श्री स० कुण्डु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष औद्योगिक प्रयोग के लिये सोडियम नाइट्रेट पर 60 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने औद्योगिक प्रयोग के लिये सोडियम नाइट्रेट का मूल्य इस वर्ष 1370 रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित किया है, जो कि वर्ष 1965-66 में यह मूल्य 339 रुपये प्रति मीटरी टन था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सोडियम नाइट्रेट के मूल्य में की गई इस असामान्य वृद्धि के कारण नाइट्रिक एसिड के कारखाने तथा उसके उत्पाद बनाने वाले कारखाने बन्द हो जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय में परिवर्तन करने तथा सोडियम नाइट्रेट पर लगे हुए सीमा शुल्क को कम करने तथा राज्य व्यापार निगम को यह निदेश देने का है कि वह उसके मूल्य कम निर्धारित करें; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) नाइट्रेट आफ सोडा का आयात जब ऐसे रुप में किया जाता था जिसका प्रयोग खाद्य प्रयोजनों के लिए होना जाहिर होता हो तो वह भारतीय शुल्क सूची अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची की मद 35 (1) के अधीन शुल्क से मुक्त था और अब भी है। उक्त अनुसूची की मद 28 के अधीन नाइट्रेट आफ सोडा की अन्य किस्में 'अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किये गये रसायन' के रुप में शुल्क लगने योग्य थी अब भी है। इस पर शुल्क की प्रभावी दर 1 मार्च, 1968 से पहले मूल्यानुसार 50 प्रतिशत थी तथा 1 मार्च, 1968 के बाद मूल्यानुसार 60 प्रतिशत है। राज्य व्यापार निगम द्वारा 1965-66 में जो कीमत 339 रुपये प्रति टन निश्चित की गई थी वह चिली में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले सोडियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में थी। इसका आयात जिस रूप में किया जाता था उसका खाद-प्रयोजनों के लिये प्रयोग जाहिर होता था और इसलिये यह शुल्क से मुक्त था।

राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में आयात किया गया सोडियम नाइट्रेट, तकनीकी ग्रेड का नकली सोडियम नाइट्रेट था। खाद प्रयोजनों के लिये इसका प्रयोग जाहिर होने के कारण मद 28 के अधीन इस पर मूल्यानुसार 60 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। राज्य व्यापार निगम ने इस प्रकार के सोडियम नाइट्रेट के लिये कीमत 1,295 रुपये प्रति टन निश्चित की है।

(ग), (घ) तथा (ङ) एसिड एण्ड केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स ऐसोसिएशन लिमिटेड कलकत्ता ने लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के एककों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सोडियम नाइट्रेट की ऊंची लागत के विरुद्ध दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त 10 जुलाई, 1968 को प्राप्त हुई थी और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच की जा रही है।

M/s. Jhunjhunawala and Bros, Bombay.

3687. Shri Onkar Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6698 on the 8th April, 1968 and state;

(a) whether the enquiry in respect of the loan taken by M/s Jhunjhunwala and Brothers of Bombay has since been completed,

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor and when it is likely to be completed; and

(d) the number of officials conducting the said enquiry and whether Government propose to appoint more officials to complete it at an early date ?

The Deputy Minister and Minister of Finance. (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

(c) Investigations about genuineness of loans usually take time. Every effort is being made to complete them as early as possible.

(d) One Income-tax Officer is conducting the enquiries in this group of cases and it is not proposed to appoint more Officers for this purpose.

Income-tax assessment of Shri Ramjilal Jhunjhunwala, Bombay

3688. Shri Onkar Singh :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have submitted a memorandum to Government pointing out that the wife of an Income-tax Officer in Bombay is working on a high-salaried post in Sriram Ram Niranjan College, Ghatkopur run by Shri Ramjilal Jhunjhunwala;

(b) If so, the details of other allegations levelled in the said memorandum;

(c) whether it is also a fact that the Income-tax Department is enquiring into many Income-tax cases against Shri Ramji Lal Jhunjhunwala;

(d) whether Government apprehend difficulty in conducting their enquiry; and

(e) the action taken by Government in the meantime on the memorandum submitted by the Members of Parliament ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Two letters phrased in identical terms were received from two Members of Parliament. The salary drawn by the wife of the Income-tax Officer was stated in these letters as Rs. 600/- per month.

(b) The allegations made in the letters were that interested industrialists and traders were trying to stop his transfer and that the officer's wife was influencing him in favour of assessees connected with the management of the college.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Enquiries made in this matter showed that there was no truth in the allegations. The officer's wife was qualified to hold a lecturer's post and was only receiving the usual salary. The officers was, however, being transferred in the normal course. A reply has been sent to the two Members who wrote the letter.

Enquiries into companies owned by M/s Ramji Lal Jhunjhunwala

3639. Shri Onkar Singh :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleasad to state:

(a) whether it is a fact that an enquiry is being conducted in regard to all the companies and firms owned and controlled by Shri Ramjilal Jhunjhunwala;

(b) whether it is also a fact that this enquiry has been entrusted to the Income-tax Officer of a section other than the Central Sections of the Income-tax Department;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to entrust the enquiry to the Central Section; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (e) It is not feasible to transfer all cases requiring investigation to Central Circles. At present officers in the Central Circles in Bombay, are dealing with more important cases.

(d) No, Sir.

अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कम्पनियों का आयकर निर्धारण

3690. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या वित्त मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाडवाट ट्रेडिंग कम्पनी के सम्बन्ध में वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के बारे में और कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी के सम्बन्ध में 1966-67 के बारे में इस बीच आय-कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निर्धारण में कितना कर निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या मैसर्स आर० आक्जी जाडवाट एण्ड कम्पनी के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(घ) बिल्कुल पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष मैसर्स आर० आक्जी जाडवाट एण्ड कम्पनी पर कितना कर निर्धारित किया गया था, जिनके बारे में उनका निर्धारण अन्तिम रूप से किया जा चुका है; और

(ङ) उपरोक्त सभी करदाताओं ने किस-किस वर्ष के कर निर्धारण के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं; और इन कर निर्धारणों में से उन्होंने वस्तुतः कितनी-कितनी राशि का भुगतान कर दिया है तथा किस-किस वर्ष के कर निर्धारण के विरुद्ध उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) इन चार मामलों में पूरे किये गये कर निर्धारणों का लगाया गया कर का, कर अदा किया गया है अथवा

नहीं इसका तथा कर-निर्धारणों के विरुद्ध कोई अपील दायर की गयी है अथवा नहीं, इसका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1706/68]

परिवार नियोजन कार्य के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3691. **श्री जि० ब० सिंह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1968-69 में प्रत्येक राज्य सरकार को परिवार नियोजन के लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : वर्ष 1968-69 में परिवार नियोजन के लिए राज्य सरकारों अस्थायी रूप से नियत की गई धन राशि को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1968-69 में राज्यों के लिए नियतन

राज्य का नाम	लाख रुपये
1. आन्ध्र प्रदेश	242.00
2. आसाम	40.00
3. बिहार	158.00
4. गुजरात	180.00
5. हरयाणा	70.00
6. जम्मू तथा काश्मीर	31.00
7. केरल	130.00
8. मध्य प्रदेश	244.00
9. मद्रास	158.00
10. महाराष्ट्र	290.00
11. मैसूर	160.00
12. उड़ीसा	138.00
13. पंजाब	95.00
14. राजस्थान	155.00
15. उत्तर प्रदेश	319.00
16. पश्चिम बंगाल	205.00
कुल	2615.00

श्रीलंका में उर्वरक कारखाना

3692. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने अपने देश में एक उर्वरक कारखाना खोलने के लिये टेंडर मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भी टेंडर देने का है;

(ग) क्या अकेले अथवा किसी विदेशी सहयोग से टेंडर देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस देश से तथा किस रूप में सहयोग लेने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, नहीं।

(ख, से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Chiranji Lal Goenka

3693. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 82 kilograms of gold was recovered from the house of Shri Chiranjilal Goenka, the owner of Advance Insurance Company in 1966 on account of which warrants had been issued for him;

(b) whether it is also a fact that the proprietor of the Advance Insurance Company had stayed in Ranjit Hotel, New Delhi to escape arrest and this fact can be verified from the registers of the Hotel;

(c) whether some Members of Parliament have written to him in regard to this matter and if so, their names and number of such letters; and

(d) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government have again conducted an enquiry in this regard and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) About 86 kilograms of undeclared primary gold were recovered on the 6th/7th December, 1965 from Shri Chiranjilal Goneka, Director of the Advance Insurance Company. The recovery was made by the Income-tax Officers under a warrant of authorisation issued under Section 132 of the Income-tax Act, 1961. Later, on the 9th December, 1965 the Central Excise and Customs Officers seized the gold for action under the Defence of India (Gold Control) Rules as the gold had not been declared as required under Rule 126-I of the said rules.

(b) According to available information Shri Chiranjilal Goneka did not stay in Ranjit Hotel.

Shri Chiranjilal Goneka was arrested on the 8th July, 1966 and bailed out on furnishing a personal bond of a sum of Rs. 1 lakh and two sureties in like amount.

(c) As far as it has been possible to asceratain no letter appears to have been received from any Member of Parliament in this regard.

(d) Departmental proceedings for adjudicating the case for contravention of Gold Control Rules have been finalised; but the order of adjudication has not been issued in view of an appeal pending before the Supreme Court. The Supreme Court had ordered that final orders should not be passed till the disposal of the appeal filed by Shri Chiranji lal Goneka is decided by the Supreme Court.

पेनसिलीन निर्माण के नये तरीके का पता लगना

3694. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रोफेसर अजय कुमार बोस ने जो न्यू जरसी में काम कर रहे हैं, पेनसिलीन तैयार करने की एक नई विधि निकाली है, जिससे अन्ततोगत्वा पेनसिलीन का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रो० बोस को भारत आने के लिए आमंत्रित करने का है, ताकि भारतीय तकनीशन तथा वैज्ञानिक उनकी खोज की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकें; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नई विधि के अनुसार पेनसिलीन तैयार करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामया): (क) से (ग) 10 जुलाई, 1968 को अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता ने एक समाचार छापा था कि स्टीवनज इन्स्टीट्यूट आफ टैकनालौजी में रसायन के प्रोफेसर डा० अजय के. बोस ने एक गवेषणा पत्र में, जिसे उन्होंने लन्दन में कैमिस्टरी की नैचूरल प्रोडैक्टस पर पांचवी अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद में पेश किया था, एक नई किस्म की पैनसिलीन का विवरण दिया था जिसको उन्होंने संश्लेषण किया है। डा० बोस के अनुसार उनकी संश्लिष्ट पैनसिलीन का उत्पादन किसी प्रकार से अणुजीव पर निर्भर नहीं है।

यह औषध अभी भी परीक्षण-चरण में है और इसकी सक्रिय एवं चिकित्सी दक्षता अभी स्थापित होनी है। डा० बोस को आमंत्रित करने या उनकी पैनसिलीन को तैयार करने के लिये उनके साथ व्यवस्था करने का प्रश्न इस स्थिति में असमायिक प्रतीत होता है।

नई दिल्ली के बंगलों में सीलन

3695. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या निमाण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में विलिंग्डन अस्पताल तथा संसद भवन के बीच स्थित बंगलों में सीलन होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भूमिगत पानी का स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण इन बंगलों में सीलन है तथा यह इसलिये भी है कि इन मकानों के निर्माण के समय सील-रोक रद्दा (डैम्प प्रूफ कोर्स) नहीं दिया गया था।

(ख) नई दिल्ली के सरकारी मकानों में सील-रोक-रद्दा की व्यवस्था करने में अत्यधिक खर्चे को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं हुआ है कि ऐसे कार्य को सामान्य तौर पर किया जाये। तथापि, कुछ बंगलों में जहां सीलन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, सील-रोक-रद्दा की व्यवस्था कर दी गयी है।

नई दिल्ली में सामान्य भूमिगत जल के स्तर को नीचे लाने की दृष्टि से, सितम्बर, 1953 में सरकार के द्वारा स्थापित की गयी तदर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर भूमिगत पानी को निकाल कर भूमिगत नालियों में फेंकने के लिए 303 छिछले-नलकूप (शैलो ट्यूब-वैल्स) लगाये जा चुके हैं। यह रिपोर्ट मिली है कि अभी तक योजना आंशिक रूप से सफल रही है।

दिल्ली में सामूहिक (ग्रुप) गृह निर्माण योजनायें

3696. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मकानों की समस्या को हल करने के लिये सामूहिक गृह निर्माण योजना का अन्तिम रूप से अनुमोदन कर दिया है, जिसकी घोषणा 30 जून, 1968 को उन्होंने प्रेस सम्मेलन में की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा;

(घ) क्या सरकार की दिल्ली में सामूहिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रजिस्टरी कराने के लिये अब तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कास्टिक सोड़ा तथा समवर्गी उत्पादों के कारखाने के लिये लाइसेंस

3697. **श्री शंकरानन्द :**
श्री स० अ० अगड़ी :
श्री क० लकप्पा :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने विदेशी सहायता से कास्टिक सोड़ा तथा समवर्गी उत्पादों के बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक निगम के द्वारा लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो मामला कब से सरकार के पास विचाराधीन है और यदि विलम्ब के कोई कारण हैं तो वे क्या हैं;

(ग) क्या अन्य स्थानों पर इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस किस स्थान पर; और

(घ) देश में कास्टिक सोडा की इस समय कितनी मांगें है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां।

(ख) जून, 1967 से। यह निर्णय हुआ है कि जब तक चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कास्टिक सोडा के लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक प्रार्थना पत्र पर विचार न किया जाए।

(ग) जी हां। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (स्टेट इण्डस्ट्रियल डैवल्पमैन्ट कारपोरेशन) उक्त राज्य में किसी सही स्थान पर एक कास्टिक सोडा क्लोरीन प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखता है और ट्रावनकोर कोचीन केमीकल्स लि० (एक राज्य सरकारी उपक्रम) ने अल्वाय में अपने वर्तमान संयन्त्र में प्रतिदिन 100 मीटरी टन से 200 मीटरी टन तक पर्याप्त विस्तार के बारे में एक औद्योगिक लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है।

(घ) प्रतिवर्ष 304,000 मीटरी टन।

योगासन संस्थाएं

3698. **श्री हेमराज** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी योगासन संस्थाएं योग चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है;

(ख) ये योगासन किन किन रोगों के उपचार में उपयोगी पाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में ऐसी किस-किस संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा 1968-69 में कितना-कितना अनुदान देने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आठ संस्थान योग चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं।

(ख) योग चिकित्सा के उच्च रक्त चाप, मिर्गी, मधुमेह, जीर्ण ब्रोकाइटिस, ब्रोनकाइल, अस्थमा और आमाशय की गड़बड़ी सम्बन्धी रोगों के इलाज में उपयोगी होने का दावा किया जाता है।

(ग) योग चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिए इन संस्थानों को 1965-66 1966-67 और 1967-68 में कोई अनुदान नहीं दिया गया। 1968-69 में स्वदेशी चिकित्सा

पद्धतियों को जिनमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, इकट्ठा दिये जाने वाले अनुदान में यौगिक संस्थानों को भी अनुदान देने की व्यवस्था है। यह अनुदान की रकम कितनी कितनी होगी यह प्रत्येक संस्था की पात्रता पर निर्भर है।

Share-holders of M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

3699. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state:

(a) the nemes of other firms and companies in which Shrimati Kusum Devi, a share-holder of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is holding shares; and

(b) the amount of Income-tax paid by those firms and Companies to Government during the last two years, as also the amount of Income-tax assessed on them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b), The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Company

3700. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state:

(a) the names of the other firms and companies in which Shri Babulal Jhunjhunwala, a share-holder of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation, is holding shares;

(b) the amount of Income-tax assessed on those firms and companies by Government during the last five years; and

(c) the names of those firms and companies and the names of the places where they are situated ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Share-holder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

3701. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state:

(a) the names of other firms and companies in which Shrimati Geeta Devi Banwari Lal, a shareholder of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is holding shares; and

(b) the amount of Income-tax paid by those firms and companies to Government during the last three years and the names of the places where these firms and companies are situated ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा वर्दी पहनना

3702. **श्री लतीफ अली खां :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी वर्दी नहीं पहनते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी विर्दियों पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग, दिल्ली के जिन सरकारी कर्मचारियों को वर्दियां दी गयी हैं अथवा जो सरकार से वर्दी भत्ता लेते हैं, वे किसी ऐसी तैनाती के समय निर्दिष्ट वर्दी नहीं पहनते हैं जिसमें वर्दी पहनना आवश्यक होता है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Share-holders of M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

3701. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6702 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of other firms and companies in which Shri nati Chandrakala Devi Panna Lal, a share-holder of Messrs Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is holding shares;

(b) the amount of income-tax paid by those firms and companies to Government during the last five years and the amount of income-tax assessed on them during the aforesaid period; and

(c) the amount of income-tax outstanding against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पाठ्य-पुस्तकों के लिए मुद्रणालय

3704. **श्री देवेन सेन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिये 3 मुद्रणालय स्थापित करने के लिये 1150–1400 रुपये के वेतनमान में एक परियोजना अधिकारी (मुद्रण) का पद बनाया गया था;

(ख) क्या इनमें से अब तक कोई मुद्रणालय स्थापित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सारी मशीनें तथा तकनीकी विशेषज्ञ पश्चिम जर्मनी द्वारा दिये जायेंगे;

(घ) क्या यह भी सच है कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के कुछ तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये पश्चिम जर्मनी भेजा गया था;

(ङ) यदि योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो बड़े वेतनमान वाले परियोजना अधिकारी के पद को बनाये रखने के क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित होने की क्या सम्भावनायें हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) (ख) तथा (ङ) जी हां, परियोजना अधिकारी का पद 1100–1400 रुपये के वेतनमान में बनाया गया था, परन्तु यह पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए 3 मुद्रणालय स्थापित करने के लिए ही केवल-मात्र नहीं था। परियोजना अधिकारी को इस विभाग की मुद्रण क्षमता के विस्तार के लिए बनाई गई अन्य मुख्य योजनाओं को सम्भालना भी था। अभी तक पाठ्य-पुस्तकों के लिए कोई भी मुद्रणालय स्थापित नहीं हुआ मुख्यत: इसलिए कि इस योजना को अन्तर्भूत करने वाले समझौते पर भारत और जर्मन सरकार के हस्ताक्षर होने में देर हो गई। फिर भी, अन्य योजनाओं की प्रगति सन्तोषप्रद है तथा हो रही है। अतएव परियोजना अधिकारी का पद जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसके लिए, उपयोगी सिद्ध हुआ है।

(ग) जी नहीं। जबकि प्रमुख पुनरुत्पादन, मुद्रण और जिल्दें बनाने की मशीनें, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी से उपहार स्वरूप प्राप्त होनी हैं, भारत देश में प्राप्त हो सकने वाली पूरक सामग्री को जुटायेगा। आरम्भ में दो वर्षों के लिए फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार इन तीनों मुद्रणालयों के लिए अपने तकनीकी अधिकारी भेजेगी। भारतीय तकनीकी अधिकारियों को जर्मन तकनीकी अधिकारियों के साथ लगाया जायेगा तथा उन अन्तोगत्वा वे उनका स्थान ले लेंगे।

(घ) जी हां।

(च) तीनों पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालयों की 1970–71 तक पृथक-पृथक चरणों में स्थापित होने की आशा है।

महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा उच्च अधिकारियों के दावों का शीघ्र भुगतान

3705. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व ने अपने कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी करके उनसे कहा है कि वे उच्च अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दावों का निबटारा करने में अधिक शीघ्रता और शिष्टाचार दिखायें और उनके दावों का निपटारा साधारण ढंग से नहीं किया जाना चाहिये; और

(ख) इस परिपत्र के अनुसार उच्च अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन-कौन व्यक्ति आते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त परिपत्र में अतिरिक्त सचिवों, सचिवों, राजदूतों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विशेष समितियों अथवा आयोगों के सदस्यों तथा अध्यक्षों और मंत्रि-परिषद के सदस्यों को उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया गया था।

मद्रास में सरकारी मैडिकल स्टोर

3706. **श्री जी० कुचेलर** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में सरकारी मैडिकल स्टोरों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य तथा केन्द्रीय औषधालयों को दवाइयों की सप्लाई में वृद्धि अथवा सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि मद्रास स्थित मैडिकल स्टोर अस्पतालों तथा ग्रामीण औषधालयों द्वारा मांगी गयी दवाइयां सप्लाई नहीं कर सकता; और

(च) यदि हां, तो सप्लाई सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) व्यादेशकों को चिकित्सा सामग्री की पूर्ति में सुधार करने के हेतु मैडिकल स्टोर डिपुओं के कार्य संचालन पर बराबर निगाह रखी जा रही है । सामग्री की तुरन्त पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये रेट कन्टेक्ट की वस्तुओं की संख्या में हाल ही में वृद्धि कर दी गई है ।

(ङ) और (च) मद्रास का मैडिकल स्टोर डिपो व्यादेशकों की सभी मांगों को पूरी नहीं कर सका है । पूर्ति में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये रेट-कन्टेन्ट पर मिलने वाली चीजों में वृद्धि की जा रही है ।

36000 रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले कर्मचारी

3707. **श्री क० कु० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने व्यक्तियों की वार्षिक आय 36000 रुपये से अधिक है;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) उनमें के कितने व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी हैं; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी राष्ट्र जन हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 30,000 रु०, 40,000 रुपये आदि से ऊपर की आय वाले निर्धारितियों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में सांख्यिकी-आंकड़े रखे जाते हैं । अन्तिम उपलब्ध विश्लेषण 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिये है, और उसके अनुसार 30000 रु० से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या 34022 है ।

(ख) से (घ) इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं रखा जाता है । वैयक्तिक फाइलों से यह सूचना इकट्ठी करने में काफी समय लगेगा ।

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में काम कर रहे वार्धक्यता प्राप्त कर्मचारी

3708. श्री लखन लाल कपूर : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में कुछ वार्धक्यता प्राप्त अधिकारी हैं और यदि हां, तो क्या दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 8 (घ) के अनुरूप उनके मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रहने वाले अत्याधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को सेवा निवृत्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी एक अधिकारी काम कर रहा है और वह है वहां का सचिव । भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के विनियमों के 52वें विनियम के अधीन परिषद् इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति की सुपरएन्युएशन की आयु के बाद भी उसके सेवाकाल को बढ़ा सकती है ।

अध्ययन अवकाश पर अधिकारियों का विदेश गमन

3709. श्री लखन लाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा चयन के आधार पर अध्ययन अवकाश पर विदेश जाने वाले सरकारी अधिकारी को कोई भत्ता, अर्थात् नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता आदि नहीं दिये जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस नियम से, यदि ऐसा कोई नियम है, उस अधिकारी के परिवार को अनावश्यक कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस नियम में अपेक्षित संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए किन्हीं विशिष्ट मामलों में जो अध्ययन-भत्ता अथवा यात्रा-भत्ता मंजूर किया जाता है, उसके अलावा अन्य किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता ।

(ग) और (घ) विदेश में अध्ययन छुट्टी में सरकारी अधिकारी को जिन मामलों में अध्ययन-भत्ता मिलता है, उनमें उसके अलावा आधे औसत वेतन/आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिलता है और उन्हें छात्र-वृत्ति तथा वृत्ति प्राप्त करने और खण्ड-कालिक नौकरी स्वीकार करने की अनुमति भी दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन छुट्टी उन अधिकारियों के छुट्टी खाते नामे नहीं डाली जाती । इसलिए, अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में अतिरिक्त रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है ।

लड़कियों के लिये चिकित्सा कालेज खोलना

3710. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा जैसे नाजुक विषय के अध्ययन के लिये, जिसमें पुरुष अध्यापकों तथा छात्रों की उपस्थिति में नग्न शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा और व्याख्या करनी पड़ती है, लड़कियों में लज्जा होने के कारण पर्याप्त संख्या में छात्रायें चिकित्सा वृत्ति की शिक्षा के लिये आगे नहीं आती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में दिल्ली में ही एक ऐसा कालेज है, जो केवल मात्र छात्राओं के लिये है और जिसमें केवल महिला अध्यापिकाएं तक कर्मचारी हैं; और

(ग) देश में महिला डाक्टरों की अत्यधिक कमी को देखते हुए क्या सरकार ने कम से कम प्रत्येक राज्य में केवल छात्राओं के लिये ही एक चिकित्सा कालेज, जिसमें केवल महिला कर्मचारी हों, खोलने की संभावना पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय देश मे लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज नई दिल्ली एक ऐसा चिकित्सा कालेज है जो केवल मात्र छात्राओं के लिए है । इस कालेज में पुरुष और महिला दोनों ही अध्यापन कार्य करते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

मैडिकल कालेजों में छात्राओं के लिये स्थान सुरक्षित करना

3711. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन मैडिकल कालेजों में, जहां अभी तक छात्राओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, छात्राओं के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित करने तथा ऐसे कालेजों में, जहां अपर्याप्त स्थान सुरक्षित किये गये हैं वहां छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों के कोटे में वृद्धि करने तथा अधिक से अधिक लड़कियों को डाक्टरी व्यवसाय में आकर्षित करने के लिये उदारता से छात्रवृत्तियां अथवा ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1964 में केन्द्रीय सरकार ने महिला छात्राओं के दाखिलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों को परामर्श दिया था । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन 500 वजीफे दिये जाते हैं । इसके साथ-साथ 80 उप-स्नातक शिक्षा वृत्तियां 10 स्नातकोत्तर शिक्षा वृत्तियां, काउण्टेस आफ डफरिन फंड से भी दी जाती है ।

(ख) मोटे तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि महिला छात्रायें चिकित्सा कालेजों में अधिक संख्या में दाखिले ले रही हैं किन्तु उस सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत में पुरुष तथा महिला डाक्टर

3712. श्री ए० श्रीधरन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र में कितने पुरुष तथा महिला डाक्टर हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या तथा पुरुष डाक्टरों की संख्या के तथा स्त्रियों की संख्या और महिला डाक्टरों की संख्या के बीच क्या अनुपात है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें महिला डाक्टर हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों और संघ-क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में महिला डाक्टरों की कमी

3713. श्री ए० श्रीधरन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रसूति गृह/अस्पतालों में जहां प्रसूति वार्ड हैं ? गर्भवती स्त्रियों को जनाने के लिए पुरुष डाक्टर सेवा करते हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में महिला डाक्टरों की अत्यधिक कमी है, विशेषतः इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में स्त्रियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिनमें रूढ़िवादी स्त्रियां भी हैं जो इलाज के लिए पुरुष डाक्टरों को अपनी नब्ज अथवा शरीर का कोई अंग दिखाने की बजाए बिना चिकित्सा कराये रहना पसन्द करती हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि महिला डाक्टर न होने के कारण लाखों गर्भवती स्त्रियां बिना किसी डाक्टरी सहायता के अथवा बिना पढ़ी लिखी तथा अप्रशिक्षित नर्सों की ही सहायता से प्रसव जनाती हैं और इस प्रकार वे अपनी तथा बच्चों के जीवन को खतरे में डालती हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में और अधिक महिला डाक्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा इसके एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा उससे प्राप्त होने वाला परिणाम अपेक्षाकृत लाभकारी नहीं होगा ।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) देश में डाक्टरों की जो आम कमी है महिला डाक्टरों की कमी भी उसी का एक अंग है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने, विशेषत: ग्राम क्षेत्रों में और डाक्टर-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने के लिए मैडिकल कालेजों की संख्या को जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 30 थी उसे अब बढ़ाकर 91 किया जा चुका है। आपात विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्तमान चिकित्सा कालेजों में भी 2424 सीटें बढ़ा दी गई है। इन उपायों से चिकित्सा कालेजों की प्रवेश क्षमता 2500 से बढ़ कर 11000 से अधिक हो गई है और महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में इसी के अनुरूप ही वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय सरकार ने भी चिकित्सा शिक्षा पा रही केवल मात्र छात्राओं के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन 500 शिक्षा वृत्तियां देने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त काउण्टेस आफ डफरिन फण्ड के अधीन भी चिकित्सा छात्राओं के लिए 90 शिक्षा वृत्तियां उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारें चिकित्सा स्नातकों को जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, ग्राम क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु कदम उठा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में सेवा निबन्धनों एवं शर्तों को उदार बनाना, रिहायशी मकानों की व्यवस्था करना, नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता देना, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को दुबारा रोजगार देना तथा उनकी सेवा अवधि को बढ़ना आदि बातें सम्मिलित हैं। स्थानीय परिस्थितियों तथा व्यावहारिक जटिलताओं के कारण ऐसे उपायों के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं बरती जाती।

तथापि यह एक दीर्घकालिक समस्या है जिसके लिए उपयुक्त समाधान खोजने में काफी समय लग जाने की सम्भावना है।

जोड़ा (उड़ीसा) में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

3714. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री दे० ग्रमात :
श्री महेन्द्र मांझी :
श्री ग० च० नायक

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लौह अयस्क उपकर निधि में से उड़ीसा राज्य में जोड़ा में गत वर्ष खोले गये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिये भवन बनाने की जगह उपलब्ध न होने के कारण उसके अन्तरंग रोगियों के इलाज के लिये अभी तक आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को एक ऐसे केन्द्रीय अस्पताल का रूप देने का कोई प्रस्ताव है जिसमें 100 पलंग और आवश्यक कर्मचारी क्वाटर हों; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० रू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय एकीकरण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी पत्र

3715. श्री सिद्धया : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में श्रीनगर में हुये राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने "राष्ट्रीय एकता तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां सम्बन्धी एक शोधपत्र पढ़ा था;

(ख) क्या उन्होंने चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के प्रतिनिधित्व का उस आधार पर विरोध किया है कि ऐसा करना साम्प्रदायिक आधार ही सम्भव है और यह "सम्प्रदायिकता को रयायत" देना होगा;

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा देश के एक अथवा दो प्रतिशत व्यक्तियों तक सीमित रखी जाये और उन्होंने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमशः 12.1/2% तथा 5% स्थान सुरक्षित करने का भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ) इस प्रकार का कोई शोध-पत्र नहीं पढ़ा गया था । अलबत्ता, राष्ट्रीय एकता परिषद के एक सदस्य के रूप में आयुक्त ने परिषद के विचार विमर्शों में भाग लिया तथा वे बिना किसी पूर्व तैयारी के बोले । उनके भाषण का एक अभिलेख संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1707/68]**

राष्ट्रीय एकता के पूरे संदर्भ में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकतर लोगों की, जिन्होंने अब तक ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने की आयुक्त की चिन्ता को लेकर यदि देखा जाए, तो इस प्रश्न के (ख) तथा (ग) भागों के अनुमान अभिलेख से ठीक प्रतीत नहीं होते ।

अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मुफ्त शिक्षा

3716. श्री सिद्धया : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में अनुसूचित आदिम जातियों को पूर्णतया मुफ्त शिक्षा न दी जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) माननीय सदस्य शायद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के अध्याय 12 में की गई टिप्पणियों के, जिनका सम्बन्ध नेफा में शैक्षिक समस्याओं पर विशेष नमूने के अध्ययनों से है, अपने अर्थ-निर्णय का निर्देश कर रहा है। यदि उचित प्रसंग में देखा जाए, तो आयुक्त द्वारा उक्त प्रकार का कोई सामान्य ब्यान दिया गया प्रतीत नहीं होता है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of servant quarters of North and South Avenue, New Delhi

3717. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8118 on the 22nd April, 1969 regarding the allotment of Servant Quarters of North and South Avenues, New Delhi and state :

(a) the present duties of the chowkidars and gardeners of the Central Public Works Department putting up in servant quarters; and

(b) whether other persons performing such day and night duties in other Ministries and Departments of Government are given any priority in allotment of quarters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The duties of Chowkidars of C. P. W. D. residing in servant quarters are to keep watch and ward of Government stores properly. They are to be on duty round the clock in shifts. There is only one Gardener who has been allotted servant quarter No. 113, South Avenue. Besides his normal duties, his services are often utilised for any emergency which may arise at any odd hours, such as leakage of hydrants, damage to trees on account of storms etc. in North and South Avenue.

(b) No preference is given in the matter of allotment of general pool residential accommodation to persons performing such duties in other Ministries/Departments and they have to wait for their turn according to their date of priority.

दिल्ली बंगाली हिन्दू आवास सहकारी समिति टैगोर पार्क, दिल्ली

3718. **श्री जी० ना० हजारिका** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में टैगोर पार्क में दिल्ली बंगाली हिन्दू आवास सहकारी समिति नामक आवास बस्ती में जल नालियों तथा बिजली की व्यवस्था नहीं की गई हैं, यद्यपि इस समिति के सदस्य अलाटी इसका विकास कार्य पूरा हो चुकने तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उसके विधिवत स्वीकृत हो जाने के बाद, वर्ष 1966 से अब तक लगातार दिल्ली विकास प्राधिकार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन देते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बस्ती के लिए इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय सलाहकार के रिहायशी फ्लैट में परिवर्धन तथा परिवर्तन

3719. श्री मनुभाई पटेल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय सलाहकार को आवंटित सरकारी रिहायशी मकान में कोई परिवर्धन तथा परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) क्या इस मद पर खर्च किया गया धन सरकार द्वारा दिया गया है या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा; और

(ग) इन परिवर्धनों तथा परिवर्तनों पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के एक गैर-सरकारी स्कूल में परिवर्तन-परिवर्धन

3720. श्री मनुभाई पटेल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के एक सदस्य ने उनके द्वारा सरोजनी नगर, नई दिल्ली में चलाये जा रहे स्कूल में अनधिकृत परिवर्तन-परिवर्धन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन-परिवर्धन किए गए हैं और इस मामले में नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी

3721. श्री न० कु० सांघी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में नर्सों की सामान्यतः कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अधिष्ठापनों में सेवा की शर्तें खराब होने के कारण ऐसी स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने उन अस्पताल में नर्सों की वर्तमान संख्या तथा उनकी वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस व्यवसाय में अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए अस्पतालों के वर्तमान ढांचे और दशा को सुधारने के लिए क्या कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) देश में तीसरी योजना के अन्त में 45000 नर्सें उपलब्ध थीं। नर्स तथा पलंगों का अनुपात 1 और 10 था। मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं के अन्तर्गत लगभग 5,000 नर्सें प्रति वर्ष प्रशिक्षित की जाती हैं। चौथी योजना में 8,000 अतिरिक्त नर्सों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के अन्त तक (1974) कुल 93,000 नर्सें उपलब्ध होंगी जिससे नर्स तथा पलंग अनुपात सुधर कर वांछित मानक आदर्श 1 और 5 हो जायेगा।

नर्सों के काम करने के घंटों में कमी करने, उनके आवास की व्यवस्था करने तथा कतिपय नर्सिंग कर्मचारियों को राज-पत्रित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। अधिक पदों का सृजन करके नर्सों के कार्य-भार में भी कमी करने का विचार है।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी

3722. **श्री नायनार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम करने वाले एयर कस्टम पूल के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की अवधि में प्रतिकर भत्ता दिया जाता है जबकि बम्बई और कलकत्ता में नियुक्त कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने मूल विभागों को वापस भेजे गये कुछ कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया गया है जबकि अन्य कुछ कर्मचारियों को नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके भेद के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अर्जित छुट्टी की अवधि में मिलने वाले प्रतिकर भत्ते सम्बन्धी आदेशों की व्याख्या विभिन्न बन्दरगाहों में एक ढंग से नहीं की जा रही थी, इसलिए अब सही स्थिति को स्पष्ट करते हुए आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अर्जित छुट्टी की अवधि में प्रतिकर भत्ता दिया जाय।

(ख) मई, 1968 में आदेश जारी कर दिये गये थे कि जिन व्यक्तियों को 'वायु सीमा-शुल्क पूल' (एयर कस्टम पूल) से उनके मूल विभागों में वापस भेजा जाय उनको यात्रा भत्ता दिया जाय।

(ग) ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के कारण यह सवाल नहीं उठता।

पलाई बैंक

3723. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द हुए पलाई बैंक के सरकारी परिसमापक ने जमाकर्त्ताओं को इस वर्ष कोई भुगतान क्यों नहीं दिया है;

(ख) जमाकर्त्ताओं और अंशधारियों की देय राशि का अब तक किस अनुपात में भुगतान किया गया है;

(ग) क्या देय राशि पर ब्याज दिये जाने की कोई सम्भावना है;

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिजर्व बैंक ने अपने एक अधिकारी को पलाई बैंक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा था, कम से कम जमा बीमा योजना के भूतलक्षी तारीख से लागू करके उस राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी अपने पर लेने का उसका (रिजर्व बैंक का) विचार है जिसे वह बैंक नहीं कर सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये रिजर्व बैंक के अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने बैंक को अपने अंशधारियों और जमाकर्त्ताओं को धोखा दिया, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बैंक की शेष परि-सम्पत्ति से जो रकम वसूल की गयी थी, वह चालू वर्ष में और विभाज्य राशि घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

(ख) बैंक के पास जमा की गयी कुल रकम में से 65.2 प्रतिशत रकम चुका दी गयी है। बैंक के पास जमा की गयी राशि और अन्य देनदारियों को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद शेयर होल्डरों को उनकी शेयर-पूंजी के आधार पर अदायगियां की जायेंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। जमा बीमा निगम अधिनियम, सम्बद्ध संविधि के अनुसार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

(ङ) रिजर्व बैंक ने पलाई सेण्ट्रल बैंक में, कुछ समय के लिए अपना प्रेक्षक रखा था। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। सरकारी परिसमापक ने, बैंक के कुछ निदेशकों, लेखा-परीक्षकों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, न्यायालय में जो आवेदन-पत्र दिया था उस पर केरल के उच्च न्यायालय ने 2.84 करोड़ रुपये की डिगरी दी है। उत्तरवादियों (रेस्पाण्डेण्ट) ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं। अपीलों की अभी सुनवाई नहीं हुई है।

न्यू जनरल हास्पिटल, लम्फेलपट मनीपुर में विशेषज्ञ

3724. **श्री मेघचन्द्र :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्र से कहा है कि न्यू जनरल हास्पिटल लम्फेलपट में और विशेषज्ञ नियुक्त किये जायें;

(ख) क्या जनरल हास्पिटल मनीपुर में नेत्र, कान, नाक, गला के विशेषज्ञों के पद बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मणिपुर सरकार के अधीन विशेषज्ञों के और अधिक पद बनाने के बारे में एक प्रस्ताव मिला था। मणिपुर सरकार को सूचित कर दिया गया कि आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही और अधिक विशेषज्ञ नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड–1 में आंख और कान, नाक तथा गले के चिकित्सकों के दो पद पहले से ही रखे हुए हैं।

मनीपुर में जल सम्भरण परियोजना

3725. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में जल संभरण परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी और उक्त परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर लोक निर्माण विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सहायता से जल सम्भरण परियोजना को आरम्भ किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत सरकार ने इम्फाल जल पूर्ति योजना के प्रथम चरण के लिए अनुमानतः 72.23 लाख रुपये (संशोधित) तथा इम्फाल नगर की जल वितरण की पद्धति में सुधार करने के दूसरे चरण के लिए 52.52 लाख रुपये मंजूर किये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अब तक प्रथम चरण पर 70.05 लाख रुपये तथा द्वितीय चरण पर 50.56 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। मार्च, 1969 तक इन कार्यों के पूरा हो जाने की आशा है।

लम्फेलपट जनरल अस्पताल, मनीपुर

3726. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के लम्फेलपट जनरल अस्पताल के निर्माण-कार्य तथा उसके लिए उपकरणों और सहायक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र की ओर से कितनी सहायता दी गई है;

(ख) इस अस्पताल के लिए कौन-कौन से उपकरण खरीदे गए हैं तथा उन पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) ये उपकरण किन-किन कम्पनियों से खरीदे गए हैं तथा क्या वे कम्पनियां केन्द्रीय सरकार की मान्यता प्राप्त कम्पनियों की सूची में है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिनसे ये उपकरण खरीदे जाने चाहिये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए सहायता

3727. **श्री मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने अपनी बिजली की सप्लाई बढ़ाने तथा घरेलू और अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य की मांग को पूरा करने के हेतु चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उनकी सारी मांगें पूरी करने के लिए राजी हो गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मनीपुर एक संघीय प्रदेश है जहां पर विधान सभा भी है । पूंजीगत परिव्यय के कारण समस्त व्यय का केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से इसके बजट में प्रबन्ध किया जाता है और उतनी ही राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा संघीय प्रदेश को ऋण के रूप में दी जाती है । बिजली के आवद्घन से सम्बन्धित स्कीमों के लिए, जिसमें असम से थोक बिजली को खरीदना शामिल है तथा लोकटक पन-बिजली स्कीम के लिए 1968-69 के बजट में 15.5 लाख रुपये का प्रबन्ध है ।

जयपुर तथा भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

3728. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जयपुर और उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित महालेखापालों के सब श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या इस समय कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने लोगों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

जयपुर तथा भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

3729. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर तथा भुवनेश्वर स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कितने कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा गया था; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा और राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

3730. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967–68 में राजस्थान तथा उड़ीसा के राज्यों को निर्धारित राशि से कम केन्द्रीय सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित राशि देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) राजस्थान और उड़ीसा की सरकारों ने अपने-अपने राज्य की 1967–68 की आयोजना-गत योजनाओं के प्रत्याक्षित व्यय के जो आंकड़े सूचित किये थे उनके आधार पर वे जितनी केन्द्रीय सहायता पाने की हकदार है, उतनी सहायता उन्हें पहले ही दी जा चुकी है ।

होगेनक्कल जल-विद्युत योजना, मद्रास

3731. **श्री नंजा गौडर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार क्रमशः 600 एच० डब्लू० और 200 एच० डब्लू० की अधिष्ठापित क्षमता की दो बन्चों सहित होगेनक्कल जल-विद्युत योजना, जिस पर अनुमानतः 5556 लाख रुपये खर्च होंगे, सम्बन्धी विस्तृत योजना प्रतिवेदन को दिसम्बर, 1961 में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को भेज दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने उस प्रतिवेदन पर अब तक विचार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मई, 1966 में हुए अन्तर्राज्यीय वार्तालाप के अनुसरण में मद्रास राज्य बिजली बोर्ड स्कीम रिपोर्ट को पुनः बना रहा है ।

पौदियार पुन्नमपुजा जल-विद्युत योजना

3732. श्री नंजा गौडर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलगिरी जिले में पौदियार-पुन्नमपुजा जल-विद्युत योजना को केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग ने तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी है तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने योजना की मंजूरी देने के औपचारिक आदेश अभी जारी नहीं किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) पौदियार-पुन्नमपुजा पन-बिजली परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय बल तथा विद्युत आयोग में की गई थी और सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा विद्युत परियोजनाओं से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सामने 5 दिसम्बर, 1966 को हुई इसकी बैठक में विचारार्थ रखी गई थी । समिति ने इस स्कीम के लिए 15.25 करोड़ रुपये की अनुमित लागत पर अनुमति दे दी । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण 1967–68 और 1968–69 की राज्य योजनाओं में इस स्कीम को शामिल नहीं किया जा सका जिसके कारण यह स्कीम अभी तक स्वीकार नहीं हुई है ।

नायवत्तम अपवाह मोड़ (डाइवर्शन) योजना, मद्रास

3733. श्री नंजा गौडर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायवत्तम अपवाह मोड़ (डाइवर्शन) योजना को जिसकी अनुमानित लागत केवल 72 लाख रुपये है, तथा जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का विचार था, केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम रूप से मंजूरी नहीं दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास सरकार मांग कर रही है कि कम से कम उसे अग्रिम कार्य करने की अनुमति दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) योजना आयोग की सलाह के साथ इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कदम-पोनई जल-विद्युत योजना

3734. श्री नजा गोडर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कदम-पोनई जल-विद्युत योजना (कोयम्बतूर जिला) संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन पर जिसे मद्रास सरकार ने केन्द्रीय जल और बिजली आयोग को 1965 में भेजा था, अभी भी विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली है और इस पर अब राज्य बिजली बोर्ड से लिखा-पढ़ी की जा रही है । तकनीकी जांच के पश्चात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने मद्रास राज्य बिजली बोर्ड को यह सलाह दी है कि प्रतिष्ठापित क्षमता को 35 मैगावाट से बढ़ाकर 100मैगावाट करने के लिये परियोजना के परिणाम का संशोधन किया जाए । राज्य बिजली बोर्ड का उत्तर मिलने के पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जाएगा ।

मद्रास की जल—विद्युत परियोजनायें

3735. श्री नंजा गोडर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास राज्य की लगभग सभी जल-विद्युत परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और बहुत बड़ी संख्या में अनुभवी इंजीनियर तकनीकी कर्मचारी तथा दक्ष श्रमिक बेकार हो रहे हैं ।

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि निर्माण का भारी उपकरण तथा मशीनरी जिन पर कई करोड़ रुपये लगे हैं, बेकार पड़ी है जो कि राष्ट्रीय हानि है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पडियान-पुन्नमपुजा योजना, नदुवलियम का रुख मोड़ने की योजना कदमपारय जल विद्युत योजना तथा चोलाधीपुभा जल विद्युत योजना जैसी कम से कम कुछ जल-विद्युत योजनाओं को तुरन्त क्रियान्विति की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परम्बीकुलम अलियार और कोडयार पन-बिजली स्कीमें अभी क्रियान्वित की जा रही हैं । कलपक्कम पर एक बृहत अणु-बिजली केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है । अतः अनुभवी इंजीनियरों,

तकनीकी विशेषज्ञों और मजदूरों को पूर्ण हो गई परियोजनाओं से उन परियोजनाओं में ले जाने का स्कोप है जिन पर कार्य गति में तेजी आ रही है ।

(ख) मद्रास राज्य ने अभी तक केवल 41000 रुपये के फालतू माल का ब्यौरा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को बताया है ।

(ग) पनियार-पुन्नमपुजा, नाडूवट्टम व्यपवर्तन, कदमपराय और चोलाटीपुजा स्कीमों को कार्यान्वित के लिए हाथ में लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Value of Smuggled Goods

3736. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the value of smuggled goods recovered by the Central Excise Department and the Customs authorities in Bomboy, Calcutta, Madras, Bihar, Goa, Daman and Diu since January, 1968;

(b) the value of gold recovered along with other goods; and

(c) whether the Officers and other employees who recovered the smuggled goods have been rewarded ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Value of gold and other smuggled goods recovered by the Central Excise department and the Customs authorities in Bombay, Calcutta, Madras and Bihar are furnished in the statement, Placed on the Table of the House [Placed in Library. See No L T 1708/68] Information in respect of Goa, Daman and Diu is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) The officers and other employees are rewarded after the adjudication proceedjngs are over.

Gold Bars recovered in Madras

3737. Shri T. P. Shah :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the second fortnight of July, 1968, the customs authorities raided a house in Madras and recovered some gold bars bearing foreign markings;

(b) if so, the value of gold recovered and the number of arrests made in this connection and the nature of action taken against them so far; and

(c) the name of the country whose markings were found on the bars so recovered ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Gold bearing Swiss markings valued approximately Rs. 1.48 lakhs at international rate was recovered. Three persons were arrested and remanded to judicial custody. Further investigations are still in progress.

धनराजगिराजी अस्पताल न्यास, शोलापुर को सहायतानुदान

3738. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराजगिराजी अस्पताल न्यास, शोलापुर को मिलने वाला 1967–68 की बैसिक नर्सिंग का सहायक अनुदान अब तक नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उपधर्या का प्रशिक्षण के हेतु निजी / स्वैच्छिक संस्थाओं को सहाय्यानुदान देने के लिए 1967-68 में धन की जो व्यवस्था की गई थी, वह पर्याप्त नहीं थी। अब इस प्रकार के अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए जाने हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश

3739. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एण्ड ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश ने घोषणा की थी कि इंजैक्शन के द्वारा लगाई जाने योग्य अथवा जीवाणुनाशक पैन्सिलिन जून, 1967 से उपलब्ध हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उसके अब तक उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय तथा रूसी कार्य प्रणाली के बीच इस सम्बन्ध में क्या मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

3740. श्री सुदर्शनम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों की कितनी राशि की अदायगी इस समय संदिग्ध है अथवा वसूल नहीं की जा सकती; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भूत-पूर्व पुनर्वास वित्त प्रशासन (रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा दिये गये कुल 11.22 करोड़ रुपये के ऋणों में से, ब्याज सहित लगभग 10.35 करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया है, और कर्जदारों से ब्याज सहित 3.57 करोड़ रुपया लेना अभी बाकी है । अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की रकमों की छंटाई की जा रही है और इस प्रकार अब तक ब्याज सहित 1.81 करोड़ रुपये की रकम बट्टे खाते डाल दी गयी है ।

(ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के अधिकतर मामलों का सम्बन्ध पूर्वीपाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों से है । बहुत से मामलों में ये ऋण पुनर्वास की दृष्टि से दिये गये थे और इन ऋणों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जमानत लेने पर जोर देने के सामान्य वाणिज्यिक मानकों का पालन नहीं किया गया था, ताकि उन व्यक्तियों को उस समय सहायता मिल सके जब उन्हें उसकी सख्त जरुत हो । इनमें से अधिकतर ऋण छोटे-छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को दिये गये थे और ये लोग कलकते जैसे बड़े शहरों में ठीक प्रकार से अपने आपको स्थापित नहीं कर सके और व्यापार या कारबार को सफलतापूर्वक नहीं चला सके । इसके अलावा, विशेषकर असम में बसे विस्थापितों को, बाढ़ जैसी दैवी-विपत्तियों और दंगों का भी सामना करना पड़ा जिसके कारण उन कर्जदारों के लिए ऋण चुकाना और भी कठिन हो गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में एक सलाहकार का शामिल किया जाना

3741. श्री रवि राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में श्री कांतिलाल मोरारजी देसाई को किसी अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का सलाहकार नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या उन्हें मन्त्री के निजी सचिव के रूप में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सलाहकार के रूप में अथवा दोनों पदों के आधार पर राजनयिक पारपत्र दिया गया था;

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सलाहकार नियुक्त करने के लिए श्री कांतिलाल देसाई की योग्यतायें क्या हैं; और

(ङ) क्या इन नियुक्तियों में से किसी एक अथवा दोनों नियुक्तियों की हैसियत से वह सरकारी कागजों अथवा फाइलों को देख सकते थे और यदि हां तो किस प्रकार के कागज अथवा फाइलें ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) श्री कांतिलाल देसाई 6 सितम्बर से 5 अक्टूबर, 1967 तक मेरे साथ विदेशी दौरे पर गये थे । उनको

राजनयिक पारपत्र (डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) दिया गया था, जो एक उच्च पदाधिकारी के साथ जाने वाले उसके परिवार के सदस्य को मिलता है। जब में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की वार्षिक बैठकों में भारत की ओर से इन संस्थाओं में नियुक्त गवर्नर के रूप में सम्मिलित हुआ तब श्री कांतिलाल देसाई को सलाहकार का बिल्ला (बैज) दिया गया था ताकि वह सम्मेलन कक्ष (कान्फ्रेंसहाल) के अहाते में प्रवेश कर सकें और बैठकों के सम्बन्ध में आयोजित किये जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। सलाहकार की संज्ञा केवल इसी सीमित उद्देश्य के लिए तकनीकी कारणों से दी गयी थी। वह सरकारी कागजों अथवा फाइलों को नहीं देख सकते थे।

श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध

3742. श्री रवि राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई उनके निजी सचिव कब नियुक्त हुए थे;

(ख) क्या 'ट्रेड विंग्स प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक श्री कांतिलाल मोरारजी देसाई का उनके निजी सचिव बनने के दिन से 1 मई, 1968 तक की अवधि में किसी समय भी इस कम्पनी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था;

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिये; और

(घ) इस अवधि में 'ट्रेड विंग्स' से उन्हें कितना भुगतान, भत्ते या कोई अन्य उपलब्धि प्राप्त हुई थी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री कान्तिलाल देसाई को उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री का निजी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। हां, गैर-सरकारी काम में वह उनकी सहायता करते रहे हैं।

(ख) और (ग) ट्रेड विंग्स (पी०) लिमिटेड के निदेशक के रूप में वह अब भी कार्य कर रहे हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक की नाममात्र फीस के अलावा ट्रेड विंग्स (पी०) लिमिटेड से उन्हें कुछ भी रकम, भत्ता या अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता।

कांतिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध

3743. श्री रवि राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कांतिलाल मोरारजी देसाई उनके निजी सचिव कब नियुक्त हुए;

(ख) क्या रंग रोगन बनाने वाली बिबगियोर कम्पनी के निदेशक श्री कान्ति देसाई का उनके निजी सचिव बनने के दिन से 1 मई, 1968 तक की अवधि में किसी समय भी इस कम्पनी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था;

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिये; और

(घ) इस अवधि में बिबगियोर कम्पनी से उन्हें कितना भुगतान, भत्ते या कोई अन्य उपलब्धि प्राप्त हुई थी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री कांतिलाल देसाई को वित्त मंत्री का निजी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। हां, जून, 1964 से वह, गैर-सरकारी काम में उनकी सहायता करते आ रहे हैं।

(ख) और (ग) विबगियोर लिमिटेड के निदेशक के पद से उन्होंने 25-8-1964 को त्याग पत्र दे दिया था।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री कांतिलाल मोरारजी देसाई के व्यापार सम्बन्ध

3744. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कांति लाल मोरारजी देसाई उनके निजी सचिव कब नियुक्त हुए :

(ख) क्या थैकर्स कनसर्न (पब्लिशर्स) के निदेशक श्री कांति देसाई का उनके निजी सचिव बनने के दिन से 1 मई, 1968 तक की अवधि में किसी समय भी इस फर्म से किसी प्रकार का सम्बन्ध था;

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिये; और

(घ) इस अवधि में थैकर्स कनसर्न से उन्हें कितना भुगतान, भत्ते या कोई अन्य उपलब्धि प्राप्त हुई थी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री कांति लाल देसाई को उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का निजी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। हां, जून, 1964 से वह गैर-सरकारी काम में उनकी सहायता करते आ रहे हैं।

(ख) और (ग) वह थैकर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के अध्यक्ष थे और इस पद से उन्होंने 31-1-1967 को त्यागपत्र दे दिया था।

(घ) निदेशक की नाममात्र फीस के अलावा, थैकर एण्ड कम्पनी लिमिटेड से उन्होंने कुछ भी रकम, भत्ता या अन्य पारिश्रमिक नहीं लिया है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

3745. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली में इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनमें से कितने अधिकारी पिछले लगभग दस वर्षों से उस संस्था में है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों की अवधि बढ़ाई जा रही है और उनको 58 वर्ष की आयु के हो जाने के बाद भी सेवा में रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके सेवा काल को बढ़ाने तथा उनकी वार्धक्यता प्राप्ति पर भी उन्हें पुनः नौकरी दी जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का केवल एक अधिकारी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इस समय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा है। वह 1-6-67 से प्रतिनियुक्ति पर है।

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क

3746. **श्री जे० एच० पटेल**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली बार सोडियम नाइट्रेट पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोडियम नाइट्रेट का मूल्य कितना है तथा इस आयात से राज्य व्यापार निगम और भारत सरकार के राजस्व विभाग को मुनाफे का कितना कितना अंश मिलता है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि रेलिस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, जिसके पास सोडियम नाइट्रेट की अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी है, चिली से सोडियम नाइट्रेट मंगवाने की बजाय उस रुपये में भुगतान करने वाले देशों से बहुत अधिक दामों पर आयात किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेड का उत्पादन

3747. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड देश में आयातित मूल्य पर सोडियम नाइट्रेट बना सकती है;

(ख) संशलिष्ट नाइट्रिक एसिड 50 / 53 की वास्तविक उत्पादन लागत क्या है और क्या 1966 में लगभग 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन के मूल्य की तुलना में इसका मूल्य बढ़ा कर 655 रुपये कर दिया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कागज उद्योग के लिये वर्ष 1967--68 में काफी बड़ी मात्रा में सोडियम सल्फेट का आयात किया गया था ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

प्रधान मन्त्री का चन्द्रपुर बिजली घर का दौरा

3749. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर बिजलीघर के तीसरे जनित्र का उद्घाटन करने के लिये 7 जुलाई, 1968 को प्रधान मन्त्री के चन्द्रपुर के दौरे के सम्बन्ध में सरकार तथा अन्य संगठनों का वस्तुत. कितना धन व्यय हुआ;

(ख) सुरक्षा व्यवस्था पर कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को प्रधान मन्त्री के वहां जाने से सम्बन्धित समाचार प्राप्त करने के लिये बोकारो अथवा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

3750. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1968 को मैसर्स एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के चार कर्मचारियों के पक्ष में जो 25,000 रुपये निकाले गये थे, क्या उसके बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो वह शिकायत वास्तव में क्या है;

(ग) क्या इस शिकायत के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जा रही है और सूचना सदन की मेज पर रख दी जायगी।

जीवन बीमा निगम की 'अपना मकान बनाओ' योजना

3751. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अपना मकान बनाओ' योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम ने अपने पालिसी-धारियों को कितने तथा कितनी राशि के ऋण मंजूर किये हैं;

(ख) मंजूर किये गये ऋणों की अधिकतम तथा निम्नतम राशियां कितनी-कितनी हैं;

(ग) क्या इस योजना के कार्य संचालन के बारे में मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उप-पत्तियां क्या हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना चालू करने से लेकर 30 जून, 1968 तक 12.72 करोड़ रुपये की रकम के ऋण मंजूर किये गये हैं ।

(ख) अधिकतम 1 लाख रुपये

न्यूनतम 7,500 रुपये

(ग) तथा (घ) योजना बहुत लोकप्रिय हुई है ।

मंगलौर उर्वरक परियोजना

3752. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में उर्वरक परियोजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कुछ अन्य उर्वरक परियोजनाओं में वित्तीय अथवा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) दो पक्षों ने, जिन्होंने हलदिया तथा गाजियाबाद में कारखाने स्थापित करने के लिए आशय-पत्र दिये थे, वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपने प्रस्ताव वापस ले लिये हैं । जहां तक हलदिया परियोजना का सम्बन्ध है, मैसर्ज फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी ने अमरीका में मुद्रा बाजार की तंगी, विश्व में डालर के उनके निवेश के लिए प्रतियोगिता तथा पौण्ड के अवमूल्यन से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया है । जहां तक गाजियाबाद परियोजना का सम्बन्ध है, मैसर्स रोहम एण्ड ह्रास ने, जो मोदी उद्योग के साथ सहयोग कर रही है, वित्त व्यवस्था विशेष रुप से अमरीकी सरकार, वाणिज्य विभाग के नये विनियमों तथा उत्पादन आरम्भ होने के बाद पूर्वकल्पित मूल्य ह्रास से उत्पन्न कुछ कठिनाईयों के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया है ।

Landless, Homeless and Unemployed Persons

3753. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the percentage of landless, homeless and unemployed persons in India;

(b) the percentage thereof in Uttar Pradesh;

(c) the percentage thereof in District Banda of Uttar Pradesh, and

(d) whether Government propose to implement any scheme to give land, plot for house and employment to these persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) (a) to (d) : The time and effort involved in collecting the information required will not be commensurate with the results that would be achieved.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास अप्रयुक्त ड्रिलिंगबिट

3754. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास दस वर्ष से भी अधिक समय से इस में निर्मित दो हजार से अधिक ड्रिलिंग बिट अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है;

(ग) उन्हें प्रयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनको किस प्रकार प्रयोग में लाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । यह उन ड्रिलिंगबिटस में से हैं जिनका रूस से 1957 से आयात किया गया ।

(ख) लगभग 65.51 लाख रूपये ।

(ग) इन बिटस का प्रयोग, तकनीकी कारणों से केसिंग पालिसी में परिवर्तन और ड्रिलिंग के स्थान के सख्त भूमि क्षेत्रों के नरम क्षेत्रों में बदलने के कारण न हो सका ।

(घ) इन्हें रूस के प्रदायकों को वापिस कर देने का निर्णय किया गया है । कुछ अन्श वापिस कर भी दिया गया है ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये दुकानों का आवंटन

3755. श्री रामजी राम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में दुकानें टेंडर मांग कर सबसे अधिक राशि का टेंडर देने वाले व्यक्ति को अलाट की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार गत 20 वर्षों में कितनी दुकानें अलाट की गई हैं तथा उनमें से कितनी दुकानें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दी गई है तथा इन दुकानों को अलाट करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है कि उन्हें इस सिद्धान्त पर कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा इन जातियों के कम आय वाले लोगों के लिये 15 प्रतिशत रिहायशी प्लाट पृथक रखे गये हैं, कुछ दुकानें किराये पर दी जानी चाहियें;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति दयनीय होती है, उनके मामले में विस्थापित व्यक्तियों के मामले की तरह अधिकतम बोली देने की प्रक्रिया समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली में अभी तक कुल 2931 दुकानें, वाणिज्यिक प्लेट और प्लेटफार्म आदि अलाट किए गए हैं । अलाटमेंट के सम्बन्ध में जाति वार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते । इन दुकानों को अलाट करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी गई थी :

पांच मार्केटों की 1103 दुकानें भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित की गई थीं और वे उसी मंत्रालय द्वारा पहले ही विस्थापित व्यक्तियों को अलाट की जा चुकीं थीं । बाद में बनाई गई मार्केटों की दुकानें या तो विभिन्न कोटियों के पात्र अनधिवासियों को, या विविध व्यापारों के संतुलित प्रतिनिधित्व तथा आवंटियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन द्वारा अलाट की गई थीं । अक्टूबर, 1965 से यह अलाटमेंट टेन्डरों के आधार पर की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दुकानें टेण्डरों के आधार पर अलाट की जाती हैं, और इस आधार पर नहीं कि कोई व्यक्ति किस विशेष जाती का है ।

(ङ) जी, नहीं ।

Irrigation Charges in Dhenkanal Division of Banda District (U.P.)

3756. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether there are any specific orders from Government to Irrigation Superintendents in Dhenkanal division of Banda district of U. P. to exert pressure on Amins and patrolmen to enter maximum amount of irrigation charges for Khariff and Rabi crops to increase income or wheteer this is being done by them of their own accord to earn good names for themselves;

(b) whether it is also a fact that exaggerated figures of areas irrigated under the scheme are entered in the register alongwith the irrigation charges therefor and the same area is added to other areas while entering them in the register alongwith inflated irrigation charges;

(c) if so, how this anomaly is proposed to be removed by Government so that farmers might not have to pay double irrigation charges;

(d) whether it is also a fact that the bills demanding irrigation charges are distributed to farmers after the date of filing objections is over and if so, whether this lacuna is also proposed to be removed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The reference is presumably to Ken Canal Division. The State Government has reported that there are orders to record the entire area irrigated and assessment is accordingly made.

(b) No such rule, order or practice is reported to be in vogue in the Irrigation Department. The State Government has reported that actual figures of area irrigated are entered alongwith irrigation charges leviable on the respective crops. Before the final demand certificate is submitted to the Collector for realisations, these are checked by the Amins and Ziledars and again compared in the Divisional Office. The State Government has also reported that there is no possibility of any inflated irrigation charges being levied.

(c) It is stated that there is no anomaly and, as such, the question does not arise. Any specific instances when brought to notice are dealt with suitably.

(d) The demand slips (parchas) are distributed to the cultivators or the Gram Pradhan in time as provided under rules. The State Government has reported that complaints received even after the date of expiry of the specified period are not rejected and are investigated.

दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा घोषित आय

3757. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 67 तक के वर्षों में सब्जी मंडी (दिल्ली) के निम्नलिखित करदाता फल व्यापारियों द्वारा कितनी कितनी वार्षिक आय घोषित की गई थी तथा आय कर विभाग द्वारा कितनी-कितनी वास्तविक आय पर कर लगाया गया :

(1) मैसर्स बी० प्रहलाद एण्ड कम्पनी ।

(2) मैसर्स शंकर फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड ।

(3) मैसर्स काकाज एण्ड कम्पनी ।

(4) मैसर्स पादूमल मोहन लाल ।

(5) मैसर्स पादूमल लीलाराम ।

(6) मैसर्स गोपाल दास रमेश चन्द्र ।

(7) मैसर्स बाबू राजेन्द्र फ्रूट कम्पनी ।

(8) मैसर्स सोहना मल इन्द्र सैन ।

(9) मैसर्स लादू मल नाने राम ।

(10) मैसर्स मोती राम जगत राम ।

(ख) उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध भूंठी घोषणायें करने के कारण कार्यवाही की गई है, प्रत्येक के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है और यदि जुर्माना किया गया है तो कितना-कितना; और

(ग) उन लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही न की जाने के प्रत्येक मामले में क्या-क्या कारण थे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल०टी० 1709/68]

Business of the Life Insurance Corporation after Nationalisation

3758 **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a the extent to which the business of the Life Insurance Corporation has increased after the nationalisation thereof and the total profit from the said business;

(b) the total increase in the expenses of the Corporation and in the number of its officers and employees after nationalisation; and

(c) the number of claims received by the Corporation last year, number disposed of and the number outstanding alongwith reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The new business of the L. I. C. has increased to Rs. 770 crores in 1966-67 from Rs. 261 crores in the year 1955

The six biennial valuations including the one as at 31st March, 1967, disclosed surpluses totalling Rs. 252 crores.

(b) The expenses of management of the LIC have increased to Rs. 54.6 crores during the financial year 1966-67 from Rs. 24.11 crores during the 16 months period September 1956 to December 1957.

The number of officers and employees in the service of the LIC has increased to 52,131 in March 1967 from 27,262 in September 1956.

(c) The infomration is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Construction of "Pantoon Bridge" over Chambal River

3759. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the steps taken so far in regard to the decision arrived at in the meeting of Chambal Project Board held recently in Rawatbhata (Rajasthan) regarding the construction of a pantoon bridge over the Chambal river between Rawatbhata and Bhaisrongarh and the time by which the said bridge would be constructed; and

(b) the action taken and the progress made in regard to his decision to give preference to the persons and the villages affected by this project for the purpose of making arrangements for water and electricity for them ?

The Dputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) The Chambal Control Board, at its meeting-held on the 7th June, 1968 approved a proposal for the construction of an approach road and a bridge across the Brahmani river near Rawatbhata to provide access to Bhainsrongarh and for providing a ferry service on the Chambal river near Bhainsrongarh to enable the people of the area to cross the Chambal river. The construction of the approach road and the bridge across Brahmni will be taken up after the monsoons.

The proposal for providing a pantoon bridge on Chambal river is under investigation.

(b) Three schemes to provide lift irrigation facilities to the affected people in rehabilitated areas are under preparation by the State Government of Rajasthan. Detailed estimates of one of these schemes have been received and are under scrutiny. The other two schemes are under detailed investigation.

The plans and estimates for the schemes for the supply of electricity to the affected people are under preparation.

सिंचाई की सुविधाओं तथा राज्यों के लिए धन के नियतन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

3760 **श्री कार्तिक उरांव :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उन प्रयोजनों के हेतु धन का नियतन करने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में खेती योग्य भूमि

3761 **श्री कार्तिक उरांव :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना में कुल कितने एकड़ खेती योग्य भूमि है;

(ख) चालू वर्ष में सिंचाई के प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है और यह बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए किए गए धन की तुलना में कितना अधिक अथवा कम है; और

(ग) सिंचित भूमि कुल कितने एकड़ है और यह बिहार के शेष भागों तथा भारत के अन्य भागों में खेती योग्य भूमि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1965–66 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के छोटा नागपुर तथा सथाल परगना में क्रमश: 10 लाख हेक्टेयर तथा 34 लाख हेक्टेयर कृष्य क्षेत्र है ।

(ख) धन का आवन्टन क्षेत्रवार नहीं किया जाता । बिहार की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 1968-69 की कुल परि-व्यय राशि 19.20 करोड़ रुपये है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1710-68]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चंडीगढ़ स्थित इंडो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने का समाचार

श्री हिम्मतसिंह का (गोडुा) : मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान चंडीगढ़ स्थित इंडो स्विस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने के समाचार की ओर दिलाता हूँ, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह पांच पृष्ठ का वक्तव्य है और इसे पढ़ने में 7 मिनट लगेंगे। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि चंड़ीगढ़ स्थित इंडो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाये।

श्री भागवत झा आजाद : मैं अपना शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1688/68]

(शेष वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया)

उप-प्रधान मन्त्री के विरुद्ध सूचनाओं के बारे में
Re : NOTICES AGAINST DEPUTY PRIME MINISTER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want clarification.

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे उप-प्रधान मन्त्री के बारे में एक प्रस्ताव दिया था जो मैंने प्रधान मन्त्री के पास भेज दिया था। आज ही मुझे प्रधान मन्त्री का उत्तर मिला है और मैं उस पर विचार कर रहा हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औषधीय तथा सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औषधीय तथा सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) चौथा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 3 अग-

स्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1439 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1682/68]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2638 की एक प्रति जो दिनाक 27 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1683/68]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 93 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1443 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 1444 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 15 जून, 1968 के जी० एस० आर० 1130 का शुद्धिपत्र दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1684/68]

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (13 वां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1442 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1685/68]

(5) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2751 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1686/68]

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय बचत पत्र (पहला निर्गमन) (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1433 में प्रकाशित हुए थे।

(2) डाक घर बचत पत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1434 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) सरकारी बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1435 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) राष्ट्रीय बचत पत्र (पहला निर्गमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1436 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) डाकघर बचत पत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1437 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1687/68]**

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : I beg to lay a supplementary statement regarding flood situation in the country on the Table of the House **[Placed in Library, See No. L. T, 1689/68]**

सदस्यों की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से दिनांक 9 अगस्त, 1968 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको सूचित करना है कि 11-10 बजे म० पू० पर बर्च रोड और ब्रासी एवेन्यू, नई दिल्ली के संगम पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में लोक सभा के सदस्य सर्व श्री पी० विश्वम्भरन्, ए० श्री धरन और जी० पी० मंगलाथुमाडोम का भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन पार्लियामेन्ट स्ट्रीट न्यायालय में मेरे समक्ष विचारण हुआ ।

आज 9 अगस्त 1968 को विचारण के बाद मैंने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दोषी पाया और न्यायालय के उठने तक कारावास का दंड दिया ।"

राज्य–सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA-SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

"मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यवाही के संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968 की, जो राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 1968 की बैठक में पास कर दिया गया है, एक प्रति भेजने का निदेश मिला है।"

राज्य–सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक, सभा-पटल पर रखा गया
BILL PASSED BY RAJYA-SABHA, LAID ON THE TABLE

सचिव : श्रीमान् मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968 की एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पारित किये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

भारतीय पेटेन्ट तथा डिज़ाइन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प, भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक तथा पेटेन्ट विधेयक–जारी
STATUTORY RESOLUTION RE : INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) ORDINANCE, INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) BILL AND PATENTS BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में श्री दांडेकर द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प, भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक तथा पेटेन्ट विधेयक पर आगे विचार करेगी।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I hope that the Select Committee would give due consideration to this Bill. Every country takes decisions in accordance with the circumstances prevailing there. The existing law was imposed on us by the British in 1856.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair.* }

After independence some amendments have been made in the law but they do not go to the root of the problem and the matter is being delayed. In the present circumstances the law of patents cannot be useful for us. In his report justice Ayyangar has quoted authors to show how this law is working against the interests of India. It is unfortunate that even then he concluded that there was no alternative system for the country to follow.

If it is not a good system why should we adopt it ? The law, which is detrimental to our interests, should be scrapped and we must have necessary guts for that.

Crores of rupees are being taken away by foreigners from our country under the patents law. It is another kind of imperialism. At least for certain commodities, such as tooth pastes, there is no necessity of patent at all. So long as we continue depending upon the patents of other countries, we shall not be able to bring about economic revolution in our own country.

It is necessary that we should from a Committee of Scientists in this regard and the Committee must be consulted before the patent is granted.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस विधेयक को देरी से प्रस्तुत किया गया है। 1963 में सरकार का विचार था कि पेटेन्ट कानून की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु 1964 में जब श्री लालबहादुर शास्त्री इंगलैंड गये तब यह निश्चय किया गया कि पेटेन्ट कानून में कुछ संशोधन किया जाना चाहिये। इसीलिये 1964 में एक नया आदेश जारी किया गया, परन्तु यह आदेश एक अजीब प्रकार का था।

इस देश में पेटेन्ट प्रणाली एक शताब्दी से चली आ रही है। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हुए हैं। दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि पेटेन्ट कानून दृढ़ कानून हो ताकि इससे पेटेन्ट सम्बन्धी जानकारी तथा नवीनतम थैलियों को प्राप्त करने में सहायता मिले। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इससे हमारे हितों को नुकसान पहुंचता है और देश में आविष्कारों को कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है। हमारा उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और निर्यात बढ़ाना होना चाहिये। इसलिये यह कानून ऐसा होना चाहिये कि इससे इस लक्ष्य पर पहुँचने में सहायता मिले।

यह प्रश्न भारत के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम विकासशील हैं। हम अनेक अनुसन्धान करना चाहते हैं तथा अपने आविष्कर्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमें इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम वास्तविक आविष्कर्ताओं को संरक्षण देते हैं तो हम उसी तरह का संरक्षण जैसा कि हम असली आविष्कर्ताओं को देना चाहते हैं, नकली या बेकार आविष्कर्ताओं को न दें।

अधिकांश देशों में पेटेन्ट कानून बड़े दृढ़ हैं। श्री अय्यंगार द्वारा अपने प्रतिवेदन में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि अविकसित देशों पर इस प्रणाली को लागू करने की कठिनाइयों के बावजूद इस समय बेहतर परिणाम प्राप्त करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरे उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय संसार के समाजवादी तथा अन्य देशों में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने आविष्कर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिये इस प्रणाली को न अपनाता हो। इसलिये कोई पेटेन्ट कानून आवश्यक है। हमारे प्रस्तुत कानून में सुधार करने की आवश्यकता है।

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार खाद्य और औषधि के अलावा अन्य वस्तुओं के लिये भी मुआवजा दिये बिना किसी पेटेन्ट का

प्रयोग कर सकती है। इसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि यह स्थानीय उद्योग के प्रतिकूल होगा, इससे औद्योगिक प्रगति और अनुसन्धान में बाधा पड़ेगी। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया है कि खण्ड 99 और 100 में सरकार द्वारा किसी पेटेन्ट के प्रयोग का एक उपबन्ध किया गया है और उस मामले में सरकार को कुछ मुआवजा देना है तथा न्यायालय में अपील की जाती है। सरकार को अपील का अधिकार खत्म नहीं कर देना चाहिये और कुछ मुआवजा देना चाहिये, विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि इसे सभी पेटेन्टों पर लागू किया जा रहा है।

इसके बाद खंड 87 और 88 है जो अनिवार्य लाइसेन्स देने का लाइसेंस के अधिकार के सम्बन्ध में हैं। ये उपबन्ध भी विचित्र हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन देने पर एक लाइसेंस का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वर्तमान अधिनियम के अनुसार नियन्त्रक आवेदक की योग्यता, सामर्थ्य तथा सद्भावना की जांच कर सकता है। सरकार इस स्वविवेकपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में क्यों लेना चाहती है जब कि यह खाद्य और औषधियों पर लागू होता है जिनमें काफी अपमिश्रण होता है।

एक प्रस्ताव यह है कि मुआवजों की अदायगी 4 प्रतिशत तक सीमित कर दी जाये। परन्तु इस 4 प्रतिशत को सभी मामलों में लागू करना उचित नहीं है। इस प्रश्न पर गुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिये। पेटेन्टी और लाइसेंसधारी इसे आपस में तय कर सकते हैं या मामले को नियन्त्रक के पास भेजा जा सकता है और अन्त में अपील की जा सकती है।

एक पेटेन्ट के लिये जो अवधि दी जाती है वह खाद्य और औषधियों के मामले में 16 साल से घटाकर 10 साल की जा रही है और दूसरे पेटेन्टों के मामले में 14 साल की जा रही है। अय्यंगार प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि यह अवधि 16 साल होनी चाहिये। दूसरे सभी देशों में यह अवधि 16 से 17 साल है, जबकि इंगलैंड ने 20 साल की अवधि की सिफारिश की है। इसलिये हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि ऐसे कानून को पास किया जाये जिससे अनुसन्धान और आविष्कार में रुकावट आ रही हो, बल्कि हमारा उद्देश्य एक ऐसे कानून को पास करने का होना चाहिये जिससे औषधियों और दवाओं में अधिक से अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो और हमारे निर्माताओं को प्रोत्साहन मिले। हमें आशा है कि प्रवर समिति इस पर समुचित रूप से विचार करेगी।

श्री कन्डप्पन (मैंदूर) : यह बड़ा पेचीदा विषय है। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या वर्तमान स्थिति में एक पेटेन्ट कानून से हम नये आविष्कारों को जो कि आज हमारे देश में हो रहे हैं न केवल प्रोत्साहन देने बल्कि संरक्षण देने की स्थिति में हो सकेंगे।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : इसे हम अपने देश के लिये कर सकते हैं। परन्तु हम विदेशियों के लिये इसे क्यों करें ?

श्री कन्डप्पन (मंदूर) : जब हम पेटेन्टों के कानून का विनियमन कर रहे हैं तब हमें यह देखना चाहिये कि हम पेटेन्ट कानून से अपने देश में ऐसे अनुसन्धान को वास्तव में प्रोत्साहन दें जो हमारे देश में कुछ व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे हैं।

तरीके के पेटेन्ट और उत्पादन के पेटेन्ट तथा आवेदक द्वारा उद्योग की स्थापना और उसे लाइसेंस देने के बीच के समय सम्बन्धी खण्डों में बहुत त्रुटियां हैं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि संयुक्त समिति में सभी प्रकार के मतों पर विचार किया जाये तथा उसमें पर्याप्त समय और सावधानी बरती जाये जिससे कि हम देश में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिये एक समुचित पेटेन्ट कानून को ला सकें।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : किसी देश में पेटेन्टों की संख्या उस देश की आविष्कारक प्रतिभा का सूचक है और जिस देश में पेटेन्ट जितनी अधिक संख्या में होते हैं उससे उतना ही अधिक यह सिद्ध होता है कि इस देश के लोग विज्ञान, टेक्नालोजी और दूसरी बातों के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं।

हमारे देश में पेटेन्ट देने के लिये लगभग 6000 आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं। उन आवेदनपत्रों का क्या मूल्य है, यदि वे इतने सालों से विचाराधीन पड़े हुए हैं तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? इसके अतिरिक्त उन आवेदकों का किस प्रकार के पेटेन्टों से सम्बन्ध है।

मेरे विचार से सभी को पेटेन्टों के लिये स्वतंत्रता होनी चाहिये। माननीय प्रतिभा को किसी बन्धन में नहीं जकड़ा जाना चाहिये।

ब्रिटिश सरकार ने हमारी मानवीय प्रतिभा को अनेक वर्षों तक ताक पर रख दिया था। अब हमारी सरकार ने पेटेन्ट विधेयक प्रस्तुत किया है यह विधेयक अशुभ सूचक है और जब भी यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तभी देश में कुछ घटनायें घटीं हैं।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि पेटेन्ट और लाइसेंस साथ साथ चलते हैं। ज्योंही किसी लाइसेंस की बात आती है त्योंही वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद आ जाता है तथा नौकरशाही का क्षेत्र बढ़ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के बाद भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके बाद लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे तक स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till two of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के बाद 14 बजे फिर समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण शुरू कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : लाइसेंस पद्धति भ्रष्टाचार का क्षेत्र है । इस पेटेन्ट विधेयक में लाइसेंस को एक आवश्यक अंग बना दिया गया है ।

लाइसेंस पद्धति में मेरा कोई विश्वास नहीं है । यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि या दवा का आविष्कार करता है तो सरकार को उसे तुरन्त खरीद लेना चाहिये और उस वस्तु को वास्तविकता प्रदान करने के लिये सरकार को कोई कारखाना खोलना चाहिये ।

इस विधेयक में नियंत्रक को तानाशाह की शक्ति दी गई है । जो व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिये नियंत्रक सर्वशक्तिमान् होगा । मेरे विचार से नियंत्रक और सहायक नियंत्रक की शक्तियां कम कर दी जानी चाहिये ।

सभी आविष्कारों की रायल्टी-दर एकसी नहीं होनी चाहिये । इस विधेयक में रेजर तथा एयरो इंजिन के लिये 4 प्रतिशत की एकसी रायल्टी दर दी गई है जो कि सर्वथा अनुचित है ।

समाजवादी ढंग के समाज में हमारा विश्वास है । सभी पेटेन्टों के लिये एक ही पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिये । खाद्य और दवाओं सम्बन्धी पेटेन्ट तथा अन्य वस्तुओं के पेटेन्ट के बीच में जो अन्तर दिखाया गया है वह भी उचित नहीं है ।

मैं यह भी कहूंगा कि इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग आविष्कारक प्रतिभा की खोज के सम्बन्ध में होना चाहिये था । इसके साथ ही एक ऐसा खंड भी होना चाहिये कि नई चीजों का आविष्कार करने वाले व्यक्तियों की तलाश के लिये भरसक कोशिश की जायेगी ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक इंग्लैंड और अमरीका के कानून के नमूने पर बनाया गया है । उधार लेने की प्रवृत्ति समाप्त की जानी चाहिये । कल्पना और कार्यान्वयन में यह विधेयक भारतीय होना चाहिये था । मेरे विचार में इस विधेयक का प्रारूप शीघ्र ही पुनः तैयार किया जाना चाहिये ।

श्री क० नारायण राव (बोल्बिली) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री क० नारायण राव : मैं आपका ध्यान आज की कार्य-सूची की ओर दिलाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर पहले से ही चर्चा हो रही है इसलिये अब औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री क० नारायण राव : कार्य सूची के अनुसार हमें पहले भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करनी है और बाद में पेटेन्ट विधेयक पर ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय के निर्णय के अनुसार दोनों पर चर्चा साथ-साथ की जानी चाहिये ।

श्री क० नारायण राव : हमें पहले पेटेन्ट और डिजाइन (संशोधन) विधेयक पर विचार करके पारित करना चाहिये और इसके बाद पेटेंट विधेयक पर चर्चा शुरू करनी चाहिये ।

श्री फ० अ० अहमद (नारपेटा) : कार्य सूची में यह उल्लेख है कि साथ-साथ चर्चा की जाये ।

श्री क० नारायण राव : मेरे विचार में दोनों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे संयुक्त समिति को भेजा जाना है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : श्री नारायण राव ठीक कहते है ।

श्री क० नारायण राव : मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय को जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, सभा में तीन प्रस्ताव हैं । उन पर एक साथ चर्चा होनी है । इसलिये आप कृपया बैठ जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय आपके निर्णय देने से पहले क्या मैं कह सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था के प्रश्न को पहले ही निपटा दिया है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : It appears that the Patent Bill is brought in for the welfare of capitalists Government has love and sympathy for the capitalists and not for the common man.

I think that there is no need of this Bill at present as the patent holders of medicines or drugs or other things are mostly foreign monopolists and the big capitalists of our country. The people are looted by them, and this loot will continue.

The purpose for which this Bill is brought in, will not be achieved. Patent holders make profit and the people suffer. Nothing can be done through this Bill.

The Controller has been given enormous power. It would encourage bureaucracy and corruption would be brought in. In this respect the Bill is of no use.

The time- limit prescribed for the patents is also very high. When it is said that it is the matter of public welfae and the Government would take a long time to decide such matters the result will be that the problem will remain unsolved.

Then comes the question of Appeal. It is said that there would be no appeal against the decisions of Controller. Our country is a democratic country. Every body can appeal to the Supreme Court on each matter.

The Bill safeguards the interest of capitalist and facility is provided to the common man in his inventions. Therefore I oppose this Bill.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, इस विधेयक का बहुत पेचीदा इतिहास है। यह विधेयक एक अजीब ढंग का है। सरकार या कोई व्यक्ति जिसका इस विधेयक की भावना से सम्बन्ध है पूरी तरह यह नहीं बता पाया है कि वे पेटेन्ट के बारे में इस देश में क्या करना चाहते हैं। हमेशा समय की कमी का बहाना बनाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि पिछले 12 या 13 सालों के दौरान यह विधेयक दो बार समाप्त हो गया फिर भी सरकार कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाई है। वास्तव में यह दुःख की बात है कि यह विधेयक एक ऐसा उदाहरण है, जिससे यह मालूम होता है कि सरकार के विचार में आर्थिक विकास की आधुनिक जरूरतों के बारे में कितनी गड़बड़ी है।

इस विधेयक में यह सिफारिश की गई है कि औषधि और रसायन सम्बन्धी पेटेन्टों की अवधि 16 साल से घटा कर 14 साल की जानी चाहिये और दूसरी वस्तुओं के पेटेन्टों की अवधि 10 साल की जानी चाहिये। इसलिये जब इस विषय पर चर्चा हो तो हमें अपनी सीमा निर्धारित करनी चाहिये ?

इस विधेयक में यह एक अजीब सी बात है तथा हमारी यह धारणा है कि सरकार अपनी शक्तियां छोड़ने का है प्रयत्न कर रही है जबकि दूसरे सभी विधानों में हमारी यह धारणा रही है कि सरकार स्वयं अधिक शक्तियां लेना चाहती है। सरकार को यह कहना चाहिये था कि वह गुण दोष के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच करेगी और तब यह निश्चय करेगी कि पेटेन्ट का समय बढ़ाया जाये या खतम किया जाये।

दूसरी बात यह है कि हमें दूसरे देशों के अनुभव के अनुसार चलना चाहिये। जापान में 20 वर्ष पहले कोई पेटेन्ट कानून नहीं था। परन्तु अब तो जापान और अमरीका में सबसे मजबूत पेटेन्ट प्रणाली है। और अब तो साम्यवादी देशों द्वारा भी कुछ किस्म के पेटेन्ट रखे जाने लगे हैं क्योंकि उन्हें निर्यात बाजार की चुनौती का मुकाबला करना होता है। फिर भी हमारा देश दूसरे देशों के अनुभव से कोई सबक नहीं सीखता है और हम एक कमजोर प्रणाली बनाना चाहते हैं। दूसरे देशों का अनुभव यह है कि जिन देशों ने टेक्नालोजी में प्रगति कर ली है उन्हें एक मजबूत पेटेन्ट प्रणाली कायम करनी पड़ती है।

उदाहरण के लिये इटली में भी एक मजबूत पेटेन्ट प्रणाली है। निर्यात बाजार में गहरी स्पर्धा होने के कारण सारी दुनियां में पेटेन्ट कानून का एकसा ढांचा है। यदि हम दूसरे देशों में पेटेन्ट के इतिहास को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि प्रायः सभी दूसरे देश अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारा

पेटेन्ट कानून अन्य कानूनों के समान नहीं होगा तो हमें अपने उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

हमें हमेशा इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि हम केवल विदेशी पेटेन्टों के बल पर विकास कर रहे हैं । हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे भी पेटेन्ट हैं । हमारे देश में भी ऐसे वैज्ञानिक हैं कि यदि उनको अवसर प्राप्त हो तथा पर्याप्त सुविधायें मिलें तो उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से सारा विश्व लाभान्वित होगा ? हमें इस बात से प्रेरित नहीं होना चाहिये कि विदेशी लोग आ रहे हैं और हमारी सभी चीजों को हड़प रहे हैं । हम एक ऐसा उपकरण बना रहे हैं जो दोहरे हथियार का काम करेगा क्योंकि उससे न केवल विदेशी बल्कि हमारे अपने भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी विशारद भी वंचित हो जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त हम कुशल व्यक्तियों को इस देश से बाहर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं । दूसरे देशों में एक वैज्ञानिक या औद्योगिकी वित्त को 15 या 16 या 20 सालों के लिये पेटेन्ट मिलता है किन्तु यहां पर उस अवधि को कम कर 10 वर्ष रखा जा रहा है । इससे तो हमारे वैज्ञानिक भी दूसरे देशों में जाने और अपना आविष्कार अन्य देशों में ले जाने की बात सोचेंगे ।

अब रायल्टी की सीमा का प्रश्न आता है । विधेयक में 4 प्रतिशत रायल्टी सीमा निर्धारित की गई है । परन्तु सभी आविष्कारों पर रायल्टी की अधिकतम सीमा 4 प्रतिशत रखने का परिणाम हानिकारक होगा । सरकार को रायल्टी देने की शक्ति अपने पास रखनी चाहिये और वह जितना उचित समझे निर्धारित करे ।

खंड 48 का परीक्षण करने से यह दिखाई पड़ता है कि यह खंड 83 की भावना के प्रतिकूल है । यदि खंड 48 अधिनियम किया जाता है तो उससे अनेक देशी उद्योगों पर पेटेन्ट प्राप्त उत्पादन के कानून लागू होंगे ।

जब इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाये तो सरकार इसके खंडों को समुचित रुप से अवलोकन कर ले ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

विदेश से जो भी चीज आती है उसके बारे में हमें यह द्वेष नहीं रखना चाहिये कि उसमें गड़बड़ी है । संयुक्त समिति को निष्पक्ष होना चाहिये और सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिये तथा एक ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये जो व्यावहारिक हो तथा राष्ट्र के हित में हों ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सबसे पहले इस विधेयक के उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । विदेशी एकाधिकारवादियों को लाभ पहुंचाने के लिये ही भारत सरकार ने पिछले बीस वर्षों के दौरान इस विधेयक को दो बार स्थगित किया था । इस विलम्ब के फलस्वरूप इस समय भारत में 92 प्रतिशत औषधि

उद्योग विदेशियों के हाथों में हैं। हमारे देश में औषधियों के मूल्य बढ़ने का भी यही कारण है। औषधियों के मूल्य कम करने का एक मात्र तरीका यही है कि पेटेन्टों को समाप्त किया जाये।

पेटेन्ट कानून के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन में न्यायाधीश एन० राजागोपाल अय्यंगार ने कहा है कि विदेशी फर्मों को पेटेन्ट देने से अधिकांश देशों को आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं होता और उनमें से कुछ तो ऐसा इसलिये करते हैं कि यह प्रथा बहुत पुरानी है और कुछ इसलिये करते है कि उन पर निहित स्वार्थों का दबाव पड़ता है। इस प्रतिवेदन में आगे कहा गया हैं भारत में स्विस राष्ट्रिकों द्वारा तैयार की जाने वाली औषधियों और दवाइयों के पेटेन्ट इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। आविष्कारक के अपने देश में इन्हें पेटेन्ट योग्य नहीं समझा जाता लेकिन भारत में इनका पेटेन्ट हो जाता है। यदि किसी नयी वस्तु को तैयार करने का तरीका नया न हो तो स्विटजरलैंड में उसका पेटेन्ट नहीं हो सकता लेकिन भारत में इसी तरह से तैयार की जाने वाली वस्तु का भी पेटेन्ट हो सकता है। भारत में पिछले 20 वर्षों से यही परिपाटी चल रही है।

आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सभी आविष्कारों को पुरस्कार देकर खरीद ले। स्वास्थ्य मंत्रालय में औषधि की लागत आंकने वाला एक एकक होना चाहिये। औषधि के लिये पेटेन्ट की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये और दवाई को इस अलग अलग नामों से अलग-अलग मूल्यों पर नहीं बेचा जाना चाहिये। विदेशियों को कोई पेटेन्ट नहीं दिया जाना चाहिये और गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी को भी दवाइयों के पेटेन्ट नहीं दिये जाने चाहिये।

श्री के० नारायण राव (बोम्बिजी) : प्रस्तुत विधेयक के अधीन प्रतिरक्षा के हित में नियंत्रक को आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में विलम्ब करने की असीमित शक्ति दी जा रही है। पता नहीं नियंत्रक को इतनी व्यापक शक्ति क्यों दी जा रही है। हो सकता हैं किसी व्यक्ति ने ऐसी किसी चीज का आविष्कार किया हो जिससे प्रतिरक्षा उत्पादन को बढाया जा सके। इसे देर तक रोक रखने या इसे अस्वीकार करने की अपेक्षा सरकार को उस विशेष पेटेन्ट को अपने अधिकार में लेने की शक्ति दी जानी चाहिये। लेकिन विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। इस तरह का उपबन्ध विधेयक में अवश्य किया जाना चाहिये अन्यथा यह एक गम्भीर भूल होगी।

प्रस्तुत विधेयक के अधीन सरकार को दो तरह के निदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। एक निदेश खाद्य औषधि और विभिन्न तरीकों से सम्बन्धित आवेदनों के बारे में है। सरकार नियंत्रक को किसी आवेदन पत्र को रद्द करने का निदेश दे सकती है। इसके क्या कारण हैं, विधेयक से इसका कुछ भी पता नहीं चलता। यह भी बताया जाना चाहिये कि सरकार निदेश जारी करने की शक्ति क्यों लेना चाहती है। विधेयक पारित करने से पहले इन सभी बातों को स्पष्ट किया जना चाहिये।

श्री विनकर देसाई (कनारा) : देश में विदेशी पेटेन्टों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । यह कहना ठीक नहीं है कि हमारा औषधि उद्योग ठीक चल रहा है और हम नये नये आविष्कार कर रहें हैं । सच यह है कि विदेशी पेटेन्टों की संख्या बढ़ जाने के कारण हमारे अपने आविष्कारों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है । उदाहरणार्थ बम्बई के हाफकिन इन्स्टीट्यूट को विदेशी एकाधिकार के कारण नये उत्पाद का आविष्कार करने की अनुमति नही दी गई है । बम्बई कैमिकल्स की भी यही स्थिति है । इन परिस्थितियों में हमें गम्भीरता से सोचना होगा कि हमें अपने देश में विदेशी पेटेन्टों को संरक्षण देना चाहिये या नहीं । हमें एक ऐसा पेटेन्ट कानून बनाना चाहिये जिससे भारतीय उद्योगों तथा आविष्कारों को प्रोत्साहन मिल सके ।

जहां तक दवाइयों के मूल्यों का सम्बन्ध है हमारी पेटेन्ट प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए मूल्य उचित स्तर पर कायम रहें । आजकल विदेशी पेटेन्ट के मालिक बड़ा मुनाफा कमा रहें हैं । आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस देश में दवाइयों तथा अन्य औषधियों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक हैं । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी एकाधिकारवादी लोग दवाइयों का उचित मूल्य लें । विदेशी पेटेन्टों के अन्तर्गत आने वाले अनेक उत्पादों का निर्माण इस देश में किया जा सकता है । इन उत्पादों को भारत में ही तैयार किया जाना चाहिये और इन उद्योगों में 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी भारतीय ही होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक देशी सामान इस्तेमाल किया जाना चाहिये ।

इस समय पेटेन्टों के लिये 16 वर्ष की अवधि रखी गई है । औषधि तथा खाद्य के संबंध में इसे घटा कर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव का स्वागत है । आबादी के विचार से भारत संसार में दूसरा देश है । हमारी औषधियों के लिये बाजार बढ़ता जा रहा है । बाजार बढ़ जाने पर दस वर्षों की अवधि में बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है ।

प्रस्तुत विधेयक के अधिनियम बन जाने पर इसके अधीन जारी किये जाने वाले कुछ आदेशों के सम्बन्ध में नियंत्रक या सरकारी अभिकरणों को कुछ अधिकार देने का प्रस्ताव है । पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिये बिना ऐसी व्यापक शक्तियां ग्रहण करना अनुचित है । विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये जिसके अधीन पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिल सके ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : हमारी कठिनाई यह है कि हमारी सरकार के उद्देश्यों तथा विचार धारा में स्पष्टता का अभाव है और नियंत्रण तथा लाइसेन्स सम्बन्धी नीति पर ईमानदारी से अमल नहीं किया जाता है । उदाहरणार्थ निजी सम्पत्ति के विषय को ही लिया जाये । यदि सरकार समझती है कि वह किसी व्यक्ति के आविष्कारों को अपने अधिकार में ले सकती है तो उसे अपने इस रवैये पर दृढ़ रहना चाहिये । लेकिन सरकार एक और खंड पेश कर रही है जिसमें मुआवजा देने की बात कही गई है । सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

हम उन लोगों से सहमत नहीं हो सकते जो यह कहते हैं कि पेटेन्ट कानून को समाप्त किया जाना चाहिये। बताया जाता है कि रूस ने पेटेन्ट सम्बन्धी कोई कानून लागू किया है। हमें या तो निजी सम्पत्ति के लिये कानून बनाना चाहिये अथवा इसे बिलकुल समाप्त ही कर दिया जाना चाहिये। लेकिन यदि हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें उस पर दृढ़ता से अमल करना चाहिये।

हमारा संविधान निजी सम्पत्ति के कानून पर आधारित है। इस पर अमल किया जाना चाहिये। हमें एक ऐसी सलाहकार परिषद बनानी चाहिये जो मुआवजे की दर के बारे में उस समय सलाह दे सके जब सरकार किसी आविष्कार को अपने अधिकार में लेना चाहे। इसे यह भी फैसला करना चाहिये कि सरकार को कौन से आविष्कार अपने अधिकार में लेने चाहिये और कौन से नहीं लेने चाहिये। इस परिषद में ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिन्हें उद्योग तथा विज्ञान की जानकारी हो। इस परिषद में ऐसे व्यक्तियों का अधिकार नहीं होना चाहिये जो तानाशाह बन जायें।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हमने भारत रक्षा नियमों को वर्तमान पेटेन्ट अधिनियम के उपबन्धों पर लागू करने के लिये भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग किया है। लेकिन भारत रक्षा नियमों का अधिकार क्षेत्र राज्य क्षेत्र की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह अनेक अन्य विषयों पर भी लागू होता है। इसलिये इन नियमों के अधीन ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्वास दिलाया था कि पेटेन्टों के लिये प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी, लेकिन उन पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक सरकार अधिनियम के सन्शोधन के सम्बन्ध में जिसके प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, कोई कार्यवाही नहीं करती या निर्णय नहीं देती। इसलिये इन सभी आवेदन-पत्रों को विचाराधीन रखा गया है। जब तक इन सभी आवेदन पत्रों को भारत रक्षा नियमों के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता तब तक इन याचिकाओं को केवल तीन वर्ष के लिये ही निलम्बित रखा जा सकता है। इसलिये भारत रक्षा नियमों के समाप्त होने के तुरन्त बाद अध्यादेश जारी किया गया है। अब हम इस संशोधनकारी विधेयक के जरिये उस अध्यादेश को हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन याचिकाओं को विलम्बित रखा जा सके और इन्हें उस निर्णय के अनुसार निपटाया जा सके जो संसद द्वारा नये प्रस्ताव के बारे में लिया जायेगा।

देश में बाढ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री श्रीधरन् (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा 29 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पर विचार किया जाये।"

देश में बाढ़ों में हजारों लोग मर गये हैं। गुजरात राज्य में लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं। मैं बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

{ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha *in the Chair* }

मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा होता तो अधिक अच्छा होता, क्योंकि बाढ़ों से केवल सिंचाई और बिजली मंत्रालय का ही सम्बन्ध नहीं है। इससे संचार व्यवस्था और सप्लाई लाइन भंग हो जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों में जासूसी की गतिविधियों के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा हो जाता है। इस मामले को प्रधान मंत्री द्वारा निपटाया जाना चाहिये था।

देश में पहले बाढ़ें अनेक बार आ चुकी हैं। बाढ़े दो प्रकार की होती हैं:- एक प्रकार की बाढ़ वर्षा से आती है जो अचानक होती है और दूसरी प्रकार की बाढ़ स्थायी होती है। देश में आसाम तथा केरल बाढ़ के क्षेत्र हैं जहां हर वर्ष बाढ़े आती हैं तथा फसलों और पशुओं को काफी नुकसान पहुंचता है।

आज आधुनिक विज्ञान तथा औद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि अनेक देशों में नदी प्रशिक्षण परियोजनायें काफी सफल रही हैं। हम बाढ़ों का मुकाबला करने के लिये व्यापक योजना बना सकते हैं परन्तु पिछले 20 वर्षों में हमारे देश में इस सम्बन्ध में बहुत कम कार्यवाही की गई है।

चार वर्ष पहले राज्य सरकारों के मंत्री तथा कुछ अन्य विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सिफारिश की है कि बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिये 200 करोड़ रुपये अलग रखे जाने चाहिये परन्तु वार्षिक योजना में बाढ़-नियंत्रण के लिये केवल 10.90 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

केरल में बाढ़ से 55,000 एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। 13,733 मकान धराशायी हो गये हैं और 60 व्यक्ति मर गये हैं। सिंचाई तथा बिजली मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि केवल 8 400 मकानों को नुकसान पहुंचा है और केवल 58 व्यक्ति बह गये। इस प्रकार केरल में लगभग 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और कम से कम उतनी धनराशि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिये।

मैं इस सरकार से अपील करता हूं कि बाढ़ों की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाये। यह एक राष्ट्रीय संकट है। इसे राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। मंत्री महोदय को प्रत्येक राज्य में जाना चाहिये, एक संसदीय समिति भी नियुक्त की जानी चाहिये। उन्हें समस्या के अन्तर्मार्ग पर विचार करना चाहिये और हमें दलगत मतभेदों को भुला कर इसे सुलझाने के लिये आगे बढ़ना चाहिये।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून): मैं एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करता हूं कि देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में सिंचाई और बिजली मंत्री द्वारा 21 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पर विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि राज्यों को खाद्य सहायता के रूप में दिये जा रहे धन को राज्यों में बाढ़ सहायता कार्य चलाने के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्यों और अनुदानों के लिये अलग रखा जाये।

Shri Manubhai Patel (Debhoi) : Mr. Speaker, Sir, floods occur every year in our country. They are a natural calamity. They should be regarded as a national problem. We have to tackle this problem at national level.

This yeat the State of Gujarat is in the grip of devastating floods. Surat city has been cut off from other areas of the State and it is not possible to reach there.

Now body knows as to how much loss of life and property has occured there. The Chief Minister of Gujarat has stated that at least 1000 persons have died and according to the press reports of Times of India, 75 thousand cattles have died. Several persons died inside their houses. It was a very tragic scene and a severe loss.

Steps should be taken to find a permanent solution. We should learn a lesson from these floods and the loss occured in Gujarat. A Committee of Water and Power Commission should be sent to Gujarat to look into the situation and they should suggest the type of assistance that can be rendered to meet the situation.

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : यह एक ऐसा संकट है जिससे प्रायः समूचा देश पीड़ित हुआ है। गुजरात में जो बाढ़े आई हैं वे इतिहास में अभूतपूर्व है। सूरत गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है और वह बह गया है। हमें ऐसे संकटों को रोकने के लिये मरसक प्रयत्न करना चाहिये। हमें यह देखना है कि लोग बाढ़ और सूखा जैसे संकटों से पीड़ित न हों और यदि हम बाढ़ के पानी को उचित रूप से काबू में ला सकें तो हम अपने देश को न केवल बाढ़ों से बचायेंगे बल्कि उचित समय पर सिंचाई सुविधायें भी प्रदान करेंगे।

यह दुःख की बात है कि नदियों के जल के बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद है। कृष्णा गोदावरी और नर्मदा विवाद इसी तरह के है। ये विवाद शीघ्र समाप्त न हो सकेंगे। परन्तु सिंचाई के समय जब हमें पानी की जरुरत हो तो पानी दिया जाये तथा गुजरात सरकार को जरूरी धन और विदेशी मुद्रा दी जाये।

हमें ऐसे संकटों से सहायता के लिये कुछ निधि रखनी चाहिये। हमारी एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई होनी चाहिये और यह सहायता उस निधि से दी जाये जिसका उपयोग सारे देश में बाढ़ और सूखे का मुकाबला करने के लिये किया जायेगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात में विरोधी सदस्यों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिये सुविधायें नहीं दी गईं। कांग्रेस पार्टी विरोधी सदस्यों को यातायात की सुविधायें न दे कर लोगों के कष्टों से लाभ उठाने का यत्न करे यह भी दुर्भाग्य की बात है। स्वतंत्र दल के सदस्यों ने गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ अहमदाबाद जाने की कोशिश की लेकिन राजनैतिक कारणों से उन्हें जाने की सुविधायें नही दी गई।

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : I am very unhappy that a great calamity in the shape of floods has overtaken in some parts of our country, The Minister has stated that vast tracts of land in rural and urban areas are submerged under water and life and property has been destroyed. The affected States are Assam, Bengal, Rajasthan, Kerala and Gujarat, particularly Surat in Gujarat.

I have visited some of the States but on account of the session of Parliament I could not go to other places. There is no doubt that when such calamities take place we have to provide all the resources and every effort is made to tackle the problem.

In fact it is a strange situation. Only two years ago drought and famine took place in some parts of the country. Though even now there are conditions of drought in some areas yet in many other parts we are facing heavy and disastrous floods. We have tried to start relief works and other works so that in future the drought affected people can have the resources for helping themselves and thus they can meet the situation. We have devoted all our energy to give relief to the drought affected people Similarly, steps should be taken at the Present moment also.

It is said that political capital should not be made out of the present situation. Of course, we do not want this. This calamity has affected a good number of people in the country. We have to make efforts so that this problem may be tackled as it is a purely national problem.

I am very much surprised to hear that the members of opposition in Gujarat were not allowed to visit the affected areas. I have never heard anything about the Chief Minister of Gujarat. I always heard that the Chief Minister of Gujarat dealt with the various problems with Corporation and goodwill of all the people. That is why I am surprised to hear all that about him.

On this occasion I express my heart felt sympathy on my behalf and on behalf of the Government of India for the flood-affected people. I hope that the Government would give all possible assistance and relief to them. Simultaneously, I have also to think as to what concrete steps may be taken to control floods in future,

When we are taking steps to grow more food in the country we have also to take measures side by side so that problems of floods and drought are effectively tackled.

Shri om Prakash Tyagi (Moradabad) : We should not indulge in party politics at this Juncture and express our sympathy to the flood-affected people. The Government should provide immediate relief to the flood affected people. Had the Prime Minister visited flood affected areas, the people would have got some sort of consolation.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

The data available regarding the floods in the country showed the loss of life and property and also the damage caused to crops.

The present floods in the country should not be treated as ordinary floods caused by heavy rains During rains a lot of soil comes down from the mountains and the forests and gets deposited in the rivers and raises the level of the river bad. Consequently floods take place even if there is scanty rainfall. For example, the depth of Brahmaputra at Dibrugarh has been reduced by about 10 feet by this process. The Government should take necessary steps with a view to check this process.

It is necessary that a relief team is sent to help the people in flood affected. areas. The Government should take necessory steps in this regard.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Our hearts are full of sorrow on accont of the calamity of floods which has overtaken certain parts of our country. There are big rivers in our country It would be beneficial for the country if the water resources of these rivers are utilised fully. But unfortunately we have not been able to find a permanent solution of the flood problem. If we give priority to this problem we can get money also for that.

Floods have caused havoc in Gujarat. Many lives have been lost. It is not possible to assess the extent of damage caused by floods, but many villages have been completely effaced.

Floods are causing tremendons damage every year. We should have taken steps to check this recurring devastation. Lack of finances may stand in the way of the Government. A special fund should be raised in this regard. Special flood tax can also be imposed in this regard.

If neighbouring States would have given a timely warning, the damage caused by floods in Gujarat would have been much less. It should be made incumbent on the Chief Secretaries to inform the neighbouring States, whenever they foresee danger to those States.

While considering the problem of floods we should rise above party consideration. This problem should be considered in a wider perspective as it has coused suffering to thousands of our countrymen.

श्री कन्डप्पन (मैदूर) : सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के बारे में समुचित रवैया नहीं अपनाया है । चौदह वर्ष पहले 1954 में एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था । सभा को यह बताया जाना चाहिये कि उक्त कार्यक्रम पर सरकार ने कितना धन खर्च किया है और अब तक कौन से लक्ष्य प्राप्त हुए हैं : गुजरात राजस्थान और अन्य कुछ राज्यों में बाढ़ के कारण जो असाधारण परिस्थियां उत्पन्न हो गई हैं उनके बारे में पहले ही कुछ बता सकना संभव नहीं है । लेकिन यह समस्या हर साल सामने आती है और इसका समुचित हल निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर नियन्त्रण रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं किया गया है ।

यह ठीक है कि सरकार ने कुछ भागों में बांध बनाये हैं लेकिन यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये । ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के सम्बन्ध में यह कार्य निर्धारित समय में

किया जाना चाहिये । चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये 25 करोड़ रुपये निर्धारित करने का विचार है । समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह रकम बहुत कम है । यह भी खेद का विषय है कि सिंचाई मन्त्री इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश के लिये एक व्यापक योजना नहीं बना सके । पिछले 20 वर्षों में हम अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी का समुचित उपयोग करने में भी सफल नहीं हो सके । नदियों के पानी के उपयोग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । जिन नदियों के पानी का समुचित उपयोग किया जाता है उनमें बाढ़ बहुत कम आती है । फालतू जल का समुचित उपयोग न हो सकने के कारण ही बाढ़ आती है । सरकार को इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यक्रम पेश करना चाहिये ।

क्या सरकार ने ऐसी नदियों को, जिनमें अक्सर बाढ़ आती है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ? ऐसा किया जा सकता है । यदि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है तो इससे हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को बड़ी मदद मिल सकती है । एक ऐसे इस्पात संयंत्र के लिये, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, 1000 करोड़ रुपये निर्धारित करने की अपेक्षा हमें यह धन बड़े-बड़े सिंचाई कार्यक्रमों में लगाना चाहिये ।

केरल जैसे तटवर्ती राज्यों में वर्षा के दौरान एक बहुत बड़ा क्षेत्र समुद्र में डूब जाता है । सरकार ने इस सम्बन्ध में 5 करोड़ रुपया खर्च किया है । इसके लिये और अधिक धन दिया जाना चाहिये । बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिये ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव): सरकार ने 1954 में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी । 1950 में जो बड़ा भूकम्प आया था उसके बाद ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की स्थितिगम्भीर होती चली गई और इस सम्बन्ध में अभी तक कोई दीर्घ-कालीन उपाय नहीं किया गया है । आसाम में जो व्यापक योजना शुरू की गई है उस पर 320 करोड़ की लागत आयेगी लेकिन पिछले 18 वर्षों में इस सम्बन्ध में अभी तक केवल 26 करोड़ रुपया दिया गया है । ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की समस्या को हल करने का काम राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है । यह नदी तीन देशों से होकर बहती है । इस समस्या को हल करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

ब्रह्मपुत्र की कटाव की समस्या पर विचार करने के बाद श्री वेल्लर ने सितम्बर, 1966 में एक रिपोर्ट पेश की थी । उन्होंने कुछ क्षेत्रों के बारे में कुछ सुझाव दिये थे । उन सुझावों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है । बांध परियोजना के कार्यान्वियन के लिये केन्दीय जल तथा विद्युत आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन इस परियोजना का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है । मानस जलाशय परियोजना और पागलाडिया डिटेन्शन परियोजना की भी जांच पड़ताल की गई है । क्या इन परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दिया जायेगा ? बाढ़ नियन्त्रण समस्या का वित्तीय तथा तकनीकी दायित्व केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : गुजरात में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है । वहां पर एक हजार से अधिक लोग मर गये हैं, और बताया जाता है कि मिदनापुर जिले के

34 थानों में से 20 थाने बाढ़ में डूब गये हैं। हम 1954 से बाढ़ के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और बाढ़ पर काबू पाने के उपायों के बारे में भी विचार करते रहे हैं। सरकार कहती है कि अब तक 25 प्रतिशत बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है लेकिन सरकार से पूछा जा सकता है कि शेष 75 प्रतिशत कार्यक्रम क्यों नहीं पूरा किया गया है ?

सरकार को इस बात के लिये तो बधाई दी जानी चाहिये कि उसने 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपया खर्च करके डिब्रूगढ़ शहर को बचा लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी ने बरपेटा नगर को पूर्णतया काट दिया है और यह नदी गोलपाड़ा गोहाटी और धारापुर के पश्चिमी भाग को भी काट रही है। सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

असम में तटबन्ध कारगर नहीं सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि नदियां अपने साथ रेत और कीचड़ बहा लाती हैं। नदियों का तल ऊंचा हो जाता है और उनकी पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है और इसीलिये बाढ़ आ जाती है। नदियों पर तटबन्ध तो अवश्य बनाये जाने चाहिये लेकिन इसके साथ ही रेत और कीचड़ भी साफ किया जाना चाहिये। अंग्रेजों के शासन काल में ड्रेजर से ब्रह्मपुत्र की सफाई की जाती थी लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इस कार्य के लिये ब्रह्मपुत्र में एक भी ड्रेजर का उपयोग नहीं किया गया है। असम की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था खेती पर निर्भर है। हर साल 10 या 15 करोड़ रुपये की फसल बाढ़ से नष्ट हो जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के बाढ़ नियंत्रण कार्य की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर ले लेनी चाहिये।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। हमें इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिये। बड़ी से बड़ी समस्या को भी राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जा सकता है।

मन्त्री महोदय इसके लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लिफ्ट चैनल योजना का काम पूरा करवा दिया है। उत्तरी राजस्थान में बाढ़ से हर साल नुकसान होता है। 1956 से बाढ़ बहुत आ रही है। वर्षा हो या न हो लेकिन बाढ़ आ ही जाती है। सरकार को इस गम्भीर समस्या का हल ढूंढना चाहिये तथा हजारों वर्गमील क्षेत्र को बाढ़ों से बचाना चाहिये। घग्घर नदी के सम्बन्ध में बाढ़ नियंत्रण उपायों पर अमल किया जाना चाहिये। उत्तरी राजस्थान में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की स्थिति समाप्त होते ही वहां पर अकाल पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस सम्बन्ध में एक ऐसी संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो अकाल की समस्याओं को हल करने में मन्त्री महोदय की सहायता कर सके। अकाल तथा बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए कुछ धन हर साल अलग रख दिया जाना चाहिये ताकि समय आने पर इन लोगों की सहायता की जा सके।

Shri Naval kishore Sharma (Dausa) : I express full sympathy with the people who suffered a lot on account of floods. Flood situation in the country is not a new thing. Floods occur every year but unfortunately even after 25 years of independence, flood control programmes could not prove effective.

In Rajasthan also floods take place every year but flood control programmes are not undertaken there. Ganganagar as well as Sambhar area are worst affected on account of floods. There is a loss of about 50 lakhs of rupees. If no effective measures are taken there, it may cause a famine of salt in the country.

There is no mention in the Ministers' statement as to what effective steps Government propose to take and in what manner Government propose to help the State Governments in this regard. The Minister should point out these facts in his statement, and also he should give an assurance to the effect that concrete steps would be taken for controlling flood situation in the country.

Central Government should set up a permanent all India flood relief fund to help the flood-affected people.

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : बाढ़ें देश की बड़ी समस्यायें हैं । इसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ष प्रकृत्ति को दोष देती है, परन्तु अपनी भूलों को नहीं मानती है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या किया है ? जब कभी बाढ़े आती हैं तब प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ानें करते हैं । उसके कुछ चित्र लिए जाते है तथा प्रधानमंत्री के सहायता कोष से कुछ धन बाढ़ सहायता के लिये घोषित किया जाता है । इस ससस्या को सुलझाने का उनका यही तरीका है ।

बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास की समस्या पूर्णतया राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है जबकि सभी साधन केन्द्र के पास हैं । मंत्री महोदय यह स्पष्ट बतायें कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर क्यों डाली जाती है ?

हर साल केरल में समुद्र कटाव के कारण हमारे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है । परन्तु सरकार ने इसके लिये राज्य सरकार की कोई पर्याप्त सहायता नहीं की है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुछ किया है और वह कुछ काम और करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अनुदान न देकर ऋण दे रही है तथा जिस पर ब्याज भी वसूल किया जाता है । केन्द्रीय सरकार जनता की कठिनाइयों की कोई परवाह नहीं करती है ।

इस बार इस राज्य की स्थिति बड़ी दुःखद है । 13000 एकड़ चावल की फसल बिलकुल नष्ट हो गई है । 27,000 मकान आंशिक रूप से और 7,000 मकान बिलकुल गिर गये हैं ।

केरल में हाल में जो बाढ़ आई है उससे केरल सरकार के राजस्व विभाग के अनुमान के अनुसार 16 करोड रुपये का कुल नुकसान हुआ है । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल सांकेतिक सहायता दी है । यह सरकार पर्याप्त रूप से कुछ भी करने को तैयार नहीं है ।

हमारे क्षेत्र की हर इन्च भूमि पवित्र है परन्तु इस सरकार के लिये हमारे नागरिकों का जीवन पवित्र नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हाल की बाढ़ों से पीड़ित लोगों के पुनवसि तथा समुद्र कटाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को लेनी चाहिये । प्राकृतिक संकटों से ग्रस्त लोगों के पुर्नवास के लिये सरकार को अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने चाहिये ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : हमें मालूम है कि आसाम से गुजरात तक और राजस्थान से केरल तक यह समूचा देश बाढ़ से पीड़ित है। शायद भारत में ऐसी कोई बात हो रही है जिसके कारण भारत में समूची नदी व्यवस्था में ह्रास हो रहा है। अन्यथा देश के सभी भागों में एक साथ बाढ़े कैसे आ सकती है ? इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

संसद सदस्यों या विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिये जिसे यह पता लगाने का काम सौंपा जाये कि क्या देश की नदी व्यवस्था में कोई ह्रास हुआ है।

बाढ़ों से गुजरात को बहुत नुकसान हुआ है, हमें उस राज्य से पूर्ण सहानुभूति है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भागों में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल का जो दौरा किया है वह सराहनीय हैं परन्तु इसके साथ ही सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि बाढ़ पीड़ित लोगों और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को कैसे सहायता दी जाये और भविष्य में ऐसी बाढ़ों की रोकथाम करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जायें।

पुराने तरीके के अनुसार बाढ़ों को बांध तथा भराव से रोका जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि बाढ़े इसके कारण ही अधिक आती हैं। बांधों से भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। बांधों के कारण बाढ़ की स्थिति अधिक गम्भीर हो गई है। 1958 में मयूराकाशी बांध से मुर्शिदाबाद-नाडिया क्षेत्र की स्थिति अधिक गम्भीर हो गई थी। वर्दवान क्षेत्र में दामोदर बांध असफल रहा। सरकार को ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिये जो नदियों को साफ न करने के कारण उत्पन्न हुई खराबियों को दूर करने के लिये किये जायें।

दुर्गापुर बांध के बारे में मैं बताता हूं कि उस बांध में रेत इतनी अधिक मात्रा में जम गई है कि अब उसमें अपनी क्षमता से आधा पानी भी नहीं आता। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

पता चला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 14 साल पुरानी उत्तर बंगाल बाढ़ सहायता समिति को खत्म करने का निश्चय किया है। मंत्री महोदय को पता लगाना चाहिये कि इस कठिन स्थिति में इस समिति को क्यों समाप्त किया गया है ? जलपाई गुड़ी में लोगों को अदालतों में जाने के लिये पानी से बड़ी परेशानी होती है, वहां पर पानी निकालने के लिये पम्प सेटों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

उत्तर बंगाल क्षेत्र के दिनाजपुर जिले में बाढ़ आ गई है और अधिकांश क्षेत्र में इससे बडी परेशानी हो रही है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि फरक्का पर काम को धीमा न किया जाये।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Mr. Speaker, Sir, almost whole of the country is affected by floods. Assam West Bengal, Gujarat, in particular have been affected by floods. The Prime Minister has made a survey of some flood affected areas in a helicopter or aeroplane. These floods give rise to many problems such as scarcity of foodgrains and medicines ete. I may be given some information on these points by the Prime Minister.

It is very distressing that no mention of floods in Bihar has been made by the Prime Minister in her statement. Floods have caused damage to crops in Monghyr district. Two lakhs of peole in North Monghyr are affected by floods. Several people have been washed away by flood-waters. There is no arrangement of boats etc, to rescue people and there is no provision for medicines and there is acute shortage of foodgrains. Perhaps the Centre has not been informed by the officials of Bihar Government.

I may be told as to how much money is being provided for flood relief work in Bihar particularly in North Bihar. Foodgrains, medicines and other necessary things should be sent to the flood affected areas in Monghyr and other parts of Bihar.

The Prime Minister has assured only to the people of Assam and not to the people of Gujarat, Kerala and Rajasthan and other parts of the country which are also affected by floods.

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : देश में बाढ़ की स्थिति गम्भीर है। मंत्री की सहायता करने के लिये इस समस्या का सामना करने के विचार से एक समिति बनाने के लिये सुझाव दिये गये हैं। अनेक समितियां बनाई जा चुकी हैं। परन्तु उन समितियों की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया है इसलिये समिति बनाने से क्या लाभ होगा ?

कंगसाबती योजना चालू करने के समय 26 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। अब यह 36 करोड़ रुपये हो गया है। इस योजना में दो जलाशयों की व्यवस्था की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जलाशय अभी तक क्यों नहीं बनाये गये हैं। जून और जुलाई में एक जलाशय बनाया गया था परन्तु अगस्त के प्रथम सप्ताह में जब अभूतपूर्व वर्षा हुई तब यह जलाशय नीचे आगया। बाढों को रोकने के लिये यह योजना बनाई गई थी परन्तु इसने तो बाढ़ की ससस्या को और बढ़ा दिया है कंगसाबती के निचले क्षेत्रों को बाढ़ों से बचाना है। सरकार ने इस पहलू पर विचार क्यों नहीं किया है ? कंगसाबती परियोजना के छोर पर हल्दिया पत्तन स्थित है तथा कंगसावती के निचले क्षेत्रों में गर्मियों में पानी नहीं रहता है। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस वर्ष कंगसाबती को 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं जब कि योजना 36 करोड़ रुपये की है।

बाढ़े प्रायः हर राज्य में आई हैं। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार को किसानों को बीज देने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसान खेती कर सकें। इस समय पश्चिम बंगाल के पास सहायता देने के लिये धन नहीं है। केन्द्रीय सरकार कम से कम 7 करोड़ रूपये सहायता कार्य के लिये प्रदान करे। मुझे आशा है कि शेष कार्य तत्काल ही शुरू किया जायेगा और परियोजना पूरी की जायेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पिछले 15 सालों के दौरान इस देश के कुल क्षेत्र का केवल 25 प्रतिशत भाग ही बाढ़ों से मुक्त रहा है, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की गति धीमी रही। एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाये जिससे प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ों से बचाया जा सके।

हाल में उड़ीसा में आयी बाढ़ों की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं। इससे 1000 से अधिक गांवों को काफी नुकसान हुआ है और एक लाख हेक्टर से अधिक

जमीन में फसल को नुकसान पहुंचा है । पिछले वर्ष की समिति ने इस वर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरिक्षण किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं कि राष्ट्रीय मार्गों को बाढ़ के पानी से बचाया जाना चाहिये । नदी के किनारों पर बसे गांवों को कटाव में आने से बचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इस समिति की कोई भी सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई है ;

सरकार यह बताये कि पिछले पाच वर्षों के दौरान कौन-कौन बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किये गये और क्या भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : देश के बड़े–बड़े भागों में जो बाढ़े आई हैं उससे जन धन को बहुत नुकसान पहुंचा है । इससे पता चलता है कि पिछले 20 सालों में सरकार प्राकृतिक आपत्तियों को रोकने में असफल रही हैं । तात्कालिक समस्या यह है कि बाढ़ से बचाने, सहायता करने और पुनर्वास के कार्यों को तुरन्त और शीघ्रता से कैसे पूरा किया जाये । जहां पानी उतर जायेगा, उन क्षेत्रों में जोताई की भी व्यवस्थां करनी पड़ेगी जिससे एक इन्च भी जमीन बिना जुती न रहे । सरकार को यह बताना चाहिये कि वह इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इस वर्ष भी भयंकर बाढ़ आई है । इस जिले की सारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ गई है । पश्चिम बंगाल के सभी बड़े जिलों को नुकसान हुआ है । पश्चिम बंगाल सरकार को 2 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल दी जानी चाहिये ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों की कुछ सहायता की जा सके ।

यदि दामोदर घाटी निगम के अधिकारी ठीक ढंग से कार्य करते तो पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में बाढ़े नहीं आती । देश में अक्सर आने वाली बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिये एक स्थायी राष्ट्रीय सहायता कोष खोला जाना चाहिये ।

बाढ़ नियंत्रण कार्य पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया जाना चाहिये जो कि दामोदर घाटी निगम के प्रशासन को दिया गया है । दुब्धा, बाराचौका, कन्टाई और बधिया बेसिन परियोजनाओं पर आयोजना आयोग द्वारा शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिये, जिससे मिदनापुर और उड़ीसा को भी बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी । केली घई नदी की रेत हटाई जाये । उड़ीसा की समुद्री तटीय नहर को और गहरा किया जाना चाहिये तथा सहायक नहर का निर्माण किया जाना चाहिये । दामोदर और रूपनारायन की निचली तहे भी खोदी जायें जिससे पश्चिमी बंगाल में बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सके ।

Shri Yashpal Singh : (Dehradun) : It is necessary to train the rivers if we want to tackle the problem of floods in this country. Millions of acres of land can be brought under cultivation if we can train rivers like Brahmaputra, Ganga, Jamuna and Tons. And thus we can make tremendous contribution towards prosperity and well being of our people.

There are large tracts of untilled land in our country and major part of it is in Rajasthan. Untilled land cannot absorb water and floods generally take place whenever it rains heavily. Forests prove to be very helpful in checking floods. Due to deforestation the problem of floods has become more dangerous. We should, therefore, preserve

our forests and bring maximum land under plough with a view to prevent occurrence of floods.

श्री राणे (बुलडाना) : मन्त्री महोदय ने बताया कि महाराष्ट्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

मेरे चुनाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। बहुत से मकान ढह गये हैं और हजारों लोग बेघर हो गये हैं। गुजरात, जलगांव और दुलिया में बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम ऊपरी तापी परियोजना और हतूर परियोजना का काम जल्दी से जल्दी शुरु करें। यह बहुत आवश्यक है अन्यथा हर साल बाढ़ आती रहेगी। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में ओकाई बांध के महत्व के बारे में बताया। लेकिन ओकाई बांध से ही समस्या हल नहीं होगी। मबाता और हतूर परियोजनाओं को पूरा करने से ही जलगांव, दुलिया तथा गुजरात को बाढ़ों से बचाया जा सकता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इन परियोजनाओं का काम जल्दी से जल्दी शुरु किया जाये।

Shri Metha Lal Meena :(Sawai-Madhopur): Floods cause widespread loss to human life and damage to property every year. Communication system is also disrupted due to floods A number of Committees are set up to go into the matter but no permanent solution has been found out as yet. A separate fund should be created for flood relief works and the Central and State Governments should contribute to that fund every year. A number of districts in Rajasthan have been affected by floods and Sawai Madhopur is the worst affected. In Sawai Madhopur these floods were caused because of the negligence of the officials who could not ensure the completion of certain works in time by the contractors.

People belonging to scheduled castes and scheduled Tribes in Madhopur district have built houses alongside the river and nulla has and these houses are washed away in floods every year. it is, therefore, necessary that these people are given land to construct their house on a raised level so that the house may not be destroyed by floods Bridges should be constructed on the rivers in Sawai Madhopur district so that they may used for the purpose of transport. Roads should also be constructed there.

The Members of Opposition parties are not provided necessary facilities for touring the floods affected areas. Members of Parliament should be given necessary facilities for visiting the flood affected areas Relief work should be started in right earnest in the flood-affected areas. Rajasthan Government demanded one crore rupees for flood relief work but an amount of rupees twenty five thousand has only been given to them in this regard. The Central Govenment should have given more money to the State Government for this purpose.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिमी बंगाल में 1959 में भयंकर बाढ़ आई थी और योजना आयोग ने इस संबंध में एक बाढ़ जांच आयोग नियुक्त किया था। लेकिन जांच आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की लागत 170 करोड़ रुपये पहुँच गई है लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कलकत्ता

में बाढ़ के कारण बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है । हमें पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और सरकार ने केवल 3.5 करोड़ रुपया दिया है । बाढ पीड़ितों की हर संभव सहायता की जानी चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I would like to know about the progress made in respect of diverting the water of river Ghaggar towards Haryana. The Chambal Control Board had promised to give 5 lakhs of rupees for controlling the floods but the money has not been given so far. I would like to know whether fuuds are made available on party basis.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The hon. Minister visited and assured to arrange for constructing of a bund to check Ganges water. But nothing has been done. I would like to know whether one bund should not have been built on the side of Ghaghra on the basis of Ganga to save the people of villages near Ghaghra river from the flood. I would like to know the reasons for not providing such facilities there.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमेड) : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में केरल सरकार को समुद्र कटावों से उत्पन्न नुकसान को पूरा करने के लिये सहायता दिये जाने की पद्धति को अब भी जारी रख रही है और क्या यह धन बाढ़ सहायता कार्य के लिये दिये गये अनुदानों और ऋणों से पृथक होगा ?

Shri R. Shastri (Patna) : I would like to know the total loss caused by floods in Bihar and the number of boats provided District-wise to face the hov c caused by floods and he quantity of food-stuffs sent there and the names of p'aces in flood ar as where medical centres were established.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salampur) : The hon. Minister in his stat ment has mentioned two districts of U. P. i. e. Deoria which have been affected by floods. When the hon. Minister visited we had drawn his attention to the villages situated near Ganga river and which are under the Ghaghra rivers' erosion and requested him to provide facilities so that they may be protected. The hon Minister as ured to do this work. The hon. Minister also assured there to protect Railway line near the Chhitauri and Khadda Bund, The assistance given to these flood-stricken areas is quite negligible and Government should try to provide sufficient assistance to them. I hope that effective measures would be taken by the Government in this regard.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I would like to know whether Government propose to set up a scheme regarding construction of small bunds so that the flood waters may be checked and whether Government propose to provide special funds for this purpose.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I do not understand whether Government has formulated any scheme to control floods in Ganga, Gandak and Kosi rivers in Bihar. The flood came this year in the Punia district in Bihar and it has been affected very much. Is the Government making any provision to check floods in the above rivers ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद मन्त्री महोदय द्वारा देश में बाढ़ स्थिति पर दिये गये वक्तव्य पर आधारित है । (अन्तर्व्याधा) तत्तसम्बन्धी सभी प्रश्न उठाये जा चुके हैं । अब आप मन्त्री महोदय को ध्यान से सुनें ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : कुछ सदस्यों ने कहा है कि बाढ़ नियन्त्रण कार्य में राजनीति का हाथ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में राजनीति का कोई हाथ नहीं रहा। यदि मैं केरल का दौरा करने नहीं गया तो इसका कारण यह है कि केरल के एक मन्त्री ने मुझे परामर्श दिया था कि वहां पर बाढ़ कम हो गई है अथवा तेजी से कम हो रही है। केरल में कझोर तथा कालीकट पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी नदियों के कारण नहीं हुआ। ऐसा अत्याधिक तथा असाधारण वर्षा के कारण हुआ है। इसके कारण दुर्भाग्यवश कुछ मौतें हुई हैं और काफी मकान बह गये हैं।

श्री चं० चु० देसाई ने आरोप लगाया है कि विरोधी दलों के सदस्यों को गुजरात के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं ले जाया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं श्री सामन्त तथा श्री समर गुह को अपने साथ ले गया था। किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया गया था। हम जानते हैं कि यदि नदियों पर नियंत्रण न किया जाये तो उनसे नुकसान होता है। लेकिन यदि उन पर उचित ढंग से नियन्त्रण रखा जाये तो वे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सूरत जाने के लिए हैलीकाप्टर के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। हैलीकाप्टर के द्वारा बाढ़ से पीड़ित लोगों को खाद्य पहुँचाया जा रहा था। इसलिये यदि मैं हैलीकाप्टर द्वारा जाता तो वे लोग खाद्य से वंचित रह जाते। इसलिये श्री देसाई ने अनुचित आरोप लगाया है।

यह भी कहा गया है कि बाढ़ से हुई क्षति के बारे में दिये गये आंकड़े सही नहीं है। जो आंकड़े दिये गये हैं वे राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैंने गुजरात सरकार से आज ही पूछा। मुझे बताया गया कि 120 या 140 लोगों की मृत्यु से अधिक कोई जानकारी उनके पास नहीं है। हम केवल समाचारपत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं रख सकते और यह नहीं कह सकते कि 1000 या 2000 व्यक्ति मरे। इसी तरह केरल के बारे में मेरे आंकड़े केरल सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना पर आधारित हैं।

हो सकता है कि गुजरात सरकार द्वारा बताई गई मौतों की संख्या की अपेक्षा गुजरात में ज्यादा लोग मरे हों। इसका कारण यह है कि ताप्ती एक बहुत ही विचित्र ढंग की नदी है। इस की विचित्रता के कारण गुजरात में अन्य किसी नदी की अपेक्षा इससे ज्यादा तबाही हुई है। इस विशेष मामले में बाढ़ की चेतावनी ठीक नहीं दी गई। इसलिए बाढ़ आने से पहले लोगों को काफी समय नहीं मिला। इसलिए हो सकता है कि देहातों में ज्यादा लोग मरे हों।

यह कहना सही नहीं है कि हमने बाढ़ों को रोकने के लिए पिछले 20 वर्षों में कुछ नहीं किया है। हमारे देश में नदियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए अन्य देशों की तुलना में इस देश में यह समस्या बड़ी व्यापक है। हर साल नदियों में बाढ़ों से लगभग 500 लाख एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त बाढों का ढंग हर साल बदलता रहता है।

हमारी बड़ी इच्छा है कि हम बाढ़ों को रोकने के लिए हर सम्भव काम करें। लेकिन हमारे पास हर साल सीमित धनराशि होती है। इसलिये हमें प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है और

पहली चीज पहले करनी पड़ती है। हमें पहले उन परियोजनाओं को आरम्भ करना होता है जिनसे अधिकतम लोग प्रभावित हैं। अब तक हमने 190 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसमें से अधिकतम धनराशि बिहार में खर्च की गई है क्योंकि बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा नुकसान होने पर भी काफी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी बाढ़ नियंत्रण योजना का निर्माण नहीं किया जाता तो यह कल्पना करना कठिन है कि आज उस क्षेत्र में क्या स्थिति होती।

कटाव का प्रश्न भी उठाया गया है। गंगा एक शक्तिशाली नदी है और नदियां कभी सीधा मार्ग नहीं लेती वे सदा टेडा-मेडा मार्ग लेती हैं और जब कभी कोई झुकाव होता हैं तो वे उस क्षेत्र को काट देती हैं। कटाव रोकने का प्रश्न बहुत कठिन है और इस पर बहुत खर्च आता है। हमने डिब्रूगढ़ नगर को बचाने के लिए काफी रकम खर्च की है। लेकिन हम हर नगर के मामले में ऐसा नहीं कर सकते।

जहां तक बलिया का सम्बन्ध है मुझे दुःख है कि नदी बांध के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रही है। यदि बांध टूट गया तो बहुत से गांव बह जायेंगे। छितौनी बांध की भी यही स्थिति है। लेकिन नदी की बाढ का मुकाबला करने के लिए 50 से 60 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। यदि उस क्षेत्र में बांध नही टूटेगा तो उस स्थान की रक्षा हो जायेगी।

यह पूछा गया है कि पहले कभी भयंकर बाढ़ नहीं आती थी और अब बाढ़ क्यों आ रही है तथा यह समस्या क्यों गम्भीर बनती चली जा रही है? इसका कारण बहुत सीधा है। अब अधिक से अधिक लोग उन स्थानों पर बसते चले जा रहे हैं जहां बाढ़ आती है वे वास्तव में ऐसे क्षेत्रों में नदी से होड़ लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में यमुना नदी में पानी 672 फुट तक अवश्य पहुंचता है। यदि इस सीमा तक न पहुँचे तो अकाल तथा सूखा पड़ जायेगा। लेकिन 672 फुट के नीचे 27 गांव हैं और कोई बाहर नहीं जाता। हम उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें बाहर चले जाना चाहिये। वे अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को इस की कीमत चुकानी पड़ती है। अब हमें इन क्षेत्रों को बाढ़ क्षेत्र घोषित करना चाहिये और लोगों को उन क्षेत्रों में बसने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है अन्यथा देश को अत्याधिक हानि उठानी पड़ेगी।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, यमुना में प्रति वर्ष बाढ़ आती है और इसका समीपवर्ती गांवों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। हम इन गांवों की पूरी रक्षा कर सकते हैं बशर्ते कि हम दिल्ली नगर के लिए खतरा पैदा करें। यदि बांध बनाया जाता है तो इन गांवों की रक्षा हो जायेगी और दिल्ली नगर को खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिए हमें रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ना है, या तो यमुना को बहने से रोक दिया जाये या यदि हमें जमीन बचानी है तो यमुना को बहने देना चाहिये और इस तरह से बाढ भी आ जायेगी, लेकिन हमें इस सम्बन्ध में कुछ सावधानी से काम लेना चाहिये।

कुछ देशों में लोगों को बाढ़ वाले क्षेत्रों में बसने से रोकने के बारे में कानून है। हमारे देश में ही पूना में इस तरह का कानून है कि नदी वाले क्षेत्र में कोई नहीं बस सकता। यह

बड़ी अच्छी बात है। कम से कम नदी के समीपवर्ती खतरनाक क्षेत्र की तो रक्षा अवश्य की जानी चाहिये। यदि इस सम्बन्ध में कोई पाबन्दी न लगाई गई तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जायेगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस सम्बन्ध में सभा में कुछ ठोस सुझाव दूंगा और एक विधेयक पेश करूंगा।

गुजरात में बाढ़ों में सूरत तथा ताप्ती नदी पर प्रभाव पड़ा है। सूरत नगर ढलाई पर है, एक ओर इसका स्तर समुद्र से 40 फीट ऊंचा है और दूसरी ओर समुद्र से 24 फुट ऊंचा है। इसलिए ज्योंही पानी अन्दर आया, सभी चीजें नष्ट हो गई और इससे भारी नुकसान हुआ। वहां पर नदी ऊंचे स्तर पर है और गांव काफी नीचे स्तर पर है इसलिए गांवों पर काफी प्रभाव पड़ा।

गुजरात में उकाई परियोजना मंजूर की गई है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन उसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। यदि उकाई बांध पूरा हो जाये और कामरेज से समुद्र तक के दो मील क्षेत्र में बांध बना दिये जायें तो उस क्षेत्र को पूर्णतया बाढ़ों से बचाया जा सकता है। इसलिए वित्तमन्त्री और योजना आयोग को उकाई परियोजना के लिए अतिरिक्त देना चाहिये और हमें कोशिश करनी चाहिये कि यह परियोजना 1971 तक पूरी हो जाये। 1971 में बाढ़ों से कोई नुकसान नहीं होना चाहिये।

मैं नर्मदा और अन्य प्रश्नों को हाथ में नहीं ले रहा हूँ। नर्मदा का प्रश्न अधिक बाढ़ों के कारण उत्पन्न हुआ। इससे भड़ौच तथा अंकलेश्वर पर प्रभाव पड़ा जो नदी के किनारे से लगभग दो मील दूर है। इस से कुछ नुकसान अवश्य हुआ लेकिन काफी नुकसान नहीं हुआ। इससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ताप्ती से हुआ।

असम की समस्या भी बड़ी जटिल है। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। कुछ सदस्य चाहते थे कि हम फोर्ड फाउन्डेशन के एक व्यक्ति के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य करें। लेकिन यह व्यक्ति भूगोल का विशेषज्ञ है और उसका इंजीनियरिंग तथा नदियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसलिए उसका प्रतिवेदन हमारे लिये निरर्थक है।

कुछ सदस्यों ने ब्रह्मपुत्र के तल से मिट्टी निकालने के बारे में कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम करोड़ रुपये खर्च करने पर भी बम्बई या विशाखापत्तनम बन्दरगाह की मिट्टी नहीं निकाल सकते हमने इस के तल से मिट्टी निकालने की बजाय पानी फैंकने के लिए 150 करोड़ रुपये की फरक्का बांध परियोजना शुरु की है। ब्रह्मपुत्र के तल से मिट्टी निकालने का प्रश्न कहां है? हमने बांध बनाये हैं। आजादी से पहले केवल 160 मील बांध थे। इस समय 2000 मील बांध है। यह बहुत अच्छा काम है। बांधों का आधा इलाका आसाम में है। बांधों का रखरखाव न किया जाये तो वे बेकार हैं। ब्रह्मपुत्र पर बांधों का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सक्रिय विचार हो रहा है। बैरक परियोजना को बनाने में 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन मनिपुर की भूमि अवभज्जन की समस्या है। वह भूमि बहुत उपजाऊ है।

श्री राणे ने ऊपरी ताप्ती नदी परियोजना की बात की, इस योजना पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। तकनीकी दृष्टि से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है तो ताप्ती से नुकसान काफी कम होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह परियोजना रोक दी गई है क्योंकि इस के कारण मध्य प्रदेश का थोडा सा क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा। हम इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी सहमति नहीं दे रही है। हम अपने किसी अधिकारी को वहां पर भेजकर यह पता लगायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। मैं इस परियोजना को पुनः उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि क्या किया जा सकता है।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, वहां पर बड़ी विचित्र घटना हुई है। राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा होती है। लेकिन सवाई माधोपुर और नागपुर में जहां पहले पानी की एक बूंद भी नहीं था, एक दिन में बड़ी भारी वर्षा हुई और इससे पानी काफी फैल गया और कई तालाबों में सूराख हो गये। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि वहां पर इतना अधिक पानी आयेगा। राजस्थान में घग्घर नदी ने बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह नदी हरियाणा में कहीं से निकल कर राजस्थान में बहती है। ऐसी बात नहीं हैं कि हरियाणा पानी को छोड़ना चाहता है। वस्तव में इस वर्ष हरियाणा को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमने लगभग 1½ से 4 करोड़ रुपये की लागत से घग्घर नदी के बहाव को मोड़ने की योजना आरम्भ की है। ऐसा विचार था कि एक रेग्यूलेटर के जरिये राजस्थान नहर काटने के बाद पानी को नियत्रित किया जाय और उसके बाद नदी के मूल बहाव को प्राकृतिक मार्ग से निचले रेतीले क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया जाय। लेकिन दुर्भाग्यवश 40 फुट का बांध उसी स्थान से टूट गया जिस स्थान से वह पिछले वर्ष टूट गया था। इसलिए हम नदी के तल को समुचित स्तर पर ला रहे है ताकि नदी के किनारे को सुदृढ़ बनाया जा सके। यदि एक बार यह काम हो जाये तो उसके बाद घग्घर नदी में बाढ़ की कठिनाई पैदा ही नहीं होगी।

पश्चिमी बंगाल में मुख्य समस्या यह नहीं है कि वहां पर नदियों में बहुत ज्यादा पानी है। वास्तव में समस्या पानी की निकासी की है। यह समुद्र तटीय क्षेत्र हैं और वहां पर पानी की निकासी में बड़ी कठिनाई होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है और सारा पानी समुद्र में नहीं पहुंच पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर बहुतसी निकासी नालियां बनाई जाये। इसके लिए हमें धन जुटाने का प्रयत्न करना होगा ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। मिदनापुर में हमें सुवर्णरेखा के दोनों ओर बांध बनाने चाहिये। मैं चाहता हूँ कि वहां पर इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया जाये।

कहा गया है कि दामोदर घाटी बन जाने और केसावती के पानी से बाढों की संख्या बढ़ गई है और इसके परिणाम स्वरूप हावड़ा और मिदनापुर जिले की कठिनाई बढ़ गई है। इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है। दामोदर घाटी निगम द्वारा पानी को छोड़ने के बारे में निश्चय नियम और विनियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार निगम को 160,000 क्यूसेक पानी छोड़ना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वह केवल उल्लिखित मात्रा का आधा पानी ही छोड़ता है।

जहां तक 'लोअर दामोदर' का सम्बन्ध है। दामोदर नदी अब नहीं रही और समूचे इलाके में कृषि की जा रही है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाना सही नहीं है। मैंने अधिकारियों को बता दिया है कि कम से कम निचली दामोदर को फिर चालू किया जाये। नदी सूख नही गई है और यह गुन्देसवरी में जाती है। निकासी बन्द करने का कोई लाभ नहीं है। दुर्भाग्यवश बंगाल में ऐसा हो रहा है। त्रिवेणी में तीन नदियां होती थी लेकिन दो नदियां खत्म हो गई हैं। उन पर कब्जा कर लिया गया है। वास्तव में 24 परगना में निकासी का संकट है।

जंगलों को काटने का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि बाढ़ आने का यह भी एक कारण है, यह कहना ठीक नहीं हैं। तकनीकी दृष्टि से इसे भूमि-प्रबन्ध कहा जाता है। अब तक हम इंजीनियरिंग के उपायों पर ही विचार करते रहे हैं लेकिन अब हमें भूमि-प्रबन्ध और बाढ़ सम्बन्धी भविष्यवाणी के बारे में भी विचार करना चाहिये। यदि हम ऐसा करें, तो बाढ़ से होने वाली हानि को रोका जा सकेगा।

बाढ नियन्त्रण कार्यक्रम बहुत व्यापक है और सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से ध्यान दे रही है। मैं डा० कर्णी सिंह से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें बाढों के सम्बन्ध में एक संसदीय समिति बनानी चाहिये जहां हम इन बातों पर अधिक गम्भीरता से विचार विमर्श कर सकें और समस्या का सही हल निकाल सकें। हमें अपने वित्तीय संसाधनों की सीमाओं के अन्दर इसके बारे में कुछ करना चाहिये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (प्रभणी) : विश्वेश्वरय्या योजना का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि वह अपने मन्त्रालय की परामर्शदातृ समिति में उन सदस्यों को शीघ्र आमंत्रित करें जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला अथवा जो उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं।

तत्पश्चात लोक-सभा मंगलवार 13 अगस्त, 1968/22 श्रावण, 1890 (शक) के 11 बजे पूर्वाहन तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 13, 1968/ Sravana 22, 1890 (Saka).